सर्वे
भवन्तु सुखिनः

वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

विषय – वस्तु

अध्याय–1	**प्रस्तावना**		**1**
अध्याय–2	**मुख्य बिन्दु : 2011–2012**		**3**
अध्याय–3	**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन एवं कार्य**		**15**
अध्याय–4	**सिविल तथा राजनीतिक अधिकार**		**21**
	अ.	हिरासतीय हिंसा तथा प्रताड़ना	21
		क) हिरासतीय मौतें में	21
		न्यायिक अभिरक्षा	21
	1.	असका उप–जेल, ओडिशा में हमले के कारण अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु (मामला सं0 1210/18/5/2010–जे.सी.डी.)	21
	2.	सीतामणि मंडलीय कारागार, बिहार में चिकित्सीय लापरवाही के कारण अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु (मामला सं0 2808/4/36/08–09–जे.सी.डी.)	22
	3.	मुरादाबाद जेल, उत्तर प्रदेश में चिकित्सीय लापरवाही के कारण अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु (मामला सं0 13311/24/56/2010–जे.सी.डी.)	23
	4.	जिला कारावास अस्पताल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु (मामला सं0 23977/24/48/2011–ए.डी.)	24
		पुलिस अभिरक्षा	
	5.	तथाकथित यातना के कारण बचोले की मृत्यु {मामला सं0 11131/24/43/08–09 (एल/एफ 11505/24/43/08–09 एफ.सी.)}	25
	6.	सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में सलीम की मृत्यु {मामला सं0 25919/24/64/07–08–ए0डी0 (एल/एफ 31809/24/64/07–08 एफ.सी.)}	25

7.	पुलिस अभिरक्षा में कृष्णा मूर्ति की तथाकथित मृत्यु (मामला सं0 2349/22/36/08–09–ए0डी0–एफ.सी.)	26
8	खीरी, उत्तर प्रदेश के मेगलगंज जेल में पुलिस अभिरक्षा में विनोद की मृत्यु (मामला सं0 11729/24/2003–2004–सी0डी0–एफ.सी.)	27
9.	कोल्लम, केरल में पुलिस अभिरक्षा में जी0 राजेन्द्रन की मृत्यु (मामला सं0 4/11/2005–2006–सी0डी0–एफ.सी.)	28
10.	आदमपुर पुलिस स्टेशन, उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु (मामला सं0 19914/24/05–06–सी0डी0)	29
11.	प्रतापनगर पुलिस स्टेशन, जयपुर, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई यातनाओं के कारण हुई सीमा देवी की मृत्यु (मामला सं0 262/20/14/2011)	30
12.	गढ़ी, हरसरु, जिला गुड़गांव, हरियाणा में पुलिस अभिरक्षा में दी गई यातना के कारण राजपाल बावरिया की मृत्यु (मामला सं0 2570/7/16/08–09–ए.डी.)	31
	क) अर्द्ध–सैनिक/रक्षा बल अभिरक्षा	32
13.	जम्मू एवं कश्मीर में सेना द्वारा की गई कार्रवाई में नागरिक की मृत्यु (मामला सं0 153/9/8/07–08–ए.एफ.)	32
	ख) अवैध गिरफ्तारी तथा प्रताड़ना	32
14.	उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस द्वारा पप्पू जैसवाल को विधि–विरुद्ध गिरफ्तार करना तथा उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाना (मामला सं0 11065/24/55/2011)	32
15.	गाजियाबाद पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा एक महिला को गैर कानूनी रुप से बंधक बनाना (मामला सं0 517/24/31/2011)	34
16.	जिला सेप्पा, अरुणाचल प्रदेश में सेना के कार्मिकों द्वारा ख्या सोनम तारा के साथ किया गया अत्याचार (मामला सं0 26/2/0/2010)	35
17.	जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा हन्नान मंडल के साथ किया गया अत्याचार (मामला सं0 868/25/13/2010–ए0एफ0)	36

	ग) पुलिस की ज्यादतियाँ	*38*
18.	भट्टा तथा पारसौल गांव, नौएडा, उत्तर प्रदेश में पुलिस की तथाकथित ज्यादतियों की जांच (मामला सं0 16936/24/30/2011 तथा संबंधित मामला सं0 16946/24/30/2011 तथा 16954/24/30/2011)	38
19.	विद्रोह रोधी ऑपरेशन के दौरान झारखंड पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों द्वारा किया गया मानव अधिकारों का उल्लंघन (मामला सं0 1206/34/18/2011)	46
20.	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में आर0पी0एफ0 के कांस्टेबलों द्वारा अप्राधिकृत पानी की बोतले बेचने वाले लड़के के साथ दुर्व्यवहार (मामला सं0 6153/24/56/2011–पी एफ)	49
21.	आगरा, उत्तर प्रदेश में विनय कुमार के साथ पुलिस द्वारा किया गया दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न (मामला सं0 13564/24/2002–2003)	51
22.	पुलिस द्वारा उपेन्द्र सिंह को जाली मामले में फंसाना तथा बिहार में उसके पुत्र की एफ0आई0आर0 दर्ज करने से मना करना (मामला सं0 3637/4/2002–2003)	52
	घ) पुलिस गोलीबारी तथा मुठभेड़ में मृत्यु	*54*
23.	देहरादून, उत्तरांचल में एक जाली पुलिस मुठभेड़ में रणवीर सिंह की मृत्यु (मामला सं0 482/35/5/09–10–ए एफ ई–एफ सी)	54
24.	तुरा, मेघालय में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध उल्फा कैडर की मृत्यु (मामला सं0 34/15/5/2010–ई डी– एफ सी)	55
25.	पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के साथ एक कथित मुठभेड़ के दौरान हुई अली हुसैन मंडल की मृत्यु (मामला सं0 837/25/15/07–08–पी एफ–एफ सी)	56
26.	दिल्ली पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान हुई यशवीर सिंह की मृत्यु (मामला सं0 4441/30/2006–2007–एफ सी)	58
27.	जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में एक कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई दो व्यक्तियों की मृत्यु (मामला सं0 32646/24/53/2010/ए डी)	59

	28.	बूखारवार के निकट, पुलिस स्टेशन नयागांव, सतना, मध्य प्रदेश में हुई एक पुलिस मुठभेड़ में हुई तीन डकैतों की मौत (मामला सं0 1245/12/2005–2006/ई डी)	60
	29.	मझीला पुलिस स्टेशन, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा एक जाली मुठभेड़ में हुई संजीव और उसके दो दोस्तों की मौत। (मामला सं0 58153/24/36/07–08)	62
	30.	कोयम्बटूर सिटी पुलिस, केरल के साथ तथाकथित मुठभेड़ में मोहन राज की मौत (मामला सं0 1349/22/5/2010–ई डी एवं एल.एफ 1332/22/5/2010–ए एफ इ)	64
	31.	सी.आर.पी.एफ द्वारा गोलीबारी में रविकुमार की मृत्यु (मामला सं0 4056/4/2004/2005–एफ सी)	65
	ख.	जेलों में स्थिति	66
		(क) जेलों के दौरे	66
		(ख) जेल आबादी का विश्लेषण	67
		ग. जेल सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	70
अध्याय–5	**स्वास्थ्य का अधिकार**		**75**
		क. सिलिकॉसिस	76
		ख. एण्डोसल्फान	76
		ग. फ्लूरोसिस	77
		घ. मानसिक स्वास्थ्य	77
		ड़. स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं पर प्रस्तावित कर संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणी	78
		च. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुलझाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टान्त मामले	79
	1.	पंजाब सरकार द्वारा मालवा क्षेत्र में कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक (मामला सं0 705/19/2/2011)	79
	2.	पानी की कमी से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 2800 निवासी गांव से पलायन करने को मजबूर (मामला सं0 19498/24/50/2011)	81

	3.	पूरी दिल्ली में रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक में अत्यधिक हानिकारक रसायन पाए गए (मामला सं0 76/90/0/2011)	81
	4.	छत्तीसगढ़ में एक शल्य शिविर में 25 लोगों ने अपनी दृष्टि गंवाई (मामला सं0 533/33/5/2011)	82
	5.	कानपुर में उरसला अस्पताल कर्मचारी की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत (मामला सं0 31025/24/43/2011)	83
	6.	चिकित्सीय लापरवाही तथा प्रजनन अधिकार (मामला सं0 341/33/7/2011)	83
	7.	मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के साम्वली स्थित चमत्कारिक हनुमान मंदिर में दुःख में दिन काट रहे गंभीर मानसिक रोगी (मामला सं0 590/12/11/2011)	84
	8.	भारत में विभिन्न दवा परीक्षणों के लिए महिलाओं का इस्तेमाल (मामला सं0 765/1/7/2011)	85
अध्याय–6	**भोजन का अधिकार**		87
	क.	भारत के 28 चयनित जिलों में मानव अधिकार जागरूकता तथा मानव अधिकार कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन को सुकर बनाना।	88
	ख.	खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना	89
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए भोजन के अधिकार संबंधी दृष्टान्त मामले	90
		1. कुरूक्षेत्र, हरियाणा के दो सरकारी स्कूलों मे मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्कूली बच्चे बीमार पड़े (मामला सं0 1866/7/11/2011)	90
		2. असम के कचर जिले में भूख से तथाकथित मौत (मामला सं0 39/3/2/2012)	91
		3. मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में आवश्यक उत्पादों के वितरण में तथाकथित अनियमितता (मामला सं0 27/15/2011)	92

अध्याय–7	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार**		**93**
	क.	बंधुआ एवं बाल मजदूरी के मुद्दों के उन्मूलन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रकोष्ठ का गठन	94
	ख.	बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	96
	ग.	बंधुआ मजदूरी पर कोर समूह का गठन	98
	घ.	बंधुआ एवं बाल मजदूरी प्रथा का उन्मूलन	99
	ड.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पर जोनल कार्यशालाओं का आयोजन	100
	च.	प्रवासी मजदूरों संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की समीक्षा	101
	छ.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर समूहों से संबंधित दृष्टांत मामले	101
	1.	गुजरात में दलितों का जबरन प्रवास तथा बहिष्कार (मामला सं0 166/6/2/09–10–एफ सी)	101
	2.	तमिलनाडु में जाति के नाम पर एक दलित लड़के के साथ दुर्व्यवहार (मामला सं0 649/22/5/2011)	102
	3.	उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा एक गरीब दलित लड़के को गैर कानूनी तरीके से बंद रखना (मामला सं0 21677/24/2006–2007)	103
	4.	मोहाली, पंजाब में 23 बंधुआ मजदूरों की रिहाई (मामला सं0 1014/19/0/2010–बी एल)	105
	5.	हरियाणा में 9 बंधुआ मजदूरों की रिहाई (मामला सं0 1447/7/8/2010–बी एल)	107
	6.	बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के बेहतर प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठों के मालिकों द्वारा रिकार्डों का रखरखाव (मामला सं0 813/7/03–04–बी.एल)	109
	7.	हरियाणा एवं राजस्थान में बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना, उनकी रिहाई तथा पुनर्वास (मामला सं0 813/7/03–04–बी.एल)	110

अध्याय–8 **महिलाओं और बच्चों के अधिकार** **113**

क. स्वास्थ्य का अधिकार–महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार के विशेष संदर्भ में : एक मानव अधिकार दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय गोष्ठी। 114

ख. रिथिंकिंग फेमिनिज्म : महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति मानव अधिकार दृष्टिकोण 115

ग. अपने अधिकारों के लिए बच्चों की बातचीत तथा मानव अधिकार सिद्धान्त, बाल अधिकारों संबंधी मार्गदर्शक नीति एवं रिपोर्टिंग पर गोष्ठी 115

घ. बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2011 के मसौदे पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणी 116

ड. सी ई डी ए डब्ल्यू के संबंध में चौथे और पाँचवे संयुक्त आवधिक रिपोर्ट से संबंधित में एम डब्ल्यू सी डी के अंतिम प्रारूप पर रा. मा. अ. आ. की टिप्पणियाँ :– 120

च. महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए दृष्टान्त मामले 121

1. धानीडीह गांव, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मर्यादा के साथ छेड़–छाड़ (मामला सं0 15143/24/66/07–08–डब्ल्यू सी) 121

2. झारखण्ड के गढ़वा जिले के सदर अस्पताल में एक महिला का अनादर (मामला सं0 1412/34/7/2010) 122

3. भिक्षुक महिला के अधिकारों का हनन् (मामला सं0 1717/30/0/2011) 123

4. झारखण्ड में बाल मजदूरी के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 389/34/11/2011) 123

5. जूनागढ़, गुजरात में एक सरकारी अस्पताल में थेलेसिमिया से पीड़ित बच्चे एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए (केस सं0 920/6/2011) 124

6. जिला पश्चिम चंपारण, बिहार में पुलिस चौकी में महिला का हिरासत में बलात्कार (केस सं0 565 सं0 565/4/9/2011–ए आर) 127

7. मुंबई, महाराष्ट्र में कार्यस्थल पर एक महिला पुलिस अधिकारी का यौन उत्पीड़न (केस सं0 123/13/2002–2003) 129

8. कार्यस्थल पर सरकारी महिला स्टाफ का यौन उत्पीड़न (केस सं0 1943/13/ 2002 –2003– डब्ल्यू सी) 130

	9.	प्रधानाचार्य द्वारा चौथी कक्षा की छात्रा से यौन दुराचार (केस सं0 2740/18/8 /2011–डब्ल्यू सी लिंक फाइल 2891/18/8/2011–डब्ल्यू सी एवं 2952/18/8/ 2011–डब्ल्यू सी)	132
	10.	महिला से यौन दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न (केस सं0 18627/24/46/08–09–डब्ल्यू सी)	133
	11.	बी सी सी एल प्राधिकारियों द्वारा एक विधवा का उत्पीड़न (केस सं0 636/34/4/2010)	135
	12.	लापरवाही के कारण एक छात्रा की मृत्यु एवं अन्य को चोट आना (केस सं0 849/35/5/2010)	139
अध्याय–9	**वृद्धजनों के अधिकार**		**141**
	क.	वृद्धजनों हेतु स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन	142
	ख.	वृद्धजनों के अधिकारों के विषय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए दृष्टांत मामले	142
	1.	मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में उप–जेलर की विधवा को विशेष पेंशन का भुगतान नहीं किया जाना। (केस सं0 23002/24/2002–2003)	142
	2.	मध्य प्रदेश के रनझी उपनगरीय क्षेत्र, जबलपुर में रहने वाले वृद्धजनों के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की स्वास्थ्य सुविधाएं देने से इंकार (केस सं0 1936/12/22 /2011)	144
	3.	एक वृद्ध व्यक्ति को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किया जाना (केस सं0 466/35/8/09–10)	145
	4.	समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतक कर्मचारी की विधवा को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में अत्यधिक देरी (केस सं0 20804/24/24/2010)	147
अध्याय–10	**अशक्त व्यक्तियों के अधिकार**		**149**
	क.	सामाजिक–आर्थिक जनगणना	149
	ख.	अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर कंट्री रिपोर्ट तैयार करने की मॉनीटरिंग	149
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अशक्तता संबंधी कोर समूह की बैठक	150

	घ.	आयोग द्वारा अशक्त व्यक्तियों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले	150
अध्याय–11		**मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरुकता**	**153**
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	153
	ख.	ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम	153
	ग.	अल्पकालिक अंतःशिक्षुता कार्यक्रम	154
	घ.	भारतीय विदेश सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	154
	ङ.	भारत के विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं के साथ चर्चा	154
	च.	पुलिसकार्मियों के लिए मानव अधिकार संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	155
	छ.	महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	155
	ज.	मानव अधिकार पक्षकारों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	155
	झ.	स्थापना दिवस समारोह	156
	ञ.	मानव अधिकार दिवस समारोह	156
	ट.	अंतर–केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता	157
	ठ.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिन्दी पखवाड़ा	157
अध्याय–12		**मानव अधिकार पक्षकार**	**159**
	क.	मानव अधिकार पक्षकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र घोषणा	159
		– विधिक विशेषता	159
		– घोषणा के प्रावधान	159
		– राज्यों की भूमिका	160
	ख.	आयोग में मानव अधिकार पक्षकारों हेतु फोकल प्वाइंट	160
	ग.	मानव अधिकार पक्षकारों के संरक्षण हेतु आयोग की कार्रवाई प्रक्रिया	160
	घ.	मानव अधिकार पक्षकारों के संबंध में आयोग द्वारा निपटाए गए दृष्टांत मामले	161
		1. पुलिस शक्ति का कथित दुरूपयोग (केस सं0 634/22/13/2010)	161
		2. पुलिस द्वारा मानव अधिकार पक्षकार को कथित गैर कानूनी कैद (केस सं0 10558/24/37/2011)	162

	3.	जिला महोबा, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का विरोध करने पर मानव अधिकार पक्षकार को धमकी मिलना (केस सं0 15733/24/50/2011 एल एफ 18494/24/50/2011)	162
	4.	मजदूरों के कथित शोषण का मानव अधिकार पक्षकार द्वारा खुलासा (केस सं0 21867/24/72/2011)	162
	5.	पुलिस द्वारा एक मानव अधिकार पक्षकार को गैर कानूनी कैद (केस सं0 36808/24/72/2011)	163
	6.	मानव अधिकार पक्षकार पर हमले के बाद पुलिस की कथित निष्क्रियता (केस सं0 1988/18/27/2011)	163
	7.	पुलिस द्वारा कथित निष्क्रियता तथा धमकी (केस सं0 11939/24/73/2010)	164
	8.	भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने पर मानव अधिकार पक्षकार पर तेजाब से हमला (केस सं0 881/6/12/2011)	164
	9.	भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मानव अधिकार पक्षकार की कथित हत्या (केस सं0 1529/34/0/2011)	165
	10.	आर. टी. आई. कार्यकर्त्ता पर हमले के बाद पुलिस की निष्क्रियता (केस सं0 6029/30/1/2011)	166
	11.	बिहार में आर टी आई कार्यकर्त्ता एवं विसल ब्लोअर की हत्या (केस सं0 2621/4/19/2011 एल एफ 2623/4/19/2011 एल एफ 2658/4/19/2011)	166
	12.	भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मानव अधिकार पक्षकार को कथित धमकी दिया जाना (केस सं0 3017/18/2/2011)	167
अध्याय–13	**अंतरराष्ट्रीय सहयोग**		**169**
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के साथ सहयोग	169
	ख.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति और मानव अधिकार परिषद के साथ संयोजन	170
	ग.	द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा –यू एन मानव अधिकार परिषद के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत का प्रस्तुति	172
	घ.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत द्वारा एनसीएचआर ऑफ रवांडा को दिया गया तकनीकी सहयोग	174

	ड.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत ने अंतरराष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया	174
	च.	आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा	174
अध्याय–14	**राज्य मानव अधिकार आयोग**		**177**
	क.	राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थिति	177
	ख.	एस एच आर सी के कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा समिति का गठन	178
	ग.	एन एच आर सी तथा एस एच आर सी के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रम	179
अध्याय–15	**अन्य तंत्र**		**181**
	क.	विशेष संपर्ककर्त्ता	181
	ख.	कोर एवं विशेषज्ञ समूह	181
	ग.	गैर–सरकारी संगठन	182
	घ.	ए आई एन एन आई रिपोर्ट के मीडिया प्रकाशन संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत का वक्तव्य	183
अध्याय–16	**प्रशासन एवं संभारकीय सहायता**		**187**
	क.	स्टॉफ	187
	ख.	राजभाषा का प्रयोग	187
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी	188
	घ.	सूचना का अधिकार	189
अध्याय–17	**महत्वपूर्ण संस्तुतियों एवं टिप्पणियों का सार**		**191**
अनुलग्नक			**197**
	1.	01/04/2011 से 31/03/2012 तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका	201
	2.	2011–2012 के दौरान मामलों के निपटान को दर्शाने वाली तालिका	202
	3.	31/03/2012 तक लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका	203
	4.	2011/12 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्यवाई हेतु संस्तुत मामलों की कुल संख्या	204
	5.	वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक/अभियोजन के भुगतान हेतु वर्ष 2011/12 के दौरान रा.मा.अ. आयोग के संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	205

6.	वर्ष 1993–94 से 2009–2010 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा आर्थिक राहत के भुगतान/अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण	213
7.	वर्ष 2010–11 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा आर्थिक राहत के भुगतान/अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण	215
8.	वर्ष 2011–12 के दौरान संचालित किए गए मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम	217
9.	संदेश	225

चार्ट एवं ग्राफ **227**

1.	वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में राज्य/संघ राज्य आधारित पंजीकृत की मामलों की संख्या	229
2.	वर्ष 2011–12 के दौरान हिसासत में हुई मौतों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में राज्य/संघ राज्य आधारित पंजीकृत सूचनाएं	230
3.	वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को संस्थानांतरित मामलें	231
4.	2011–12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की प्रकृति एवम् वर्गीकरण	232
5.	राज्य/संघ राज्यों में 2 प्रतिषत से अधिक निष्कासन दर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आरंभ से ही खारिज मामलें	233
6.	2011/12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए/लंबित निपटान मामलें	234
7.	2011/12 के दौरान राज्य/संघ राज्यों में 2 प्रतिशत से अधिक निपटान दर के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निर्देशों के साथ निपटाएं गए मामलें	235
8.	2011/12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव आयोगों को स्थानांतरित मामलें	236

संक्षिप्तियाँ **237**

अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1 यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन०एच०आर०सी०) की उन्नीसवीं वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि को कवर किया गया है।

1.2 की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तैयार करने तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20(2) तथा सितम्बर 2006 में इसमें किए गए संशोधन के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं के अनुसरण में इस ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों में तथा संबंधित राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए लिए आयोग की 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि की अठारहवीं वार्षिक रिपोर्ट को क्रमशः दिनांक 23 जनवरी 2012 तथा दिनांक 16 मई 2012 को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रस्तुत किया गया था।

1.3 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। न्यायमूर्ति श्री जी०पी० माथुर, न्यायमूर्ति श्री बी०सी० पटेल, श्री सत्यव्रत पाल तथा श्री पी०सी० शर्मा आयोग के सदस्य बने रहे।

1.4 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसरण में डॉ० पी०एल० पूनिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष; डॉ० रामेश्वर ओरॉन, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष; तथा श्री वजाहत हबीबुल्लाह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने आयोग के सदस्य के रुप में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करना जारी रखा। डॉ० गिरिजा व्यास द्वारा कार्यालय छोड़ने के बाद सुश्री ममता शर्मा ने दिनांक 2 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के रुप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.5 डॉ० राजीव शर्मा, आई०ए०एस० (राजस्थान : 76) ने दिनांक 30 मई, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपनी नियुक्ति से पहले वह राजस्थान सरकार के अपर मुख्य सचिव तथा नई दिल्ली में प्रधान स्थानिक आयुक्त, राजस्थान के पर पर रहे हैं। श्री सुनील कृष्णा, आई०पी०एस० (उत्तर प्रदेश : 73) महानिदेशक (अन्वेषणों) के रुप में तथा श्री ए०के० गर्ग, रजिस्ट्रार (विधि) के रुप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अपनी सेवाएं देते रहे। श्री जे०पी० मीणा, आई०ए०एस० (ए.एम. : 83) तथा श्री जे०एस० खोचर, आई०ई०एस० (1986) ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्रमशः संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) तथा संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) के पद पर कार्य करना जारी रखा।

1.6 दिनांक 12 अक्टूबर, 1993 अर्थात अपने स्थापना दिवस से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार का ध्यान सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण तथा संवर्धन करने पर केन्द्रित है। इन सभी मामलों के संबंध में आयोग, देश में कहीं पर भी हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन

या अवहेलना को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास कर रहा है। शिकायतों की संख्या में बड़ी मात्रा में हो रही वृद्धि लोगों के बीच में मानव अधिकारों के बारे में बढ़ रही जागरुकता तथा आयोग के प्रति उनके विश्वास को दर्शाती है।

1.7 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक राष्ट्रीय संस्थान के रुप में इन सभी अधिकारों तथा संबंधित चुनौतियों को संबोधित करना जारी रखा। आने वाले अध्यायों में इन सभी मामलों पर आयोग के विचारों एवं कार्रवाईयों की विस्तृत चर्चा की गई है। इन अध्यायों में अन्य बातों के साथ–साथ आतंकवाद एवं उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों की सुरक्षा; हिरासतीय हिंसा तथा अभिरक्षा में मौत सहित प्रताड़ना तथा 'मुठभेड़'; और कारागारों की स्थिति सहित विविध सिविल स्वतंत्रताओं पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य के अधिकार; खाने–पीने के अधिकार; शिक्षा के अधिकार; अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकार तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के अधिकार; महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार; वृद्धों के अधिकार, पर्यावरण संबंधी अधिकार; मानव अधिकार जागरुकता तथा साक्षरता सृजित करने के प्रयास; तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में मानव अधिकारों के प्रतिरक्षकों पर भी प्रकाश डाला गया है। चालू वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित ऐसा प्रत्येक मुद्दा जिस पर कार्रवाई की गई है, में आयोग को अधिनिर्णयन के लिए रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार उल्लंघन के मामले शामिल हैं।

(के०जी० बालकृष्णन)
अध्यक्ष

(जी०पी० माथुर)	**(बी०सी० पटेल)**	**(सत्यव्रत पाल)**
सदस्य	**सदस्य**	**सदस्य**

20 दिसम्बर, 2012

नई दिल्ली।

अध्याय - 2

मुख्य बिन्दु : 2011-2012

2.1 ''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993'' (पी०एच०आर०ए०) के अनुसरण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन०एच०आर०सी०) को प्रदत्त व्यापक कार्यों एवं शक्तियों के चलते यह आयोग भारत के संविधान, विधि के कानून तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के दायित्वों से निहित राष्ट्रीय संस्थानों की प्रतिष्ठा से संबंधित पेरिस सिद्धांतों के अनुसरण में अपनी भूमिका तथा दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। आयोग, केन्द्र तथा राज्य में सरकारी मंत्रालयों, देश में संचालित गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय एवं तकनीकी संगठनों/संस्थानों के साथ–साथ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिल कर घरेलू, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अग्रस्थान दिया है और कई चुनौतीपूर्ण मामलों का निपटान किया है। भावी अनुच्छेदों में अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कुछ मुख्य घटनाओं एवं गतिविधियों को उजागर किया गया है।

आयोग की बैठकें

2.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण आयोग ने 37 बैठकों में मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों पर विचार किया और निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त दो प्रभागीय पीठों ने 127 बैठकों में 1950 मामलों का विचारण किया। न्यायालय की सुनवाई के दौरान 11 बैठकों में अन्य मामलों का विचारण किया गया। 17 बैठकों में अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक कार्यसूची का निपटान किया गया। सांविधिक पूर्ण आयोग, जिसमें मनोनीत सदस्य शामिल हैं, की बैठक भी 14 जून 2011 तथा 7 फरवरी 2012 को आयोजित की गई जिसमें अंतर–आयोग समन्वय संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।

गुजरात में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शिविर बैठक

2.3 आयोग ने दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को अहमदाबाद, गुजरात में एक शिविर बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायविद श्री बी०सी० पटेल ने इस शिविर बैठक की अध्यक्षता की। शिविर बैठक में राज्य से संबंधित 45 मामलों को उठाया गया। संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद चार मामलों को बंद कर दिया गया। चार मामलों में आयोग ने रजिस्ट्री को निदेश दिया कि वे राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट को वादी को अग्रेषित करे ताकि उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो सकें। बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों सहित शेष मामलों में आयोग ने राज्य प्राधिकारियों के अनुरोध पर सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा को बढ़ा दिया।

शिकायतों की संख्या तथा प्रकृति

2.4 विगत की तरह इस बार भी आयोग को देश के विभिन्न भागों से मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में कथित हिरासतीय मौतों, प्रताड़ना, जाली मुठभेड़, पुलिस की ज्यादती, सुरक्षा बलों द्वारा किया गया उल्लंघन, कारावास संबंधी परिस्थितियां, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचार, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, लोक प्राधिकारियों की लापरवाही आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। आयोग, प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टों तथा अध्यक्ष, सदस्यों एवं विशेष प्रतिवेदकों द्वारा किए गए दौरों के दौरान, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कई घटनाओं को स्वतः संज्ञान में लेता है।

मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

2.5 वर्ष 2011–2012 के दौरान आयोग में 95,174 मामले पंजीकृत किए गए (अनुलग्नक 1)। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मामलों सहित 92,942 मामलों का निपटान किया गया। आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 48,913 मामलों को 'प्रारंभिक स्तर' पर ही खारिज कर दिया गया था, जबकि 13,214 मामलों में यथोचित प्राधिकारियों को उपचारी उपाय करने संबंधी निदेश देते हुए उनका निपटान किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य मानव अधिकार आयोगों को कुल 24,055 मामले अंतरित किए गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार मामलों का विवरण **अनुलग्नक–2** पर है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति अर्थात 31 मार्च 2012 को आयोग के पास 15,090 मामले लंबित थे जिसमें 1,533 मामले ऐसे थे जिनका प्रारंभिक विचारण प्रतीक्षित था तथा 13,557 मामले ऐसे थे जिनके संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्रतीक्षित थीं या प्राप्त हो गई थीं लेकिन वो आयोग के भावी विचारण के लिए लंबित थीं **(अनुलग्नक–3)**.

2.6 नीचे दिखाए गए ग्राफ में वर्ष 2009–2010 से 2011–2012 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत हुए कुल मामलों का तुलनात्मक आकलन किया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत मामले (2009–2010 से 2011–2012 तक)

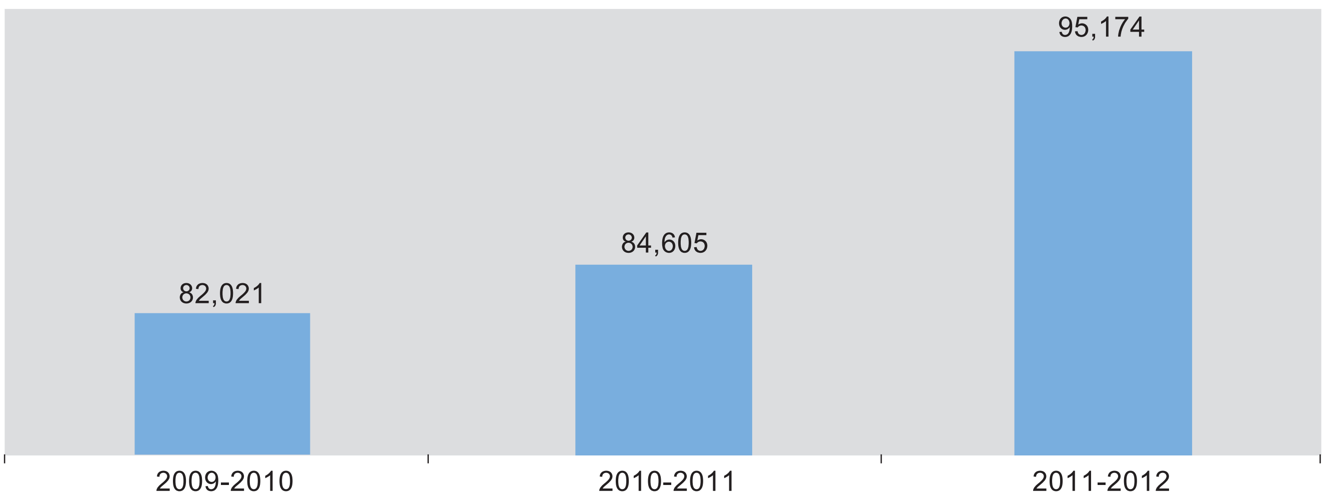

ए०आई०एन०एन०आई० रिपोर्ट की मीडिया रिलीज पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत का कथन

2.7 आयोग ने नई दिल्ली और मुम्बई में ए०आई०एन०एन०आई०[1] की मीडिया रिलीज के मौके पर एक कथन जारी किया जिसमें कहा गया कि इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत के बारे में अनुचित ढंग से तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं और इससे विश्व समुदाय की आंखों में देश की प्रतिष्ठा कम हुई है।

राज्य मानव अधिकार आयोगों में शिकायत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

2.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में स्थापित शिकायत प्रबंधन तंत्र (सी०एम०एस०) का मुख्य कार्य शिकायत संचालन तंत्र को सुविधा प्रदान करना है। वर्ष 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) के साथ मिलकर देश में चार राज्य मानव अधिकार आयोगों (एस०एच०आर०सी०) नामतः असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की स्थापना में सहायता प्रदान की। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने चार और राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान को भी अपना सहयोग दिया। इन राज्य मानव अधिकार आयोगों को संबंधित उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए तथा अपने अधिकारियों एवं स्टाफ को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2.9 रवांडा के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अपनी शिकायत प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में भी आयोग द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।

सिविल एवं राजनीतिक अधिकार

हिरासतीय हिंसा निवारण

2.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायिक अभिरक्षा[2] में मृत्यु की 1,302 सूचना, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की 129 सूचना तथा अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में मृत्यु की 2

2011–2012 के दौरान पंजीकृत तथा निपटाए गए हिरासतीय मृत्यु के मामलों की संख्या

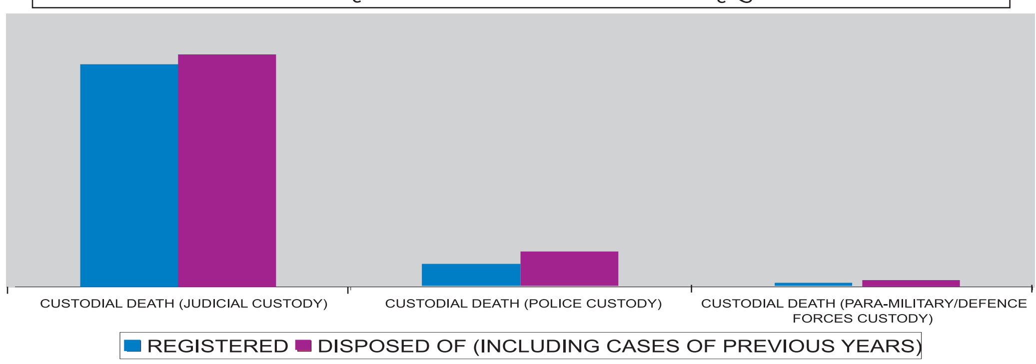

[1] ए०आई०एन०एन०आई०, गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों के अखिल भारतीय नेटवर्क के बैनर के तहत गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है।
[2] वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है, न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में जेलों में बंद व्यक्ति।

सूचनाएं प्राप्त हुईं। आयोग ने न्यायिक अभिरक्षा के 1,571 मामलों को निपटाया जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के 1,364 मामले, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के 204 मामले तथा अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में मृत्यु के तीन मामले शामिल थे। इन आंकड़ों में पिछले वर्ष के मामले भी शामिल हैं। नीचे दिए गए ग्राफ को देखें :–

कारावासों तथा सुधारक गृहों का निरीक्षण

2.11 आयोग के एक सदस्य, एक विशेष प्रतिवेदक, महानिदेशक (जांच), संयुक्त सचिव (पी० एण्ड ए०) तथा आयोग के अन्वेषण प्रभाग के एक अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में जिला कारावास दुर्ग; कोलकाता, पश्चिम बंगाल में दम–दम केन्द्रीय सुधारक गृह; छत्तीसगढ़ में रायपुर सेंट्रल जेल; जिला गाजियाबाद में डासना जेल तथा उत्तर प्रदेश में जिला कारावास हरदोई; चेन्नई, तमिलनाडु में सेंट्रल जेल तथा पुदुचेरी में सेंट्रल जेल का दौरा किया। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य इन संस्थानों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण के साथ–साथ कैदियों के मानव अधिकारों की स्थिति का अध्ययन करना था।

स्थल निरीक्षण

2.12 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 60 मामलों का स्थल निरीक्षण करने का निदेश दिया। यह मामले हिरासतीय मौतों/बलात्कारों, पुलिसकार्मिकों द्वारा यौन शोषण; अभिरक्षा में प्रताड़ना; झूठे मामलों में फंसाना; अवैध रूप से बंदी बनाना; बंधुआ तथा बाल मजदूरी; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित वर्गों पर अत्याचार; सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय लापरवाही तथा उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव, विभिन्न राज्य प्राधिकारियों की लापरवाहियों के कारण मृत्यु; कारावासों तथा बाल सुधार गृहों में अमानवीय स्थितियों से संबंधित थे।

कारावास सुधारों के संबंध में राष्ट्रीय सेमिनार

2.13 आयोग द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2011 को नई दिल्ली में एक दिवसीय 'कारावास सुधार संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार' का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारम्भ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन द्वारा किया गया तथा इसमें 68 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के विशेष संदर्भ सहित स्वास्थ्य के अधिकार के संबंध में नेशनल कोलोक्यूम

2.14 आयोग द्वारा मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी एण्ड साईंस के सहयोग से दिनांक 16 अप्रैल, 2011 को सीकर, राजस्थान में 'महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के विशेष संदर्भ सहित स्वास्थ्य के अधिकार : मानव अधिकार दृष्टिकोण' पर एक दिवसीय कोलोक्यूम का आयोजन किया गया।

एण्डोसल्फेन के प्रयोग पर प्रतिबंध संबंधी बैठक

2.15 एण्डोसल्फेन के मुद्दे पर आयोग की सिफारिशों, जिसमें अन्य उपायों के साथ इस पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के लिए दिनांक 19 अप्रैल, 2011 को आयोग में केन्द्र तथा केरल राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई।

अक्षमता के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार के कोर ग्रुप की बैठक

2.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 3 जून, 2011 को अक्षमता के संबंध में पुनर्गठित अपनी कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री पी०सी० शर्मा द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई।

सिलिकॉसिस पर राष्ट्रीय सम्मेलन तथा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें

2.17 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में 'सिलिकॉसिस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में पुनरीक्षा करना, सभी पणधारियों के साथ कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना और भावी कार्रवाई को विकसित करना था।

2.18 आयोग ने दिनांक 1 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित सिलिकॉसिस राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई सिफारिशों के संबंध में आगे कार्रवाई करते हुए दिनांक 10 जून 2011 को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कवर करते हुए सिलिकॉसिस के संबंध में पहली क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठक का आयोजन किया।

2.19 सिलिकॉसिस के संबंध में दूसरी क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 18 नवम्बर, 2011 को बंगलूरु में किया गया। प्रतिभागी राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, तमिलनाडु तथा केरल शामिल थे।

2.20 सिलिकॉसिस के संबंध में तीसरी क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 14 फरवरी, 2011 को आयोग में ही किया गया। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल राज्य शामिल थे।

2.21 सभी बैठकों की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री पी०सी० शर्मा द्वारा की गई थी। इन बैठकों में डॉयरेक्टोरेट जनरल ऑफ फैक्टरी एडवाईस सर्विसिस एण्ड लेबर इंस्टीट्यूट (डी०जी० एफ.ए.एस. एल.आई.), डॉयरेक्टोरेट जनरल ऑफ माईन्स सेफ्टी (डी०जी०एम०एस०) तथा एम्पलॉईज्स स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन (ई०एस०आई०सी०) ने भी भाग लिया।

सिलिकॉसिस के संबंध में संसद को विशेष रिपोर्ट

2.22 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग ने सिलिकॉसिस के संबंध में दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को एक विशेष रिपोर्ट गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की थी ताकि उसे भारत की संसद में पटल पर रखा जा सके। रिपोर्ट ने देश में बड़े पैमाने पर व्याप्त सिलिकॉसिस की ओर तथा पीड़ितों और उनके परिवारों को उचित मुआवजे का भुगतान करने सहित यथोचित उपाय करने के संबंध में संसद सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया।

धर्म तथा मानव अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय सेमिनार

2.23 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नामक एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से दिनांक 7 जुलाई, 2०11 को नई दिल्ली में हिन्दी भाषा में 'धर्म तथा मानव अधिकार के संबंध में राष्ट्रीय सेमिनार' का आयोजन किया।

एन०आई०ए०आई० विधेयक के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार के विचार

2.24 वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अनुरोध की प्रतिक्रियास्वरुप आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 पर अपने विचार प्रकट किए।

बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम मुद्दों की मॉनीटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक मॉनीटरिंग सैल की स्थापना

2.25 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने स्थापना वर्ष अर्थात 1993 से ही देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन का निरीक्षण कर रहा है। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अपनी सिफारिशों के संबंध में लोक प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाईयों सहित विशेषरुप से बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम की मॉनीटरिंग के लिए एक सैल की स्थापना की।

बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के संबंध में राष्ट्रीय सेमिनार

2.26 आयोग ने दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन संबंधी एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों; राज्य मानव अधिकार आयोगों, तकनीकी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) के प्रतिनिधियों तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप का पुनर्गठन

2.27 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 16 सितम्बर, 2011 को न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन की अध्यक्षता में अपने गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित कोर ग्रुप में ग्यारह सदस्य हैं। इसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के०जी० बालकृष्णन की अध्यक्षता में दिनांक 10 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक आयोजित की।

मीडिया तथा मानव अधिकार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का परामर्शी समूह

2.28 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 'मीडिया एण्ड आउटरीच पॉलिसी' तैयार की गई। नीति के एक भाग के रुप में न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन की अध्यक्षता में मीडिया तथा मानव अधिकारों पर एक परामर्शी समूह का गठन किया गया। समूह में, देश के मुख्य समाचार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह सदस्य शामिल थे। परामर्शी समूह का लक्ष्य मीडिया के साथ नियमित रुप से बातचीत करना तथा लोगों के मानव अधिकारों के

संरक्षण एवं संवर्धन में उनकी सहायता प्राप्त करना है। परामर्शी समूह की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ पहली बैठक दिनांक 1 नवम्बर, 2011 को आयोजित की गई।

मानव अधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर सेमिनार

2.29 दिनांक 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में आयोग द्वारा नई दिल्ली में मानव अधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर एक–दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारम्भ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री पी०सी० शर्मा द्वारा किया गया।

अवैध मानव व्यापार पर राष्ट्रीय सम्मेलन

2.30 राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से दिनांक 23 नवम्बर, 2011 को नई दिल्ली में अवैध मानव व्यापार पर एक–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

बंधुआ मजदूरी के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कोर ग्रुप

2.31 इस कुप्रथा के उन्मूलन हेतु अपने प्रयासों को और गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नवम्बर, 2011 में बंधुआ मजदूरी के संबंध में एक कोर ग्रुप का गठन किया। कोर ग्रुप का लक्ष्य बंधुआ मजदूरी के संबंध में विद्यमान सरकारी नीतियों, अधिनियमों, नियमों आदि की मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षा करना तथा विधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संशोधन करने संबंधी सुझाव देना। कोर ग्रुप के सदस्यों में शिक्षाविद, विधिक विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व सिविल सेवक शामिल हैं।

ग्राम पंचायतों के प्रधानों के लिए मानव अधिकारों के संबंध में जागरुकता कार्यक्रम

2.32 सदस्य श्री पी०सी० शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक शिष्टमंडल जिसमें श्री जे०पी० मीणा, संयुक्त सचिव (पी० एण्ड ए०) शामिल थे, ने बिहार सरकार द्वारा पंचायतों के प्रधानों के लिए मानव अधिकारों के संबंध में आयोजित किए गए जागरुकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिनांक 16 से 18 फरवरी, 2012 तक बिहार के वैशाली एवं आरा जिलों का दौरा किया। शिष्टमंडल ने इन जिलों में सामाजिक–आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं के निष्पादन का भी आकलन किया।

नारी अधिकारवाद पर पुनर्विचार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन–महिला सशक्तिकरण के लिए मानव अधिकार दृष्टिकोण

2.33 आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के सहयोग से दिनांक 3 और 4 मार्च, 2012 को जयपुर में उक्त सम्मेलन का आयोजन किया।

शिक्षा, समाज तथा मानव अधिकार के संबंध में राष्ट्रीय सेमिनार

2.34 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा तेजपुर सेंट्रल यूनीवर्सिटी, असम ने दिनांक 12 और 13 मार्च, 2012 को यूनीवर्सिटी के परिसर में ''शिक्षा, समाज तथा मानव अधिकार'' के संबंध में संयुक्त रुप से एक दो–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

मौद्रिक राहत तथा उसके अनुपालन के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

2.35 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान आयोग ने 592 मामलों में पीड़ितों या मृतक के निकटतम संबंधी को 15,58,64,000 रु० मौद्रिक राहत के भुगतान की सिफारिश की। आयोग ने 12 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अभियोजन की भी सिफारिश की। इन मामलों में से 331 मामलों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुईं तथा पीड़ितों/मृतकों के निकटतम संबंधियों को कुल 6,93,54,000 रु० की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक 4** पर है।

2.36 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऐसे 261 मामलों की अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है जिनके संबंध में 8,65,10,000 रु० की राशि के मौद्रिक राहत की सिफारिश की जा चुकी है **(अनुलग्नक 5)**।

2.37 जहां तक पिछले वर्षों से संबंधित मामलों संबंधी अनुपालन रिपोर्टों का प्रश्न है, 58 मामलों में सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं **(अनुलग्नक 6 एवं 7)**। इन मामलों का विवरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में दिया जा चुका है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम

2.38 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं में निम्नलिखित शामिल थे : 'मानव अधिकारों के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम', 'मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण', 'मानव अधिकारों के संबंध में अग्रवर्ती प्रशिक्षण', तथा 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राध्यापकों एवं शिक्षा अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों के संबंध मे प्रशिक्षण कार्यक्रम'। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भी दो–दिवसीय आसक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा आयोग ने अपने नव–नियुक्त अधिकारियों एवं आयोग के स्टॉफ के लिए एक 'इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम' तथा कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक के लिए एक–एक महीने की अवधि के लिए 'समर एण्ड विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम' तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अंश–कालिक आसक्ति का आयोजित किया। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों तथा पूरे देश के अन्य संस्थानों/संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा कुल 134 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन किया गया।

मानव अधिकारों तथा विचारणाधीन कैदियों के अभिरक्षा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.39 आयोग ने सुधारक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ के सहयोग से उत्तरी राज्यों की पुलिस तथा कारागार अधिकारियों के लिए दिनांक 24 से 26 अगस्त, 2011 के दौरान चंडीगढ़ में 'मानव अधिकार तथा विचारणाधीन कैदियों के अभिरक्षा प्रबंधन' पर एक तीन–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

अफगानिस्तान स्वतंत्र मानव अधिकार आयोग, यू०एन०डी०पी०–काबुल तथा एन०एच०आर०सी०–भारत द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

2.40 एन०एच०आर०सी०–भारत, अफगानिस्तान स्वतंत्र मानव अधिकार आयोग (ए०आई०एच०आर०सी०) तथा यू०एन०डी०पी०–काबुल ने नेशनल इंस्टीट्यूशन्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी डॅवलपमेंट इन अफगानिस्तान के तहत दिनांक 6 मई, 2011 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किए। एन०एच०आर०सी०–भारत की तरफ से समझौता ज्ञापन पर आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ए०आई०एच०आर०सी० की तरफ से उसके अध्यक्ष डॉ० सीमा समर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

बंगलादेश मानव अधिकार आयोग शिष्टमंडल का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा

2.41 सचिव, मो० शमसुज्जमान के नेतृत्व में बंगलादेश मानव अधिकार आयोग शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत की संरचना तथा कार्यशैली संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए 25 मई, 2०11 को एन०एच०आर०सी०–भारत का दौरा किया।

2.42 इसके बाद, बंगलादेश मानव अधिकार आयोग के पूर्ण कालिक सदस्य मिस्टर काजी रीजुल हक ने एन०एच०आर०सी०–भारत की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए जून, 2०11 में एन०एच०आर०सी०–भारत का दौरा किया।

जिनीवा में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक

2.43 श्री पी०सी० शर्मा, सदस्य तथा श्री जे०पी० मीणा, संयुक्त सचिव (पी० एण्ड ए०) वाला एक शिष्टमंडल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत के अध्यक्ष न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन के नेतृत्व में दिनांक 16–19 मई, 2011 के दौरान जिनीवा, स्विटजरलैण्ड में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इंटरनेशनल कोऑरडिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन्स की होने वाली 24वीं आम बैठक में भाग लेने के लिए जिनीवा पहुंचा। विचार–विमर्श किए गए एजेंडा मदों में एक मद, संधि निकायों में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की संलिप्तता तथा सर्वभौम आवधिक पुनरीक्षा (यू०पी०आर०) के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना था।

2.44 शिष्टमंडल के एक सदस्य ने दिनांक 20 मई, 2011 को मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण में निवारण की भूमिका पर हुई कार्यशाला में भाग भी लिया। इसके अतिरिक्त, शिष्टमंडल ने आई०सी०सी० 24 की आम बैठक के समानांतर हुई एशिया पेसेफिक फोरम की क्षेत्रीय बैठक में भी भाग लिया।

एशिया पेसेफिक फोरम की 16वीं वार्षिक बैठक तथा द्विवार्षिक सम्मेलन

2.45 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन के नेतृत्व में दिनांक 6 से 8 सितम्बर, 2011 बैंकाक, थाईलैण्ड में आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया पेसेफिक फोरम की 16वीं वार्षिक बैठक तथा द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

व्यापार एवं मानव अधिकारों के संबंध में आई०सी०सी० ब्यूरो बैठक तथा एशिया पेसेफिक फोरम सम्मेलन

2.46 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 10 से 13 अक्टूबर, 2011 तक सियोल, कोरिया में आयोजित व्यापार एवं मानव अधिकारों के संबंध में आई०सी०सी० ब्यूरो बैठक तथा एशिया पेसेफिक फोरम सम्मेलन में भाग लिया।

ओमान–एन०सी०एच०आर० प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत का दौरा

2.47 ओमान के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के छः सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत का दौरा किया और आयोग के सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।

द्वितीय सार्वभौम आवधिक पुनरीक्षा–संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिशद को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत की प्रस्तुति

2.48 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत ने द्वितीय सार्वभौम आवधिक पुनरीक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पांच क्षेत्रीय विचारसभाओं तथा गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, राज्य मानव अधिकार आयोगों (एस०एच०आर०सी०) के अधिकारियों के साथ एक राष्ट्रीय विचारसभा का आयोजन किया, हालांकि इसके अधिदेश एवं कार्य में केन्द्र एवं राज्य सरकारों–जो मानव अधिकारों के संबंध में इसके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करती हैं तथा सिविल समाज के साथ–जिससे इसे गंभीर शिकायतें प्राप्त होती हैं, के साथ बातचीत शामिल है। ऐसा दो कारणों के चलते किया जाता है : भारत की विविधता के चलते क्षेत्रीय वरीयताओं का प्रग्रहण करने हेतु तथा ऐसे बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु जिन पर यू०पी०आर० ध्यान केन्द्रित करेगा।

यूरोपियन संसद के सदस्यों का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत का दौरा

2.49 सुश्री क्रिस्टीना मोरोवाल, यूरोपियन संसद की सदस्य ने दिनांक 17 फरवरी, 2012 को आयोग का दौरा किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उनकी बैठकों में उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यपद्धति तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों में इसके हस्तक्षेप के क्षेत्र के बारे में बताया गया।

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक

2.50 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन तथा श्री पी०सी० शर्मा, सदस्य ने दिनांक 19 मार्च से 22 मार्च, 2012 तक जिनीवा में हुई आई०सी०सी० की 125वीं वार्षिक आम बैठक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत को

औपचारिक रुप से 'ए' श्रेणी मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया। मान्यता प्रदान करने संबंधी आई०सी०सी० की उप–समिति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों की पुनरीक्षा के बाद यह आयोग को यह दर्जा प्रदान किया गया। यह 'ए' श्रेणी दर्जा वर्ष 2011 से 2016 तक प्रभावी है।

न्यायेतर, संक्षिप्त अथवा अनियंत्रित कार्यान्वयन संबंधी संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत दौरा

2.51 न्यायेतर, संक्षिप्त अथवा अनियंत्रित कार्यान्वयन संबंधी संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक मि० क्रिस्टोफ हेन्स ने दिनांक 22 मार्च, 2012 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत का दौरा किया और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।

अध्याय - 3

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आयोग की संविधि, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा दिसम्बर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारतीय सहानुभूति का मूर्त रूप है।

संरचना

3.2 आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए उच्च अहर्ताएं दी गई हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना

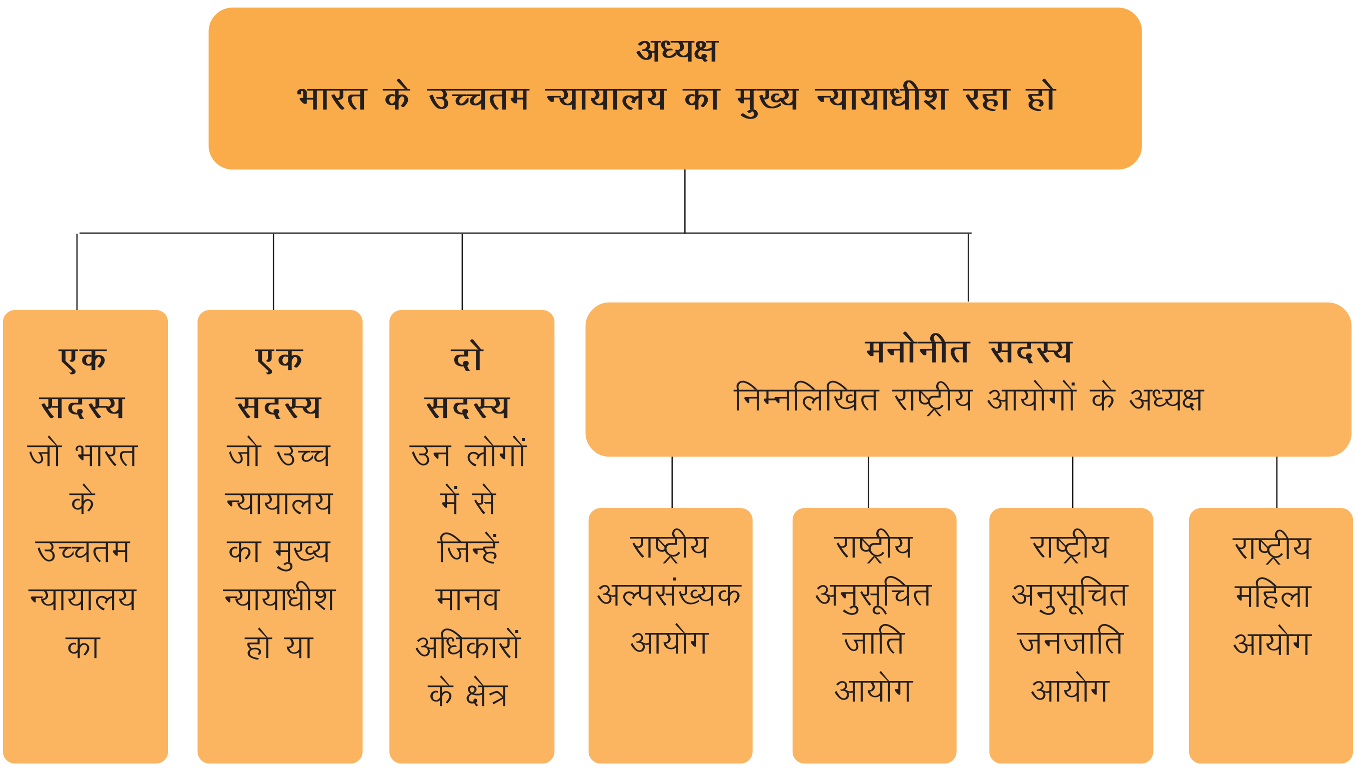

3.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा के स्पीकर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफाशि पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

3.4 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अहर्ताओं से संबंधित सांविधिक अपेक्षताओं के साथ–साथ एक उच्च स्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा किया गया उनका चयन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को एक उच्च स्तरीय स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित कराता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति

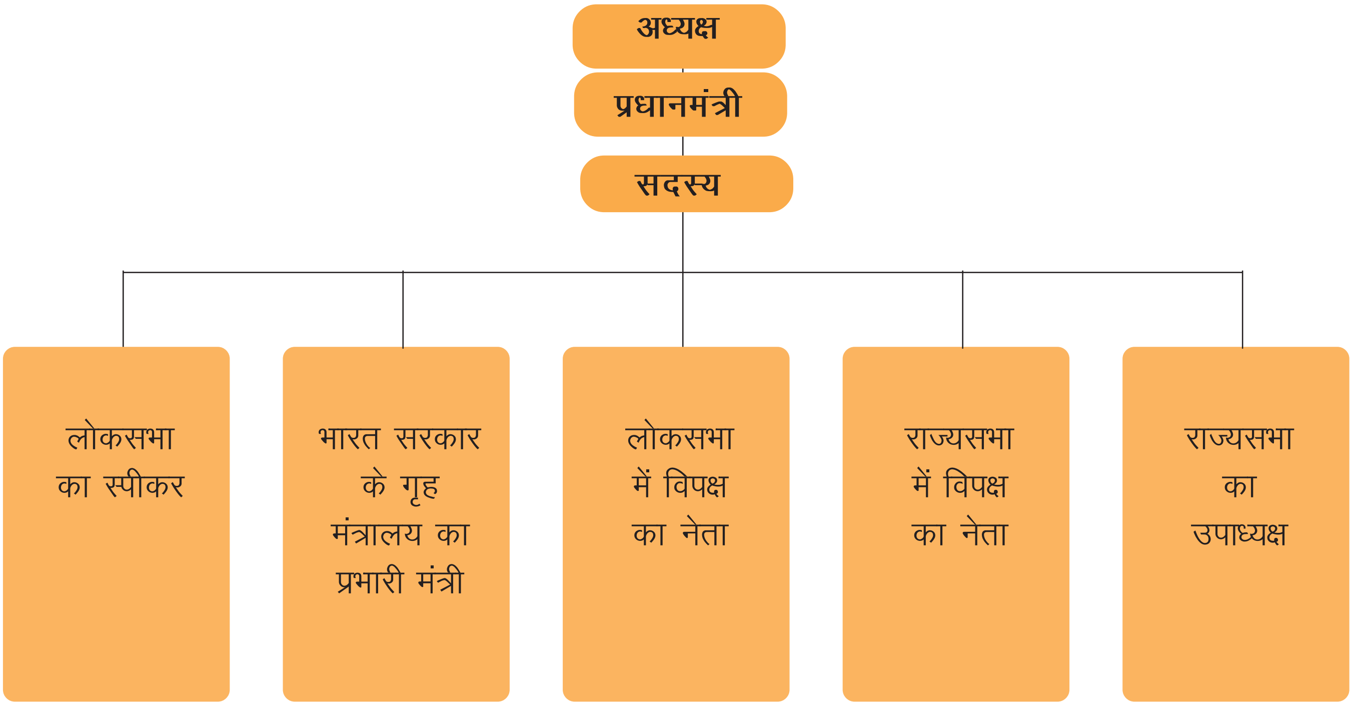

3.5 आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय, महासचिव के समग्र दिशानिर्देशों के तहत कार्य करता है।

3.6 आयोग के पांच प्रभाग हैं अर्थात (1) विधि प्रभाग, (2) अन्वेषण प्रभाग, (3) नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग (पी0आर0पी0 एण्ड पी0 प्रभाग), (4) प्रशिक्षण प्रभाग, तथा (5) प्रशासनिक प्रभाग।

3.7 ***विधि प्रभाग***, मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में प्राप्त अथवा स्वतः संज्ञान लेते हुए या प्राप्त जानकारी के आधार पर दायर की गई शिकायतों का निपटान करता है। शिकायत प्राप्त होने पर उसे एक फाईल नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद शिकायत संबंधी विवरण को कम्प्यूटर में डाला जाता है और शिकायत दर्ज कराने वाले को पावती भेजी जाती है। इस प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सी०एम०आई०एस०) सॉफ्टवेयर विशेष रुप से तैयार किया गया है। आयोग के समक्ष सभी शिकायतें निपटान हेतु प्रस्तुत की जाती हैं। प्रभाग, लंबित शिकायतों के शीघ्र निपटान करने तथा मानव अधिकारों के मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों/पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए राज्य की राजधानियों में शिविर बैठकों का आयोजन भी करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक

रजिस्ट्रार (विधि) होता है जिसकी सहायता के लिए एक प्रजेन्टिंग अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है।

3.8 ***अन्वेषण प्रभाग***, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से पूरे देश में स्थल निरीक्षण करता है। इसके अलावा यह आयोग को संबोधित की गई विविध शिकायतों के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करने, पुलिस तथा अन्य अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करने तथा हिरासतीय हिंसा या अन्य दुराचारों की रिपोर्टों की जांच–पड़ताल में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा के साथ–साथ पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं तथा रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। यह प्रभाग, पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी मामलों में भी विशेषज्ञ परामर्श देता है। प्रभाग ने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली शिकायतों के लिए एक रेपिड एक्शन सैल का गठन किया हुआ है। इसके अलावा, यह प्रभाग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(एच) के अनुसरण में मानव अधिकार साक्षरता का विस्तार करने में प्रशिक्षण प्रभाग को मदद करता है। इस प्रभाग की अध्यक्षता, पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है और सहायता के लिए पुलिस उपमहानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, कांस्टेबल तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है।

3.9 ***नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग***, मानव अधिकारों के संबंध में अनुसंधान करता है तथा उनका प्रचार करता है तथा महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है। जब कभी भी आयोग, अपनी सुनवाई, कार्रवाईयों या अन्यथा इस निर्णय पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो उसे पी०आर०पी० एण्ड पी० प्रभाग से संबंधित एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नीतियों, कानूनों, संधियों तथा प्रवृत्त हुए अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की पुनरीक्षा करता है। यह प्रभाग, केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आयोग की सिफारिशों की मॉनीटरिंग में सहायता करता है। यह प्रभाग, मानव अधिकार साक्षरता के विस्तार तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरुकता का प्रसार करने में भी सहायता करता है। प्रभाग का कार्य संयुक्त सचिव (पी० एण्ड ए०) तथा संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), एक निदेशक/उप–सचिव, एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान परामर्श, अनुसंधान एसोसिएट, अनुसंधान सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ द्वारा देखा जाता है।

3.10 ***प्रशिक्षण प्रभाग***, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साहित्य का विस्तार करने के लिए उत्तरदायी है। अतः यह प्रभाग मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों तथा कार्यकारियों तथा राज्य की एजेंसियों, गैर सरकारी अधिकारियों, सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है और उन्हें सुग्राही बनाता है। इसके अलावा यह प्रभाग, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप प्रोग्राम भी आयोजित करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) होता है जिसकी सहायता के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशिक्षण), एक अवर सचिव, एक सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है।

3.11 ***प्रशासनिक प्रभाग***, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की स्थापना, प्रशासनिक एवं संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग कार्मिकों, लेखों, पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों की अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है। प्रभाग का अध्यक्ष

एक संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) होता है तथा उसकी सहायता के लिए एक निदेशक, कई अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है। प्रशासनिक प्रभाग के तहत सूचना एवं लोक संपर्क यूनिट का कार्य प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना है। यह प्रभाग 'मानव अधिकार' नामक एक द्विभाषीय मासिक न्यूज़लैटर तथा आयोग के अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों को भी देखता है।

3.12 विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति तथा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन द्वारा आयोग की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। विशेष प्रतिवेदक, काफी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारत सरकार के सचिव के पदों पर या पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्य किया होता है या फिर मानव अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होता है। इन्हें या तो बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, अभिरक्षा न्याय, निःशक्तता आदि जैसे कुछ विशिष्ट विषय दिए जाते हैं या फिर मानव अधिकार उल्लंघनों या प्रयोजनों की जांच के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समूह से बना एक जोन दे दिया जाता है।

3.13 कोर/विशेषज्ञ समूह, विख्यात व्यक्तियों या मानव अधिकार मुद्दों पर कार्य करने वाले निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना होता है। यह समूह आयोग को विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गठित कुछेक महत्वपूर्ण कोर/विशेषज्ञ समूह निम्नानुसार हैः–

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह
- निःशक्तता संबंधी कोर समूह
- गैर सरकारी संगठनों संबंधी कोर समूह
- विधिक मुद्दों संबंधी कोर समूह
- भोजन के अधिकार के संबंध में कोर समूह
- वृद्धों के अधिकारों के संबंध में कोर समूह
- सिलिकॉसिस के संबंध में विशेषज्ञ समूह

कार्य

3.14 आयोग के अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कृत्य निम्नानुसार हैः–

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का किसी लोकसेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (2) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।

- किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु वहां का दौरा करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना।
- संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विध्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक हैं।

शक्तियां

3.15 आयोग को, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतों की जांच करते समय वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं।

विशेष लक्षण

3.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकारों के संस्थानों के लिए अंगीकृत किए गए पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण अनुसरण करता है। इसके अधिदेश तथा कृत्य बहुत ही व्यापक हैं। आयोग ने अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए पारदर्शी प्रणाली तथा प्रक्रियाओं का विकास किया है। आयोग ने विनियम तैयार करते हुए अपने काम–काज का प्रबंध करने के लिए प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

अध्याय - 4

सिविल तथा राजनीतिक अधिकार

क. हिरासतीय हिंसा तथा प्रताड़ना

4.1 हिरासतीय हिंसा, मानवीय गरिमा पर किया जाने वाला एक सुविचारित आघात है। आयोग, हिरासतीय मौतों में परिणित होने वाले मानव अधिकारों के घोर उल्लंघनों को समाप्त करने के अपने प्रयासों में सतत एवं सक्रिय रूप से कार्यरत रहा है। हिरासतीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास करना आयोग की प्रमुख वरीयता है। इसके दिशानिर्देशों के अनुसरण में राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की एजेंसियां, अभिरक्षा में हुई किसी मृत्यु के बारे में 24 घंटों के अंदर–अंदर आयोग को इसकी सूचना देने के मामले में कमोबेश सफल रही हैं। तथापि, कई मामलों में जांच–पड़ताल रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट आदि जैसी अनुवर्ती रिपोर्टें शीध्र प्राप्त नहीं हुई हैं।

4.2 यह नोट करना प्रासंगिक है कि हिरासतीय मौतों के सभी मामले हिरासतीय हिंसा या चिकित्सीय लापरवाही से जुड़े नहीं होते हैं। ऐसी अधिकांश मौतों का मुख्य कारण प्राकृतिक होता है जैसे कि लम्बे समय से चली आ रही बीमारी तथा उम्रदराज होना। शेष मामलों में चिकित्सीय लापरवाही के कारण बीमारी का बढ़ जाना, लोक सेवकों द्वारा हिंसा या कैदियों के बीच हिंसा, आत्महत्या आदि जैसे कुछ अन्य कारण भी होते हैं।

4.3 वर्ष 2011–2012 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को न्यायिक हिरासतीय[3] मौतों के 1,302 मामले प्राप्त हुए, इनमें से 129 मामले पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों तथा 2 मामले रक्षा/अर्ध सैनिक बलों की अभिरक्षा में हुई मौतों से संबंधित थे। आयोग ने हिरासतीय मौतों से संबंधित 1,571 मामलों का निपटान किया जिसमें 1,364 मामले न्यायिक हिरासत में हुई मौतों से संबंधित थे, 204 मामले पुलिस हिरासत में हुई मौतों से संबंधित थे तथा तीन मामले अर्ध–सैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में हुई मौतों से संबंधित थे। आयोग द्वारा निपटाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :–

क) हिरासतीय मौतें

न्यायिक अभिरक्षा

1. *असका उप–जेल, ओडिशा में हमले के कारण अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु*
   (मामला सं0 1210/18/5/2010–जे.सी.डी.)

4.4 ओडिशा के गंजम जिला में असका उप–जेल के अधीक्षक ने आयोग को सुरेश नायक नामक एक 26 वर्षीय अभियोगाधीन कैदी की जेल के एक अन्य कैदी द्वारा किए गए हमले के कारण दिनांक 24 अगस्त, 2010 को हुई

[3]न्यायालय के आदेशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट मे न्यायिक हिरासत का अर्थ जेल में कैद व्यक्तियों से है।

मृत्यु की सूचना दी। आयोग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में राज्य प्राधिकारियों ने रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें बताया गया कि मृतक के शरीर पर चोट के 9 निशान थे जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। मामले में हुई मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया कि कारागार कार्मिकों ने अपनी ड्यूटी के संबंध में लापरवाही बरती थी। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि इस संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है तथा मामला न्यायालय में लंबित है।

4.5 आयोग ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद यह पाया कि जब मृतक सुरेश नायक पर विरोधी दल ने हमला किया था उस समय वह जेल में था और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। राज्य प्राधिकारी उसकी जिन्दगी को बचाने में असफल रहे अतः यह उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। राज्य सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। जवाब में राज्य सरकार ने प्रतिवाद किया है कि यह घटना और कैदी सुरेश नायक पर हुआ हमला आकस्मिक थे इसलिए आयोग को मृतक के निकटतम संबंधी को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं देना चाहिए।

4.6 आयोग ने पाया कि मामले के संबंध में हुई न्यायिक जांच में यह निर्णय लिया गया कि कारागार के कार्मिकों ने स्थिति को भली–भांति नियंत्रित नहीं किया जिसके परिणामस्वरुप अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु हो गई। अतः आयोग ने मृतक के निकटम संबंधी को 5 लाख रु0 की अंतरिम राहत का भुगतान करने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में दिनांक 24 सितम्बर, 2011 को मृतक के पिता को 5 लाख रु0 का भुगतान किए जाने तथा दोषी कारागार कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरु किए जाने की सूचना आयोग को देते हुए अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4.7 आयोग ने अपनी कार्रवाईयों के माध्यम से दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को मामला बंद कर दिया।

2. सीतामणि मंडलीय कारागार, बिहार में चिकित्सीय लापरवाही के कारण अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु (मामला सं0 2808/4/36/08–09–जे.सी.डी.)

4.8 आयोग को बिहार के सीतामणि मंडलीय कारागार के अधीक्षक के माध्यम से मो0 रभानी नामक एक अभियोगाधीन कैदी, जिसका सदर अस्पताल, सीतामणि में उपचार चल रहा था, की दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को हुई मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई।

4.9 आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद मृतक को दिए जाने वाले उपचार, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी, के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पैनल पर फॉरेन्सिक विशेषज्ञों की राय मांगी। जवाब में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के फॉरेन्सिक विशेषज्ञों ने दिनांक 13 अप्रैल, 2010 के पत्राचार के माध्यम से अभियोगाधीन कैदी का दिनांक 21 सितम्बर, 2007 से 3 नवम्बर, 2008 तक की अवधि तक किए गए उपचार का रिकार्ड मांगा किन्तु बिहार के जिला मजिस्ट्रेट या सीमामणि मंडलीय कारागार के अधीक्षक द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.10 आयोग ने अपनी दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि मृतक को उचित उपचार नहीं दिया गया था और इसलिए आयोग को संबंधित रिकार्ड अग्रेषित नहीं किया गया। यदि मृतक को नियमित एवं

उचित उपचार दिया गया होता तो जिला मजिस्ट्रेट संबंधित दस्तावेज जरुर अग्रेषित करते। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोगाधीन कैदी को जेल में सही उपचार नहीं दिया गया था और तबीयत बिगड़ने पर ही अस्पताल भेजा गया था। इसलिए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत बिहार सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मृतक मो0 रभानी के निकटम संबंधी को मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। आयोग ने मामले पर और विचार करने और राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं के बाद सिफारिश की कि मृतक के निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत के रुप में 3,00,000/-रु0 (तीन लाख रु0 केवल) का भुगतान किया जाए।

4.11 जिला मजिस्ट्रेट, सीतामणि, बिहार ने भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जो दर्शाती है कि दिनांक 7 सितम्बर, 2011 को मृतक के तीन अवयस्क बच्चों को 3 लाख रु0 की राशि का भुगतान किया गया था। आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 को मामला बंद कर दिया।

3. मुरादाबाद जेल, उत्तर प्रदेश में चिकित्सीय लापरवाही के कारण अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु (मामला सं0 13311/24/56/2010-जे.सी.डी.)

4.12 आयोग को दिनांक मुरादाबाद के पुलिस उपमहानिरीक्षक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जिला कारागार में कैद युसुफ नामक एक 26 वर्षीय अभियोगाधीन कैदी की 11 अप्रैल, 2010 को हुई मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद प्रेक्षण किया कि मृतक के शरीर पर शव-परीक्षा से पूर्व चोट के तीन निशान थे जिनमें से एक चोट सिर के पिछले भाग पर थी और उसमें से खून का रिसाव हो रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार, शव-परीक्षा से पहले लगीं चोटों के कारण हुए आघात तथा बेहोशी के कारण मृत्यु हुई। कहा गया कि मृतक चक्कर खाकर गिरा था और इस कारण उसके सिर पर चोट लगी। यह उल्लेख भी किया गया कि कारावास के तीन कार्मिकों को अपनी ड्यूटी के निष्पादन में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

4.13 इस घटना के संबंध में आयोग का मूल्यांकन यह था कि मृतक व्यक्ति का स्वास्थ्य बिलकुल ठीक-ठाक था और ऐसा कोई मेडिकल रिकार्ड नहीं है जो किसी प्रकार की बीमारी को दर्शाता हो या जिसके कारण वह बेहोश हुआ हो और गिर पड़ा हो। दूसरी तरफ कारागार के कार्मिक लापरवाही के दोषी पाए गए और उनमें से एक को निलंबित किया गया। अतः आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य की देखभाल एवं अभिरक्षा में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु शव-परीक्षा से पहले लगी चोटों के कारण हुए आघात एवं कोमा के कारण हुई थी। परिणामतः पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तदनुसार, आयोग ने अपने दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 की कार्रवाई में निदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान किए जाने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। राज्य सरकार ने इसके जवाब में मृतक के निकटतम संबंधी को 3,00,000/-रु0 (तीन लाख रु0 केवल) का भुगतान करने की सिफारिश की। इसके बाद, मुरादाबाद के जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक ने दिनांक 16 सितम्बर, 2011 को मृतक युसुफ की पत्नी संजीदा को 3 लाख रु0 की राशि का भुगतान किए जाने के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को मामले को बंद कर दिया।

4. जिला कारावास अस्पताल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु (मामला सं0 23977/24/48/2011–ए.डी.)

4.14 यह मामला जिला कारावास अस्पताल, लखनउ में डॉ0 योगेन्द्र सिंह सचान, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ नामक अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु से संबंधित है।

4.15 डॉ0 सचान, उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 बी0पी0 सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी था और यह आरोप लगाया गया था कि राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्कीम (एन0आर0एच0एम0) के कार्यान्वयन के संबंध में कई करोड़ रु0 की राशि के दुरुपयोग में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

4.16 आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, जांच–पड़ताल रिपोर्ट, पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, मृत्यु का कारण तथा पी0एम0आर0 की सी0डी0 मंगाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को नोटिस जारी करने का निदेश दिया। आयोग ने बाद में जिला मजिस्ट्रेट तथा कारागार, लखनऊ के अधीक्षक से एक स्पष्टीकरण भी मांगा कि मृत्यु हो जाने के 24 घंटों के अंदर–अंदर मृत्यु की सूचना क्यों नहीं दी गई।

4.17 आयोग ने इसके बाद प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की जांच की और प्रेक्षण किया कि पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट में शव–परीक्षा से पहले की आठ चोटों का उल्लेख किया गया था और 'शव–परीक्षा से पहले लगी चोटों के कारण हुए आघात और रक्त स्राव' के कारण मृत्यु हुई। एम0ई0आर0 में खुलासा हुआ कि मृतक के शरीर पर मौजूद चोट के नौ निशानों में से आठ निशान शव–परीक्षा से पहले के थे तथा एक निशान शव–परीक्षा के बाद का था। सभी निशान किसी तेज धार वाले हथियार, जो एक चाकू या सर्जिकल चाकू हो सकता है, के थे और यह आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता है। जांच मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक की जिला कारागार, लखनऊ में हत्या की गई थी। मजिस्ट्रेट ने भी जेल अधिकारियों की भूमिका के संबंध में प्रश्न उठाए थे।

4.18 आयोग का मत था कि डॉ0 सचान की मृत्यु जिला कारागार, लखनऊ में हुई थी और जेल प्राधिकारी मृतक को लगी चोटों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे। जिला कारागार के प्राधिकारी अपनी अभिरक्षा में व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने में असफल रहे और इसलिए उन्होंने मृतक के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानापन्न रुप से जवाबदेह है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.19 आयोग के निदेशों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार की कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाओं के अपर महानिरीक्षक ने दिनांक 20 फरवरी, 2011 के पत्राचार के माध्यम से बताया कि मामले की सी0बी0आई0 जांच के लिए कह दिया गया है और अनुरोध किया कि सी0बी0आई0 की जांच पूरी होने से पहले मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजा न दिया जाए।

4.20 आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को छः सप्ताह के अंदर–अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

पुलिस अभिरक्षा

5. तथाकथित यातना के कारण बचोले की मृत्यु
(मामला सं0 11131/24/43/08–09 (एल/एफ 11505/24/43/08–09 एफ.सी.))

4.21 आयोग को दिनांक 12 जून, 2008 को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर, उत्तर प्रदेश से सूचना मिली थी कि दिनांक 11 जून, 2008 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के महाराजपुर पुलिस स्टेशन में तीन पुलिस कार्मिकों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में एक बचोले को प्रताड़ित किया गया। बाद में उसे अस्पताल भेजा गया और उसी शाम अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई। दिनांक 12 जून, 2008 को बचोले की मृत्यु हो गई।

4.22 एक जांच के आधार पर, कानपुर शहर के महाराजपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर तथा तीन अन्य पुलिस कार्मिकों को दोषी पाया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। तदनुसार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि मृतक के निकटम संबंधी को मौद्रिक राहत दिए जाने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.23 इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के उप–सचिव (गृह) ने कहा कि घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एस0सी0 एण्ड एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट) की धारा 3(2)/5 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और जांच के बाद न्यायालय में एक चार्जशीट भी दायर की गई। इसके अलावा दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें सेवा से निकाल दिया गया।

4.24 यह भी बताया गया कि समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 के तहत मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय सहायता के रुप में 1,50,000/–रु0 (एक लाख पचास हजार रु0 केवल) का भुगतान किया। मृतक के निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत का भुगतान करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। तदनुसार, पुलिस कार्मिकों की यातना के कारण हुई मृत्यु के चलते हुए मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने मृतक के निकटतम संबंधी को, उन्हें पहले प्राप्त हो चुकी राशि के अतिरिक्त, 3,50,000/–रु0 (तीन लाख पचास हजार रु0 केवल) की राशि का भुगतान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश की।

4.25 उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की ओर से भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

6. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में सलीम की मृत्यु
(मामला सं0 25919/24/64/07–08–ए0डी0 (एल/एफ 31809/24/64/07–08 एफ.सी.))

4.26 आयोग को दिनांक 3 सितम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सलीम, सुपुत्र अलीबाज के बारे में सूचना मिली जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत मामला सं0 1968/99 तथा 1412/99 में वांछित था तथा न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे दिनांक 30 अगस्त, 2007 को सहारनपुर के मिर्जापुर पुलिस स्टेशन लाया गया। गिरफ़्तार करने के दौरान उसे कुछ चोटें आई थीं। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल, सहारनपुर भेज दिया गया था।

वहां से उसे पी0जी0आई0 चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया था जहां दिनांक 31 अगस्त, 2007 को उसकी मृत्यु हो गई।

4.27 मृतक सलीम के संबंधियों ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में राशिद और उसके सहयोगियों ने सलीम पर हमला किया था। अवाल हदसन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मिर्जापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कार्मिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308/325/326 के तहत आपराधिक मामला सं0 148/07 दर्ज किया गया। मामले में सब इंस्पेक्टर जिले सिंह तथा हैड कांस्टेबल तेजवीर को गिरफ्तार किया गया तथा जांच पूरी होने के बाद उन्हें कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ चार्जशीट किया गया। अभियोजन के बाद न्यायालय ने सब इंस्पेक्टर जिले सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया क्योंकि उसने तथा उसके स्टाफ ने सलीम को जानलेवा चोट पहुंचाई थी।

4.28 मानव अधिकारों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला होने के कारण आयोग ने मुख्य सचिव को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि सलीम के निकटम संबंधी को मौद्रिक राहत क्यों नहीं दी जाए।

4.29 उत्तर प्रदेश सरकार ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में स्वीकार किया कि इस मामले में मौद्रिक मुआवजा देना उचित है। इसके आलोक में आयोग ने सलीम के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत के रुप में 5 लाख रु0 की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश की।

4.30 तथापि, भुगतान के साक्ष्य के साथ मामले की अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

7. पुलिस अभिरक्षा में कृष्णा मूर्ति की तथाकथित मृत्यु
(मामला सं0 2349/22/36/08–09–ए0डी0–एफ.सी.)

4.31 यातना निवारण संबंधी राष्ट्रीय अभियान, नई दिल्ली के निदेशक सुहास चकमा ने दिनांक 4 फरवरी, 2009 को एक शिकायत दर्ज कराई कि तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के एक निवासी कृष्णा मूर्ति को पुलिस ने दिनांक 31 जनवरी, 2009 को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था और पुलिस की यातना एवं प्रताड़ना के परिणामस्वरुप दिनांक 1 फरवरी, 2009 को उसकी मृत्यु हो गई।

4.32 कृष्णा मूर्ति की मृत्यु के बारे में तिरुचिरापल्ली के जिला समाहर्ता से भी एक सूचना प्राप्त हुई। उसमें कहा गया कि कृष्णा मूर्ति को चोरी के मामले की जांच के संबंध में तिरुचिलापल्ली ले जाया गया था। रास्ते में तिरुवेरम्बुर के एक होटल में उसे खाना दिया गया। खाना खाने के बाद उसने छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की। उसे तिरुचिरापल्ली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया तथा अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर ने दिनांक 2 फरवरी, 2009 को सुबह 0:45 बजे उसे मृत लाया हुआ घोषित कर दिया।

4.33 पोस्ट मार्टम में शव–परीक्षा से पहले खरोंच, चोट तथा नील के रुप में चोट के निशान दिखाई दिए। यह घाव, डॉक्टर के लिए मृत्यु का कारण बता पाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अतः एक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट तैयार कराई गई। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि छाती तथा पेट के साथ–साथ लीवर, किडनी तथा हृद्य पर हुए कुंद आघातों एवं घावों के कारण मृत्यु हुई।

4.34 मजिस्ट्रेट जांच के दौरान तिरुचिरापल्ली के सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा मंडलीय राजस्व अधिकारी ने पाया कि पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी की पिटाई की गई थी जिसके कारण उसे छाती, पेट तथा शरीर के अन्य भागों पर कुंद घाव हुए। वह पहले से ही लीवर, किडनी और हृद्य की बीमारियों से पीड़ित था। पुलिस की पिटाई से हुए कुंद घावों ने उसकी परिस्थिति को और भी गंभीर बना दिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।

4.35 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत क्यों नहीं दी जाए।

4.36 राज्य सरकार ने जवाब दिया कि राज्य को मजिस्ट्रेट जांच स्वीकार्य है तथा मृतक कृष्णा मूर्ति के निकटतम संबंधी को भुगतान किए जाने के लिए 1 लाख रु0 की वित्तीय राहत को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

4.37 आयोग ने रिकार्ड पर रखी सारी सामग्री पर विचार करने के बाद प्रेक्षण किया कि राज्य सरकार ने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि कृष्णा मूर्ति की मृत्यु के लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे तथा शोक संतप्त परिवार को 1 लाख रु0 की वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की गई। तथापि, आयोग ने पाया कि मानव जीवन की क्षति के बदले में एक लाख रु0 की राशि पूर्णतः अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरुप, आयोग ने तमिलनाडु सरकार को मृतक कृष्णा मूर्ति के परिवार को पहले भुगतान की गई राशि को समायोजित करते हुए मौद्रिक राहत के रुप में 5 लाख रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.38 मामले के संबंध में किए गए भुगतान का साक्ष्य तथा अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

8. खीरी, उत्तर प्रदेश के मेगलगंज जेल में पुलिस अभिरक्षा में विनोद की मृत्यु
(मामला सं0 11729/24/2003–2004–सी0डी0–एफ.सी.)

4.39 आयोग को दिनांक 19 जुलाई 2003 को उत्तर प्रदेश खीरी के पुलिस अधीक्षक से सूचना प्राप्त हुई कि विनोद नाम के एक 30 वर्षीय युवक को साईकिल चोरी के एक मामले में दिनांक 17 जुलाई, 2003 को गिरफ्तार किया गया था। उसे खीरी में मेगलगंज पुलिस स्टेशन लाया गया था। पुलिस स्टेशन में उसे यातना दी गई जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गई।

4.40 प्राप्त हुई विभिन्न रिपोर्टों से आयोग को यह स्पष्ट हो गया कि मेगलगंज पुलिस स्टेशन के दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(अ) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 342/302/201 के तहत एक आपराधिक मामला सं0 470/2003 पंजीकृत किया गया था। इसके आगे, मामले की जांच को सीतापुर अंतरित कर दिया गया था तथा जांच पूरी हो जाने के बाद न्यायालय में एक चार्जशीट दायर की गई थी।

4.41 आयोग को यह भी सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार मृतक की मां को 1.5 लाख रु0 की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई एक लाख रु0 की राशि वितरित की गई तथा 50,000/–रु0 की शेष राशि का भुगतान, मुकदमे के पूरा हो जाने के बाद किया जाएगा।

4.42 मामले पर विचार करते हुए आयोग ने प्रेक्षण किया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के तहत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता, उस मौद्रिक राहत से भिन्न है जिसकी सिफारिश आयोग, मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत करता है। इसके अतिरिक्त, अब तक दी गई वित्तीय सहायता मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत निहित 'प्रतिकार या नुकसानी' नहीं थी। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के प्रावधानों के तहत केवल वित्तीय सहायता थी।

4.43 सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आयोग ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के तहत दी गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त मृतक विनोद के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत के रुप में 1 लाख रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का साक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद आयोग ने दिनांक 11 जनवरी, 2012 को मामले को बंद कर दिया।

9. कोल्लम, केरल में पुलिस अभिरक्षा में जी0 राजेन्द्रन की मृत्यु
(मामला सं0 4/11/2005–2006–सी0डी0–एफ.सी.)

4.44 आयोग को दिनांक 8 अप्रैल, 2005 को कोल्लम, केरल के पुलिस अधीक्षक से 37 वर्षीय जी0 राजेन्द्रन, जिसे दिनांक 6 अप्रैल, 2005 को शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसिस, कोल्लम से गिरफ्तार किया गया था, के मामले से संबंधित एक संदेश मिला। उस पर शाहजहान नाम के एक मरीज ने मोबाईल की चोरी करने का आरोप लगाया था। उसे पुलिस स्टेशन पूर्वी कोल्लम लाया गया। आरोपी ने बेचैनी की शिकायत की तथा उसे तत्काल ही उपचार के लिए कोल्लम के जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां मेडिकल ऑफिसर द्वारा जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। एशियन ह्यूमन राईट्स कमीशन की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर किम सू से भी एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राजेन्द्रन की मौत पुलिस अभिरक्षा में दी गई यातना के कारण हुई।

4.45 पुलिस अधीक्षक, क्राईम ब्रांच, सी0बी0–सी.आई.डी., कोल्लम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई। क्राईम ब्रांच ने पाया कि राजेन्द्रन के साथ दो कांस्टेबलों द्वारा बदसलूकी की गई और यातना दी गई और उसे यातना के परिणामस्वरुप चोटें आईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी शव–परीक्षा से पहले शरीर पर पन्द्रह चोटों ने निशान की पुष्टि की। पोस्टमार्टम सर्जन के अनुसार सिर और धड़ पर आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में भी पुलिस को हिरासतीय हिंसा का दोषी पाया गया।

4.46 पोस्टमोर्टम रिपोर्ट, सी0बी0–सी0आई0डी0 रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने जी0 राजेन्द्रन को प्रथम दृष्टया पुलिस यातना का पीड़ित पाया। तदनुसार, केरल सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

4.47 केरल राज्य सरकार ने आयोग को सूचना दी कि उसने मृतक के निकटम संबंधी को एक लाख रु0 की राशि का भुगतान कर दिया है। आयोग ने प्रेक्षण किया कि मानव जीवन के नुकसान की तुलना में एक लाख रु0 की राशि अपर्याप्त है। 37 वर्षीय जी0 राजेन्द्रन को पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आयोग ने मृतक जी0 राजेन्द्रन के निकटम संबंधी को मौद्रिक राहत

के रुप में 4 लाख रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने भी मौद्रिक राहत की अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी। तथापि, आयोग अभी भी भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा में है।

10. आदमपुर पुलिस स्टेशन, उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु (मामला सं0 19914/24/05–06–सी0डी0)

4.48 आयोग को वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से एक संदेश मिला कि 70 वर्षीय एक पुत्तन माझी को दिनांक 6 सितम्बर, 2006 को पुलिस स्टेशन आदमपुर की पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 332,323, 504 तथा 506 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया था। वह पुलिस स्टेशन में बीमार हो गया था तथा उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और उसी दौरान उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। तथापि, चिकित्सा उपचार के दौरान ही दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को उसकी मृत्यु हो गई। यह भी कहा गया कि मृतक की बेटी विट्टो देवी की शिकायत पर दिनांक 6 सितम्बर, 2005 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 तथा 308 के तहत पुलिस स्टेशन आदमपुर में कुछेक पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपराध सं0 217/2005 एक मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद, मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 को जोड़ा गया तथा दोषी पुलिस कार्मिकों को निलंबित किया गया।

4.49 मामले के संबंध में प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि हिरासतीय मौत के मामले में कोई मजिस्ट्रेट जांच के आदेश नहीं किए गए थे तथा पुलिस कार्मिकों के खिलाफ दर्ज मामले में साक्ष्यों की कमी के कारण एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तथापि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर बाहरी चोटों के होने तथा सिर पर लगी चोट के कारण मृत्यु होने की बात कही गई थी।

4.50 मामले की जांच के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 2007 की कार्रवाई के तहत सक्षम न्यायालय की अनुमति से मामले की जांच सी0बी0–सी0बी0आई0 द्वारा कराए जाने और पुलिस अभिरक्षा में पीड़ित की मृत्यु की मजिस्ट्रेट जांच नहीं कराए जाने के संबंध में जवाबदेही निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दिया।

4.51 इसके उत्तर में राज्य सरकार ने दिनांक 27 फरवरी, 2009 को हुई मजिस्ट्रेट जांच की एक प्रति के साथ–साथ सी0बी0–सी0आई0डी0, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट अग्रेषित की। सी0बी0–सी0आई0डी0 की रिपोर्ट के अनुसार दो पुलिस कार्मिकों तथा विद्युत विभाग के एक कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 323, 304 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अभियोजित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे। राज्य सरकार ने आयोग को यह भी सूचित किया कि न्यायालय में तीनों आरोपियों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की गई थी तथा राज्य सी0बी0–सी0आई0डी0 की जांच के आधार पर पुलिस स्टेशन आदमपुर के तत्कालीन स्टेशन हाउस आफिसर सहित दो और पुलिस कार्मिकों को विभाग द्वारा दंडित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों पुलिस कार्मिकों को मृतक को जाली जमानत पर रिहा करने का दोषी पाया गया और इसके साथ ही उन्हें चिकित्सीय लापरवाही का भी दोषी पाया गया। वास्तव में पुलिस द्वारा मृतक को एक अज्ञात व्यक्ति के रुप मे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

4.52 आयोग ने अपनी दिनांक 11 जनवरी, 2011 की कार्रवाई के तहत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के

निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया कि अभिरक्षा में हुई मौत के मामले में अंतरिम राहत प्रदान करना पूरी तरह सही था और तदनुसार आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में मृतक के निकटतम संबंधी को दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को 3 लाख रु0 की राशि का भुगतान किया गया।

4.53 आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का साक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद दिनांक 11 अक्टूर, 2011 को मामले को बंद कर दिया।

11. प्रतापनगर पुलिस स्टेशन, जयपुर, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई यातनाओं के कारण हुई सीमा देवी की मृत्यु
(मामला सं0 262/20/14/2011)

4.54 पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, राजस्थान के महासचिव ने दिनांक 23 फरवरी, 2011 को आयोग में एक 24 वर्षीय सीमा देवी द्वारा उसके साथ प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के एस0एच0ओ0 तथा अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार और प्रताड़ना के कारण आत्महत्या का प्रयास किए जाने संबंधी शिकायत भेजी। आयोग को पीड़िता, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली थी, से भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

4.55 आयोग द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब में आयोग को दिनांक 31 मार्च, 2011 को सी0बी0–सी0आई0डी0, राजस्थान, जयपुर के अपर पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट के साथ–साथ मानव अधिकार तथा कमजोर वर्ग एकक के पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजा गया एक पत्र भी प्राप्त हुआ। इनके अवलोकन के पश्चात यह खुलासा हुआ कि पीड़िता सीमा देवी द्वारा किए गए आत्महत्या के प्रयास से पहले पीड़िता ने एक पत्र लिखा था जिसके आधार पर मामला सं0 12/2011 पंजीकृत किया गया था। जांच के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत सीमा देवी का बयान दर्ज किया गया था तथा पुलिस स्टेशन प्रतापनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 330/376/511/354/323/348/34 के तहत एक और आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह खुलासा भी हुआ कि हैड कांस्टेबल लाल चंद, किसी गुमशुदा हिना के संबंध में पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर रहा था। जांच के दौरान युद्धवीर, युगवीर तथा पीड़िता सीमा देवी को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर राम निवास, हैड कांस्टेबल लाल चंद तथा अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें यातना दी। सीमा को रात्रि 10:00 बजे छोड़ा गया जबकि युद्धवीर और युगवीर को पुलिस स्टेशन में ही रखा गया। सीमा को दिनांक 24 जनवरी, 2011 को एक बार फिर पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया। उसे बहुत ही अपमान और शर्मिन्दगी महसूस हुई। इसके परिणामस्वरुप उसने आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों मामलों में जांच–पड़ताल चल रही थी।

4.56 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा प्रेक्षण किया कि पीड़िता सीमा देवी को दो अन्य लोगों के साथ पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था जहां उसे अपमानित, प्रताड़ित किया गया और यातना दी गई। पीड़िता के साथ हुए अपमान तथा प्रताड़ना के कारण वह आत्महत्या करने के लिए बाध्य हुई क्योंकि उसके मानव अधिकारों का हनन हुआ था। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत राजस्थान सरकार, जयपुर के मुख्य सचिव को कारण नोटिस जारी करने का निदेश दिया है कि मृतक के निकटतम संबंधी को अंतरित राहत का भुगतान करने संबंधी सिफारिश क्यों नहीं की जाए। उन्हें, आयोग को अपराध मामला सं0 21/11 तथा 51/11

की ताजा स्थिति से अवगत कराने का भी निदेश दिया गया। इसके उत्तर में गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से दिनांक 5 मई, 2011 को एक पत्र प्राप्त हुआ। जांच करने पर यह पाया गया कि सीमा के निकटतम संबंधी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रु0 की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

4.57 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। चूंकि पीड़िता को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका था इसलिए रिपोर्ट को रिकार्ड पर रखा गया और मामले को बंद कर दिया गया।

12. गढ़ी, हरसरु, जिला गुड़गांव, हरियाणा में पुलिस अभिरक्षा में दी गई यातना के कारण राजपाल बावरिया की मृत्यु
(मामला सं0 2570/7/16/08–09–ए.डी.)

4.58 आयोग को दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को नेशनल कॅम्पेन फॉर प्रीवेन्शन ऑफ टॉर्चर (एन0सी0पी0टी0), जनकपुरी, नई दिल्ली के निदेशक से एक शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 7 दिसम्बर, 2008 को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए एक 55 वर्षीय राजपाल बावरिया, निवासी ग्राम गढ़ी हरसरु, जिला गुडगांव, हरियाणा की हरियाणा पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (सी0आई0ए0) द्वारा दी गई यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक, पेट की एक पुरानी बीमारी से पीड़ित था और इसी के कारण अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा कोई मेडिकल जांच नहीं करवाई गई, हालांकि यह कहा गया कि गिरफ्तारी के समय मृतक घायल था। मृतक की विधवा ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस की प्रताड़ना के कारण ही उसकी मृत्यु हुई।

4.59 आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आयोग के अन्वेषण विभाग की एक टीम स्थल जांच के लिए रवाना की गई जहां यह पाया गया कि पुलिस ने मृतक की मौत से तीन दिन पहले उसके घर पर छापा मारा था और उसे गिरफ्तार किया था। मृतक की विधवा तथा उसकी चार अविवाहित पुत्रियों ने मृतक की उसके घर से की गई गिरफ्तारी की पुष्टि की। स्वतंत्र गवाहों ने भी मृतक की उसके घर से की गई गिरफ्तारी की पुष्टि की। ग्राम संरपंच की गवाही भी पुलिस के खिलाफ ही थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुष्टि की कि पहले से चली आ रही हृद्‌य की बीमारी जो चोट लगने से और गंभीर हो गई थी, के कारण उसकी मृत्यु हुई।

4.60 अन्वेषण टीम भी इस निर्णय पर पहुंची कि पुलिस ने मृतक को यातना दी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। टीम ने, राजपाल बावरिया की मृत्यु के संबंध में सी0आई0ए0, रेवाड़ी के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने तथा मृतक के दामाद मुन्ना को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरु करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण टीम ने मृतक की विधवा को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा, इन्दिरा आवास योजना के तहत एक घर, विधवा पेंशन तथा गरीबी की रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड दिए जाने जैसी कुछ अन्य सिफारिशें भी कीं।

4.61 अन्वेषण टीम द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 30 नवम्बर, 2011 की कार्रवाई में प्रथम दृष्टया यह पाया कि राजपाल को गैर कानूनी रुप से दो दिन तक जेल में रखा गया और वह पुलिस प्रताड़ना का पीड़ित बना। अतः आयोग ने सी0आई0ए0 के इंस्पेक्टर जगत सिंह को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के तहत नोटिस जारी करने तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत हरियाणा राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया। अनुस्मारकों के बावजूद

भी राज्य सरकार ने अभी तक आयोग के कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। तथापि, इंस्पेक्टर जगत सिंह ने अन्वेषण टीम से जांच के दौरान रिकार्ड किए गए बयानों की प्रतियां मांगी थी जो उसे भेज दी गई थीं तथा उसे एक महीने के अंदर–अंदर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नोटिस के जवाब में भावी स्पष्टीकरण, यदि कोई हैं, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। आयोग उसके जवाब की भी प्रतीक्षा कर रहा है।

अर्ध–सैनिक/रक्षा बल अभिरक्षा

13. जम्मू एवं कश्मीर में सेना द्वारा की गई कार्रवाई में नागरिक की मृत्यु
(मामला सं0 153/9/8/07–08–ए.एफ.)

4.62 आयोग को एक गैर सरकारी संगठन चलाने वाले सुहास चकमा से जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में सेना के जवानों द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2007 को एक 26 वर्षीय अध्यापक अब्दुल रशीद की हत्या किए जाने संबंधी एक शिकायत प्राप्त हुई। आयोग द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बताया गया कि दिनांक 19 अक्टूबर, 2007 को 46 एयर डिफेंस रेजीमेंट, चौकीबल से दरंगयारी जाने वाली सड़क पर पेट्रोलिंग कर रही थी। जब सेना के एक गनर मो0 तारिक़ ने एक नागरिक को रोककर उसकी पहचान पूछी तो उक्त नागरिक ने अनुदेश मानने से इंकार कर दिया और उनके बीच हाथापाई शुरु हो गई। इस पर मो0 तारिक ने अपने सर्विस राईफल से गोली चला दी जिसके कारण नागरिक की मृत्यु हो गई जिसकी पहचान अब्दुल रशीद मीर के रुप में की गई। एक आपराधिक मामला दर्ज किया जा चुका है और कुपवाड़ा में सक्षम न्यायालय के विचारणाधीन है।

4.63 आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद प्रेक्षण किया कि सेना के गनर मो0 तारिक द्वारा गोली चलाने के कारण एक नागरिक की मृत्यु हुई है, जो उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन है और इसलिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(ग) के तहत सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि मृतक के निकटम संबंधी को मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। इसके जवाब में रक्षा मंत्रालय ने मृतक के निकटतम संबंधी को मानवीय आधार पर मुआवजे का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। तदनुसार, आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मृतक के निकटतम संबंधी को 3 लाख रु0 के मुआवजे का भुगतान किया गया। आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 को मामला बंद कर दिया।

ख) अवैध गिरफ्तारी तथा प्रताड़ना

14. उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस द्वारा पप्पू जैसवाल को विधि–विरुद्ध गिरफ्तार करना तथा उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाना
(मामला सं0 11065/24/55/2011)

4.64 आयोग को दिनांक 29 मार्च, 2011 को संजू जैसवाल, निवासी जैसवाल गांव, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 28 मार्च, 2011 को दोपहर में लगभग 2:00 बजे उसके पति बलराम उर्फ पप्पू जैसवाल को कुछ अज्ञात व्यक्तियों तथा कुछ पुलिसवालों ने जबरन घर से उठा लिया। उसने झूठे मामले में फंसाने की आशंका जताई और आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

4.65 मामले पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट मंगाई। इसके जवाब में सर्किल ऑफिसर, लालगंज, मिर्जापुर से रिपोर्ट की प्रति के साथ–साथ पुलिस अधीक्षक का दिनांक 6 जुलाई, 2011 का एक पत्र भी प्राप्त हुआ। इनका अवलोकन करने पर खुलासा हुआ कि शिकायतकर्ता के पति पप्पू जैसवाल को दिनांक 29 मार्च, 2011 को राजपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस कार्मिकों द्वारा एक छोटी सी मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था क्योंकि उसके पास अवैध हथियार और गोलाबारुद था। तदनुसार, पप्पू जैसवाल के खिलाफ तीन मामले अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपराध सं0 211/11, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध सं0 214/11 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 41/411 के तहत अपराध सं0 शून्य, दर्ज किए गए और उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत अपने पति को उसके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों से बचाने के लिए की गई थी।

4.66 दिनांक 24 अगस्त, 2011 को मामले पर विचार करते हुए आयोग ने प्रेक्षण किया कि दिनांक 28 मार्च, 2011 को रात 8:15 बजे फैक्स के माध्यम से शिकायत भेजी गई थी जो इस आयोग को दिनांक 29 मार्च, 2011 को प्रातः 10:00 बजे से पहले प्राप्त हो गई थी। प्राप्त शिकायत इन तथ्यों द्वारा झूठी साबित हुई कि शिकायतकर्ता यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि उसके पति को, आयोग को शिकायत भेजने के बाद दर्ज कराए गए मामलों में 29 मार्च, 2011 को गिरफ्तार किया जाएगा। इन परिस्थितियों में आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यालय से एक अधिकारी तैनात करने का निदेश दिया जो चार सप्ताह के अंदर–अंदर जांच पूरी करे और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

4.67 इसके जवाब में पुलिस महानिरीक्षक (मानव अधिकार), पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के पत्राचार के माध्यम से अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी जांच के बाद खुलासा हुआ कि इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक (मानव अधिकार), पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जांच की गई थी जिसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था कि शिकायतकर्ता के पति बलराम उर्फ पप्पू जैसवाल को दिनांक 28 मार्च, 2011 को दोपहर लगभग 2:00 बजे चित्रकूट जिला पुलिस द्वारा उस समय उठाया गया था जब वह निजामुद्दीन नामक व्यक्ति के साथ मोटरसाईकिल सं0 यू0पी0 64 के0 7814 पर जा रहा था। निजामुद्दीन को छोड़ दिया गया लेकिन उसकी मोटरसाईकिल पुलिस ने रख ली। इसके बाद बलराम उर्फ पप्पू जैसवाल को पुलिस स्टेशन राजापुर लाया गया और उसकी गिरफ्तारी को दिनांक 29 मार्च, 2011 को दर्शाया गया। बलराम उर्फ पप्पू जैसवाल को गैर कानूनी रुप से जेल में रखने के लिए सब इंस्पेक्टर टीका राम वर्मा, तत्कालीन एस0एच0ओ0, पुलिस स्टेशन राजापुर; सब इंस्पेक्टर दीना नाथ पांडे, पुलिस स्टेशन राजापुर; सब इंस्पेक्टर नन्द लाल सिंह, तत्कालीन एस0एच0ओ0, पुलिस स्टेशन पहाड़ी; कांस्टेबल बुद्धिमान सिंह, पन्ना लाल, गोविन्द नारायण पांडे, महेन्द्र कुमार तथा ड्राईवर कृष्ण चन्द्र शुक्ला, पुलिस स्टेशन राजापुर; कांस्टेबल नीतिराज सिंह, राजोले चौधरी तथा प्रमोद तिवारी, पुलिस स्टेशन पहाड़ी, जिला चित्रकूट – प्रथम दृष्टया दोषी थे।

4.68 मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

15. गाजियाबाद पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा एक महिला को गैर कानूनी रुप से बंधक बनाना (मामला सं0 517/24/31/2011)

4.69 आयोग को दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को नरेन्द्र सुपुत्र स्व0 बदले सिंह, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी बहन रविन्द्री को दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को सिहानी गेट पुलिस स्टेशन की पुलिस द्वारा उठा लिया गया है। उसने मामले की जांच तथा अपनी बहन को रिहा करवाने के लिए अनुरोध किया।

4.70 आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद से रिपोर्ट मंगवाई। इसके जवाब में सर्किल ऑफिसर, नगर II, गाजियाबाद की रिपोर्ट के साथ उनका दिनांक 12 फरवरी, 2011 का एक पत्र भी मिला। इनका अवलोकन करने के बाद खुलासा हुआ कि शिकायतकर्ता का पति लल्लू उर्फ वीरेन्द्र भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध मामला सं0 1821/10 में वांछित था। यह बात भी सामने आई कि उक्त मामले के बारे में पूछताछ के लिए दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 को रविन्द्री भी शकुंतला के साथ प्रभारी निरीक्षक के सामने उपस्थित हुई थी। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई हैं।

4.71 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 की शिकायत को फैक्स के माध्यम से दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 5:30 बजे भेजा गया। रिपोर्ट में दर्शाया गया कि रविन्द्री दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 को 2130 बजे पुलिस स्टेशन आई थी। आयोग के अनुसार उक्त रिपोर्ट इस तथ्य के आधार पर झूठी साबित होती है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 5:30 बजे यह आभास नहीं हो सकता था कि उसकी बहन को दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 9:30 बजे अपराध मामला सं0 1821/10 के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 का उल्लंघन हुआ क्योंकि लिखित में कोई नोटिस नहीं दिया गया था और एक महिला होने के नाते उससे उसके घर पर ही पूछताछ की जानी चाहिए थी। जनरल डायरी एन्ट्री की प्रति भी आयोग को नहीं भेजी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ने मामले के सही तथ्यों की जांच किए बिना आयोग को रिपोर्ट अग्रेषित करने में एक पोस्ट ऑफिस की भूमिका निभाई। इन परिस्थितियों में आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश दिया कि मुख्यालय के राजपत्रित अधिकारी द्वारा मामले की जांच कराई जाए और उसके बाद आयोग को रिपोर्ट अग्रेषित की जाए। उन्हें दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 की जनरल डायरी सं0 50 की एक प्रति भी आयोग को अग्रेषित करने का निदेश दिया गया।

4.72 इसके जवाब में पुलिस महानिरीक्षक, मानव अधिकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रविन्द्री, पत्नी लल्लू गुर्जर उर्फ वीरेन्द्र के संबंध में दिनांक 23 अगस्त 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ। इसका अवलोकन करने पर पता चला कि रविन्द्री को दिनांक 15 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 2010 तक अवैध रुप से हिरासत में रखा गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। अतः तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह, सिहानी गेट पुलिस स्टेशन, गाजियाबाद को दोषी पाया गया।

4.73 आयोग के विचार से पीड़िता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित को अंतरिम राहत देने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। उन्हें यह भी सूचना देने का निदेश दिया गया

कि क्या बलजीत सिंह, तत्कालीन प्रभारी, पुलिस स्टेशन सिहानीगेट, गाजियाबाद के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की गई थी या नहीं।

4.74 कारण बताओ नोटिस के जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ने अपने दिनांक 4 दिसम्बर, 2011 के पत्राचार के माध्यम से सूचित किया कि इस मामले में इंस्पेक्टर बलजीत सिंह दोषी था और मामले का निपटान विभाग के अंदर किया गया था। यह भी कहा गया कि पीड़ित को अंतरिम मौद्रिक राहत देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी। आयोग ने मामले पर विचार किया और यह विचार प्रस्तुत किया कि चूंकि पीड़ित को अंतरिम राहत प्रदान करने में राज्य को कोई आपत्ति नहीं थी इसलिए पीड़ित को 25,000/–रु0 (पच्चीस हजार रु0) की राशि का भुगतान किया गया। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, पीड़ित को किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, वह दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई के परिणाम के बारे में भी आयोग को सूचित करेंगे।

4.75 अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है और मामला आयोग के विचाराधीन है।

16. जिला सेप्पा, अरुणाचल प्रदेश में सेना के कार्मिकों द्वारा ख्या सानम तारा के साथ किया गया अत्याचार
(मामला सं0 26/2/0/2010)

4.76 नेशनल कैम्पेन फॉर प्रीवेन्शन ऑफ टार्चर के निदेशक सुहास चकमा ने आयोग को सूचना दी कि दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को आई0आर0 बटालियन के कार्मिकों ने ख्या सोनम तारा को अरुणाचल प्रदेश के जिला सेप्पा के तिनाली में देवाना होटल के समीप हेलमेट न पहने होने के कारण रोका था और उसे पूरी जनता के सामने प्रताड़ित किया। पीड़ित को पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई। आयोग ने पुलिस महानिदेशक, अरुणाचल प्रदेश से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी।

4.77 पुलिस उपमहानिरीक्षक (अपराध), अरुणाचल प्रदेश, ने घटना की जांच करते हुए दिनांक 30 नवम्बर, 2010 को रिपोर्ट अग्रेषित की। यह भी बताया गया कि दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को सेप्पा पुलिस स्टेशन मे भारतीय दंड संहिता की धारा 341/325/427 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 99/10 दर्ज की गई थी तथा जिला प्रशासन ने घटना के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। इस बात की पुष्टि हो गई थी कि श्री ख्या सोनम तारा को दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को आई0आर0 बटालियन के कार्मिकों द्वारा प्रताड़ित किया था जिसके परिणामस्वरुप उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। कांस्टेबल नग्वामवेंग तेकवा, लोगन चिनयांग तथा तिरो लामा को दिनांक 17 सितम्बर, 2010 को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मामले की जांच प्रगति पर थी।

4.78 चूंकि इस बात की पुष्टि हो गई थी कि तीन कांस्टेबलों ने ख्या सोनम तारा के साथ मार–पीट की थी जिसके चलते उसे गंभीर चोटें आईं, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क) (प) के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित के लिए मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.79 संयुक्त सचिव (गृह), अरुणाचल प्रदेश ने कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अनुरोध किया आयोग द्वारा मौद्रिक राहत की सिफारिश न की जाए क्योंकि इस घटना के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए जा चुके हैं और पुलिस जांच भी प्रगति पर है।

4.80 सेप्पा के उपायुक्त द्वारा अग्रेषित की गई मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट की एक प्रति से भी यह बात सिद्ध हो गई कि बाजार लाईन, सेप्पा में पेट्रोलिंग की ड्यूटी के लिए तैनात किए गए आई0आर0 बटालियन के जवानों ने ख्या सोनम तारा की पिटाई की थी और वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए थे।

4.81 रिकार्ड पर रखी गई सामग्री तथा कारण बताओ नोटिस पर राज्य सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 15 मार्च, 2012 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि आयोग, पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच पूरा होने तक बाध्य नहीं था क्योंकि दांडिक अभियोजन इस मामले के केवल आपराधिक पहलू पर ही निर्णय देगा। आयोग ने माना कि उसके पास जो सामग्री मौजूद थी वो इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी कि आई0आर0 बटालियन के कार्मिक, पीड़ित को जनता के सामने प्रताड़ित करते हुए हुए उसे गंभीर चोट पहुंचाते हुए, उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया दोषी थे और इसलिए राज्य, पीड़ित को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से उसके मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित ख्या सोनम तारा को 75,000/–रु0 (पचहत्तर हजार रु0 केवल) की मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की। मुख्य सचिव को छः महीने के अंदर भुगतान किए जाने के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

4.82 राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

17. जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा हन्नान मंडल के साथ किया गया अत्याचार
(मामला सं0 868/25/13/2010–ए0एफ0)

4.83 एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राईट्स के निदेशक सुहास चकमा ने आयोग को एक घटना की सूचना दी जिसमें सीमा सुरक्षा बल बटालियन सं0 92 के कार्मिकों द्वारा हन्नान मंडल के साथ अत्याचार किया गया था।

4.84 सीमा सुरक्षा बल के अनुसार दिनांक 31 मई, 2010 को पश्चिम बंगाल में जिला मुर्शिदाबाद के जलांगी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले एक स्थान जो भारत–बंगला सीमा के नजदीक पड़ता है, के समीप पशुओं की तस्करी करने वाले हन्नान मंडल को सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा रोका गया। हन्नान मंडल ने कांस्टेबल वी0आर0सी0 रेड्डी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। सभी तस्कर दो भैंसों सहित चौकी को पार करने में सफल रहे लेकिन अपने पीछे कुछ भैंसे और फैंसीडिल की 50 बोतलें छोड़ गए। दिनांक 1 जून, 2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 188/189/353/379/411 तथा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 और ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27(क) (ख) के तहत पुलिस स्टेशन जलांगी में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 344/10 दर्ज की गई। हन्नान मंडल और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के बीच किसी प्रकार की हाथापाई से बिलकुल इन्कार किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने आगे दावा किया कि हन्नान मंडल द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबलों के खिलाफ दर्ज की गई कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं पाई गई है।

4.85 सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आयोग ने शिकायतकर्ता की टिप्पणियां मांगी। सुहाद चकमा ने आयेाग को सूचित किया कि इस मामले के बारे में पुलिस स्टेशन जलांगी को सूचना दी गई थी जहां यह मामला दिनांक 31 मई 2010 की जी0डी0ई0 सं0 2088 के रुप में रिकार्ड है। उन्होंने हन्नान मंडल के संबंध में अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की एक प्रति भी आयेाग को अग्रेषित की।

4.86 मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक ने सब–डिवीजनल पुलिस ऑफिसर, डोमकाल की एक रिपोर्ट आयोग को अग्रेषित की। आयोग के अनुरोध पर उन्होंने हन्नान मंडल की चोटों की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ–साथ जलांगी पुलिस स्टेशन की दिनांक 31 मई की जी0डी0ई0 सं0 2088 तथा 2090 की प्रतियां भी अग्रेषित कीं।

4.87 सब–डिवीजनल पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट दर्शाती है कि हन्नान मंडल ने दिनांक 31 मई, 2010 को जलांगी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी कि सिंहपाड़ा चौकी के सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया क्योंकि उसने सीमा सुरक्षा बल तथा मशदुल मंडल के बीच हो रही हाथापाई/संघर्ष का विरोध किया था। जी0डी0ई0 सं0 2088 में यह जानकारी एक असंज्ञेय अपराध के रुप में रिकार्ड की गई थी और हन्नान मंडल को न्यायालय का रुख करने का सुझाव दिया गया था। सहायक उप–निरीक्षक बी0टी0 पॉल जिसे जांच पड़ताल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के तहत जांच पड़ताल करने के लिए आवश्यक अनुमति हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेरहमपुर, मुर्शिदाबाद का रुख किया। उन्होंने दिनांक 31 मई, 2010 को सीमा सुरक्षा बल के ऑन–ड्यूटी कार्मिको के ब्यौरे भेजने के लिए सिंहपाड़ा सीमा चौकी के कंपनी कमांडर से भी अनुरोध किया।

4.88 हन्नान मंडल की चोट संबंधी रिपोर्ट में निम्नलिखित चोट बताई गईं :

(i) दर्द, अकड़न, सूजन तथा फटा हुआ निचला होंठ।

(ii) दर्द तथा अकड़न, बायें बाजू, दायें कंधे के उपरी भाग पर खंरोच।

(iii) दाहिनी कनपटी के पास, छाती के अग्र भाग, ठोड़ी के नीचे दर्द तथा अकड़न।

4.89 डॉक्टर के अनुसार यह चोटें किसी कुंद हथियार से लगी थीं। चोट संबंधी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि हन्नान मंडल को दिनांक 31 मई, 2010 को अस्पताल में भर्ती किया गया था और 03 जून, 2010 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

4.90 आयोग ने प्रेक्षण किया कि रिपोर्ट प्रथम दृष्टया रुप से यह दर्शाती है कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने दिनांक 31 मई, 2010 को जलांगी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में हन्नान मंडल पर शारीरिक रुप से अत्याचार किया और निसंदेह उसके मानव अधिकारों एवं गरिमा का हनन किया। अतः आयोग ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को कारण बताने का निदेश दिया कि आयोग, पीड़ित को मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों न करे।

4.91 कारण बताओ नोटिस के जवाब में सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक (ऑपरेशन निदेशालय), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि फील्ड फॉरमेशन्स से मामले की रिपोर्ट मंगाई जा रही है तथा इसकी प्राप्ति हो जाने के तत्काल बाद ही इसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

4.92 आयोग को अभी तक कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

ग) पुलिस की ज्यादतियां

18. भट्टा तथा पारसौल गांव, नौएडा, उत्तर प्रदेश में पुलिस की तथाकथित ज्यादतियों की जांच (मामला सं0 16936/24/30/2011 तथा संबंधित मामला सं0 16946/24/30/2011 तथा 16954/24/30/2011)

4.93 आयोग को दिनांक 9 मई, 2011 को राजेन्द्र सिंह सोलंकी, भूतपूर्व विधान परिषद सदस्य, सिकन्द्राबाद तथा अन्य से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के भट्टा और पारसौल गांव के गांववासी अपनी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ धरने पर बैठे थे और अधिक मुआवजे की मांग कर रहे थे। निकटवर्ती गांवों जैसे कि पारसौल, मुटैना, अचेपुर तथा चांदपुर के ग्रामीण भी धरने में शामिल हुए। शिकायत के अनुसार दिनांक 7 मई, 2011 को जिला प्रशासन, पुलिस तथा पी0ए0सी0 के साथ धरना स्थल पर पहुंचा तथा धरने पर बैठे लोगों पर धरना समाप्त करने के लिए दबाव बनाया। कुछ समय बाद जिला प्रशासन ने धरने पर बैठी महिलाओं, बच्चों तथा किसानों पर आंसू गैस, लाठी चार्ज तथा गोलीबारी करवाई जिसके परिणामस्वरुप 200 से अधिक महिलाओं, बच्चों तथा किसानों को चोटें आईं तथा दो पुलिस वालों सहित कई किसानों की मृत्यु हुई। इसके अलावा यह कहा गया कि जिला प्रशासन और पुलिस ने घरों में आग लगाना शुरु कर दिया और यहां तक कि गेहूं की फसल में भी आग लगा दी। रात में, पी0ए0सी0 तथा पुलिस ने घरों में प्रवेश किया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। अधिकांश लोग गांव से भाग गए तथा गांव में रह गई महिलाओं तथा बच्चों को अपमानित किया गया। किसी को भी अपने घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी तथा बूढ़े व्यक्ति एवं बच्चे भूख से परेशान थे। पानी और चारा उपलब्ध न हो ने के कारण पशु भी परेशान थे।

4.94 भूपेन्द्र चौधरी द्वारा की गई एक अन्य शिकायत में भी इसी प्रकार के आरोप लगाए गए थे।

4.95 पीपल्स विजीलेन्स कमेटी ऑन ह्यूम्न राईट्स (पी वी सी एच आर), वाराणसी, उत्तर प्रदेश के कार्यकारी निदेशक डॉ0 लेनिन रघुवंशी ने एक ई–मेल के माध्यम से अपनी शिकायत में भूमि अधिग्रहण तथा किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे संबंधी मुद्दे को उठाया है। लगभग इसी प्रकार के आरोपों सहित कई अन्य शिकायतें भी आयोग को प्राप्त हुई हैं और इस मामले के संबंध में उन पर भी विचार किया गया।

4.96 जन हस्तक्षेप के जगदीश यादव तथा अन्य लोगों से भी दिनांक 13 मई 2011 को एक फैक्ट फाईंडिंग रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी की जिसके कारण तीन गांव वालों की मौत हो गई। पुलिस ने लोगों को बेरहमी से पीटा; मोटरसाईकिलों, ट्रेक्टरों, कारों, टी0वी0, गौशालाओं तथा अन्न के भंडारों को नष्ट किया और यहां तक कि खेतों में खड़ी फसलों को आग लगा दी। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा कुछ ग्रामीणों को पीटने तथा पुलिस कार्रवाई में घायल ग्रामीणों के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी भी दी गई थी। यह आरोप भी लगाया गया कि मृत ग्रामीणों के शवों को अंतमि संस्कार के लिए उनके परिवारों को भी नहीं सौंपा गया तथा 50 से अधिक बच्चे और युवक गुमशुदा थे। रिपोर्ट के साथ बहुत से फोटोग्राफ तथा गांवों के चित्र वाली सी0डी0 प्रस्तुत की गई।

4.97 दिनांक 15 मई 2011 के 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र में एक खबर छपी जिसमें उल्लेख था कि घटना के बाद पुलिस ने गांव में रह गई महिलाओं को परेशान किया। खेतों को पानी से भर दिया गया जिसके कारण गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। गांव में पशुओं के लिए भी चारा नहीं था। कुछ समाचार पत्रों ने यह भी उल्लेख किया कि गांव में असंख्य व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया था और अधिसंख्य गांव वाले गुमशुदा थे।

4.98 आयोग ने अपनी दिनांक 11 मई, 2011 की कार्रवाई में अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को घटना की जांच पड़ताल के लिए एक टीम को घटनास्थल भेजने का निदेश दिया। आयोग के निदेशों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अन्वेषण प्रभाग की एक टीम ने घटनास्थल की जांच के लिए दिनांक 24 मई से 30 मई 2011 तक जिला गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया।

4.99 जांच के दौरान टीम ने दिनांक 24 मई 2011 को भट्टा तथा पारसोल गांवों का दौरा किया और गांव वालों के साथ बातचीत की। इसके अतिरिक्त, टीम ने उन स्थानों का दौरा किया जहां गांव वालों ने धरना दिया था, उन घरों का दौरा किया जिन्हें पुलिस कार्मिकों द्वारा कथित रुप से नष्ट कर दिया गया था; तथा उन खेतों का भी दौरा किया जहां पुलिस कार्मिकों द्वारा बिठौरा, बुग्गियों आदि को तथाकथित रुप से जलाया गया था। टीम द्वारा जले हुए बिठौरा, बुग्गियों के फोटोग्राफ भी लिए गए।

4.100 दिनांक 25 मई, 2011 को टीम ने दो गांवों का दोबारा दौरा किया और चश्मदीद गवाहों तथा पीड़ितों के बयान रिकार्ड किए। टीम के समक्ष गवाही देने वाले अथवा प्रस्तुत होने वाले गवाहों और पीड़ितों की पहचान की जांच उनके पहचान साक्ष्यों जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि की जांच पड़ताल करके की गई। जिन्होंने पुलिस कार्रवाई में घायल होने का दावा किया था उनके मेडिकल रिकार्ड की भी जांच की गई। आयोग के अन्वेषण विभाग ने भट्टा, पारसौल तथा निकटवर्ती गांवों के 118 पीड़ितों और गवाहों के बयानों को रिकार्ड किया।

4.101 टीम ने दिनांक 26 मई, 2011 को डासना जेल, गाजियाबाद का दौरा किया और दिनांक 7 मई, 2011 को हुई घटना के संबंध में गिरफ्तार किए गए 22 व्यक्तियों में से 21 का बयान दर्ज किया। टीम ने ग्रेटर नौएडा में स्थित कैलाश अस्पताल का भी दौरा किया और घटना में घायल हुए तथा अस्पताल में चिकित्सीय उपचार ले रहे पुलिस कार्मिकों के बयान भी रिकार्ड किए।

4.102 दिनांक 27 मई, 2011 को गौतम बुद्ध कलैक्ट्रेट में टीम ने सरकारी अधिकारियों के साथ–साथ दिनांक 19 जनवरी 2011 से दिनांक 7 मई, 2011 को हुई घटना तक ग्राम भट्टा में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों द्वारा तथाकथित रुप से परेशान किए गए आम नागरिकों के बयानों को रिकार्ड किया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 27 मई, 2011 तथा 30 मई, 2011 को टीम ने जिला गौतम बुद्ध नगर के संबंधित सिविल/पुलिस प्राधिकारियों से पूछताछ की तथा उनके बयानों को रिकार्ड करने के साथ–साथ प्रासंगिक दस्तावेज/रिकार्ड भी एकत्रित किए।

4.103 अन्वेषण प्रभाग की टीम ने निम्नलिखित चीजों की पहचान की :

1. भट्टा और पारसौल नामक दो गांव उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के दनकौर तहसील के तहत आते हैं। यह गांव, ग्रेटर नौएडा के सिटी सेंटर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और ग्रेटर नौएडा को आगरा से जोड़ने वाले प्रस्तावित यमुना एक्प्रेसवे एक्सिस पर पड़ते हैं। इन दोनों गांवों के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं।

2. वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिला गौतम बुद्ध नगर में योजनागत विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 (सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण प्रावधान) तथा धारा 17 (तात्कालिकता के मामले में भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष शक्तियों को प्रावधान) का उपयोग करते हुए भट्टा गांव में दो चरणों में 193.2340 हैक्टेयर भूमि तथा पारसौल गांव में दो चरणों में 333.620 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई।

3. प्राधिकरण द्वारा भूमि के स्वामियों को अधिग्रहित भूमि के लिए 845.00 रु0 तथा 880.00 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया। उपरोक्त भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भट्टा और पारसौल गांवों के कुल 1964 भू–स्वामी प्रभावित हुए जिनमें से 1136 भू–स्वामियों ने भुगतान को स्वीकार कर लिया जबकि शेष लोगों ने मुख्यतः स्वामित्व के शीर्ष संबंधी विवाद के कारण मुआवजे को स्वीकार नहीं किया।

4. कुल अधिग्रहित की गई 526.8740 हैक्टेयर भूमि में से 438.8435 हैक्टेयर भूमि को 'यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण' को अंतरित कर दिया गया जबकि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेशों के कारण शेष अधिग्रहित भूमि को प्राधिकरण को सौंपा नहीं जा सका।

5. हालांकि, भूमि को जिला गौतम बुद्ध नगर में 'योजनागत विकास' के 'लोक उद्देश्य' हेतु अधिग्रहित किया गया था, 'यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण' को अंतरित की गई 438.8435 हैक्टेयर अधिग्रहित भूमि में से यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण द्वारा सैक्टर 18 तथा सैक्टर 16 के बीच 120 मीटर चौड़ी सैक्टर रोड के निर्माण के लिए केवल 53.5180 हैक्टेयर भूमि का प्रयोग किया गया। प्राधिकरण द्वारा शेष अधिग्रहित भूमि का उपयोग, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 6 (2) (ग), जिसमें प्राधिकरण के एक कार्य के रुप में 'आवासीय उद्देश्य के लिए स्थलों का विकास' करने का प्रावधान है, का प्रयोग करते हुए गौतम बुद्ध नगर के सैक्टर 18 तथा सैक्टर 20 में आवासीय भूखण्डों के विकास के लिए किया गया।

6. अधिगृहित भूमि को बाद में 'यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवासीय भूखंड योजना 2009' के तहत सफल आवेदकों को 4750/–रु0 की दर से भूखंड आबंटित किए गए। उक्त 'आवासीय भूखंड योजना' में आम जनता के लिए 300 वर्ग मीटर के 5000 भूखंडों; 500 वर्ग मीटर के 2000 भूखंडों; 1000 वर्ग मीटर के 1000 भूखंडों; 2000 वर्ग मीटर के 250 भूखंडों तथा 4000 वर्ग मीटर के 100 भूखंडों उपलब्ध कराए गए।

7. भट्टा तथा पारसौल के साथ–साथ निकटवर्ती गांवों के ऐसे भूस्वामी जिनकी भूमि को अधिग्रहित किया गया था, असंतुष्ट थे क्योंकि उनकी भूमि को 845 – 880 रु0 प्रति वर्ग मीटर की अत्यल्प दर से अधिग्रहित किया गया था और प्राधिकरण द्वारा उसे बाहरी व्यक्तियों, जो स्पष्टतः 'निवेशक' थे, को 4750/–रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचा गया था।

8. सरकार की विद्यमान योजना के अंतर्गत नेशनल रीहैबीलिटेशन पॉलिसी के तहत प्रभावित किसानों को संगत लाभों के अलावा 'प्राधिकरण' की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया द्वारा प्रभावित भूस्वामियों को अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा दिया जा रहा है; अधिग्रहित भूमि की एवज में विकसित सैक्टरों में भूमि जो 7 प्रतिशत होगी (न्यूनतम सीमा 120 वर्ग मीटर, अधिकतम सीमा 2500 वर्ग मीटर); तथा प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 17.50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

9. तथापि, भट्टा तथा पारसौल नामक दो गांवों के किसान उपरोक्त लाभों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने आप को मानवीर सिंह तेवतिया के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ एकजुट किया और दिनांक 17 जनवरी, 2011 को ग्राम भट्टा के बाहरी इलाके में धरना देना शुरु कर दिया जहां निकटवर्ती गांवों जैसे कि मुटैना, आचेपुर तथा चांदपुर के लोगों ने उनके साथ जुड़ना शुरु कर दिया। भूस्वामियों की मुख्य मांग, विद्यमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के स्थान पर एक नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम को तैयार करना थी; भू स्वामियों की अधिग्रहित भूमि में से केवल आधी भूमि को विकास कार्यों के उपयोग में लाया जाए तथा शेष भूमि को स्वामियों को वापिस दिया जाए; भूस्वामियों को अधिग्रहित भूमि के अंतिम बिक्री मूल्य के 80 प्रतिशत की दर से मुआवजा तथा अधिग्रहित भूमि के संबंध में सरकार की विकास योजनाओं में भूस्वामियों को 25 प्रतिशत आरक्षण।

10. दिनांक 17 जनवरी, 2011 को ग्राम भट्टा के बाहरी इलाके पर किसानों द्वारा शुरु किया गया धरना जो दिनांक 7 मई, 2011 अर्थात पुलिस कार्रवाई किए जाने वाले दिन तक जारी था, पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं था। कई अवसरों पर धरने पर बैठे किसान तथा आंदोलन करने वाले व्यक्तियों के पास लाठियां, फरसे तथा कट्टे आदि रहते थे। दिनांक 17 जनवरी, 2011 से 7 मई, 2011 की अवधि के दौरान आंदोलन करने वाले ग्रामीण, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे तथा कई अवसरों पर उकसाने वाले निम्नलिखित कार्यों में शामिल थेः

(i) उन्होंने 19/20 जनवरी, 2011 की रात को पुलिस पार्टी पर आक्रमण किया।

(ii) उन्होंने आंदोलन की जगह पर ग्रामीणों के उपचार हेतु जाने वाले डॉक्टरों को दिनांक 23 जनवरी, 2011 को बंधक बना लिया था।

(iii) यह लोग, किसानों के साथ बातचीत करने गए दो पी0सी0एस0 अधिकारियों को दिनांक 18 फरवरी, 2011 को बंधक बनाने में शामिल थे।

(iv) आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस/पी0ए0सी0 पार्टी पर दिनांक 18 फरवरी, 2011 को हमला किया गया।

(v) इसके बाद दिनांक 21 फरवरी, 2011 को क्षेत्र से गुजर रहे पी0ए0सी0 कार्मिकों पर हमला किया गया।

(vi) जिला प्रशासन के साथ बातचीत के लिए जा रहे किसानों पर भी हमला किया गया।

(vii) उन्होंने दिनांक 17 मार्च, 2011 को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

(viii) उन्होंने आंदोलन में भाग लेने से मना करने वाले किसानों पर दिनांक 13 अप्रैल, 2011 और 19 अप्रैल, 2011 को भी हमला किया, और

(ix) उन्होंने दिनांक 30 अप्रैल, 2011 को क्षेत्र से गुजर रहे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस की कार को नुकसान पहुंचान के साथ–साथ उन पर तथा उनके परिवार पर भी हमला किया।

11. जिला प्रशासन जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने को छोड़कर आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट रुप से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया था, ने फिर भी किसानों के साथ समझौता करने के लिए कई प्रयास करे। तथापि, जिला प्रशासन के यह प्रयास किसानों द्वारा दिए गए धरने को समाप्त करने में सफल नहीं हुए। दिनांक 6 मई, 2011 को लगभग 0930 बजे स्थिति गंभीर हो गई जब भट्टा गांवे के बाहरी इलाके में धरने पर बैठे किसानों ने उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस को रोका। बस में भट्टा गांव तथा आस–पास के गांवों से गुजरने वाले बस मार्ग का सर्वेक्षण करने के लिए बस ड्राईवर के साथ–साथ रोडवेज के दो कर्मचारी तैनात थे। गांव वालों ने बस को धरना स्थल के अंदर खड़ा कर दिया और बस के टायरों की हवा निकाल दी। गांव वालों ने रोडवेज के तीनों कर्मचारियों को भी कहीं जाने नहीं दिया और उन्हें बंधक बना कर रखा। तीनों को जिला प्रशासन द्वारा की गई बातचीत तथा बंधक बनाए गए कर्मचारियों के संबंधियों द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद भी 6 मई, 2011 की शाम तक रिहा नहीं किया गया था।

12. जब जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश रोडवेज के तीन बंधक कर्मचारियों को बातचीत के जरिए रिहा कराने में असफल रहा तो उन्होंने कर्मचारियों को बलपूर्वक रिहा कराने का निर्णय लिया और तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी दिनांक 7 मई, 2011 को लगभग 2:00 बजे अपराह्न भट्टा गांव में धरना स्थल पर पहुंची। तथापि, आंदोलन करने वाले किसानों ने सिविल तथा पुलिस अधिकारियों के उपर पत्थर फैंकते हुए आक्रमण किया। गांव वालों ने पुलिस तथा जिला प्रशासन अधिकारियों पर गोलियां भी चलाईं जिसके चलते जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर तथा दो कांस्टेबलों को गोलियों से चोट आईं। गांव वालों द्वारा की गई पत्थरबाजी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर सहित आठ पुलिस कार्मिक घायल हो गए। दो घायल कांस्टेबल, जिन्हें गोली लगी थी की बाद में मृत्यु हो गई। चूंकि परिस्थिति खतरनाक होती जा रही थी, इसलिए एडिशनल डिवीजन मजिस्ट्रेट जो कि उस स्थल के प्रभारी मजिस्ट्रेट थे, से बल प्रयोग करने तथा बाद में गोलीबारी करने के आदेश प्राप्त होने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया और गोलीबारी भी की। यह सब गांव वालों की भीड़ को तितर–बितर करने के लिए तथा राज्य रोडवेज परिवहन कारपोरेशन के तीन कर्मचारियों, जिन्हें गांव वालों ने बंधक बनाया हुआ था, की सुरक्षित रिहाई के लिए किया गया था। कुछ समय के बाद पुलिस तीनों अपहृत व्यक्तियों का पता लगाने में सफल हुई और उन्हें अपनी रक्षात्मक अभिरक्षा में ले लिया। उत्तर प्रदेश रोडवेज के तीन

कर्मचारियों की सुरक्षित रिहाई के प्रयोजनार्थ जिला प्रशासन द्वारा किया गया बल प्रयोग उचित प्रतीत होता है।

13. तथापि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा की गई जांच में उजागर हुआ कि गांव वालों द्वारा की गई गोलीबारी तथा पत्थरबाजी की घटना, जिसमें दो पुलिस कार्मिकों की मृत्यु हुई थी और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला न्यायाधीश सहित अधिसंख्य सिविल एवं पुलिस अधिकारी घायल हुए थे, के बाद पुलिसवाले गुस्से में आ गए और उन्होंने बंधक बनाकर रखे गए रोडवेज के तीन कर्मचारियों का पता लगाने और धरना स्थल के निकट लोगों की विधिविरुद्ध सभा को तितर–बितर करने के लिए ज्यादती करना शुरु कर दिया। घायल होने के बाद जिला न्यायाधीश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दोनों को उपचार के लिए ग्रेटर नौएडा के अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद, पुलिसकार्मिक नियंत्रण से बाहर हो गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश रोडवेज के तीन कार्मिकों का पता लगाने के लिए ग्रामीणों का गांव के भीतर तक पीछा किया, उन्होंने गांव वालों के घरों में बलपूर्वक प्रवेश किया और घरों में मौजूद पुरुषों एवं महिलाओं को बेदर्दी से पीटा, जिससे अधिसंख्य लोग घायल हुए। पुलिस वालों ने वृद्ध लोगों को भी नहीं छोड़ा। घरों में खोजबीन करने के दौरान पुलिस ने घरों में मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कुछेक महिलाओं का उत्पीड़न भी किया। पुलिस ने घरों का सामान, खाद्यान्न, टी0वी0, फ्रिज के साथ–साथ परिसरों में खड़ी मोटरसाईकिलों और चार पहिये वाले वाहनों को भी क्षति पहुंचाई। गुस्साए पुलिसवालों ने धरना स्थल के निकट बिटोरों (गोबर के उपलों का ढेर), बुग्गियों (बैलगाड़ी), बोंगा (चारा भंडार) को भी जला दिया और खुले मैदानों में खड़े ट्रेक्टरों एवं ट्रॉलियों को भी नष्ट किया। उन्होंने भट्टा गांव में दो घरों के एक भाग को भी जलाया। पुलिस ने दिनांक 8 मई, 2011 को एक बार फिर आरोपी व्यक्तियों, विशेषतः मनबीर तेवतिया तथा नीरज मलिक जो यहां रहते थे, की तलाश के दौरान पारसौल गांव में ज्यादती की, गांव वालों को बुरी तरह से पीटा, घर की वस्तुओं को नष्ट किया और महिलाओं के साथ बदसलूकी की।

14. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा की गई जांच–पड़ताल की तारीख तक पुलिस ने दिनांक 7 मई, 2011 की घटना में तथाकथित रुप से शामिल 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने गिरफ्तार किए गए 22 व्यक्तियों, जिन्हें डासना जेल, गाजियाबाद में रखा गया है, में से 21 व्यक्तियों के बयान रिकार्ड किए। गिरफ्तार किए गए अधिकांश व्यक्तियों ने कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने उनके खिलाफ आरोप तथा उनकी गिरफ्तारी के आधार सुनिश्चित करने के लिए, गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से केस डायरी की प्रतियां देने का अनुरोध किया किन्तु उन्होंने अनेको बार अनुरोध करने के बावजूद न्यायालय से आदेश प्राप्ति न होने का बहाना देते हुए केस डायरी की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराईं। पहली एफ0आई0आर0 (मामला सं. 175/11) दर्ज हो जाने के पांच घंटे बाद उसी घटना के संबंध में बिना किसी संगत स्पष्टीकरण के दूसरी एफ0आई0आर0 (मामला सं. 176/11) दर्ज करना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के समक्ष केस डायरी की प्रतियां उपलब्ध न कराने के साथ–साथ इस

एफ0आई0आर0 में गिरफ्तार किए गए 22 व्यक्तियों सहित 26 व्यक्तियों का नाम डालना – दिनांक 7 मई, 2011 को हुई घटना के संबंध में पंजीकृत मामलों में स्थानीय पुलिस पर लगाए गए अंधाधुंध गिरफ्तारी के आरोपों को बल प्रदान करता है।

15. जांच के दौरान तीन व्यक्तियों नामतः सुरेन्द्र पाल निवासी खद बरोली, बुलंदशहर (पिछले दो तीन सालों से पारसौल गांव में रह रहा था); अजीत सिंह दहलनिया निवासी पारसौल तथा कुंवर पाल निवासी पारसौल के संबंधियों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम को इनके गुमशुदा होने संबंधी बयान दिया। तथापि, पुलिस ने बताया कि वे जीवित हैं और अपने संबंधियों के साथ रह रह हैं। फिर भी, पुलिस द्वारा उनके वर्तमान पते के बारे में जांच करने और उनके ठिकाने की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

16. घटना के बाद स्थिति का नियंत्रण में रखने के लिए भट्टा गांव के बाहरी इलाके में पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की गई। पुलिस कार्मिक नियमित रुप से गांव मे पेट्रोलिंग कर रहे थे और घटना मे शामिल ग्रामीणों, मुख्यतः युवाओं का पता लगा रही थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा जांच की तारीख तक घटना के संबंध में पुलिस द्वारा 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गांव के अधिकतर युवा पुलिस गिरफ्तारी के डर से फरार हैं।

17. बड़ी संख्या में पुलिस की टुकड़ियों की तैनाती तथा उनकी नियमित आवाजाही, गांव वालों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए बैचेनी बढ़ा रही थी। हालांकि, गांव में खाने की कोई कमी नहीं थी लेकिन पुरुषों की अनुपस्थिति तथा घटना के बाद पुलिस वालों द्वारा बड़ी मात्रा में चारा जलाए जाने के बाद चारे की कमी कारण महिलाएं अपने पशुओं की उचित देखभाल करने में कठिनाईयों का सामना कर रही थीं।

18. जिला प्रशासन, गांव में सामान्य स्थिति को बहाल करने तथा फरार लोगों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा था। तथापि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा जब तक जांच की तब तक दिनांक 7 मई, 2011 को हुई पुलिस कार्रवाई में मारे गए या घायल हुए व्यक्ति या जिसके घर की वस्तुओं को नष्ट किया गया था, को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई थी।

4.104 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने अपनी खोज के आधार पर आयोग के विचारार्थ निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की :

(i) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा की गई पूछताछ से यह खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भट्टा और पारसौल गांवों की जमीनों को, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के 'तात्कालिक' प्रावधानों का प्रयोग करते हुए 'लोक हित' के लिए रु0 845 से रु0 880 प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिग्रहित किया था। अधिग्रहित भूमि का अधिकतम उपयोग यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखंडों के विकास हेतु किया गया था और निजी व्यक्तियों को 4750/–रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि बेची गई थी। खोजबीन से पता चला कि गांव वालों की इच्छा के विरुद्ध किया गया अधिग्रहण तथा अधिग्रहित भूमि के एवज में कम

मुआवजे का भुगतान इस विवाद का मुख्य कारण था। पूछताछ के दौरान अधिकांश गांव वालों ने अपनी भूमि वापिस पाने की इच्छा व्यक्त की। अतः उत्तर प्रदेश सरकार भट्टा, पारसौल तथा निकटवर्ती गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की पुनरीक्षा कर सकती है तथा भूस्वामियों को स्वीकार्य समाधान निकाल सकती है।

(ii) भट्टा तथा पारसौल गांव में तैनात पुलिस ने दिनांक 7 मई, 2011 तथा 8 मई, 2011 को अंधाधुंध पिटाई, घरों की वस्तुओं को नुकसान, आगजनी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न जैसी बहुत ज्यादतियां की और गांव वालों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। अतः कानून के संगत प्रावधानों के तहत दोषी पुलिस वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं और सी0बी0–सी0आई0डी0 को जांच सौंपी जा सकती है।

(iii) दिनांक 7 मई, 2011 तथा 8 मई, 2011 को पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के कारण भट्टा और पारसौल गांवों के अधिसंख्य ग्रामीणों को चोटे आईं तथा पुलिस की ज्यादतियों के कारण चल संपत्तियों का भी नुकसान हुआ। पीड़ितों को उन्हें पहुंचाई गई चोटों तथा संपत्ति के नुकसान के एवज में यथोचित मुआवजा दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(iv) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के दौरान तीन व्यक्तियों नामतः सुरेन्द्र पाल निवासी खद बरोली, बुलंदशहर (पिछले दो तीन सालों से पारसौल गांव में रह रहा था); अजीत सिंह दहलनिया निवासी पारसौल तथा कुंवर पाल निवासी पारसौल के गुमशुदा होने की बात सामने आई। उनके ठिकाने की पहचान तथा पुष्टि के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(v) दिनांक 7 मई, 2011 को हुई घटना के संबंध में दर्ज मामलों में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई अविवेकपूर्ण गिरफ्तारी संबंधी आरोपों को बल मिला है। इन मामलों (पुलिस स्टेशन दनकौर के अपराध मामला सं0 173/11, 175/11, 176/11, 177/11, 178/11, 179/11 तथा 180/11) की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सी0बी0–सी0आई0डी0 को जांच का कार्य सौंपा जाए।

4.105 अन्वेषण विभाग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 1 अगस्त, 2011 की कार्रवाई में निदेश दिया कि नौएडा के तीन गांवों में हुई घटनाओं के संबंध में किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले महानिदेशक (अन्वेषण) द्वारा की गई सिफारिशों सहित जांच रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार की टिप्पणियां जानने के लिए उसे उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाए।

4.106 इसके परिणामस्वरुप, विशेष सचिव, गृह (मानव अधिकार) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहते हुए एक रिपोर्ट अग्रेषित की कि मामले की जांच सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है तथा इनके द्वारा की गई छानबीन के आधार पर भावी कार्रवाई करना उचित होगा।

4.107 आयोग को अभी तक सी0बी0–सी0आई0डी0 की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

19. विद्रोह रोधी ऑपरेशन के दौरान झारखंड पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों द्वारा किया गया मानव अधिकारों का उल्लंघन
(मामला सं0 1206/34/18/2011)

4.108 आयोग को झारखंड मानव अधिकार मूवमेंट, रांची, झारखंड जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप का भी एक सदस्य है और योजना आयोग का परामर्शदाता भी है, के महासचिव ग्लैडसन डुंगडुंग से एक शिकायत प्राप्त हुई कि झारखंड पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों ने दिनांक 1 से 31 अगस्त, 2011 तक झारखंड के सरन्दा वन क्षेत्र में 'ऑपरेशन अनाकोंडा' नामक एक विद्रोह रोधी ऑपरेशन के दौरान मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों ने 20 गांव वालों को एक महीने के लिए अपने कब्जे में ले लिया था और इस दौरान गांव वालों को वन उत्पाद एकत्रित करने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। स्कूल बंद कर दिये गए तथा स्कूलों में मिड–डे मील का स्थगित कर दिया गया। बीस लोगों की मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई क्योंकि कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा गांव वाले निरंतर डर के कारण एक गांव से दूसरे गांव विस्थापित हो रहे थे। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि दो व्यक्तियों नामतः मंगल होनहांगा तथा सोमा गुरिया को सुरक्षा बलों ने मार गिराया तथा प्राईमरी स्कूल के एक अध्यापक सहित 33 बेगुनाह लोगों को नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त दिखाते हुए जाली मामलों में फंसाया गया।

4.109 आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया और अपनी दिनांक 15 सितम्बर, 2011 की कार्रवाई में अपने अन्वेषण विभाग की एक टीम को जांच पड़ताल करने के लिए उस क्षेत्र में जाने का निदेश दिया। आयोग ने शिकायत में मौजूद निम्नलिखित आरोपों की जांच पड़ताल करने के विशिष्ट निर्देश दिए:–

- 20 ग्रामीण जिनका नाम शिकायत में दिया गया है, को ''बलों ने एक महीने तक बंधक बनाकर रखा'', और गांव वालों को रात में माओवादियों ने तथा दिन में पुलिस वालों ने प्रताड़ित किया;
- थोलकाबाद, तिरिलपोसाई, बालिबा, बिटकिलसोय तथा करमपाद गांवों में सुरक्षा बलों ने खाद्यान्नों और फसलों को नष्ट किया और गांव वालों को वन उत्पाद एकत्रित नहीं करने दिया;
- इन पांच गांवों में स्कूलों को बंद कर दिया गया और एक महीने तक मिड–डे मील स्थगित कर दिया गया;
- थोलकाबाद, तिरिलपोसाई, बालिबा, समथा, कलियापोसी तथा झारबेडा के निवासी विशेषतः युवावर्ग सुरक्षा बलों के डर से विस्थापित हो गए थे;
- 30 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी;
- ऑपरेशन के दौरान मलेरिया और उपचार के अभाव से 20 मौतें हुईं, क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने गांव छोड़ने की इजाजत नहीं थी;
- सुरक्षा बलों ने दो गांव वालों नामतः मंगल होनहांगा तथा सोमा गुरिया को मार डाला था;
- तैंतीस बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, हालांकि उनका नक्सल गतिविधियों में लिप्त रहने संबंधी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ;

- गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में हरीश महतो भी था जो कि बालिबा प्राईमरी स्कूल में एक अध्यापक था;
- अर्द्ध सैनिक बलों ने बलिबा के पटोर गगराई की दुकान को भी अपने कब्जे में ले लिया और आरोप लगाया कि वो एक माओवादी था;
- जिसने भी विरोध करने की कोशिश की उसे माओवादी घोषित किया गया या माओवादियों का समर्थक बताया गया।

4.110 आयोग ने अपनी कार्रवाई में यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में 550 आदिवासियों को माओवादी बताकर उन्हें जान से मार देने तथा 4372 व्यक्तियों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यू ए पी ए); शस्त्र अधिनियम तथा दांडिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह सरंदा के जंगलों में सिर्फ 'ऑपरेशन अनाकोंडा' के दौरान मारे गए तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तक ही सीमित है या नहीं। इसलिए आयोग ने निदेश दिया कि अन्वेषण टीम मारे गए या गिरफतार किए गए व्यक्तियों के नाम तथा पते सहित एक स्पष्टीकरण और ब्यौरा एकत्रित करे।

4.111 इसके अतिरिक्त, आयोग ने निदेश दिया कि अन्वेषण टीम में केवल राज्य के प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि सिविल सोसाईटी के भी प्रतिनिधि भी होने चाहिए तथा शिकायतकर्ता को जांच के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, टीम को स्थानीय पत्रकार विशेषतः उशिनोर मजूमदार, जिसने ऑपरेशन को कवर किया था, द्वारा एकत्रित की गई जानकारी तथा विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहिए।

4.112 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुलिस उपमहानिरीक्षक के नेतृत्व में अन्वेषण प्रभाग की टीम ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच की तथा निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची :

(i) सर्वप्रथम, पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) ने 20 गांवों में एक महीने लंबा ऑपरेशन किया तथा बलों के आने पर कुछ गांव वालों ने डर के कारण अपना गांव छोड़ दिया लेकिन अधिकांश गांव वाले अपने गांव में ही रहे। शिकायत में पुलिस द्वारा गांव वालों को प्रताड़ित करने संबंधी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि बलिबा, थोलकाबाद, बिटकिलसोय तथा तिरलीपोसाई गांवों के कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्मिकों ने ऑपरेशन के दौरान उनकी पिटाई की और उनके बर्तनों को तोड़ा तथा अन्न की भिन्न–भिन्न किस्मों को एक साथ मिला दिया। पुलिस वालों ने एक घटना को छोड़कर जिसमें महिला को पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था, इन गांवों में किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। फसलों को नष्ट करने तथा गांव वालों को वन उत्पाद एकत्रित करने की इजाजत नहीं देने संबंधी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

(ii) दूसरा, ऑपरेशन के दौरान 112 व्यक्तियों को नक्सलवादी होने या नक्सलवादियों का समर्थक होने के शक में गिरफ्तार किया गया। इनमें से 79 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया जबकि 33 व्यक्तियों को जेल में भेज दिया गया। टीम को यह भी पता चला कि दिनांक 2 अगस्त, 2011 को गांव से उठाए गए पांच ग्रामीणों को दिनांक 12 अगस्त, 2011 को जेल भेजा गया। उन्हें गिरफ्तार करने तथा जेल में बंद करने के संबंध में कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और उन्हें 10 दिन तक अवैध रुप से बंदी बनाया गया था।

(iii) तीसरा, ऑपरेशन के कारण स्कूल बंद करने तथा एक महीने के मिड–डे मील स्थगित करने के आरोपों की भी पुष्टि नहीं हुई। थोलकाबाद गांव में कुछ वर्ष पहले नक्सलवादियों ने स्कूल की बिल्डिंग को नष्ट कर दिया था और ऑपरेशन के पहले से ही स्कूल में किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं हो रही थी। बलिबा गांव में, दिनांक 14 जुलाई, 2011 अर्थात 'ऑपरेशन अन्नाकोंडा' शुरु होने से पहले, स्कूल के एक अध्यापक हरीश महतो की गिरफ्तारी के कारण स्कूल की कार्यपद्धति प्रभावित हुई। चूंकि मिड–डे मील स्कीम अध्यापकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है इसलिए चार गांवों में स्कूलों में अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण यह योजना स्थगित रही।

(iv) चौथा, ऑपरेशन की अवधि के दौरान मलेरिया के कारण मारे गए 20 व्यक्तियों संबंधी आरोप भी सही साबित नहीं हुआ क्योंकि इन गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और स्वास्थ्य केन्द्र काफी दूरी पर स्थित हैं।

(v) पांचवा, मंगल होनहांगा को मारने संबंधी आरोप के संबंध में यह खुलासा हुआ कि उसकी मृत्यु जून, 2011 में हुई थी अर्थात ऑपरेशन से पहले और इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। सुरक्षा बलों ने इस बात को बार–बार दोहराया कि वह नक्सलवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान क्रॉस–फायरिंग में मारा गया था। मृतक मंगल होनहांगा के निकटमत संबंधी को मुआवजे के रुप में दो लाख रु0 की राशि का भुगतान किया गया।

(vi) छठा, जहां तक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा नागरिक सोमा गुरिया के मारे जाने का संबंध है, यह पाया गया कि दिनांक 20 अगस्त, 2011 को बलिबा के समीप एक स्थान पर जब पुलिस और नक्सलवादियों के बीच क्रॉस–फायरिंग हो रही थी उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था इसलिए मामले को दर्ज किया गया और सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

(vii) सातवां, गांव बलिबा में पटोर गगराई की दुकान हथियाने तथा उसकी किराने की दुकान से अन्न तथा अन्य वस्तुएं ले जाने संबंधी आरोप सत्यापित नहीं किए जा सके।

(viii) आठवां, शिकायत में 550 आदिवासियों को माओवादी समझकर मार देने तथा 4372 व्यक्तियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम के तहत तथा 17 को दांडिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत अभियोजित करने संबंधी दावे को सूचना उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका।

(ix) नौंवा, जिला प्रशासन ने सूचना तैयार की कि वर्ष 2002 से केवल दो नागरिकों नामतः सोमा गुरिया और मंगल होनहांगा की मृत्यु हुई तथा ऑपरेशन के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए 33 लोगो सहित कुल 159 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

4.113 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अन्वेषण टीम द्वारा की गई खोज पर विचार करते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 20 जनवरी, 2012 को हुई कार्रवाई में निम्नलिखित निदेश दिए :

(i) चायबासा के जिला न्यायाधीश से ऑपरेशन के दौरान ग्रामीणों को हुए नुकसान के संबंध में एक सामान्य मूल्यांकन सर्वेक्षण करने तथा उससे संबंधित रिपोर्ट को आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

(ii) चायबासा के जिला न्यायाधीश से थोलकाबाद, बिटकिलसोय, तिरिलपोसाई तथा बलिबा गांवों में स्कूलों की कार्यपद्धति तथा मिड–डे मील के प्रावधानों को तत्काल शुरु करने के लिए कहा जाए।

(iii) क्या पूछताछ के लिए गिरफ्तार या बंदी बनाए गए लोगों को कानून द्वारा अनुमेय सीमा से अधिक समय तक अवैध रुप से बंदी बनाया गया था, इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, झारखंड से जांच करने और संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

(iv) मुख्य सचिव, झारखंड सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं तथा लोक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की अन्य समाज कल्याण योजनाओं के लाभों को प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए।

(v) मुख्य सचिव, झारखंड सरकार से सोमा गुरिया तथा मंगल होनहांगा की मृत्यु के मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच तथा सी0बी0–सी0आई0डी0 जांच की प्रतियां छः सप्ताह के भीतर अग्रेषित करने के लिए कहा जाए।

(vi) आयोग की अन्वेषण टीम की रिपोर्ट की प्रति के साथ इन कार्रवाईयों की एक प्रति को शिकायकर्ता की टिप्पणियां, यदि कोई हैं तो, प्राप्त करने के लिए छः सप्ताह के अंदर–अंदर भेजा जाए।

4.114 आयोग को मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा जिला न्यायाधीश की रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। शिकायतकर्ता ने भी अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

20. मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में आर0पी0एफ0 के कांस्टेबलों द्वारा अप्राधिकृत पानी की बोतले बेचने वाले लड़के के साथ दुर्व्यवहार
(मामला सं0 6153/24/56/2011–पी एफ)

4.115 आयोग ने दिनांक 1 जनवरी, 2011 के हिन्दी दैनिक 'दैनिक जागरण', मुरादाबाद अंक में छपी 'फिर वर्दी की मार से मानवता शर्मसार' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट पर दिनांक 28 फरवरी, 2011 को स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को एक 12 वर्ष का लड़का जो पानी की बोतले बेचने के लिए अप्राधिकृत तरीके से मुरादाबाद के रेलवे प्लेटफार्म पर आ गया था, को रेलवे सुरक्षा बल (आर पी एफ) के कांस्टेबलों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। इस हंगामे में उसकी कमीज फट गई तथा शरीर से उतार दी गई। वह बेहोश भी हो गया। इसके बावजूद आर0पी0एफ0 के जवानों ने उसे दिसम्बर की कड़कड़ाती ठंड में प्लेटफार्म पर घसीटा।

4.116 आयोग के नोटिस के जवाब में डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल (आर एण्ड टी), रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। उनकी रिपोर्ट के अनुसार फरमान नामक वह लड़का मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहले से प्रयोग की गई बोतलों में पानी भर कर बेचता था तथा उसे रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत कई बार गिरफ्तार किया गया था। उसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और 1 जनवरी, 2011 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उसे बाल प्रेक्षण केन्द्र भेज दिया गया था।

4.117 रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आर0पी0एफ0 के कांस्टेबल राम नरेश तथा रविन्द्र सिंह को फरमान को क्रूर तरीके से गिरफ्तार करने का दोषी पाया गया और उनके खिलाफ जनरल रेलवे पुलिस स्टेशन, मुरादाबाद में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 के तहत अपराध सं0 240/2011 दर्ज किया गया। दोनों कांस्टेबलों ने दिनांक 5 फरवरी, 2011 को न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया और बाद में उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया। दोषी कांस्टेबलों के खिलाफ न्यायालय में भी एक चार्जशीट दायर की गई।

4.118 आयोग ने प्रेक्षण किया कि अग्रेषित रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई कि मास्टर फरमान के साथ आर0पी0एफ0 के पुलिसकर्मियों ने क्रूर व्यवहार किया था और उनकी यह क्रूरता अखबार में खबर के साथ दो फोटोग्राफ के रुप में दिखाई दिया था। अतः वह हर्जाने का हकदार था क्योंकि यह मामला पीड़ित के मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन का था। परिणामतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क) (प) के तहत सचिव, रेलवे मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा पीड़ित के लिए यथोचित मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.119 सी0एस0 रे, महानिदेशक, आर पी एफ (प्रशासन), रेलवे बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए सूचित किया कि आर0पी0एफ0 के दो दोषी कांस्टेबलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है तथा एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद की कोर्ट में उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी लंबित पड़ा है। किसी प्रकार के मुआवजे का विरोध करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि मुआवजा देने के स्थान पर किसी अच्छे शैक्षणिक/व्यावसायिक समाज/संस्थान को इस बच्चे को एक बेहतर नागरिक के रुप में बढ़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

4.120 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 23 जनवरी, 2012 को हुई कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि आर0पी0एफ0 के दोनों दोषी कांस्टेबलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किया जाना तथा न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा चलना, आयोग द्वारा की गई खोजबीन कि इस मामले में मास्टर फरमान के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया है, को और मजबूती प्रदान करता है। आयोग के विचार में पीड़ित लड़का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क) के तहत राहत का हकदार था और इसलिए आयोग ने मास्टर फरमान को 25000/–रु0 का मुआवजे का भुगतान करने के लिए सचिव, रेलवे मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से सिफारिश की। आयोग ने आगे यह निदेश दिया कि चूंकि पीड़ित लड़का अव्यस्क है इसलिए मुआवजे की राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर दिया जाए, जिसके लिए पीड़ित लड़का वयस्क होने पर हकदार हो जाएगा।

4.121 जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद को भी निदेश दिया गया कि वह आयोग को सूचित करें कि मास्टर फरमान का पुनर्वास किस प्रकार किया जा सकता है।

4.122 आयोग को रेलवे मंत्रालय की अनुपालन रिपोर्ट तथा जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद की प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

21. आगरा, उत्तर प्रदेश में विनय कुमार के साथ पुलिस द्वारा किया गया दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न (मामला सं0 13564/24/2002–2003)

4.123 आयोग को दिनांक 12 जुलाई, 2002 को विनय कुमार सुपुत्र डाल चन्द निवासी पश्चिम अर्जुन नगर, आगरा से एक शिकायत प्राप्त हुई। अपनी शिकायत में उसने कहा कि कुछ लोग एक उपनिरीक्षक तथा एक कांस्टेबल के साथ उसके घर आए और लक्ष्मण नामक उसके साले/बहनोई के बारे में पूछताछ की। जवाब में उसने सूचित किया कि लक्ष्मण दिनांक 16 मई, 2002 को उसके घर आया था और एक रात रुक कर दिनांक 17 मई, 2002 की सुबह यह कहकर चला गया कि वो केरल जा रहा है। पुलिस पार्टी ने विनय की बात पर विश्वास नहीं किया और उसके साथ इतनी बर्बरता से पेश आई कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। दिनांक 8 जून, 2002 को आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात मेडिकल ऑफिसर द्वारा चिकित्सीय जांच करने पर उसके शरीर पर दो चोट के निशान पाए गए। एक्स–रे जांच के बाद पता चला कि उसकी कलाई और उंगलियों के बीच की तीसरी हड्डी टूट गई थी। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से संपर्क करना चाहा लेकिन पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अंततः उसने आयोग के हस्तक्षेप का सहारा लिया।

4.124 आयोग ने आगरा पुलिस की रिपोर्ट तथा उस पर शिकायतकर्ता की टिप्पणियां तथा रिकार्ड पर पड़ी अन्य सामग्री पर विचार करने के बाद दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करने के संबंध में विचार करने के लिए आगरा पुलिस को निदेश दिया।

4.125 इसके जवाब में अपर पुलिस अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी (मानव अधिकार), आगरा ने सूचित किया कि निर्देशों के अनुसार भूदेव शर्मा तथा अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147/342/325/323 के तहत एक मामला अपराध सं0 421/07 दर्ज किया गया। भावी निर्देशों के अनुसरण में आयोग को दिनांक 18 जून, 2008 को अपर पुलिस अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी (मानव अधिकार), आगरा से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने सूचित किया कि सर्किल आफिसर, लोहामंडी, आगरा ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 342, 325 तथा 323 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दर्ज कराए गए आपराधिक मामला सं0 421/07 के संबंध में अपनी रिपोर्ट अग्रेषित की। इसके अनुसार, साक्ष्यों के अभाव में दिनांक 28 मार्च, 2008 को न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दायर की और मामला बंद कर दिया।

4.126 आयोग ने मामले पर विचार करते हुए प्रेक्षण किया कि रिकार्ड से यह स्पष्ट था कि शिकायतकर्ता विनय कुमार को पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के कारण चोटे आईं और उसके हाथ की हड्डी टूट गई। एक्स–रे रिपोर्ट ने यह भी दर्शाया उसके सीधे हाथ की कलाई और उंगलियों के बीच की तीसरी हड्डी टूटी हुई थी। इस घटना के संबंध में आयोग की दिनांक 29 मई, 2007 को हुई कार्रवाई में दिए गए निर्देशों के तहत पुलिस स्टेशन, जिला शाहगंज, आगरा में एफ0आई0आर0 दर्ज की गई जो एफ0आई0आर0 में नामित व्यक्तियों के खिलाफ धारा 147/342/325/323 के तहत अपराध मामला सं0 421/07 के रुप में दर्ज थी तथा अन्वेषण के बाद जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अंतिम रिपोर्ट की प्रति तथा शिकायतकर्ता विनय कुमार तथा आरोपी भूदेव शर्मा के बयानों की प्रतियां रिकार्ड पर थीं। हालांकि जांच अधिकारी ने मामले की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर

दी थी लेकिन पुलिस कार्मिकों द्वारा शिकायतकर्ता विनय कुमार को पहुंचाई गई चोटों – जिसके कारण उसके दाहिने हाथ की हड्डी टूटी थी जो कि रिकार्ड में रखे एक्स–रे रिपोर्ट से स्पष्ट है – के बारे में कुछ नहीं कहा गया। शिकायतकर्ता को पुलिस के अत्याचारों के कारण चोटे आईं और वह चोट एवं फ्रैक्चर के कारण 11 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। यह स्पष्ट रुप से पीड़ित के मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन का मामला है।

4.127 इन परिस्थितियों में आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि पीड़ित शिकायतकर्ता विनय कुमार को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। इसके जवाब में पुलिस अधीक्षक, आगरा ने सूचित किया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला सं0 421/07 दर्ज किया गया था लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि पीड़ित विनय कुमार की पिटाई पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई थी और अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। इन परिस्थितियों में मौद्रिक राहत देना उचित नहीं था। तथापि, यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई निर्णय लिया जाता तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोई आपत्ति नहीं थी।

4.128 आयोग ने उत्तर पर विचार किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को नोटिस जारी किया और कहा गया कि वो आयोग को इस बात से अवगत कराएं कि क्या अपराध मामला सं0 421/07 में न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है या नहीं। यदि नही ंतो मामले की स्थिति के बारे में आयोग को सूचित करें। मामले पर विचार करते हुए आयोग ने दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को प्रेक्षण किया कि पुलिस उपमहानिदेशक, जिला आगरा का दिनांक 26 मार्च, 2011 का पत्र प्राप्त हो गया है। पत्र के अवलोकन के बाद उजागर हुआ कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 को पारित किए गए आदेशों के अनुसार अपराध मामला सं0 421/07 में दायर की गई अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है तथा न्यायालय ने मामले में भावी जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। चूंकि पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया इसलिए आयोग ने महसूस किया कि पीड़ित विनय कुमार को मौद्रिक राहत दिया जाना उचित है। अतः आयोग ने पीड़ित को 25000/–रु0 (पच्चीस हजार रु0) की मौद्रिक राहत के भुगतान की सिफारिश की। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भुगतान का साक्ष्य प्रेषित करने का निदेश दिया।

4.129 आयोग ने दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को मामले पर विचार किया और प्रेक्षण किया कि विशेष सचिव, गृह (मानव अधिकार) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के पत्र के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। यह सूचित किया गया था कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए शिकायतकर्ता विनय कुमार सुपुत्र डाल चन्द्र को दिनांक 8 सितम्बर, 2011 को 25000/–रु0 (पच्चीस हजार रु0 केवल) की राशि का भुगतान किया गया था। भुगतान का साक्ष्य भी प्राप्त हो गया था।

4.130 चूंकि आयोग की तरफ से किसी प्रकार की भावी कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी इसलिए आयोग ने मामले को बंद करने का निदेश दिया।

22. पुलिस द्वारा उपेन्द्र सिंह को जाली मामले में फंसाना तथा बिहार में उसके पुत्र की एफ0आई0आर0 दर्ज करने से मना करना
(मामला सं0 3637/4/2002–2003)

4.131 आयोग को जमूई, बिहार के एक अधिवक्ता राम किशन सिंह से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि दीपक कुमार का दिनांक 14 अक्टूबर, 2002 को विजय कुमार, शंभुशरण सिंह तथा अन्य द्वारा अपहरण कर लिया गया था लेकिन पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया। यह आरोप भी लगाया गया कि पुलिस स्टेशन नवादा की पुलिस ने दीपक के पिता उपेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364क, 120ख के तहत एफ0आई0आर0 सं0 209/2002 में उसके खिलाफ जाली मामला दर्ज किया। मामले की जांच करने तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने संबंधी अनुरोध किया गया।

4.132 पुलिस अधीक्षक, नवादा से प्राप्त हुई शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि दीपक कुमार उर्फ दीपू एक कुख्यात अपराधी था जो अपहरण, हत्या तथा अन्य अपराधों में शामिल था। विजय कुमार की शिकायत तथा उसके संबंध में की गई जांच के आधार पर दीपक कुमार, उसके पिता उपेन्द्र सिंह तथा अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। यह भी सूचित किया गया कि दीपक उर्फ दीपू अपने एक अन्य सहयोगी के साथ वसूली करने के दौरान जिला नालंदा में हुई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। तथापि, यह नोटिस किया गया कि पुलिस मुठभेड़ में दीपक कुमार की मृत्यु संबंधी सूचना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को नहीं दी गई थी।

4.133 आयोग ने दिनांक 11 मार्च, 2004 को हुई अपनी कार्रवाई में पुलिस महानिदेशक, बिहार को यह सूचित करने का निदेश दिया कि क्या मुठभेड़ में होने वाली मौतों की जांच के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का इस मामले में अनुपालन किया गया था। आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में सी0बी0–सी0आई0डी0 के जांच अधिकारियों ने दीपक की मुठभेड़ में हुई मौत के संबंध में पुलिस स्टेशन राहूई, नालंदा में भारतीय दंड संहिता की धारा 395/412/307/533 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला सं0 54/2003 की जांच की अनुमति के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 2008 को न्यायालय से अनुरोध किया। पुनःजांच ने इस मामले में जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांक 5 फरवरी, 2004 की अंतिम रिपोर्ट सं0 16/04 का समर्थन किया।

4.134 आयोग के भावी निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक, सी0बी0–सी0आई0डी0 दिनांक 30 जून, 2011 को आयोग के सामने उपस्थित हुए तथा दीपक उर्फ दीपू की मृत्यु के संबंध में दर्ज मामले से संबंधित फाईलों को प्रस्तुत किया। बाद मे आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग को मामलों की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.135 अन्वेषण प्रभाग द्वारा रिकार्ड पर रखी सामग्री का मूल्यांकन करने पर यह उजागर हुआ कि दो आरोपियों अर्थात दीपक कुमार उर्फ दीपू तथा नरेश कुमार की दिनदहाड़े मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी। लगभग 7–8 असामाजिक तत्वों, जिन्होंने बृज नन्दन प्रसाद का अपहरण किया था, पर फिरौती की रकम लेते समय जाल बिछाया गया था। चुनौती देने पर उन्होंने गोलियां चलाईं और पुलिस द्वारा 12 राउंड गोलियां चलाई गई जिसके कारण दो अपराधियों की मृत्यु हो गई। बाद में उनकी पहचान दीपक कुमार उर्फ दीपू तथा नरेश कुमार के रुप में हुई। घटनास्थल से फिरौती की रकम तथा शस्त्र आदि बरामद हुए।

4.136 फॉरेन्सिक लेबोरेटरी, पटना की रिपोर्ट के अनुसार दोनों मृतक अपराधियों को पाउडर रेंज (अर्थात 5 फीट) के अंदर चलाई गई गोली के कारण चोटे आईं। दिनांक 14 सितम्बर, 2010 की केस डायरी सं0 49 तथा मुठभेड़ के स्कैच मैप के अनुसार पुलिस और अपराधियों के बीच लगभग 40 फीट की दूरी थी। कुछ अन्य असंगतियों के साथ–साथ इस विरोधाभास ने पुलिस के मुठभेड़ वाले वर्णन को झूठा साबित किया और अन्वेषण टीम इस निर्णय पर पहुंची कि वह मुठभेड़ जाली थी।

4.137 रिकार्ड पर रखी सामग्री और टीम द्वारा की गई खोजबीन पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 25 अगस्त, 2011 को हुई कार्रवाई के माध्यम से बिहार सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक दीपक और नरेश के निकट संबंधियों को मौद्रिक राहत क्यों नहीं दी जाए।

4.138 राज्य सरकार ने मृतक दीपक तथा नरेश के निकट संबंधियों को मौद्रिक राहत प्रदान किए जाने का विरोध किया और कहा कि मुठभेड़ सच्ची थी।

4.139 राज्य सरकार को दिए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब के आधार पर आयोग ने प्रेक्षण किया कि राज्य के वर्णन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य, इससे उभर कर सामने आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करने में असफल रहा। नरेश कुमार तथा दीपक कुमार जिन्हें चोटें आई थीं, को बहुत ही नजदीक से गोली मारी गई थी। फॉरेन्सिक साईंस लेबोरेटरी, बिहार के विशेषज्ञों ने इंगित किया कि दो पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्टों में काले निशान के साथ पाई गई चोट 5 फीट की दूरी से चलाई गई बंदूक की गोली के थे तथा अन्य चोट (काले निशान नहीं) 5 फीट की दूरी से चलाई गई गोली के कारण हो सकते हैं। अतः विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक तरीके का सहारा लिया और जहां तक काले निशान का प्रश्न है, राज्य के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। शुरुआती स्तर की कहानी के साथ–साथ मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट किसी भी सूरत में यह खुलासा नहीं करती कि गोली काफी नजदीक से चलाई गई थी। इसके अतिरिक्त, न तो गोली चलने के बाद के अवशेष और न ही कोई उंगलियों के निशान आदि लिए गए। यहां तक कि चलाई गई प्रत्येक गोली का परिणाम, राज्य द्वारा बताया गया। यह बहुत ही अचंभे वाली बात है कि पुलिस बल की मौजूदगी में अन्य लोग बिना किसी प्रकार की चोट लगे बच गए और फरार भी हो गए। पुलिस के वर्णन के अनुसार जब गोलीबारी हुई तो दूरी लगभग 40 फीट की थी।

4.140 इसलिए आयोग ने बिहार सरकार से दोनों मृतकों नामतः दीपक तथा नरेश के निकट संबंधियों को पांच लाख रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की और मुख्य सचिव को भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.141 मामले में अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

घ) पुलिस गोलीबारी तथा मुठभेड़ में मृत्यु

23. देहरादून, उत्तरांचल में एक जाली पुलिस मुठभेड़ में रणवीर सिंह की मृत्यु
(मामला सं0 482/35/5/09–10–ए एफ ई–एफ सी)

4.142 आयोग ने 'मेल टुडे' में 'कॉप्स (सी ओ पी एस) शॉट हिम इन कोल्ड ब्लड' शीर्षक के तहत प्रकाशित एक खबर पर दिनांक 6 जुलाई, 2009 को स्वयं संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार एक युवा एम0बी0ए0 स्नातक रणवीर सिंह को उत्तराखंड पुलिस ने दिनांक 3 जुलाई, 2009 को रायपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र, जिला देहरादून में बुरी तरह से पीटा और फिर गोली मार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। यह भी रिपोर्ट किया गया कि पुलिस ने इस हत्या को यह कहकर छिपाने की कोशिश की कि पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास करने वाले रणवीर सिंह को क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली लगी थी और वह मारा गया।

4.143 राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया कि उसने घटना की जांच की जिम्मेदारी सी.बी.–सी.आई.डी. को सौंप दी है। तथापि, आयोग ने मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए महसूस किया कि मामले की जांच

सी0बी0आई0 द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसे मामलों की जांच करने में महारत हासिल है। इसलिए आयोग ने भारत सरकार से सी0बी0आई0 की सेवाओं के लिए अनुरोध किया और सी0बी0आई0 जांच के लिए अपनी सहमति प्रेषित कर दी।

4.144 तथापि, सी0बी0आई0 की जांच से पता चला कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए मुठभेड़ की कहानी बनाई है। जांच एजेंसी ने इस घटना में शामिल सात अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की। सी0बी0आई0 की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि पीड़ित के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.145 चूंकि राज्य सरकार को मौद्रिक राहत देने पर कोई आपत्ति नहीं थी इसलिए आयोग ने उत्तराखंड सरकार से रणवीर सिंह के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत के रुप में 5 लाख रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.146 चूंकि भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी इसलिए मामले को दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को बंद कर दिया गया।

24. तुरा, मेघालय में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध उल्फा कैडर की मृत्यु (मामला सं0 34/15/5/2010–ई डी– एफ सी)

4.147 आयोग को दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 को उप–आयुक्त, पश्चिम गारो हिल्स, तुरा, मेघालय से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को सलबारीपारा में जिला पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में एक संदिग्ध उल्फा कैडर की मौत हो गई थी।

4.148 आयोग ने विभिन्न रिपोर्ट मंगवाईं तथा उसे विभिन्न रिपोर्ट प्राप्त हुई जैसे कि तहकीकात रिपोर्ट, पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आदि।

4.149 आयोग ने सुनील बिस्वास के घर में उल्फा आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध पुलिस द्वारा दिए गए वर्णन पर विचार किया जिसके कारण पुलिस को गांव पर छापा मारना पड़ा और जिसके परिणामस्वरुप आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरु कर दी और पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसकी पहचान सादोन कोच के रुप में हुई। घटनाओं के क्रम से यह स्पष्ट नहीं था कि पुलिस ने सुनील बिस्वास के घर की पहचान कैसे की और फिर घर में रहने वालों ने पुलिस को आते हुए कैसे देख लिया। जिस तरह से घटना को बताया गया है उससे पुलिस वालो द्वारा दिए गए भिन्न बयानों में, सामना किए गए आदमियों की संख्या तथा बरामद किए गए शस्त्र एवं गोलाबारुद की संख्या के बारे में विरोधाभास सामने आया।

4.150 आयोग ने मजिस्ट्रेट द्वारा रिकार्ड किए गए विभिन्न बयानों पर विचार करने के बाद निर्णय दिया कि सादोन कोच बिलकुल अकेला था और उसने पुलिस पर कोई गोली नहीं चलाई थी। आयोग ने यह भी नोट किया कि पूरी आपराधिक जांच के दौरान कोई भी मानक परीक्षण नहीं कराया गया। उदाहरण के लिए :

(i) यह सिद्ध करने के लिए कि बंदूक चालू हालत में थी या नहीं, बंदूक या कारतूस पर किसी प्रकार का बैलिस्टिक टेस्ट नहीं किया गया ताकि पता चले कि उससे हाल ही में गोली चली है या नहीं या बरामद किया गया कारतूस इसी बंदूक से चलाया गया है या नहीं;

(ii) देसी बंदूक पर पाए गए उंगलियों के निशान, सादोन कोच के उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते और यह सिद्ध नहीं हुआ कि उसने इसे चलाया था;

(iii) गोली चलाने के बाद उसे अवशिष्ट के संबंध में उसकी उंगलियों से न तो कोई फाहा लिया गया और न ही कोई परीक्षण किया गया, इसलिए ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि उसने ही बंदूक से गोली चलाई।

4.151 पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में बताई गई चोटों पर विचार करते हुए आयोग ने पाया कि मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है जिसके संबंध में राज्य द्वारा हानिपूर्ति की जानी चाहिए और पीड़ित के निकटम संबंधी को राहत प्रदान की जानी चाहिए।

4.152 अतः आयोग ने मेघालय सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि पीड़ित के निकटतम संबंधी अर्थात उसके दो बच्चे, जो उसकी मौत के बाद पिता के साये से महरुम हो गए हैं, को राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.153 कारण बताओ ंनोटिस की प्रतिक्रिया में राज्य सरकार के जवाब पर, रिकार्ड पर रखी सामग्री के संदर्भ में विचार किया गया। आयोग ने मेघालय सरकार द्वारा रखे गए कारणों की जांच की, लेकिन आयोग यह कहने पर मजबूर हो गया कि यह तर्कसंगत नहीं है। आयोग इस बात पर कायम रहा कि सादोन कोच की हत्या, मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन था जिसके एवज में ममूनी बिस्वास से हुए उसके बच्चों को हानिपूर्ति की जानी चाहिए, आयेाग ने सिफारिश की कि ममूनी बिस्वास और स्व0 सादोन कोच के लड़के और लड़की को 5 लाख रु0 का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि वे अवयस्क थे इसलिए पैसे को उनके नाम से दो सावधि जमा खातों, जो उनकी मां द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे, में जमा करने के निदेश दिए गए।

4.154 मेघालय सरकार से भुगतान का साक्ष्य तथा अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

25. पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के साथ एक कथित मुठभेड़ के दौरान हुई अली हुसैन मंडल की मृत्यु
(मामला सं0 837/25/15/07–08–पी एफ–एफ सी)

4.155 आयोग को दिनांक 24 नवम्बर, 2007 को कीर्ति रॉय, स्टेट डायरेक्टर, एन0पी0पी0टी0आई0 तथा मानव अधिकार सुरक्षा मंच, हावड़ा, पश्चिम बंगाल से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि अली हुसैन मंडल सुपुत्र बाबर अली मंडल निवासी तरनीपुर गांव, पुलिस स्टेशन स्वरुप नगर, 24 परगना उत्तरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 18 मई, 2007 को सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा बिना किसी गलती के गोली मार दी गई और बाद में पीड़ित की मृत्यु हो गई।

4.156 सीमा सुरक्षा बल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मुठभेड़ के दौरान उन्होंने एक अन्य तस्कर कबीर गाजी को गिरफतार किया था जिसने बाद में मृतक की शिनाख्त की थी। तथापि, स्थानीय पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट में ऐसी किसी गिरफ्तारी का कोई संदर्भ नहीं था।

4.157 अतः आयोग ने पुलिस अधीक्षक, 24 परगना उत्तरी से कबीर गाजी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

4.158 आयोग ने प्रेक्षण किया कि सीमा सुरक्षा बल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि रात 11:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की चार जवानों की एक पिकेट का एक सदस्य जयपाल सिंह पुल के नीचे तैनात था और उसने 10—12 तस्करों को कुछ पशुओं सहित इचामती नदी पार करने की कोशिश करते हुए देखा। उसने उन्हें चुनौती दी लेकिन उन्होंने जयपाल सिंह पर लाठी और दाह से हमला किया। उनमें से दो लोगों ने जयपाल को पानी में घसीट लिया और दाह से हमला किया। कांस्टेबल ने अपनी राईफल को बीच में लाकर अपने आप को दाह के हमलों से बचाया, राईफल पर दो जगह चोट भी आई। वह ''किसी प्रकार पानी से बाहर आया''। तथापि, अपनी जान को खतरे में देखकर और अपने व्यक्तिगत हथियार को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए तस्करों पर दो राउंड गोलियां चलाईं। कांस्टेबल भूपेंदर सिंह भी वहां आ गया और उसने भी दो राउंड गोलियां चलाईं। तस्कर किसी प्रकार भागने में कामयाब हो गए। जब क्षेत्र की खोजबीन की गई तो उन्हें कुछ पशुओं के साथ एक शव मिला और उन्होंने एक अन्य तस्कर कबीर गाजी को पकड़ा जिसने मृतक की शिनाख्त अली हुसैन मंडल के रुप में की।

4.159 आयोग ने दूसरी ओर यह पाया कि पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि कबीर गाजी को स्व0 अली हुसैन मंडल के संबंध में दर्ज मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि जिस घटना में अली हुसैन मंडल की मौत हुई थी, पुलिस ने उस घटना को ''शाम 6:18 तथा 6:23 बजे के बीच'' बताया था जबकि सीमा सुरक्षा बल के दावे के अनुसार यह घटना रात 11:30 बजे हुई थी। दिनांक 19 मई की सुबह सीमा सुरक्षा बल के दो जवानों ने कबीर गाजी को एक लिखित शिकायत के साथ सुपुर्द किया कि उसे रात लगभग 11:30 बजे बिना किसी वैध वीजा एवं पासपोर्ट के सीमा पार करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया।

4.160 सीमा सुरक्षा बल के बयानों से बनी परिस्थिति तथा पुलिस द्वारा की गई जांच बताती है कि कांस्टेबलों द्वारा दिया गया वर्णन झूठा था और इसमें सच को छिपाने के लिए कई और प्रयास किए गए। अतः आयोग ने पाया कि हो सकता है कि अली हुसैन मंडल को सीमा सुरक्षा बल की पेट्रोल पार्टी द्वारा मारा गया हो। मानव अधिकारों के इस प्रकार के घोर उल्लंघन के लिए आयोग ने सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि स्व0 अली हुसैन मंडल के निकटम संबंधी को राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.161 कारण बताओ नोटिस की प्रतिक्रियास्वरुप गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जवाब पर रिकार्ड पर रखे गई सामग्री के आलोक में आयोग द्वारा विचार किया गया। आयोग ने प्रेक्षण किया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि अली हुसैन मंडल एक पशु तस्कर था, तो भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल का यह दावा कि उसे घेर लिया गया था और 12 सशस्त्र आदमियों द्वारा उस पर हमला किया गया था, झूठा था। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट था कि अली हुसैन मंडल के पास कोई हथियार नहीं थे और कांस्टेबल जयपाल सिंह को उस समय कोई खतरा नहीं था जब उसने अली हुसैन मंडल पर गोली चलाई थी।

4.162 आयोग, अंत में इस निष्कर्ष पर पहुचा कि अली हुसैन मंडल को सीमा सुरक्षा बल पेट्रोल द्वारा मारा गया था, यह हत्या अपने प्राणों को बचाने के अधिकार का प्रयोग करते हुए नही की गई थी बल्कि यह एक गैर–कानूनी कार्रवाई थी। यह मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन था।

4.163 तदनुसार, आयोग ने मृतक के निकटतम संबंधी को राहत के रुप में 5 लाख रु0 का भुगतान करने के लिए गृह मंत्रालय से सिफारिश की। चूंकि इस मामले में गृह मंत्रालय से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी इसलिए आयोग द्वारा मामले को बंद कर दिया गया।

26. दिल्ली पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान हुई यशवीर सिंह की मृत्यु
(मामला सं0 4441/30/2006–2007–एफ सी)

4.164 आयोग को दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 को पुलिस संयुक्त आयुक्त, दिल्ली से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 को हुई एक पुलिस मुठभेड़ में यशवीर सिंह उर्फ फौजी के मारे जाने का जिक्र था।

4.165 एफ0आई0आर0, अंतिम रिपोर्ट, डैथ रिपोर्ट, फॉरेन्सिक लेबोरेटरी रिपोर्ट, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के साथ–साथ इस तथ्य कि कोई मजिस्ट्रेट जांच नहीं की गई, पर विचार करने के बाद आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 14(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया। परिणामतः आयोग ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सी0बी0आई0 को सौंपी जाए। तदनुसार, सी0बी0आई0 ने जांच–पड़ताल की और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4.166 सी0बी0आई0 रिपोर्ट की खोज के विचारण को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को सुनवाई का एक अवसर उपलब्ध कराया।

4.167 उपनिरीक्षक द्वारा दिए गए हथियार के विवरण सहित पुलिस द्वारा रिकार्ड किए गए समय तथा अस्पताल में डॉक्टर द्वारा रिकार्ड किए गए समय के संबंध में पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा जवाब दिया गया। यह भी कहा गया कि बैलिस्टिक रिपोर्ट स्पष्ट रुप से दर्शाती है कि पीड़ित के पास से बरामद हुआ कथित हथियार का प्रयोग उसी के द्वारा किया गया था और कारतूस उसी हथियार से चलाया गया था।

4.168 सी0बी0आई0 ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया कि बार बार अनुरोध करने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने संगत रिकार्ड का एक भाग ही अर्थात पुलिस फाईलें, डेली डायरी, जनरल डायरी तथा लॉग बुक्स जैसे आपराधिक रिकार्ड ही उपलब्ध कराया। जांच पड़ताल, आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों तथा दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों, मृतक की पत्नी द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछेक दस्तावेजों तथा शिकायत संबंधी मामला जो कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में लंबित पड़ा है के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई कई फोटो कॉपियों पर आधारित थी। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस को अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण देने और आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा मामले से संबंधित अन्य तथ्यों के संबंध में भी स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। जांच पड़ताल के दौरान चौंतीस अधिकारियों से पूछताछ की गई थी।

4.169 सी0बी0आई0 ने शस्त्र तथा गोलीबारुद की जांच के संबंध में फोरेन्सिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट और मृतक को लगी चोटों की प्रकृति के साथ–साथ गवाहों के बयानों पर विचार किया। यह पाया गया कि अपराधी की गिरफतारी का उद्देश्य अपराधी को अशक्त करना नहीं था बल्कि उसकी छाती पर गोली मार कर उसकी हत्या करना था।

4.170 सी0बी0आई0 ने यह भी रिकार्ड किया कि मृतक व्यक्ति दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 की सुबह अपने दोस्त योगेश और नवनीत के साथ था। तथापि, जब नवनीत को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल के अधिकारी अलग ले गए तो यह मान लेना तर्कसंगत था कि दिल्ली पुलिस सोच विचार करके केवल एक अपराधी को चुनने के बजाय एक ही जगह पर मौजूद सभी अपराधियों को अपने साथ ले जाएगी। सी0बी0आई0 इस निर्णय पर पहुंची कि पीड़ित व्यक्ति दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 तक पुलिस की अभिरक्षा में रहा और उसे 20 दिसम्बर 2006 की रात को हुई मुठभेड़ में मार गिराया दिखाया गया।

4.171 दिनांक 1 सितम्बर, 2011 को मामले पर विचार करते हुए आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से उनके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक यशवीर सिंह उर्फ फौजी के निकटतम संबंधी को छः सप्ताह की अवधि के अंदर मौद्रिक राहत के रुप में 5 लाख रु0 का भुगतान करने की सिफारिश की।

27. जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में एक कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई दो व्यक्तियों की मृत्यु (मामला सं0 32646/24/53/2010/ए डी)

4.172 आयोग को दिनांक 25 अक्टूबर, 2010 को जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुए एक कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई दो आदमियों अर्थात शेषनाथ चौहान तथा राज श्रीवास्तव की मौत के बारे में सूचना मिली। मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग ने अपनी अन्वेषण प्रभाग की टीम को एक स्थल निरीक्षण करने का निदेश दिया।.

4.173 टीम को यह पता चला कि पुलिस के वर्णन में बहुत सी असंगतियां थीं। हालांकि पुलिस मृतकों की पहचान से वाकिफ थी फिर भी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शेषनाथ चौहान के चचेरे भाई से शव की शिनाख्त करवाई थी। तथापि, सर्किल आफिसर की रिपोर्ट से यह पता चला कि पुलिस मृतक की पहचान से पूरी तरह वाकिफ थी फिर भी उसने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सूचित नहीं किया। अतः शेषनाथ चौहान की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में शव को लावारिस बताया गया। यह साफ था कि पुलिस, शेषनाथ को पहले से जानती थी लेकिन उन्होंने इस तथ्य को छिपाने के लिए कि शेषनाथ उनकी अभिरक्षा में था, डॉक्टरों से उसकी पहचान छिपाई। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जिस मुठभेड़ में दो अपराधियों को गोली मारी गई थी, जाली थी।

4.174 तथाकथित मुठभेड़ में शामिल पुलिस कार्मिकों के बयान यह दर्शाते हैं तथाकथित मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधी पुलिस के मुकाबले उंची जगह पर थे और बैठे रह कर पुलिस पर गोली चला रहे थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दो व्यक्तियों की ओर उपर की तरफ गोलियां चलाई। तथापि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दर्शाया कि शेषनाथ की दाहिनी आंख तथा दाहिनी छाती पर लगी गोलियां क्षैतिज सतह पर थीं।

4.175 आयोग को यह सूचना भी दी गई थी कि मारे गए दोनों व्यक्ति अपराधी थे और उनका अपराध गंभीर प्रकृति का था और पकड़े जाने पर पुरस्कार मिलना था। तथापि, यह पता चला कि पुरस्कार की घोषणा उसी दिन की गई थी जिस दिन दोनों को मारा गया था तथा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं मिला जो पुष्टि करता हो कि मृतक व्यक्ति दुर्दांत अपराधी थे।

4.176 अन्वेषण टीम की रिपोर्ट तथा रिकार्ड पर रखी सामग्री पर विचार करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दो व्यक्तियों का पुलिस ने अपहरण किया और उन्हें गैर कानूनी तरीके से मार दिया। तदनुसार, उत्तर

प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि मृतकों के निकटमत संबंधितयों को राहत क्यों नहीं प्रदान की जाए। चूंकि यह आरोप लगाया गया था कि दो आरोपियों के शवों को उनके परिवारों को सौंपा नहीं गया था इसलिए राज्य सरकार से कहा गया कि वो इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि मृतकों के परिवारों को अंतिम संस्कार करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया और यह मानव अधिकारों का एक उल्लंघन था। अनेक बार याद दिलाने के बावजूद भी राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। परिणामतः आयोग ने अपनी दिनांक 1 मार्च, 2012 की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार से दोनों मृतकों अर्थात शेषनाथ चौहान और राज श्रीवास्तव, के निकटमत संबंधियों को 5 लाख रु0 प्रत्येक को देने की सिफारिश की।

4.177 अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का साक्ष्य अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।

28. बूखारवार के निकट, पुलिस स्टेशन नयागांव, सतना, मध्य प्रदेश में हुई एक पुलिस मुठभेड़ में हुई तीन डकैतों की मौत
(मामला सं0 1245/12/2005–2006/ई डी)

4.178 आयोग को दिनांक 29 सितम्बर, 2005 को बुखारवार के निकट पुलिस स्टेशन नयागांव, सतना, मध्य प्रदेश में हुई एक पुलिस मुठभेड़ में गैंग के नेता गुड्डा उर्फ मैयादीन पटेल सहित हुई तीन डकैतों की मौत के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई।

4.179 आयोग, पुलिस रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इन रिपोर्टों के निष्कर्ष से सहमत नहीं हुआ और उसने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2010 की कार्रवाई में सी0बी0–सी0आई0डी0 मध्य प्रदेश को मामले की जांच–पड़ताल करने का निदेश दिया। यह जांच पड़ताल इस प्रेक्षण पर करवायी जानी अपेक्षित थी कि सभी शवों पर मिले गोली के घुसने के निशान काले थे जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी। इसके अलावा एक डकैत के सिर पर किसी धारदार हथियार से लगी चोट दर्शाती थी कि गोली के अलावा अन्य हथियारों का प्रयोग भी किया गया था और कुल मिलाकर किए गए 250 राउंड गोलीबारी में से केवल तीन अपराधी ही मारे गए तथा तीस से अधिक अपराधी दिन के उजाले में भागने में कामयाब रहे, जबकि पुलिस ने उस स्थान की तीन जगह से घेराबंदी कर रखी थी। इसके अलावा, काफी देर तक भारी मात्रा में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के बावजूद एक भी पुलिस वाला घायल नहीं हुआ।

4.180 इसके अतिरिक्त सी0बी0–सी0आई0डी0 से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने एक बार फिर यह स्पष्ट करने का निदेश दिया कि क्या मृतकों द्वारा मुठभेड़ के दौरान पहने हुए कपड़ों को जब्त किया गया था और बैलेस्टिक विशेषज्ञ को यह जांच करने के लिए भेजा गया था कि क्या कपड़ों पर गोली अंदर घुसने के स्थान पर कोई ब्लैक अमोरफस सामग्री तथा पाउडर मिला था या नहीं।

4.181 आयोग ने सी0बी0–सी0आई0डी0 की रिपोर्ट पर विचार किया और अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की कार्रवाई में राष्ट्रीय मानव अधिकारा आयोग के अन्वेषण प्रभाग को इन रिपोर्ट की जांच करने और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.182 अन्वेषण प्रभाग के विश्लेषण ने बैलिस्टिक रिपोर्ट पर कुछ प्रकाश डाला क्योंकि उसे पता चला कि कुछ घाव बहुत ही निकट से गोली चलाने के कारण हुए थे अर्थात 9 फीट के आसपास से तथा कुछेक बहुत दूर से

गोली चलाने के कारण हुए थे। गोली शरीर के अंदर घुसने की जगह पर नाईट्रेट का मौजूद होना या मौजूद नहीं होना, इस बात को पता करने का पर्याप्त वैज्ञानिक आधार है कि गोली कितनी दूर से चलाई गई थी।

4.183 इन सभी रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह बात सही है कि यह लोग अपराधी थे यह भी संभव है कि आपस में गोलीबारी हुई होगी। तथापि, कपड़ों की जांच द्वारा सुदृढ़ ऑटोस्पी से यह सुनिश्चित हो गया कि मुठभेड़ के अंत में तीनों लोगों को बहुत ही नजदीक से गोली मारी गई थी। तदनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि तीन मृतक डकैतों के निकटतक संबंधियों को मौद्रिक सहायता क्यों नहीं दी जाए।

4.184 आयोग को दिनांक 24 जनवरी, 2012 को उप–महानिरीक्षक (शिकायत) द्वारा जारी तथा अवर सचिव (गृह) को संबोधित एक पत्र पृष्ठांकन प्राप्त हुआ जिसमें यह दलील दी गई थी इस मामले में निकटतम संबंधी को दी जाने वाली राहत दो कारणों से वैध नहीं है। पहला, मजिस्ट्रेट जांच में पुलिस की कार्रवाई औचित्यपूर्ण थी। दूसरा, न्यायालय ने गिरफ्तार किए गए लोगों में से सिर्फ दो अपराधियो को ही सजा क्यों सुनाई।

4.185 उपरोक्त दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, आयोग ने अपनी दिनांक 01 मार्च, 2012 की कार्रवाई मे निम्नलिखित प्रेक्षण किएः–

> ''आयोग इसे सत्य प्रतिक्रिया के रुप में स्वीकार करने में असमर्थ है। आयोग ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2010 की कार्रवाई में पहले ही विस्तृत रुप से स्पष्ट कर दिया है कि आयोग इस मजिस्ट्रेज जांच, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जांच नहीं की गई थी, को स्वीकार करने में असमर्थ क्यों था और इन्हीं कारणों की वजह से आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा था कि भावी जांच–पड़ताल सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा करवाई जाए।
>
> जहां तक दो व्यक्तियों को सजा दिए जाने का संबंध है, मध्य प्रदेश सरकार यह नोट करेगी कि आयोग ने दिनांक 19 अक्टूबर 2011 सहित अपनी पिछली कार्रवाईयों में यह अपेक्षा की थी कि यहां मारे गए व्यक्ति अपराधी थे और यह भी संभव था कि पुलिस और इनके बीच गोलीबारी हुई हो। इसलिए, यह तथ्य कि न्यायालय भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था, इस आयोग द्वारा पहले से स्वीकार्य बिन्दुओं की पुष्टि करता है।
>
> आयोग ने अपनी शुरुआती जांच तथा सी0बी0–सी0आई0डी0 की रिपोर्ट के अनुवर्ती विश्लेषण के बाद भी जो नहीं पाया था वो यह था कि दोनो तरफ से हुई संभावित गोलीबारी के समाप्त हो जाने के बाद पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को बड़ी नजदीक से गोली मारी गई। यह न केवल गैर–कानूनी था बल्कि मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन था और इसी कारण से आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से सिफारिश की थी कि मृतक गुड्डा उर्फ मैयादीन पटेल तथा भुल्लू के निकटतम संबंधियों को राहत प्रदान की जाए।
>
> मध्य प्रदेश सरकार ने सारभूत बिन्दुओं का जवाब नहीं दिया जिसके आधार पर आयोग ने सिफारिश की। इसलिए, आयोग को अपने नजरिये अर्थात राहत यथोचित एवं आवश्यक है, पर पुनःविचार करने का कोई कारण नजर नहीं आता ।''

4.186 अतः आयोग ने मृतक गुड्डा उर्फ मैयादीन पटेल तथा भुल्लू के निकटतम संबंधियों को राहत के रुप में 5 लाख रु0 का भुगतान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सिफारिश की।

4.187 आयोग, भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा में है।

29. मझीला पुलिस स्टेशन, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा एक जाली मुठभेड़ में हुई संजीव और उसके दो दोस्तों की मौत।
(मामला सं0 58153/24/36/07–08)

4.188 राम प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम कटुआपुर माजरा, जिला हरदोई ने आयोग को एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप था कि स्थानीय विधान परिषद सदस्य उसके खिलाफ दुर्भावना रखता है क्योंकि राम प्रसाद गुप्ता चुनाव में किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन करते थे। एम0एल0ए0 के आदेशानुसार पुलिस ने राम प्रसाद गुप्ता के पोते संजीव तथा दो अन्य नामतः मृतरंजन पंडित तथा रामू पंडित को दिनांक 7 मार्च, 2008 को सहाबाद से उठा लिया और बाद में बंजरिया पुल के निकट एक जाली पुलिस मुठभेड़ में उन्हें मार दिया।

4.189 दूसरी तरफ इस घटना के संबंध में पुलिस का वर्णन यह था कि दिनांक 8 मार्च, 2008 को लगभग 1:30 अपरा्न बजे कुछ लोग तांगे में सफर कर रहे और एक मोटरसाईकिल पर सवार तीन लुटेरों ने उनसे पैसा, नकदी तथा ज्वैलरी आदि लूट ली थी। रमेश नामक एक पीड़ित ने अपने भाई सुरेश, जो गांव मधवा में था के साथ हुई डकैती के बारे में टेलीफोन पर सूचना दी। उस दिन कोटा आबंटन के सिलसिले में पंचायतघर में एक बैठक हुई थी और दो कांस्टेबल नामतः महेश मिश्रा तथा अजीत सिंह को वहां तैनात किया गया था। डकैती की घटना के बारे में सुनते ही गांव वाले शाहबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गए। कांस्टेबल महेश ने यह जानकारी पुलिस पार्टी को दी जो वाहनों की जांच पड़ताल के लिए पहले से ही बंजरिया पुंल पर मौजूद थी। जब डकैत बंजरिया पुल पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस को देखकर वापिस लौटने लगे। तथापि, वे गांव वालों की पकड़ में आ गए। उनमें से एक को गांव वालों ने मार दिया था तथा दूसरे डकैत ने डर के मारे अपने आपको गोली मार ली। तीसरे डकैत ने भागने का प्रयास किया। उसने पीछा करने वाले गांव वालों और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाईं। उसके द्वारा चलाई गई एक गोली फैज़ान नामक एक लड़के को लगी। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। अंततः उसे घेर कर गोली मार दी गई। बाद में गांव वालों द्वारा मारे गए डकैत की शिनाख्त मृतरंजन पंडित के रुप में हुई। जिस डकैत ने डर के मारे अपने आपको गोली मार ली थी उसकी पहचान रामू उर्फ प्रवीन के रुप में हुई। तीसरे डकैत जिसने भागने की कोशिश की थी और पुलिस वालों पर गोलियां चलाईं थी, की पहचान संजीव अर्थात शिकायतकर्ता राम प्रसाद के पोते के रुप में हुई थी।

4.190 घटना के बाद पुलिस स्टेशन मझीला में आपराधिक मामला सं0 121/08 दर्ज किया गया। आयोग ने मामले की जांच पड़ताल संबंधी केस डायरी मांगी। आयोग को फैजान को लगी चोटों की एक शीट तथा मजिस्ट्रेट जांच का पूरा रिकार्ड प्राप्त हुआ। आयोग को मारे गए तीनों व्यक्तियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हुई।

4.191 राम प्रसाद ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसका पोता संजीव अपने दोस्त मृतरंजन तथा रामू के साथ दिनांक 7 मार्च 2008 को शाहबाद गए थे और उन्हें उसी दिन स्थानीय एम0एल0ए0 के कहने पर पुलिस द्वारा उठा लिया गया। रामू उर्फ प्रवीन की मॉ सितारा देवी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसके बेटे को घटना वाले दिन लगभग 8:00 सुबह दो व्यक्ति घर से लेकर गए थे। उन्होने आगे कहा कि जब पुलिस वालों द्वारा

उसे गोली मारी गई तो उनका बेटा रामू गेंहू के खेतों में छिपा हुआ था। मृतरंजन मिश्रा की पत्नी ममता मिश्रा ने बिलकुल ही अलग कहानी बताई। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि दो–तीन दिन पहले उनके पति की कुछ पुलिस वालों से गर्मा–गर्मी हो गई थी। घटना वाले दिन चार पुलिस वाले उनके घर आए थे और उनके पति को समझौता कराने के बहाने घर से उठा कर ले गए थे। अतः तीन मृतकों के संबंधियों ने पूर्णतः भिन्न एवं असंगत बयान दिए।

4.192 दूसरी तरफ पुलिस का वर्णन एक स्वतंत्र गवाहों नामतः मुन्नी देवी, रमेश, सुनील तथा अनीता देवी के बयानों से पुष्ट था। इन लोगों ने मजिस्ट्रेट जांच के दौरान बयान दिया कि घटना वाली तारीख को जब वे तांगे से देवरीपूरवा से मेदवा जा रहे थे तो मोटरसाईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा पिस्टल की नोक पर उनसे 650/–रु0 नकद, कान के बुंदे तथा पाजेब आदि लूट ली गईं। उन्होंने यह बयान भी दिया कि डकैती के कुछ देर बाद वे मुठभेड़ वाली जगह पर गए थे और उन्होंने वहां पर मृत पड़े डकैतों को पहचान लिया था। उनके पास मौजूद चुराई गई ज्वैलरी की भी पहचान कर ली थी। मजिस्ट्रेट ने गांव से इरशाद, फैजान तथा विद्यासागर से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे डकैती की खबर सुनते ही सड़क की ओर दौड़े थे और किस प्रकार मुठभेड़ हुई। मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाले उपनिरीक्षक अशोक कुमार तथा के0आर0 दिवाकर ने भी डकैती के बारे में ब्यौरा दिया। कुछ अन्य पुलिसवालों से भी पूछताछ की गई। साक्ष्यों पर विचार करते हुए मजिस्ट्रेट ने पुलिस के वर्णन को पृष्ठांकित कर दिया।

4.193 रिकार्ड पर रखी सामग्री तथा आयोग के अन्वेषण विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तथा अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित प्रेक्षणों सहित मामले को बंद कर दिया :

> ''हमने मृतरंजन, रामू उर्फ प्रवीन तथा संजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की। मृतरंजन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में काफी संख्या में चीर–फाड़ वाले घाव, रगड़ के निशान तथा ठोड़ी पर उत्कीर्ण घाव का उल्लेख था। किसी आग्नेयास्त्र से लगने वाली चोट के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। यह दर्शाता है कि मृतरंजन को जनता ने मारा होगा। रामू उर्फ प्रवीन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर के दाहिने भाग में आग्नेयास्त्र से होने वाले केवल एक घाव तथा उसके आसपास कालेपन और त्वचा के गुदने का उल्लेख है। यह आत्महत्या की संभावना को बल देता है। संजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आग्नेयास्त्र से होने वाले दो घावों तथा कुछ चीर–फाड़ वाले घावों का उल्लेख था। यह दर्शाता है कि संजीव, पुलिस की गोली से मारा गया और गांव वालों ने भी उस पर हमला किया।
>
> फैजान को लगी चोटों की सूची भी हमारे पास है। उसकी जांच दिनांक 8 मार्च 2008 को सायं 5:20 बजे जिला अस्पताल, हरदोई में की गई थी और डॉक्टरों ने उसके बायें कंधे पर 1.5 X 1.5 सेंटीमीटर का आग्नेयास्त्र का घाव होने की पुष्टि की। घटना और मेडिकल जांच के बीच के समय से इस बात की कोई शंका नहीं रह जाती कि फैजान को घटना के दौरान ही गोली का घाव लगा हो। एक घायल गवाह होने के कारण मजिस्ट्रेट के सामने फैजान का बयान काफी विश्वसनीय था।
>
> असंगत बयानों पर विचार करने के बाद हम काफी हद तक संतुष्ट हैं कि पुलिस का वर्णन सत्य है। रामप्रसाद ने अपनी शिकायत में यह स्वीकार किया कि घटना वाले दिन

मृतरंजन, रामू तथा संजीव एक साथ थे। ऐसे बहुत से साक्ष्य हैं जो पुष्टि करते हैं कि उन्होंने मुन्नी देवी तथा रमेश आदि के पैसे और आभूषण लूटे थे। लूटा गया पैसा और आभूषण मृतकों से बरामद हुए थे और डकैती के पीड़ितों ने उनकी पहचान की थी। गांव वालों के साक्ष्य भी थे जिन्होंने मुठभेड़ देखी थी। यहां तक कि एक गांव वाला भी डकैतों द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुआ था।

अतः डकैती के पीड़ितों, गांवा वालों के बयानों, तीन मृतक व्यक्तियों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों, फैजान को लगी चोटों की रिपोर्ट तथा तीनों मृतकों के संबंधियों द्वारा दिए गए उसके बयान पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है। इन परिस्थितियों में हम इस बात से सहमत हैं कि तीन डकैतों में से एक को पुलिस द्वारा मार दिया गया दूसरे ने दहशत में आकर स्वयं को गोली मार ली तथा तीसरे की मौत मुठभेड़ में हो गई। उनकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेवार ठहरानें का कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए मामला बंद किया जाता है।

30 कोयम्बटूर सिटी पुलिस, केरल के साथ तथाकथित मुठभेड़ में मोहन राज की मौत (मामला सं0 1349/22/5/2010–इ डी एवं एल.एफ. 1332/22/5/2010–ए एफ इ)

4.194 आयोग को तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक कानून एवं व्यवस्था, के सचिव से 16 नवम्बर, 2010 को सूचना मिली जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी जिक्र था कि मोहन राज उर्फ मोहन कृष्णन नामक व्यक्ति जो स्कूली बच्चों के दोहरे हत्या कांड में शामिल था, ने एक पुलिस उप निरीक्षक की रिवाल्वर छीन ली तथा उसके ड्राइवर को गाड़ी केरल के पलक्कड़ में ले जाने की धमकी दी। जब उप निरीक्षक टी. ज्योति तथा उसके ड्राइवर ने वहां जाने से मना किया तो आरोपी ने उप निरीक्षक पर गोली चला दी जिससे उसके बायें हाथ पर गोली का घाव हो गया। एक अन्य पुलिस उप निरीक्षक एस. मुथुमलाई को भी पेट में घाव हो गया जब उसने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने इसी बीच मोहनराज पर गोली चला दी जिसके कारण उसके सिर तथा सीने में चोट आई तथा अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

4.195 इस मामले में की गई मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया कि ''पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को यथोचित चेतावनी देने के बाद अपने बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए पिस्तौल से गोली चलाई।

4.196 बहरहाल, अन्वेषण प्रभाग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी की :

''बैलिस्टिक रिपोर्ट के अध्ययन से यह खुलासा हुआ कि कुल मिलाकर 6 गोलियाँ चलाई गईं'' :

(i) पुलिस अधिकारियों द्वारा चलाए गए 9 मिलीमीटर कारतूस से निकली तीन गोलियाँ पाई गईं। यथा मद, 9 अक्टूबर, 2011 (पृष्ठ 156/बैलिस्टिक रिपोर्ट)

(ii) उपनिरीक्षक जोठू के रिवाल्वर से मृतक द्वारा चलाई गई 3.80 इंच कारतूस की 2 गोलियाँ, यथा मद 18 तथा 19 (पृ0/157/बैलिस्टिक रिपोर्ट)

(iii) अज्ञात हथियार से चलाई गई 380 इंच की एक धातु लगी कारतूस (पृ0 / 157 / बैलिस्टिक रिपोर्ट)।

किन्तु इस घटना में दर्ज एफ आई आर से मृतक आरोपी के साथ जा रहे पुलिस अधिकारियों के बयान तथा मजिस्टेरियल जांच रिपोर्ट के अनुसार कुल 5 गोलियाँ ही चलाई गई थीं अर्थात् दो गोली आरोपी द्वारा तथा तीन गोलियाँ पुलिस अधिकारियों द्वारा चलाई गई थीं।

बैलिस्टिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ''बुलेट आइटम 21 380 कैलिबर का है''। इसकी विशिष्टता वैसी ही है जैसी उपनिरीक्षक, ज्योति की रिवाल्वर की है जिसे आरोपी द्वारा उप निरीक्षक ज्योति तथा उप निरीक्षक मुथुमलाई पर दो गोली चलाने के लिए छीना गया था, लेकिन बुलेट आइटम 21 की पहचान उप निरीक्षक ज्योति की रिवाल्वर से चलाई गई गोली के रूप में नहीं हुई थी।

यह पाया गया कि आरोपी ने जब रिवाल्वर छीना तो उप निरीक्षक ज्योति की रिवाल्वर से आरोपी द्वारा केवल दो गोलियाँ चलाई गई थीं। इनसे निकले चक्र 380 इंच कैलिबर के थे। बहरहाल, केवल 380 इंच कैलीबर के (साधारण) दो गोलियों के बजाए एक तीसरी धातु की परत चढ़ी 380 इंच की गोली मिली है जिसे चलायी गयी है। चलाई गई इस छठी गोली की मौजूदगी का एफ आई आर, एम इ आर तथा अन्य रिपोर्टों में कोई उल्लेख नहीं है न ही उस पर ध्यान दिया गया है।

बैलिस्टिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि 380 कैलीबर का तीसरा बुलेट ''धातु चढ़ा'' हुआ था जबकि 380 कैलीबर की अन्य गोलियों के बारे में धातु चढ़े होने का कोई उल्लेख नहीं है जो इस बात की संभावना इंगित करता है कि 380 इंच का धातु चढ़ा कारतूस किसी अज्ञात व्यक्ति / हथियार की रिवाल्वर से चलाया गया था। इस तथ्य से पुलिस के बयान पर संदेह पैदा होता है।''

4.197 रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री तथा अन्वेषण प्रभाग की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 28 मार्च, 2012 की अपनी कार्यवाही द्वारा मामले को निम्नलिखित टिप्पणियों सहित बंद कर दिया :

''मजिस्ट्रेट ने जांच की तथा उसे आयोग को भेज दिया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी है। दो पुलिस अधिकारियों को चोट का प्रमाण–पत्र आयोग को भेज दिया गया है। इसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि दो पुलिस अधिकारियों को गोली लगी थी तथा पीड़ित के खिलाफ गोली चलाकर पुलिस ने बिल्कुल सही किया था।

इन परिस्थितियों में आयोग का यह मत है कि इसे फर्जी मुठभेड़ नहीं कहा जा सकता तथा मामला बंद किया जाता है।''

31. सी.आर.पी.एफ द्वारा गोलीबारी में रविकुमार की मृत्यु
(मामला सं0 4056 / 4 / 2004 / 2005–एफ सी)

4.198 आयोग को बिहार के गया जिले के निवासी राजेंद्र प्रसाद से 13 फरवरी, 2005 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि उसके पुत्र रवि कुमार, जो इंजिनियरिंग का छात्र था, की 19 जनवरी 2005 को सी आर पी एफ के एक जवान की कार्बाइन से चली गोली संयोगवश लगने से मौत हो गई थी।

4.199 प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने कहा कि सी. आर. पी. एफ. जवान यू. सी. लश्कर ने कार्बाइन को बंद नहीं करके लापरवाही बरती थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के तहत् गृह मंत्रालय, भारत सरकार को इस बात का कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि इंजिनियरिंग के छात्र के परिवार को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जानी चाहिए जिसने सी आर पी एफ जवान की लापरवाही के कारण अपना जीवन गंवा दिया।

4.200 कारण बताओ नोटिस के जवाब में गृह मंत्रालय ने महानिदेशालय, सी.आर.पी.एफ. का एक पत्र यह कहते हुए अग्रेषित किया कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद आई.पी.सी. की धारा 304–ए के तहत् सी आर.पी.एफ जवान के खिलाफ एक अपराध साबित हुआ था तथा उसके अनुरूप कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की गई थी। यह भी कहा गया था कि एक भूतपूर्व हवलदार को विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत कर दिया गया था।

4.201 आयोग ने कहा कि अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों को उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों की सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं। चूँकि सी.आर.पी.एफ के हवलदार ने अपने द्वारा ले जाए जा रहे कार्बाइन को लॉक करने की सावधानी नहीं बरती, इसलिए यह स्पष्ट रूप से अनुशासन का उल्लंघन था। आयोग ने यह भी कहा कि अनुशासन के ऐसे उल्लंघन के कारण यदि किसी नागरिक को चोट पहुँचती है तो इसके लिए राज्य प्रतिनिधिक रूप से जिम्मेवार होता है। पीड़ित की पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए आयोग ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.202 अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का साक्ष्य प्राप्त होने पर इस मामले को 11 जनवरी, 2012 को बंद कर दिया गया।

ख. जेलों में स्थिति

(क) जेलों के दौरे

4.203 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जेलों में काम करने तथा जीवनयापन की स्थिति को सुधारने के लिए अपनी स्थापना के समय से ही निरन्तर चिंतित रहा है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (ग) के अनुसार जेलों में रहने वाले कैदियों के जीवनयापन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए आयोग राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी जेल अथवा अन्य संस्थानों का दौरा कर सकता है जहाँ लोगों को बंदी बनाने, सुधारने अथवा सुरक्षा के उद्देश्य से बंद रखा जाता है। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी एवं आयोग द्वारा नियुक्त किए गए विशेष संपर्ककर्त्ता देश में विभिन्न जेलों का दौरा करते हैं तथा उनके दौरे रिपोर्ट को उपयुक्त सुझावों/सिफारिशों सहित संबंधित प्राधिकारियों को अनुपालन हेतु भेज दिया जाता हैं।

4.204 वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित दौरे किए गए :

क्रम सं	जेल/संस्थान का नाम	दौरे की तिथि	दौरा किया
1.	दम दम केंद्रीय सुधार गृह, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	19–22 जून, 2011	श्री दामोदर षडंगी, विशेष संपर्ककर्त्ता, रा.मा.अ.आयोग
2.	जिला जेल, हरदोई (उत्तर प्रदेश)	05 दिसम्बर, 2011	श्री सुनील कृष्ण, महानिदेशक (अन्वेषण), रा.मा.अ.आयोग

3.	केन्द्रीय कारा चेन्नई (तमिलनाडु)	31 जनवरी– 01 फरवरी, 2012	न्यायमूर्ति श्री जी. पी. माथुर, सदस्य, रा.मा.अ.आयोग एवं श्री कपिल कुमार सी. सरतकार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रा.मा.अ.आयोग
4.	केंद्रीय कारा पुदुचेरी	03 फरवरी, 2012	न्यायमूर्ति श्री जी. पी. माथुर, सदस्य, रा.मा.अ.आयोग सी. सरतकार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रा.मा.अ.आयोग
5.	जिला जेल दुर्ग, (छतीसगढ़)	04 अक्टूबर, 2011	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग की टीम
6.	केंद्रीय कारा रायपुर (छत्तीसगढ़)	29–30 अगस्त, 2011	रा.मा.अ.आयोग के अन्वेषण प्रभाग की टीम
7.	जिला जेल, डासना (उत्तर प्रदेश)	11 सितम्बर, 2011	श्रीमती ममता सिंह, उप महानिरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक, रा.मा.अ. आयोग

(ख) जेल आबादी का विश्लेषण

4.205 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में जेल जनसंख्या संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार आंकड़े संकलित एवं विश्लेषित करता है ताकि जेलों में भीड़–भाड़ की वास्तविक स्थिति का पता चल सके तथा तद्नुसार इसको कम करने के लिए उपाय सुझाए जा सकें। इस कार्य को प्रत्येक छः महीनों में निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जेल मुख्यालयों से डाटा एकत्र करके किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने दिसम्बर, 2009 तक प्राप्त सूचना के आधार पर जेल आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया।

4.206 नीचे दी गई सारणी में जेलों की क्षमता, जेल आबादी, कुल आबादी में विचारणाधीन कैदियों का अनुपात, अत्यधिक भीड़–भाड़ तथा कैदियों के लिंग वितरण की व्यापक तस्वीर दी गई हैं।

सारणी

निम्न तिथि को स्थिति	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
अधिकृत जेल क्षमता	2,62,821	2,76,960	2,93,144	3,08,268
कुल कैदी (दोष सिद्ध + विचारणाधीन)	3,68,355	3,73,948	3,86,791	3,76,534
विचारणाधीन (%)	68.3	67.9	68.4	66.8
अत्यधिक भीड़–भाड़ (%)	40.15	35.0	31.95	22.15
महिला कैदी (%)	4.1	4.0	4.13	4.1

4.207 उपरोक्त सारणी यह दर्शाता है कि वर्ष 2006 से 2009 तक जेलों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए 2006 से 2009 तक वार्षिक आधार पर जेल की अधिकृत क्षमता में नियमित वृद्धि हुई है। वर्ष 2008 की तुलना में 2009 में कैदियों की कुल संख्या में कमी आई है। विचारणाधीन कैदियों के प्रतिशत में थोड़ी कमी आई है। जेलों में अत्यधिक भीड़–भीड़ की प्रतिशतता में भी काफी कमी आई है हालांकि महिला कैदियों का प्रतिशत ज्यों का त्यों बना हुआ है। बहरहाल, 2008 की तुलना में महिला कैदियों की प्रतिशतता में थोड़ी कमी आई है

जेलों में भीड़–भाड़ की स्थिति

4.208 2008 से 23 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जेलों में भीड़–भाड़ की प्रतिशतता में कमी आई है। इनमें से 10 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में अप्रयुक्त क्षमता में वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में, इन 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व में व्याप्त भीड़–भाड़ बदलकर अप्रयुक्त क्षमता में परिणत हो गई है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैः सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, लक्षदीप, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार, नागालैण्ड एवं दमन तथा दीव। शेष 13 राज्यों जिनमें 2008 की तुलना में भीड़–भाड़ की प्रतिशतता में गिरावट की प्रवृति देखी गई वे हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में भीड़–भाड़ के प्रतिशत में कमी स्पष्ट है। 2009 में जेलों में भीड़–भाड़ के प्रतिशत में कमी का कारण रा.मा.अ.आयोग द्वारा सतत निगरानी तथा जेलों की स्थिति सुधारने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासकों को आवश्यक निधि का आवंटन करना हो सकता है जिसमें कैदियों के रहने के लिए नए ब्लाकों का निर्माण भी शामिल है।

4.209 2008 से जिन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में भीड़–भाड़ के प्रतिशत में वृद्धि हुई है वे हैं दादरा एवं नागर हवेली, उत्तराखण्ड, पंजाब, मेघालय, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़ एवं मणिपुर। उदाहरण के लिए उत्तराखण्ड में 2008 में भीड़–भीड़ 41.14% तक थी। 2009 में भीड़–भाड़ बढ़कर 50.17% तक हो गई है। उसी प्रकार, पंजाब में भीड़–भाड़ 36.26% (2008) से बढ़कर 49.08% (2009) हो गई है। जबकि मेघालय में यह 15.09% (2008) से बढ़कर 23.85% (2009) हो गई। भीड़–भाड़ में वृद्धि दादर एवं नगर हवेली में 2009 में काफी अधिक रही है क्योंकि यह बढ़कर 111.67% हो गई है जबकि 2008 में इसकी खाली रहने की क्षमता 58.33% थी। 2009 के दौरान, दो राज्यों नामतः केरल एवं मिजोरम में भीड़–भाड़ के प्रतिशत में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि/गिरावट नहीं देखी गई। मिजोरम के मामले में अप्रयुक्त क्षमता 2008 के मुकाबले और अधिक बढ़ गई थी।

अप्रयुक्त क्षमता

4.210 31 दिसम्बर, 2009 को जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अप्रयुक्त क्षमता आरोही क्रम में थी वे हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा, पुदुचेरी, लक्षदीप, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार, मिजोरम, चंडीगढ़, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर तथा दमन एवं दीव। इन 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 12 में 2008 में अप्रयुक्त क्षमता देखी गई।[4] इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जेलों में समग्र

4

भीड़–भाड़ में कमी हो रही है। 2009 में सिक्किम, ओडिशा तथा त्रिपुरा तीन राज्य अप्रयुक्त क्षमता वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। अरूणाचल प्रदेश राज्य में 2009 से जेल चालू हुए तथा शुरूआत में ये जेल खाली रहे।

विचारणाधीन

4.211 अखिल भारत स्तर पर 2008 को छोड़कर जब हल्की वृद्धि पाई गई, 2005 से लेकर अब तक विचारणाधीनों के प्रतिशत में एक हल्की परंतु निरंतर घटती प्रवृति रही है। यह गिरावट 2009 के दौरान भी देखी गई। 2009 में उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जिनमें विचारणाधीनों का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत 66.85% से अधिक पाया गया वे थे मणिपुर (91.25%) लक्षदीप (90.91%), दादर एवं नगर हवेली (88.19%), मेघालय (84.78%), जम्मू एवं कश्मीर (83.73%), बिहार (83.59%), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (79.41%), अंडमान एवं निकोबार (76.59%), नागालैण्ड (74.84%), कर्नाटक (71.92%), उत्तर प्रदेश (70.85%), ओडिशा (70.27%) तथा पश्चिम बंगाल (67.32%)। अरूणाचल प्रदेश (94.12:) राज्य ने 2009 से जेल आंकड़े उपलब्ध कराना शुरू किया है। इसलिए अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से इसकी तुलना नहीं की गई है।

4.212 वे राज्य/संघ शासित प्रदेश जिनमें विचारणाधीनों की संख्या 2009 में अखिल भारतीय औसत 66.85% से कम थी वे थे महाराष्ट्र, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, असम, केरल, हरियाणा, गोवा, दमन एवं दीव, मिजोरम, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा।

4.213 कुल मिलाकर 11 राज्य/संघ शासित प्रदेश ऐसे थे जिसमें विचाराधीनों कैदियों का प्रतिशत पूर्ववर्ती वर्ष 2008 की तुलना में 2009 में कम हो गया। इन राज्यों के नाम हैं झारखण्ड, लक्षदीप, दादर एवं नगर हवेली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, दमन एवं दीव, मिजोरम एवं पुदुचेरी। विचारणाधीनों के प्रतिशत में 2008 की तुलना में 2009 में 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा कमी नहीं हुई। ये हैं मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर तथा राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, नागालैण्ड एवं गुजरात में हालांकि 2008 के मुकाबले 2009 में विचारणाधीन कैदियों के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है।

महिला कैदी

4.214 राष्ट्रीय औसत के अनुसार कुल जेल आबादी में महिलाओं की आबादी 4.09% है। 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जिनमें 2009 में महिला आबादी 4.09% के अखिल भारतीय औसत से ऊपर था वे थे अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, चंडीगढ़ तथा उत्तराखण्ड। अरूणाचल प्रदेश राज्य की जेलों में महिलाओं का प्रतिशत उच्चतम पाया गया।

महिला कैदी तथा जेलों में उनके बच्चे

4.215 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (ए आई आर 2006, एस सी 1946) में रिट याचिका सं0 559 में दिए गए फैसले के आलोक में 5–6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को उनकी माताओं के

साथ जेल में रहने की अनुमति दी जाती है। 31 दिसम्बर, 2009 को देश में कुल 15,414 महिला कैदियों को जेलों में अपने साथ 1900 बच्चों को रखते हुए पाया गया। यदि यह मान लिया जाए कि इन माताओं में से प्रत्येक ने जेल में अपने साथ एक बच्चा रखा था तो 12.33% महिला कैदी जेलों में अपने बच्चों को रख रही थीं। उन आठ राज्यों जिनमें प्रतिशत वर्ष 2009 में अखिल भारतीय औसत 12.33% से ज्यादा पाया गया वे थे पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2008 की तुलना में 2009 में जेलों में अपने बच्चों के साथ रहने वाली महिला कैदियों की प्रतिशतता में कमी पाई गई तथा यह गिरावट 2007 के डाटा की तुलना में काफी अधिक है। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षदीप तथा पुदुचेरी में एक भी ऐसी महिला नहीं पाई गई जिसने 5–6 वर्ष की उम्र से कम के अपने बच्चे को जेल में रखा हो।

ग. जेल सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

4.216 आयोग कैदियों के जीवन यापन की स्थिति तथा बंदी सुविधाओं विशेष रूप से भीड़–भाड़, कर्मचारी की कमी, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल में कमी, हिरासत में मौत सहित कैदियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, मूलभूत संरचना की कमी, लचर प्रशासन तथा अपर्याप्त अंतर्एजेंसी पत्राचार, ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की लंबी कैद तथा अपने वकीलों, अधिकारियों तथा परिवार से संपर्क करने में कैदियों के लिए अपर्याप्त अवसर जैसी समस्याओं के बारे में चिंतित रहा है।

4.217 इन तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोग ने 15 अप्रैल, 2011 को नई दिल्ली में जेल सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए न्यायमूर्ति श्री बालाकृष्णन ने कहा कि भारत के कानून कैदियों के सुधारात्मक सिद्धान्त में हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। हालांकि, सच्चाई कुछ अलग ही है। जेल सुधारों पर मुल्ला समिति की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन के लिए अलग कैडर बनाने से भीड़–भाड़, विचाराधीन कैदियों का देरी से ट्रायल, जेल परिसर में सुविधाओं की कमी आदि सहित जेल प्रबन्धन से संबंधित कई समस्याओं का समाधान हो सकता था।

4.218 सदस्यों तथा विशेष संपर्ककर्त्ता के अलावा इस संगोष्ठी में आयोग तथा अन्य राष्ट्रीय आयोगों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशकों/महानिरीक्षकों (जेल), पुलिस अनुसंधान एवं विकास (बी पी आर एवं डी), ब्यूरों, सुधारात्मक प्रशासन के संस्थानों, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, अधिवक्ताओं के कोर समूह के सदस्य तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4.219 संगोष्ठी में की गई चर्चाओं के आधार पर आयोग द्वारा 'जेल सुधारों' पर निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार की गईं :–

(I) कैदियों के अधिकार

भीड़–भाड़

1. भीड़–भाड़ कम करने के लिए कानूनी प्रावधानों (पैरोल, जमानत, छुट्टी, लघु अवकाश तथा अपील याचिका आदि के रूप में) का जेल के संबंधित अधिकारियों द्वारा उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए।

2. पैरोल के मामलों में, जमानत के कागजात पूरा करने, सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई तथा अदालत में कैदियों द्वारा जमानत की अर्जी दर्ज करने में जेल अधिकारियों की मदद करने के लिए कैदियों के बीच से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक जेल समिति गठित की जा सकती है।

3. कैदियों की वित्तीय स्थिति उनके विरूद्ध नहीं जानी चाहिए। कैदियों को विधिक सहायता अवश्य दी जानी चाहिए–विशेष रूप से उन कैदियों को जो लागत वहन करने की स्थिति में नहीं है।

4. अपने वकीलों के साथ अपने मामले पर चर्चा करने के लिए कैदियों के लिए समय की उपलब्धता।

5. सीमा–पार विशेष रूप से बांग्लादेशी कैदियों के मामले में कैदियों का प्रत्यावर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कौशल में वृद्धि/क्षमता निर्माण

6. कैदियों की ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए। पुरूष एवं महिला दोनों कैदियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुधारा जा सकता है। छात्र कैदियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने तथा परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

7. कम्प्यूटर दक्षता देकर, बागवानी, कृषि आदि में प्रशिक्षण देकर व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए।

8. तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कौशल प्रशिक्षण के माडल तथा कैदियों के कैम्पस प्लेसमेंट को अन्य जेलों में भी दुहराया जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं सफाई

9. जेलों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। जेल में दाखिल किए जाते समय कैदियों की चिकित्सा जांच विहित प्रपत्र में की जानी चाहिए तथा उसके पश्चात् एक नियमित जांच जेल प्राधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। कैदियों के चिकित्सा रिकार्ड का समुचित रखरखाव किया जाना चाहिए।

10. सभी जेलों में बेहतर सफाई सुविधाओं एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

11. जेलों की दशाओं को महिलाओं, बूढ़ों तथा मानसिक रोगियों के लिए और अधिक मानवोचित बनाया जाना चाहिए। नियमित चिकित्सा जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए कि मानसिक रूप से बीमार तथा उच्च खतरे वाले कैदियों को अलग रखा जाए।

12. जेलों में यंत्र से सफाई, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन तथा सीवेज प्लांट के रखरखाव की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कैदियों को हाथ से सेप्टिक टैंकों को साफ नहीं करना पड़े।

13. सभी कैदियों के फायदे के लिए उन्हें नियमित रूप से ध्यान एवं योग कराया जाना चाहिए। इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों से सहायता ली जा सकती है।

14. समुचित सफाई सुविधाएँ सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा भीड़–भाड़ वाली जेलों में नए शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए।

महिला कैदियों के अधिकार

15. महिला कैदियों के साथ केवल महिला कर्मचारियों को जाना चाहिए।

16. महिला कैदियों को अपने परिवारों से मिलने तथा उनके साथ रहने का ज्यादा अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी चिंताओं का समाधान कर सकें।

17. महिला कैदियों के बच्चों के लिए आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य तथा उड़ीसा के मामले में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

जेलों में दौरे

18. कैदियों के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें खुले में कुछ समय बीताने का मौका मिल सके।

19. भोजन दिए जाने के समय में भी बदलाव किया जाना चाहिए क्योंकि ये अधिकतर पुराने जेल अधिनियम, 1894 पर आधारित हैं।

20. मुलाकात का समय फोन पर तय किया जाना चाहिए ताकि लोगों को स्वयं नहीं आना पड़े तथा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े।

21. कैदियों के परिवार के सदस्यों को रविवार को मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उन्हें कार्य दिवसों पर छुट्टी न लेनी पड़े।

II. जेल प्रबन्धन

22. प्रत्येक जेल में प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए।

23. जैसा कि बी. पी. आर. एवं डी. द्वारा तैयार किया गया है, जेलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

24. जेल प्रशासन के उपयुक्त तरीके से कार्य करने तथा कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेलों में स्वीकृत पदों (अधिकारियों तथा चिकित्सा कर्मचारी) को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।

25. जेल उद्योगों को सुदृढ़ कर जेलों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। इस संबंध में तिहाड़ जेल के माडल का अनुकरण किया जा सकता है।

26. राज्य जेल मैनुअल की आवधिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि नई चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।

27. जेल प्रबन्धन में सार्वजनिक निजी भागीदारी (कई देशों में) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा पूरे देश की जेलों में इसे अपनाया जाना चाहिए। बहरहाल, इस प्रयोग का उपयोग उनके मुनाफा कमाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

III. जेल सेवा/अधिकारी

28. जेल सेवा के एक राष्ट्रीय कैडर का निर्माण किया जाना चाहिए तथा जेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण/रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का प्राथमिकता से आयोजन किया जाना चाहिए।

IV. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विशिष्ट

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जेल सुधारों पर अब तक अपने द्वारा की गई सिफारिशों तथा निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

30. जमीनी सच्चाई का पता लगाने तथा जेलों की स्थिति में बदलाव लाने के उद्देश्य से साक्ष्य हासिल करने के लिए संस्थाओं द्वारा लघु अध्ययन किया जा सकता है।

31. जेल के दौरे/आगंतुकों के बोर्ड पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने हस्तक्षेपों को फिर से शुरू कर सकता है।

V. विविध

32. एन. डी. पी. एस. अधिनियम, धारा 498–ए के तहत् गिरफ्तारियों तथा निवारक कारावास का पुलिस द्वारा संयम तथा सही नीयत से प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि पहले से ही भरी हुई जेलों में और अधिक भीड़ को कम किया जा सके।

33. कैदियों की उम्र, उनके द्वारा किए गए अपराध के प्रकार तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कैदियों का वर्गीकरण किया जाए ताकि कैदियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके तथा जेल प्रबन्धन में सुधार लाया जा सके।

34. जेलों के नाम को बदलकर इसे सुधारगृह में तब्दील किया जाना चाहिए ताकि इस बात पर जोर दिया जाए कि मकसद कैदियों को दंड देना नहीं बल्कि उनमें सुधार लाना है।

35. एक–दूसरे से सीखने तथा एक–दूसरे की देखा–देखी करने के लिए जेल रिकार्डों के कम्प्यूटीकरण, जेल पंचायतों, गतिशीलता, आधारभूत संरचना, शिक्षा, जुड़ाव, जेल उद्योगों का पुनर्गठन, कैदियों की सुरक्षा, रसोई का आधुनिकीकरण तथा मशीनीकरण तथा स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराकर, इलेक्ट्रानिक निगरानी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फोन पर मुलाकात का समय तय करने, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं आदि मामलों में उत्तम पद्धतियों के आदान–प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

36. जेल कर्मचारियों पर बोझ कम करने के लिए कैदियों को खाना देने तथा उन्हें ले जाने ले आने जैसे कुछ कार्यों के निजीकरण पर विचार किया जा सकता है। उन्नत देशों में इसका पालन किया जाता है।

37. वीडियों कान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में कैदियों की पेशी कराई जा सकती है।

38. जेल उद्योग में कैदियों द्वारा किए गए कार्य के लिए उन्हें मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार किया जाना चाहिए।

4.220 उक्त सिफारिशों को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालन के लिए भेज दिया गया। अभी तक आयोग को 14 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। इन राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के नाम हैं, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। आयोग को विश्वास है कि इन सिफारिशों का शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पालन किया जाएगा जिन्होंने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्याय - 5

स्वास्थ्य का अधिकार

5.1 प्रत्येक मनुष्य को स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त स्तर के उपभोग का अधिकार प्राप्त है जो गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए सहायक हो। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक कल्याण है। यह अधिकार अन्य मानव अधिकारों के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करे तथा उसका संवर्द्धन करे। भारत के संविधान में 'स्वास्थ्य के अधिकार' को अनुच्छेद 21 के तहत् मौलिक अधिकार के रूप में समर्थन दिया गया है।

5.2 स्वास्थ्य के मानव अधिकार को कई अंतरराष्ट्रीय संविदाओं में मान्यता दी गई है। उनमें से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में स्वास्थ्य के अधिकार पर सर्वाधिक व्यापक अनुच्छेद का प्रावधान है। प्रसंविदा का अनुच्छेद 12.1 इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य पक्षकारों को ''प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त स्तर के उपभोग के अधिकार'' को मान्यता देनी चाहिए जबकि अनुच्छेद 12.2 में उदाहरण के द्वारा इस अधिकार को पूर्णतया हासिल करने के लिए राज्य पक्षकारों द्वारा लिए जाने वाले कई उपायों की सूची दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के अधिकार को अन्य बातों के साथ–साथ सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव उन्मूलन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, 1965 (आई.सी.ई.आर.डी) के अनुच्छेद 5 (इ), (IV) महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेद–भाव के उन्मूलन से संबंधित प्रसंविदा (सी इ डी ए डब्ल्यू), 1979 के अनुच्छेद 11.1 (एफ) एवं 12 तथा बच्चों के अधिकारों से संबंधित प्रसंविदा, 1989 (सी.आर.सी.) के अनुच्छेद 24 में मान्यता दी गई है।

5.3 स्वास्थ्य के अधिकार को वियना घोषणापत्र तथा कार्य योजना, 1993 के साथ–साथ कैरो में 1994 में जनसंख्या एवं विकास पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के कार्ययोजना तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों यथा 1995 में बीजींग में हुए चौथे विश्व सम्मेलन के घोषणापत्र तथा कार्ययोजना में भी उद्घोषित किया गया है।

5.4 स्वास्थ्य का अधिकार भोजन, आवास, काम, शिक्षा, मानवीय गरिमा, जीवन, गैर भेद–भाव, समानता, निजता तथा सूचना तक पहुँच से संबंधित अधिकारों सहित अन्य मानव अधिकारों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा उन पर निर्भर है।

5.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। सभी को स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित हो यह इस वचनबद्धता का सार पहलू है। इसलिए आयोग स्वास्थ्य के अधिकार की इसकी सुगम्यता, वहनीयता तथा उपलब्धता के आधार पर बारीकी से निगरानी कर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का निरंतर यह मत रहा है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जिसे संविधान में अधिष्ठापित किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिसकी व्याख्या की गई है, के परिणामस्वरूप उन उपायों को मजबूती मिलनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि इस देश के लोगों खासकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की बेहतर तथा अत्यधिक व्यापक स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाओं तक पहुँच हो।

(क) सिलिकोसिस

5.6 वर्ष 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने व्यावसायिक रोग सिलिकॉसिस से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम पर ध्यान केंद्रित किया। इसने 1 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में सिलिकॉसिस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इस सम्मेलन के माध्यम से आयोग ने सिलिकॉसिस के विषय पर कार्य करने वाले तकनीकी, गैर सरकारी तथा सिविल सोसायटी संगठनों के साथ चर्चा करने के अतिरिक्त इस विषय पर अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यवृत को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य साझेदारों को भेज दिया गया।

5.7 सिलिकॉसिस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि प्रत्येक दो महीनों में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों के साथ समूहों में समीक्षा बैठक बुलाई जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने वर्ष 2011–2012 के दौरान तीन क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की। पहली क्षेत्रीय समीक्षा बैठक नई दिल्ली में 10 जून, 2011 को आयोजित की गई तथा इसमें उत्तरी राज्यों हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को शामिल किया गया। दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा पुदुचेरी जैसे दक्षिणी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, 18 नवम्बर, 2011 को बेंगलूरू में आयोजित की गई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों को शामिल करते हुए तीसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 14 फरवरी, 2012 को आयोग में आयोजित की गई।

5.8 राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में तकनीकी संस्थाओं तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

5.9 सिलिकासिस से पीड़ित सभी लोगों के साथ–साथ उनके परिवार के नजदीकी सदस्यों द्वारा झेली जा रही अमानवीय दशाओं की तरफ सरकार तथा सांसदों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोग ने सिलिकासिस पर एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की तथा इसे संसद में रखने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया।

ख. एन्डोसल्फान

5.10 आयोग केरल के कसारगोड़ जिले में एन्डोसल्फान कीटनाशक के हवा में छिड़काव से होने वाले दुष्प्रभावो से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, उनका उपचार करने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए सभी संबंधितों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी कर रहा है। जैसा कि वर्ष 2010–2011 की वार्षिक रिपोर्ट में सूचना दी गई है, आयोग ने 31 दिसम्बर, 2010 की अपनी कार्यवाही द्वारा केरल सरकार को एन्डोसल्फान से मरने वाले लोगों के परिजनों के साथ–साथ शय्याग्रस्त अथवा मानसिक रूप से पीड़ित सभी लोगों को कम–से–कम रु0 5,00,000 का भुगतान करने तथा एन्डोसल्फान के कारण अन्य प्रकार की अशक्तता से ग्रस्त लोगों को 3,00,000 रु0 का भुगतान करने की सिफारिश की। आयोग ने भारत सरकार को एन्डोसल्फान के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई करने, इस समस्या का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने तथा केरल के कसारगोड़ जिले में एक प्रशामक देखरेख केंद्र/अस्पताल स्थापित करने की भी सिफारिश की।

5.11 2011–2012 में सभी साझेदारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने के लिए आयोग ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों तथा केरल सरकार के स्वास्थ्य सचिव के साथ कई बैठकें आयोजित की। इन बैठकों

में आयोग ने एन्डोसल्फान से पीड़ित लोगों के प्रति केरल सरकार के असंवेदनशील रवैये के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। इस बात को भी दोहराया गया कि प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा तथा चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी तथा इसने त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया।

5.12 आयोग प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए सभी संबंधितों द्वारा उठाए गए कदमों की निरन्तर निगरानी कर रहा है।

ग. फ्लूरोसिस

5.13 एक दर्दनाक, अपंग बनाने वाली बीमारी फ्लूरोसिस जो बहुल ऊतकों, अंगों तथा तंत्र को प्रभावित करता है, के स्वास्थ्य आयामों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आयोग इस विषय पर अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता रहा। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को यह सिफारिश की थी कि वह भारतीय चिकित्सा परिषद को मेडिकल अंतः शिक्षुओं के प्रशिक्षण में 'फ्लूरोसिस' को शामिल करने के लिए निर्देश दे जिसके परिणामस्वरूप एम सी आई सभी मेडिकल कालेजों को परिपत्र भेज सके। आयोग की जानकारी में यह बात लाई गई कि आज भी मेडिकल छात्रों को मेडिकल कालेजों के शिक्षा पाठ्यक्रम में इस विषय के न होने से इसकी पहचान, प्रभाव तथा उपचार के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को मेडिकल छात्रों के शिक्षण पाठ्यक्रम में फ्लूरोसिस को शामिल करने का एम सी आई को निर्देश देने को कहा ताकि स्नातक करने वाले डॉक्टरों को इस दर्दनाक, अपंग बनाने वाली बीमारी की गंभीरता, निदान तथा उपचार की पूरी जानकारी हो।

घ. मानसिक स्वास्थ्य

5.14 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग को दिए गए अधिदेश के भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आगरा, ग्वालियर तथा रांची में तीन मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों के काम–काज की निगरानी कर रहा है। चन्नावासवना रिपोर्ट मिलने पर इसने स्वयं देश में सभी मानसिक अस्पतालों की निगरानी का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, विशेष संपर्ककर्त्ता तथा वरिष्ठ अधिकारी देश भर में मानसिक अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं ताकि वहाँ रह रहे मानसिक रूप से बीमार लोगों के इलाज एवं देखरेख की स्थिति का पता लगाया जा सके।

5.15 2007 में अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा के अंगीकार किए जाने के समय से आयोग देश में अशक्तता कानूनों को सुमेलित करने की वकालत कर रहा है। आयोग ने मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के स्थान पर प्रस्तावित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2011 के मसौदे की समीक्षा की है तथा इसकी सिफारिशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया।

5.16 मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालने के दृष्टिकोण से तथा इस मुद्दे पर लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए आयोग ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष के भाग के रूप में 10 अक्टूबर, 2011 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'मानव अधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख' पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निदेशको, विशेषज्ञों, चिकित्सा

एवं सामाजिक कार्य से जुड़े छात्रों, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

5.17 आयोग सड़कों पर आवारा घूम रहे मानसिक रोगियों के बारे में भी चिंतित है जो किसी प्रकार की समुचित देखरेख तथा उपचार से वंचित हैं। इसका यह सोचना है कि इसका कारण मुख्यतया कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की मौजूदगी तथा उसके प्रावधानों के बारे में सीमित समझ तथा उसका लचर कार्यान्वयन है। इसलिए इसने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों तथा मुख्य सचिवों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 23 के कार्यान्वयन की सिफारिश की है जिसमें कुछ निश्चित मानसिक रोगियों के संबंध में पुलिस अधिकारियों के कर्त्तव्यों तथा शक्तियों को बताया गया है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की इस धारा के तहत् पुलिस का यह दायित्व है कि वह आवारा घूम रहे अथवा उपेक्षित मानसिक रोगी को रक्षात्मक हिरासत में ले, उसके रिश्तेदार को इसकी सूचना दे तथा ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को एक निर्धारित अवधि के भीतर स्थानीय मजिस्ट्रेट के समझ रिसेप्शन आदेश जारी करने के लिए पेश करे।

5.18 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चिंता का दूसरा क्षेत्र मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति की कमी है। इस स्थिति का कारण यह है कि एम बी बी एस के चिकित्सा पाठयक्रम में मनोचिकित्सा विषय को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसलिए न तो छात्र न ही शिक्षक इस विषय में गंभीर दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो डाक्टर तैयार होते हैं वे मनोचिकित्सा मामले के इलाज के लिए भली–भांति तैयार नहीं होते।

5.19 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जानकारी में यह बात लाई गई कि मनोचिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण पर जोर काफी कम था। इसने यह भी पाया कि मानसिक बीमारियों की व्यापकता की तुलना में एम बी बी एस के छात्रों को दिए जाने वाला प्रशिक्षण अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त, इस समस्या के दूसरे नतीजे भी थे जैसे इससे जुड़ा कलंक तथा समुदाय में मानसिक रोगों के बारे में जागरूकता की कमी। आयोग की चिंताओं से एम सी आई तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अवगत करा दिया गया।

5.20 एम सी आई ने आयोग को सूचित किया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों के आलोक में एम बी बी एस के पाठयक्रम में संशोधन किया गया था तथा मनोचिकित्सा में शिक्षण के घंटों को 20 से बढ़ाकर 40 घंटे करने सहित अपेक्षित बदलाव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मनोचिकित्सा के प्रश्न को मेडिसीन के थ्योरी पेपर में अनिवार्य किया गया था, मनोचिकित्सा में क्लीनिकल पोस्टिंग को 2 हफ्तों से बढ़ाकर 4 हफ्ते किया गया था, तथा इन्टर्नशिप के दौरान मनोचिकित्सा विषय से संबंधित 15 दिनों की अनिवार्य पोस्टिंग करने के साथ–साथ मनोचिकित्सा में आंतरिक मूल्यांकन को फाइनल परीक्षा के लिए अनिवार्य किया गया था।

च. स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं पर प्रस्तावित कर संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का बयान

5.21 मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से आयोग की जानकारी में यह बात लाई गई कि भारत सरकार का स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं पर 5% का सेवाकर लगाने का प्रस्ताव है इस प्रकार नैदानिक सेवाओं तथा ऐसे अस्पतालों जिसमें

केंन्द्रीकृत वातानुकुलित व्यवस्था सहित 25 या उससे अधिक बिस्तर हैं उन्हें कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

5.22 यह सूचना भी दी गई कि दवाओं पर उत्पाद शुल्क को चार से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जिससे दवाएँ महँगी हो सकती हैं जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक दवाओं को पहली बार उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया जा रहा था।

5.23 मीडिया रिपोर्टों में इसके अतिरिक्त वित्तीय स्वास्थ्य प्रणाली पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि करोड़ों लोग बीमारी तथा चिकित्सा की ऊँची कीमतों के कारण हर वर्ष गरीबी के चंगुल में फंस जाते हैं।

5.24 इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यह उम्मीद है कि सरकार ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाएगी जो आम आदमी के स्वास्थ्य देखरेख को प्रभावित करे। आयोग का यह मत है कि गरीबों तथा जरूरतमंदों के मानव अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी कर को नहीं आरोपित किया जाना चाहिए।

च. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुलझाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टान्त मामले

1. पंजाब सरकार द्वारा मालवा क्षेत्र में कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक
(मामला सं0 705/19/2/2011)

5.25 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के उत्तर में पंजाब सरकार ने ऐसे कीटनाशकों के उत्पादन, आयात तथा प्रयोग पर रोक लगा दी है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। राज्य सरकार ने कुछ अन्य खतरनाक कीटनाशकों के सीमित प्रयोग के अतिरिक्त ऐसे कुछ कीटनाशकों का पंजीकरण भी वापस ले लिया है। इसके अतिरिक्त, इसने किसानों को कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग तथा उनके स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के संबंध में शिक्षित करने के लिए उपाय किए हैं।

5.26 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 16 अगस्त, 2011 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के स्वतः संज्ञान के उत्तर में यह सभी कार्रवाई पंजाब सरकार द्वारा की गई थी।

5.27 ''कैन्सर केयर की ट्रेन से सवारी – पंजाब का मालवा क्षेत्र देश को भोजन की आपूर्ति करता है किन्तु यहां के किसान अक्सर कैंसर के शिकार हो जाते हैं, वे सस्ते इलाज के लिए बीकानेर की कैंसर ट्रेन लेते हैं'' शीर्षक से दिनांक 16 अगस्त, 2011 के ''टाइम्स ऑफ इंडिया में एक प्रेस रिपोर्ट छपी। इस न्यूज रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि पंजाब के मालवा क्षेत्र में फसलों पर कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से किसानों के बीच कैंसर का रोग होता है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में कैंसर का सस्ता इलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण लगभग 70–100 कैंसर रोगी निःशुल्क उपचार तथा आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रस्ट में दी जाने वाली किफायती दवाओं के लिए रोज ट्रेन से भटिंडा से बीकानेर जा रहे थे। ये रोगी अधिकतर पंजाब के दक्षिणी जिलों के छोटे किसान थे जिसमें मालवा क्षेत्र के तहत आने वाला भटिंडा, फरीदकोट, मोगा, मुक्तसर, फिरोजपुर, संगरूर तथा मनसा शामिल था।

5.28 आयोग के निर्देशों पर, 20 सितम्बर, 2011 तथा 27 फरवरी, 2012 को पंजाब सरकार से दो रिपोर्टें प्राप्त हुईं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक, पंजाब सरकार से प्राप्त पहली रिपोर्ट को आयोग ने संतोषजनक नहीं

पाया क्योंकि इसमें मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं किया गया था। इसलिए आयोग ने 23 जनवरी, 2012 को कारसीनोजेनिक कीटनाशकों के रोक, कम खतरनाक कीटनाशकों के नियंत्रित प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग के संबंध में किसानों को शिक्षा, उस क्षेत्र में किसानों की नियमित स्वास्थ्य जांच तथा समस्या की गंभीरता का पता लगाने के लिए क्षेत्र में एक सर्वेक्षण करने सहित एक समग्र विस्तृत की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिया।

5.29 उत्तर में, प्रधान सचिव, पंजाब सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भेजी गई दूसरी रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि मालवा क्षेत्र में कपास के फसल की खेती के कारण कीटनाशकों का उपयोग काफी अधिक था। हालांकि, पिछले चार–पांच वर्षों के दौरान कीटनाशकों के प्रयोग में कमी आई थी क्योंकि किसानों ने बी टी काटन उपजाना शुरू कर दिया था जिसमें कपास की पूर्व की किस्मों की तुलना में केवल 20 प्रतिशत कीटनाशकों के प्रयोग की जरूरत होती है। रिपोर्ट में कहा गया था कि किसानों को कीटनाशकों के सावधानीपूर्वक इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा था। जहाँ तक कैंसर के लिए सस्ते उपचार के प्रावधान का संबंध है, पंजाब सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) बी. पी. एल. परिवारों से संबंधित कैंसर रोगियों को पंजाब निरोगी सोसायटी के माध्यम से राज्य बीमारी निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

(ii) मुख्य मंत्री राहत कोष के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा कैंसर रोगियों के इलाज के लिए 20 करोड़ रु0 की निधि अलग की गई थी। प्रत्येक कैंसर रोगी को इलाज के लिए 1.5 लाख तक राशि दी गई थी।

(iii) कैंसर से पीड़ित स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क उपचार मुहैया कराया जा रहा था।

(iv) कैंसर रोगियों के इलाज के लिए पटियाला के सरकारी मेडिकल कालेज तथा अस्पताल में ब्राच थेरेपी मशीन लगाई गई थी।

(v) श्री गुरू गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदकोट में रेडियोथेरेपी मशीन तथा कोबाल्ट यूनिट शुरू की गई थी।

(vi) श्री गुरू राम दास इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेंटर अमृतसर में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए कोबाल्ट स्रोत लगाया गया था।

(vii) सिविल अस्पताल, भटिंडा में आनकोनेट सेवा शुरू की गई थी।

(viii) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट, चंडीगढ़ में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को पंजाब के सभी जिलों से टेली–मेडिसीन सुविधा के माध्यम से जोड़ दिया गया है।

(ix) कैंसर रोगियों को इलाज की सुविधा के लिए पंजाब रोडवेज तथा पी. आर. टी. सी. बसों द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही थी।

(x) राज्य सरकार ने कैंसर तथा ट्रॉमा केयर के लिए सिविल अस्पताल, एस. ए. एस नगर (मोहाली) परिसर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने तथा सिविल अस्पताल, भटिंडा के अहाते में

सुपर स्पेशियलिटी कैंसर तथा कार्डिएक अस्पताल स्थापित करने के लिए मैक्स हेल्थ केयर के साथ एक समझौता तैयार किया है। ये अस्पताल पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं।

5.30 आयोग ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पीड़ितों को उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। यदि इन कदमों को सही तरीके से उठाया जाए तो इनसे भविष्य में अच्छे परिणाम हासिल होंगे। यह उम्मीद व्यक्त करते हुए कि पंजाब सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

2. पानी की कमी से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 2800 निवासी गांव से पलायन करने को मजबूर (मामला सं0 19498/24/50/2011)

5.31 आयोग ने एक प्रेस रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसका शीर्षक था ''लुप्त होते पानी के कारण लोग बोरिया–बिस्तर समेट रहे'' जो दिनांक 23 मई, 2011 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में छपा था। प्रेय रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महोबा के कबराई तहसील में दाधत माफ नामक एक गांव में पीने अथवा अन्य दैनिक जरूरतों के लिए पानी नहीं था। 23 मई, 2011 को छपी रिपोर्ट में यह आरोप था कि उस क्षेत्र के 250 कुंओं में 240 कुएँ पूरी तरह सूख गए थे तथा शेष 10 कुँओं में भी पानी नहीं था। भूमिगत जल का स्तर 120 फीट तक पहुँच गया था जबकि इन क्षेत्रों में किसी कुएँ की औसत गहराई 60–70 फीट होती है। बुन्देलखण्ड का पूरा क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले तथा मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल थे पिछले सात वर्षों के दौरान सूखे की चपेट में था। इन सभी कारणों से महोबा के कबराई तहसील के दाधत माफ गांव के 3000 में से 2800 निवासी गांव छोड़ने को मजबूर हो गए थे।

5.32 प्रेस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख था कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संसाधन तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार ने 200 करोड़ रु0 के आबंटन की घोषणा की थी। हालांकि यह बहुत कम था तथा काफी देर से यह घोषणा की गई थी क्योंकि गर्मी अपने चरम पर थी तथा सूखा क्षेत्र से प्रवास काफी भयावह स्तर पर पहुँच गया था।

5.33 आयोग ने सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवों से एक रिपोर्ट मांगी।

5.34 आयोग को जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार तथा लोक स्वास्थ्य मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्टे प्राप्त हुई है। अनुस्मारक देने के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

3. पूरी दिल्ली में रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक में अत्यधिक हानिकारक रसायन पाए गए (मामला सं0 76/90/0/2011)

5.35 आयोग ने 'टाइम्स आफ इंडिया' में दिनांक 5 सितम्बर, 2011 को ''जहरीला प्लास्टिक आपके घरों में अपनी जगह बना रहा'' शीर्षक से प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। प्रेस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन, टाक्सिक लिंक ने अपने अध्ययन में पूरे शहर में रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक में ब्रोमिनेट्स फ्लेम रिटार्डेन्टस (बी एफ आर) की मौजूदगी पाई। बी एफ आर का प्रयोग इलेक्ट्रानिक उपकरणों में उन्हें अग्निरोधी बनाने के लिए किया जाता है किन्तु ये रसायन मनुष्य के लिए अत्यन्त हानिकारक होते हैं। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया था कि दिल्ली में इ–अपशिष्टों के रिसाइकिलिंग के लिए

लगभग 7,000 प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट समुचित सुरक्षा उपायों को अपनाए बिना काम कर रहे थे। इन इकाईयों में हजारों लोग नौकरी कर रहे थे तथा उन्हें निरंतर बी एफ आर का खतरा बना हुआ था। यह भी आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में तथा उसके आस–पास प्लास्टिक यूनिट बी एफ आर युक्त तथा बी एफ आर विहीन दोनों प्लास्टिक का एक ही इकाई में बिना किसी सावधानी के संचालन कर रहे थे। असंगठित क्षेत्र में रिसाइकिंलिग न केवल व्यावसायिक जोखिम था बल्कि पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण भी था। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया कि इलेक्ट्रानिक तथा इलेक्ट्रिक उपकरणों में हेलोजेन आधारित फ्लेम रिटारडेन्ट्स के प्रयोग पर रोक लगाया जाना चाहिए तथा बी एफ आर मुक्त उत्पादों का प्रयोग करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

5.36 आयोग ने स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा वन, श्रम एवं उद्योग मंत्रालयों, भारत सरकार के सचिवों के साथ–साथ मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से रिपोर्ट देने को कहा।

5.37 आयोग को निदेशक (पर्यावरण), पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि विभाग ने इ अपशिष्ट के समुचित तरीके से निपटारे के लिए कई सक्रिय कदम उठाए थे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार नियमित रूप से इ अपशिष्ट के प्रबन्धन का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नियमों को हैण्डल करने एवं इलेक्ट्रनिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबन्धन तथा इसका निपटारा करने के लिए साझेदारों के साथ नियमित रूप से चर्चा कर रही थी।

5.38 आयोग को स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं वन, श्रम एवं उद्योग मंत्रालयों, भारत सरकार के सचिवों से कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

4. छत्तीसगढ़ में एक शल्य शिविर में 25 लोगों ने अपनी दृष्टि गंवाई
(मामला सं0 533/33/5/2011)

5.39 मीडिया में खबर आई कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बलोद में 21 से 31 सितम्बर, 2011 को सरकार द्वारा आयोजित एक शिविर में सर्जरी के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 25 अन्य की एक आँख की रोशनी चली गई। यह आपरेशन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के भाग के रूप में किया गया था।

5.40 मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कई अन्य लोगों को भी यही डर था क्योंकि उसी शिविर में उनकी आंखों से कैटरेक्ट निकालने के बाद उन्हें संक्रमण हो गया था। शिविर के दौरान कथित रूप से 334 रोगियों का आपरेशन किया गया था। यह खबर थी कि रोगियों, जिनमें से अधिकांश किसान थे, को शल्य प्रक्रिया में खामियों तथा आपरेशन थियेटर में समुचित धूमन की कमी के कारण संक्रमण हुआ।

5.41 आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में विशिष्ट सूचना के साथ एक रिपोर्ट माँगते हुए नोटिस जारी कियाः–

(i) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बलोद में जिन 334 रोगियों का आपरेशन हुआ था, उनमें से प्रत्येक के स्वास्थ्य की स्थिति।

(ii) राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों को क्या चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी?

(iii) क्या पीड़ितों को किसी प्रकार का मुआवजा देने का सरकार का कोई प्रस्ताव था?

5.42 छत्तीसगढ़ सरकार से आयोग को अभी तक अपेक्षित रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

5. कानपुर में उरसला अस्पताल कर्मचारी की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत
(मामला सं0 31025/24/43/2011)

5.43 शिकायतकर्त्ता जो एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता है, ने बताया कि सिकन्दर खान नामक एक व्यक्ति को 29 जुलाई, 2011 को बिजली के करंट से हुए जलने के जख्म के लिए कानपुर के उरसला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने आरोप लगाया कि 30 जुलाई, 2011 को तड़के लगभग 3.30 बजे कुछ आवारा कुत्ते वार्ड में दाखिल हुए तथा सिकन्दर खान पर हमला कर दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

5.44 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कानपुर ने सर्किल अधिकारी की रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट भेजी। इन रिपोर्टों में इस आरोप से इंकार किया गया कि आवारा कुत्तों के कारण मौत हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार, सिकन्दर खान को 26 जुलाई, 2011 को गंभीर हालत में उरसला अस्पताल के एन. बी–I वार्ड में भर्ती किया गया था। 30 जुलाई, 2011 को तड़के 6.30 बजे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद डयूटी पर तैनात डा0 अनिल शुक्ला ने सफाई कर्मचारी पंकज कुमार को लाश को शवगृह में रखने का निर्देश दिया। फिर भी, पंकज कुमार ने डयूटी पर तैनात डाक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। कुछ आवारा कुत्ते सुबह 6.30 बजे से 7.00 बजे के बीच वार्ड में घुस आए तथा शव को क्षति पहुँचाई। डयूटी पर तैनात चौकीदार शंकर लाल तथा स्टाफ नर्स राममूर्ति वाजपेयी को लापरवाही एवं अपने कर्त्तव्य में चूक के लिए दोषी पाया गया। शंकर लाल तथा पंकज कुमार को सेवा से निकाल दिया गया तथा राममूर्ति वाजपेयी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शव–परीक्षा करने वाले सर्जन ने मौत का कारण ''मरने से पहले हुए जलने के घाव से सदमे तथा विषाक्तता'' को माना।

5.45 आयोग ने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार किया तथा कहा कि रिपोर्टो से यह पूरी तरह स्पष्ट था कि मृतक सिकन्दर खान की मौत आवारा कुतों के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसकी लाश को कुत्तों ने क्षति पहुँचाई। अस्पताल कर्मचारी को लापरवाही तथा अपने कर्त्तव्य की अवहेलना का दोषी पाया गया जिसके कारण सिकन्दर खान की लाश का अपमान हुआ। चूँकि मृत्यु की गरिमा जीवन की गरिमा का ही भाग है, इसलिए आयोग ने कहा कि राज्य मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि मृतक तथा उसके परिजनों के अधिकारों का इस मामले में उल्लंघन हुआ था। इसलिए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(प) के तहत् उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से इस बात का कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया है कि मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की आयोग क्यों न संस्तुति करे। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर आयोग के विचाराधीन है।

6. चिकित्सीय लापरवाही तथा प्रजनन अधिकार
(मामला सं0 341/33/7/2011)

5.46 आयोग को दिलीप सिंह जूदेव, संसद सदस्य (लोक सभा), जशपुर, विलासपुर, छत्तीसगढ़ से 23 जुलाई, 2011 को एक शिकायत प्राप्त हुई कि लैप्रोस्कापी, टयूबेक्टामी के आपरेशन के चार वर्षों के बाद एक दम्पत्ति को

4 जनवरी 2006 को अंधी लड़की पैदा हुई। यह भी आरोप लगाया गया था कि सर्जीकल आपरेशन की विफलता के कारण उस बच्चे का जन्म हुआ था। आयोग ने इस मामले पर विचार करने के पश्चात् मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार से की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट मांगी।

5.47 इसके उत्तर में सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, सामाजिक कल्याण विभाग, रायपुर ने दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के पत्र द्वारा कहा कि सरस्वती नामक उस लड़की का जन्म टयूबेक्टामी आपरेशन के बाद हुआ था। इस समय उस बच्चे की उम्र 5 वर्ष 10 महीने थी तथा 6 वर्ष की होते ही उसे किसी स्कूल में दाखिल किया जाएगा तथा उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाएँगे। इस समय वह एक आंगनवाड़ी में जा रही थी।

5.48 12 दिसम्बर, 2011 को इस मामले पर विचार करते समय आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा कि दिनांक 25 नवम्बर, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार यह स्वीकार किया गया है कि बेबी सरस्वती का जन्म उसकी माँ के टयूबेक्टामी आपरेशन के बाद हुआ। यह डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुआ। तदनुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत् मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर को इस बात का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि मनपती पत्नी चंद्र नाथ को आर्थिक सहायता का भुगतान करने की संस्तुति क्यों नहीं की जाए जिसका 21 दिसम्बर, 2002 को लैप्रोस्कॉपी टयूबेक्टामी का आपरेशन हुआ था। मुख्य सचिव को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया गया कि क्या मनपती के परिवार को कोई अन्य लाभ दिया गया था।

5.49 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर को 15 दिसम्बर, 2011 को एक कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद 8 फरवरी 2012 को एक अनुस्मारक भेजा गया था। बहरहाल, आयोग को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

5.50 इसके बाद आयोग ने इस मामले पर 6 मार्च, 2012 को विचार किया तथा कहा कि ऐसा प्रतीत होता था कि राज्य सरकार को इस मामले में कुछ नहीं कहना था। इस प्रकार, इसने पीड़ित मनपती को अंतरिम राहत के रूप में 1,00,000/–रु0 के भुगतान की संस्तुति की तथा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर को पीड़ित को किए गए भुगतान का प्रमाण भेजने का निर्देश दिया।

5.51 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथा यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

7. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के साम्वली स्थित चमत्कारिक हनुमान मंदिर में दुःख में दिन काट रहे गंभीर मानसिक रोगी
(मामला सं0 590/12/11/2011)

5.52 डॉ0 तपस कुमार रे ने दिनांक 6 अप्रैल, 2011 की एक शिकायत में आयोग का ध्यान एक 11 वर्षीय बेसहारा तथा मानसिक रूप से मंद लड़की की दुखद मौत की तरफ आकर्षित किया जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सम्वली स्थित चमत्कारिक हनुमान मंदिर में पिछले 2 वर्षों से बदहाली में जी रही थी जहाँ बड़ी संख्या में मानसिक रोगी बिना किसी देख–रेख के रह रहे हैं।

5.53 आयोग ने इस मामले की जांच करने के लिए अपने अन्वेषण प्रभाग की एक टीम भेजी। इस टीम ने 4 से 8 मई, 2011 के बीच मंदिर का दौरा किया तथा अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सुझाव दिया :

(i) जिला प्रशासन के नियंत्रण के अधीन एक ट्रस्ट का गठन किया जाए जो मंदिर की देख–रेख कर सके; (ii) मंदिर के नजदीक एक दवाखाना स्थापित किया जाए जिसमें एक मनोचिकित्सक तथा एक चिकित्सक हो; (iii) मेडिकल शिविर आयोजित करना तथा नागपुर मानसिक अस्पताल, महाराष्ट्र से मनोचिकित्सकों के दौरे की व्यवस्था करना; (iv) मंदिर में तकलीफ में दिन काट रहे गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज के लिए तत्काल मानसिक अस्पताल भेजना; (v) उपयुक्त साफ–सुथरा एवं पर्याप्त आवास तैयार करना; तथा (vi) रोगियों एवं उनके रिश्तेदारों के लिए एक परामर्श केंद्र स्थापित करना।

5.54 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया कि (क) रोगियों की देखरेख करने के लिए जिला अधिकारियों को एक गैर सरकारी संगठन को काम में लगाना चाहिए; तथा (ख) मंदिर में रोगियों की जांच करने तथा पुराने रोगियों को नजदीक के अस्पतालों में विशेष इलाज के लिए भेजने की सिफारिश करने हेतु डाक्टरों का एक कोर ग्रुप गठित किया जा सकता है।

5.55 आयोग का दृष्टिकोण यह है कि मानसिक स्वास्थ्य मानव अधिकार का एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि मानसिक रोगी मानव अधिकारों के हनन् तथा गरिमा के साथ जीने के अधिकार के दृष्टिकोण से सबसे अधिक कमजोर हैं। चूंकि उन्हें इलाज कराने के अपने अधिकार से प्रायः वंचित किया गया था, इसलिए आयोग ने अपनी टीम द्वारा सौंपी गई सिफारिशों को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार तथा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को इस मुद्दे पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट देने के निर्देश सहित भेज दिया।

5.56 यह मामला आयोग के विचाराधीन है

8. भारत में विभिन्न दवा परीक्षणों के लिए महिलाओं का इस्तेमाल
(मामला सं0 765/1/7/2011)

5.57 आइ बी एन लाइव इंडिया ने ''महिलाएँ यहाँ गिनी पीग्स हैं'' शीर्षक से 18 जून, 2011 को एक कार्यक्रम प्रसारित किया जिसमें उन गरीब महिलाओं की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया था जिन्हें अपने ऊपर कैंसर की दवाओं का क्लीनीकल परीक्षण कराने के लिए लुभाने हेतु एक मामूली रकम की पेशकश की जा रही थी। दिनांक 18 जून, 2011 के 'मेल टूडे' में एक दूसरी कहानी प्रकाशित की गई थी जिसका शीर्षक था ''अवैध दवा परीक्षण के बाद आंध्र की 6 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती किया गया''। उसी समाचार पत्र में एक दूसरी कहानी प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था ''सस्ते दवा परीक्षणों के लिए भारत एक आसान निशाना''। यह खबर छपी थी कि भारत में नैदानिक परीक्षण की प्रभावी निगरानी करने के लिए कोई कानून नहीं है।

5.58 इस संबंध में आयोग की अन्वेषण प्रभाग की एक टीम ने तथ्यों का पता लगाने के बाद कुछ सिफारिशें की। आयोग ने सचिव, स्वास्थ्य, भारत सरकार; सचिव, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा भारत के औषध महानियंत्रक से निम्नलिखित प्रश्न पूछे :

(क) औषध परीक्षण करने तथा मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पताओं में आचार समितियों के गठन के लिए क्या दिशानिर्देश तथा विनियम बनाए गए हैं?

(ख) भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा किसी प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद औषध परीक्षण की अनुमति के लिए आचार समिति द्वारा किस दिशानिर्देश का पालन किया जाएगा?

(ग) आचार समितियाँ सुचारू रूप से कार्य करें यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षोपाय हैं?

(घ) भारत में दवा परीक्षण की स्वीकृति हेतु मिलने वाले आवेदनों से निपटने के लिए क्या भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय में पर्याप्त आधारभूत संरचना है?

(ड़) दवाओं के परीक्षण के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में लोगों की मृत्यु के मामले में, कारण एवं कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए क्या प्राधिकारियों द्वारा अध्ययन किए गए हैं?

(च) क्या ऐसे पीड़ितों अथवा उनके निकटतम रिश्तेदारों, जिनकी मृत्यु प्राधिकृत अथवा गैर प्राधिकृत दवाओं के परीक्षण के दौरान होती है, को मुआवज़ा देने के लिए कोई एकरूप नीति है?

(छ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन में से अनेक दवाओं का परीक्षण अन्यत्र भी किया जा सकता है, देश में परखी जाने वाली दवाओं की प्रकृति के संबंध में भारत सरकार की क्या नीति है?

5.59 उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर 31 मार्च, 2012 तक आयोग को प्राप्त नहीं हुए थे।

अध्याय - 6

भोजन का अधिकार

6.1 भोजन का अधिकार एक मानव अधिकार है जिसे सुरक्षित एवं पोषक भोजन तक पहुँच के सभी मनुष्यों के अधिकार तथा भूख से छुटकारा पाने के मौलिक अधिकार की रक्षा करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत् मान्यता प्राप्त है। मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र (यू डी एच आर), आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (आई. सी. इ एस. सी. आर), महिलाओं के प्रति भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय (सी इ डी ए डब्ल्यू) तथा बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय (सी.आर.सी.) में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त आइ सी इ एस सी आर के सामान्य टिप्पणी सं0 12 (जी सी 12) तथा विश्व खाद्य सुरक्षा के रोम घोषणापत्र 1996 सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र तथा प्रस्तावों में पर्याप्त भोजन के अधिकार की व्याख्या करने तथा उसे सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है।

6.2 भोजन का अधिकार स्वास्थ्य, जीवन, जल तथा समुचित आवास के अधिकार जैसे अन्य मानव अधिकारों की प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। फिर भी, भोजन का अधिकार कई लोगों के लिए विशेषकर समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग के लिए एक दिवा स्वप्न बना हुआ है। भोजन का अधिकार भारत के संविधान के कई प्रावधानों में अंतर्निहित है। मौलिक अधिकारों के भाग III में अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि ''किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसके जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।'' बहरहाल, इस अनुच्छेद में 'जीवन' शब्द की व्याख्या विवेकपूर्ण ढंग से की गई है जिसका अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार से है न कि महज निर्वाह करने अथवा जीवित रहने से है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, ''जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा इसके साथ जुड़ा सब कुछ शामिल है नामतः जीवन की जरूरतें यथा पर्याप्त पोषण, वस्त्र एवं आवास''। इस प्रकार इसमें उन सभी पहलूओं को शामिल किया गया है जिससे जीवन अर्थपूर्ण एवं संपूर्ण बने। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के भाग IV में अनुच्छेद 39(क) में यह प्रावधान किया गया है कि पुरूषों एवं महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि ''राज्य अपनी जनता के पोषण के स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपना प्राथमिक कर्त्तव्य समझेगा।

6.3 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी स्थापना के समय से ही खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को यथोचित महत्त्व दिया है। इसने सदैव यह माना है कि भोजन का अधिकार जीने के अधिकार का अभिन्न भाग है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में अधिष्ठापित है। तद्नुसार, इसने उड़ीसा के कालाहांडी, बोलांगिर एवं कोरापुट (के.बी.के.) जिलों में भूख से हुई मौतों का संज्ञान लिया क्योंकि भुखमरी जीने के अधिकार का घोर उल्लंघन है। वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग ने के बी के जिलों के लिए दीर्घावधि कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने अपने एक विशेष संपर्ककर्त्ता श्री दामोदर षडंगी को के बी के जिलों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले कार्यक्रमों

की पहचान के लिए उड़ीसा के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। यह बैठक 10 अक्टूबर, 2011 को आयोजित की गई थी। विशेष संपर्ककर्त्ता ने 16 दिसम्बर, 2011 को अपनी रिपोर्ट आयोग को यह कहते हुए भेजी कि 1 दिसम्बर, 2011 को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों के साथ चर्चा करने के बाद इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सहमति हुई (i) पी डी एस सहित सामाजिक सुरक्षा योजना (ii) स्वास्थ्य सेवाएँ; (iii) स्कूल एवं जन शिक्षा; (iv) कृषि; (v) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का विकास; तथा (vi) रोजगार सृजन। बहरहाल, उड़ीसा सरकार से विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति संबंधी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

6.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को भूख से छुटकारा मिले आयोग ने भोजन के अधिकार पर एक कोर समूह का गठन किया है जिसमें देशभर से विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। आयोग ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण, भारत सरकार से भी 21 मार्च, 2011 को अनुरोध किया कि वह खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे की जांच के लिए इसे भेजे। भोजन के अधिकार को शामिल करने वाले कुछ अन्य कार्यक्रम नीचे दिए गए है।

क. भारत के 28 चयनित जिलों में मानव अधिकार जागरूकता तथा मानव अधिकार कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन को सुकर बनाना।

6.5 मानव अधिकार जागरूकता का प्रसार करने के साथ–साथ सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएँ योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आदि सहित भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए आयोग ने देश के सबसे अधिक पिछड़े जिलों में कुछ का दौरा करने का कार्यक्रम शुरू किया है ताकि देश के दूर–दराज के हिस्सों में अपनी पहुँच बढ़ाएं। इस उद्देश्य के लिए इसने देश में प्रत्येक राज्य से एक पिछड़े जिले को शामिल करते हुए 28 पिछड़े जिलों की पहचान की है।

6.6 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, पुलिस थानों, जेलों, पंचायतों, जन वितरण प्रणाली के तहत् काम कर रहे राशन की दुकानों, जिला खाद्य कार्यालय, बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे विभिन्न विभागों का क्षेत्र दौरा करके खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, हिरासतीय न्याय, स्वास्थ्य, सफाई तथा स्वच्छता आदि जैसे केंद्रीय मानव अधिकार के मुद्दों पर चिह्नित जिलों में लोगों के बीच समझ का प्रसार करना है। साथ–साथ ''मानव अधिकार जागरूकता तथा जिला स्तर प्रशासन पर मानव अधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा प्रवर्तन को सुकर बनाने'' पर एक कार्यशाला का आयोजन करना है। प्रत्येक चयनित जिले में एक कार्यशाला के आयोजन का मूल उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना तथा विशिष्ट मानव अधिकार के मुद्दों पर समय–समय पर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के पालन का निरीक्षण करना है।

6.7 2008 से 2011 तक आयोग ने 16 जिलों का दौरा किया है। इन जिलों के नाम हैं : चम्बा (हिमाचल प्रदेश), अंबाला (हरियाणा), उत्तरी सिक्किम (सिक्किम), जलपाईगुरी (पश्चिम बंगाल), धलाई (त्रिपुरा), दक्षिणी गारो पहाड़ियाँ (मेघालय), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), दांग (गुजरात), दक्षिणी गोवा (गोवा), वयनार (केरल), जमुई (बिहार), होशियारपुर (पंजाब), कालाहाण्डी (उड़ीसा), सैहा (मिजोरम), चतरा (झारखण्ड) तथा तिरूअन्नामलाई (तमिलनाडु)।

ख. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

6.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जन वितरण प्रणाली में अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही हैं। इनमें से कई शिकायतों में यह आरोप लगाया गया है कि योग्य व्यक्तियों को बी पी एल कार्ड से वंचित किया गया जबकि कई अयोग्य व्यक्ति ऐसे कार्ड, प्राप्त करने में सफल हो गए। इस प्रकार, आयोग भोजन के अधिकार संबंधी अपने कोर समूह की बैठकों में नियमित चर्चा के जरिए तथा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष संपर्ककर्त्ताओं तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों के माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र तथा राज्यों के प्रयासों की निरंतर समीक्षा कर रहा है।

6.9 एक बैठक में आयोग ने यह मत दिया कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केवल अनुदेश जारी कर देना ही पर्याप्त नहीं था। जमीनी स्तर पर विभिन्न खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण था ताकि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए समग्र प्रयासों के सही प्रभाव का पता चल सके। इसलिए, आयोग ने बिहार में व्याप्त खाद्य सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए बिहार राज्य का दौरा किया। इस उद्देश्य के लिए एक फार्मेट बनाया गया तथा उसे राज्य सरकार को अपने द्वारा लागू किए गए विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान करने के लिए भेजा गया।

6.10 उसके बाद, सदस्य श्री पी. सी. शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने जमीन पर खाद्य सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करने के लिए 18 फरवरी, 2012 को आरा जिले का दौरा किया।

6.11 इस प्रतिनिधिमंडल ने सर्वप्रथम आरा जिले के कोईलवर ब्लाक में गिद्धा गांव में सरकारी माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। दौरे के समय, लगभग 600 छात्रों को मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा था। उस दिन मध्याह्न भोजन का मेनू था चावल, दाल एवं चोखा (आलू का व्यंजन)। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल को मध्याह्न भोजन के लिए अनाज तथा अन्य सामानों की आपूर्ति दाखिल छात्रों के केवल 60% के लिए की जाती थी। उसने यह भी बताया कि स्कूल के प्रत्येक छात्र के लिए केवल 2.92 पैसे प्रतिदिन की राशि मंजूर की गई थी तथा उक्त राशि छात्रों को एक अच्छी गुणवत्ता वाला संतुलित भोजन देने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

6.12 इस प्रतिनिधिमंडल ने उसके बाद गिद्धा गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों को प्रतिदिन खिचड़ी, दलिया अथवा पोहा जैसे पोषक आहार दिए जाते थे। उसने यह भी बताया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ–साथ गर्भवती एवं दूध पिलानेवाली माताओं को भोजन प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी को पर्याप्त राशन की आपूर्ति की जाती थी।

6.13 इस प्रतिनिधिमंडल ने 18 फरवरी, 2012 को आरा के जिला अधिकारियों से भी मुलाकात की। आरा के जिला मजिस्ट्रेट ने आरा में राज्य सरकार द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि लाभार्थियों को जन वितरण प्रणाली के तहत् फूड कूपनों के जरिए राशन दिया जा रहा था। कुल मिलाकर, आरा में उचित दर की 1400 दुकानें थी। इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट के साथ इस प्रतिनिधिमंडल ने आरा के वार्ड नं0 42 में उचित दर की एक दुकान का दौरा किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा दुकान में मौजूद अनाज की गुणवत्ता तथा फूड कूपनों की जांच की गई। उचित दर की दुकान के

मालिक द्वारा यह बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा गठित स्थानीय सतर्कता निगरानी समिति द्वारा दुकान के काम–काज की नियमित रूप से निगरानी की जा रही थी।

6.14 इसके बाद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ–साथ ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार विभागों जैसे अन्य विभागों के वरिष्ठ एवं मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिनमें वे अधिकारी भी शामिल थे जो राज्य सरकार में मध्याह्न भोजन तथा आई सी डी एस जैसी योजनाओं की निगरानी कर रहे थे। मुख्य सचिव ने बिहार सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी तथा यह कहा कि राज्य के पास अन्न का पर्याप्त भंडार था जिस का सरकारी तथा निजी गोदामों में भंडारण किया गया था। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि किसी भी स्टाक को खुले में नहीं रखा गया था।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए भोजन के अधिकार संबंधी दृष्टान्त मामले

1. कुरूक्षेत्र, हरियाणा के दो सरकारी स्कूलों मे मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्कूली बच्चे बीमार पड़े (मामला सं0 1866/7/11/2011)

6.15 15 जुलाई, 2011 को 'द ट्रिब्यून' में 'मध्याह्न भोजन में छिपकली, 42 स्कूली बच्चे बीमार पड़े'' शीर्षक से छपी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने उसी दिन इस मामले का संज्ञान लिया। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कुरूक्षेत्र में दो सरकारी स्कूलों के स्कूली बच्चों को परोसे गए मध्याह्न भोजन में एक छिपकली पाई गई। खाना खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए तथा उल्टी करने लगे। आयोग ने सचिव (स्वास्थ्य), हरियाणा सरकार को चार हफ्तों के भीतर इस घटना के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

6.16 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, हरियाणा के कार्यालय में उपनिदेशक (इ पी आई) ने यह कहते हुए 16 सितम्बर, 2011 को एक रिपोर्ट भेजी कि 14 जुलाई, 2011 को थानेसर ब्लाक में लगभग 50 स्कूली छात्र इसकान, कुरूक्षेत्र द्वारा दिए गए मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार पड़ गए। सभी छात्रों को इलाज के लिए एल एन जे पी अस्पताल कुरूक्षेत्र लाया गया। उनमें से 19 को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया तथा बाकियों को प्राथमिक उपचार देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बाद में स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय; हरियाणा के डा0 डी. पी. लोचन, सिविल सर्जन, कुरूक्षेत्र ने कुरूक्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अस्पताल का दौरा किया। शाम तक सभी छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया।

6.17 16 जुलाई, 2011 को पेहोबा ब्लाक में लगभग 238 स्कूली बच्चे इस्कान, कुरूक्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार पड़ गए। इनमें से 13 छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पेहोबा में भर्ती कराया गया। उन सभी को शाम में डिस्चार्ज कर दिया गया।

6.18 रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि थानेसर ब्लाक में 14 जुलाई, 2011 को मध्याह्न भोजन के 5 नमूने एकत्रित किए गए। उसमें से एक नमूने को एक मरी हुई छिपकली के कारण विषाक्त पाया गया। निर्विवाद रूप से वह नमूना मनुष्य के भोजन के लिए उपयुक्त नहीं था। रिपोर्ट अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु अपर उपायुक्त, कुरूक्षेत्र को भेज दी गई।

6.19 पेहोबा ब्लाक में भी 16 जुलाई, 2011 को मध्याह्न भोजन के तीन नमूने लिए गए। एक नमूने को दो मृत मक्खियों के कारण दूषित पाया गया तथा वह मनुष्य के भोजन के लिए उपयुक्त नहीं था। रिपोर्ट अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु फिर अपर उपायुक्त, कुरूक्षेत्र को भेज दी गई।

6.20 लडवा ब्लाक में 5 अगस्त, 2011 को मध्याह्न भोजन के दो नमूने एकत्रित किए गए। एक नमूने को एक मरी छिपकली के कारण विषाक्त पाया गया। रिपोर्ट एक बार फिर अगली कार्रवाई हेतु अपर उपायुक्त, कुरूक्षेत्र को भेज दी गई।

6.21 हालांकि इन सभी रिपोर्टों में दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

6.22 आयोग ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 की अपनी कार्यवाहियों द्वारा यह माना कि यह एक स्थापित तथ्य था कि थानेसर, पेहोबा तथा लडवा ब्लाकों के स्कूली बच्चे अपने अपने स्कूलों द्वारा परोसे गए मध्याह्न भोजन को खाने के बाद बीमार पड़े थे तथा यह स्कूली बच्चों के मानव अधिकारों के हनन् का उपयुक्त मामला था।

6.23 तदनुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क)(i) के तहत् मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को इस बात का कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि प्रभावित बच्चों को अंतरिम आर्थिक सहायता क्यों नहीं प्रदान की जाए।

6.24 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में एक उत्तर देने को कहा गया तथा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, हरियाणा सरकार को भी दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के बारे में एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया।

6.25 उपरोक्त मामले पर राज्य सरकार से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

2. असम के कचर जिले में भूख से तथाकथित मौत
(मामला सं0 39/3/2/2012)

6.26 द एशिएन ह्यूमन राइट्स कमिशन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने अक्टूबर, 2011 में असम के कचर जिले में भूवन वैली चाय बागान के बंद होने के कारण 10 मजदूरों की भूख से हुई मौत की ओर आयोग का ध्यान आकृष्ट किया। यह शिकायत असम स्थित एक मानव अधिकार समूह बराक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी (बी एच आर पी सी) से गैर सरकारी संगठन को प्राप्त सूचना पर आधारित थी। शिकायत के अनुसार, काम की भयावह दशाओं के कारण जो उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी नहीं दे पाया, मजदूरों का स्वास्थ्य गिरने से तथा भूख से उनकी मौत हो गई। बी एच आर पी सी के तथ्यान्वेषी मिशन द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मजदूरों को अत्यधिक काम करने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें बहुत ही कम मजदूरी का भुगतान किया गया तथा काम के समय किसी भी प्रकार का चिकित्सीय उपचार नहीं मुहैया कराया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि मूलभूत चिकित्सा देखरेख तथा खाद्य वितरण उन मजदूरों तक नहीं पहुँचा जिन्होंने अपनी जीविका गंवा दी थी। इस मामले में 8 अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं तथा उन सभी को इस मामले के साथ उठाया गया।

6.27 आयोग ने दिनांक 27 फरवरी, 2012 की अपनी कार्यवाही द्वारा इस शिकायत का संज्ञान लिया तथा मुख्य सचिव, असम सरकार से एक रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

3. मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में आवश्यक उत्पादों के वितरण में तथाकथित अनियमितता (मामला सं0 27/15/2011)

6.28 पी बी सी एच आर के सलाहकार डा0 मोहन लाल पांडा ने पूर्वी खासी हिल्स जिले में डांगरूम मावसीनराम केंद्र में ग्राम प्रधान की पत्नी व्यापारी असोरदा मारवानिआंग द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता के संबंध में आयोग में शिकायत की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पूर्वी खासी हिल्स जिले में मावसीनराम ग्राम के 17 परिवारों को 2002 से 2010 तक उचित दर की दुकान से आवश्यक वस्तुएँ मुहैया नहीं कराई गई थी। जब उन्होंने गांव में सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए अनाजों के संबंध में आर टी आई अधिनियम के तहत् सूचना मांगी तो व्यापारी के कहने पर उन सभी को गांव से बाहर निकाल दिया गया।

6.29 इस संबंध में ईस्ट खासी हिल्स जिले के अपर उपायुक्त ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें यह कहा गया कि डांगरूम मावसीराम की कार्यकारी समिति ने 27 जुलाई, 2011 को एक बैठक बुलाई थी तथा इस मामले को सुलझा लिया गया था। असोरदा मारबागिंआंग एवं ए. डब्ल्यू खरसेन्डी (ट्रेडर) ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अपनी गलती स्वीकार की तथा सात दिनों के अंदर परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया जिस पर सभी शिकायतकर्त्ता सहमत हो गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि डांगरूम मानसीराम की कार्यकारी समिति इलाके के कुछ सदस्यों पर लगाए गए सामाजिक बहिष्कार को हटाने पर सहमत हो गई थी।

6.30 इस मामले की आयोग द्वारा निगरानी की जा रही है।

अध्याय - 7

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार

7.1 भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदियों से सबसे अधिक उपेक्षित, शोषित एवं हाशिए पर रहे हैं। अस्पृश्यता का दंश भारतीय सभ्यता पर एक कलंक है। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर आधारित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को बदलने के लिए संविधान की योजना में तीन मुखी रणनीति परिलक्षित होती है। इसमें शामिल है (क) समानता लाने तथा अशक्तता दूर करने के लिए रक्षात्मक उपाय; उन पर की जाने वाली शारीरिक हिंसा के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई का उपबन्ध करना; प्रचलित व्यवस्थाओं को खत्म करना जो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं तथा उनके हितों, अधिकारों तथा उनको गारंटित लाभों की रक्षा के लिए स्वायत्त प्रहरी संस्थानों का गठन करना; (ख) प्रतिपूरक भेद–भाव – इसके द्वारा लोक सेवाओं, प्रतिनिधित्व निकायों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रावधानों को लागू करना; तथा (ग) विकास के उपाय – संसाधनों के आबंटन एवं लाभों के वितरण को शामिल करते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य समुदायों के बीच की आर्थिक स्थितियों एवं सामाजिक स्थिति में अंतर को पाटना।

7.2 इस रणनीति को बाद में राज्य नीति में व्यवहार में लाया गया तथा तभी से इस नीति के प्रति प्रतिबद्धता भारतीय राज्य की एक विशेषता रही है। इस नीति को मजबूत बनाया गया है तथा इसमें संशोधन किया गया है। साथ ही, समय–समय पर इसके क्षेत्र में विस्तार किया गया है।

7.3 जहाँ तक रक्षात्मक व्यवस्थाओं का संबंध है, तो संविधान में उन प्रथाओं, रिवाजों एवं संस्थागत व्यवस्थाओं का उन्मूलन करने के लिए व्यापक ढ़ांचे का प्रावधान किया गया है। सिविल अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1955, बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; समान वेतन अधिनियम, 1976 अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979; बाल श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिर पर मैला ढ़ोने वालों को नियोक्त करने एवं शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 जैसे संवैधानिक प्रावधानों को व्यवहार में लाने के लिए कानून बनाए गए हैं।

7.4 नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1955 का मुख्य उद्देश्य समानता प्राप्त करना है। इसलिए अधिनियम के तहत् अस्पृश्यता का उपदेश देना अथवा इसके आचरण अथवा उससे उत्पन्न होनेवाले तथा उससे जुड़े हुए मामलों के लिए किसी भी अशक्तता का प्रवर्तन एक संज्ञेय एवं अप्रशमेय अपराध है। कथित अधिनियम तथा इसके नियमों में विशेष न्यायालयों, विशेष अभियोजन, जांच के लिए समयावधि तय करने आदि का प्रावधान कर पीड़ितों को सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विस्तुत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य उन पर होने वाले शारीरिक उत्पीड़न के विरूद्ध निवारक का निर्माण करना है। इस अधिनियम तथा इसके नियमों में अपराधों की जांच के लिए तथा ऐसे अपराधों के शिकार लोगों को सहायता एवं उनके पुनर्वास के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।

साथ ही, अपराधियों को कड़ी सजा एवं पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। हालांकि, व्यवहार में इन दो कानूनों का उपयोग काफी सीमित है। अधिकांश मामलों में यह पाया गया है कि आज भी जब कभी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मानव अधिकारों का हनन होता है तो संदर्भित दोनों कानूनों से संबंधित धाराओं के बदले भारतीय दंड संहिता की धाराएँ लगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन इन विधानों के तहत् अपने स्तर पर मामलों का संज्ञान नहीं लेते जब तक कि आयोग द्वारा निर्देश नहीं दिया जाए।

7.5 प्रतिपूरक भेद–भाव से संबंधित रणनीति की झलक लोक सेवाओं में भर्ती एवं प्रोन्नति में पदों के आरक्षण, केंद्र, राज्य में विधायी निकायों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर निकायों में सीटों के आरक्षण, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में दाखिले में सीटों के आरक्षण के लिए उपबन्धों को बनाने में मिलती है जिसमें पात्रता एवं योग्यता में छूट भी शामिल है। इसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना था कि इन समुदायों के सदस्यों का अधिकार वाले पदों तथा नीति निर्माण में हिस्सेदारी हो, साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी अवसर प्राप्त हों।

7.6 इस रणनीति का तीसरा भाग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर केंद्रित एवं उनके व्यापक विकास से संबंधित था जिसे निधि के आवंटन एवं इन समुदायों के सदस्यों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत् विनिर्दिष्ट लाभों के जरिए व्यवहार में लागू किया गया ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ने के जरिए के रूप में सुधार सकें। इसे योजना की प्रक्रिया के तहत् एक तंत्र का निर्माण कर हासिल करने की कोशिश की गई थी जिसके माध्यम से बजटीय संसाधनों के एक निश्चित प्रतिशत को इन समुदायों के लाभ के लिए अलग किया जा सके। अनुसूचित जातियों के संबंध में इसे एक विशेष घटक योजना के रूप में जाना जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित एजेंसियों को राज्य तथा केंद्र में, जैसी स्थिति हो, अनुसूचित जातियों की आबादी के प्रतिशत के कम–से–कम समकक्ष संसाधनों के प्रतिशत के आवंटन द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक अलग योजना तैयार करनी चाहिए। इस प्रावधान को केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुछ संसाधनों के आवंटन द्वारा, जिसे विशेष केंद्रीय सहायता के नाम से जाना जाता है और अधिक मजबूत किया गया। जिसका उपयोग विशेष घटक योजना के तहत विनिर्दिष्ट निधियों के अतिरिक्त किया जाएगा।

7.7 समय बीतने के साथ प्रहरी संस्थानों को गठित करने के लिए कानून बनाए गए ताकि इस बात की निगरानी की जा सके कि लक्षित समुदायों तक लाभ पहुँच रहे थे या नहीं तथा उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षोपाय सुनिश्चित किए जा रहे अथवा नहीं। इनमें से कुछ संस्थानों के नाम इस प्रकार हैं; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इनमें से बाद के तीन संस्थान समाज के सभी वर्गों की शिकायतों को अपने विशिष्ट अधिदेश के तहत् सुनते हैं।

7.8 समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में आयोग की गतिविधियाँ मुख्यतः शिकायतों की सुनने तथा उन्हें राहत प्रदान करने पर केंद्रित रहीं। इस के द्वारा शुरू की गई अन्य गतिविधियों की सूची नीचे दी गई है।

(क) बंधुआ एवं बाल मजदूरी के मुद्दों के उन्मूलन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रकोष्ठ का गठन

7.9 आयोग बंधुआ एवं बाल मजदूरी के मुद्दों पर सभी साझेदारों को सुग्राही बनाने के लिए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रवार समीक्षाएँ कर रहा है तथा साथ–साथ कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। अगस्त, 2011 में

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बंधुआ एवं बाल मजदूरी के मुद्दों की निगरानी करने के साथ–साथ अपनी सिफारिशों पर लोक प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया।

7.10 निगरानी करने के अलावा यह प्रकोष्ठ एक 10 सूत्री गतिविधि चार्टर का अनुकरण करेगा जो निम्नलिखित है:–

1. देश में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को रणनीतियाँ तैयार करने तथा उन्हें सुझाने में आयोग को परामर्श देने के लिए बंधुआ मजदूरी पर एक कोर समूह का गठन।
2. बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन पर एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी आयोजित करना।
3. बंधुआ मजदूरी की संभावना वाले प्रत्येक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन करना।
4. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक टीम का गठन करना जो बंधुआ मजदूरी की संभावना वाले क्षेत्रों का इन क्षेत्रों में काम कर रहे सामाजिक कार्य समूहों की सहायता से औचक निरीक्षण करेगा।
5. अपने–अपने क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के काम–काज की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारो तथा संघ शासित प्रशासनों के साथ बैठकें आयोजित करना।
6. राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए एक निर्देश मैनुअल तैयार करना जिसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई एवं उनके पुनर्वास, छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने, जिला मजिस्ट्रेटों, सतर्कता समितियों (ब्लाकों, उपमंडलों तथा जिलों), सिविल सोसायटी कार्यकर्ताओं एवं श्रम कानून प्रवर्तन मशीनरी को सुग्राही बनाने के लिए माडयूल के एक व्यापक चेक लिस्ट का वर्णन हो।
7. जिलों में वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए बंधुआ मजदूरी संबंधी एक सरल फार्मेट का डिजाइन तैयार करना।
8. बंधुआ मजदूरी से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करना तथा उन्हें और अधिक व्यावहारिक एवं प्रचलित स्थिति से संगत बनाने के लिए संशोधनों का सुझाव देना। छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में एक अव्यपगत निधि के सृजन की सिफारिश करना।
9. सतर्कता समिति के सभी सदस्यों (अनु मंडलों तथा जिलों) तथा श्रम कानून प्रवर्तन के क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं को भी संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में बंधुआ मजदूरी के खतरे वाले प्रत्येक जिले में अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को सिफारिश करना।

10. राज्यों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी एवं समन्वय समिति गठित करने की सिफारिश करना जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव सदस्य होंगे। यह समिति राज्य में बंधुआ मजदूरी की स्थिति का जायजा लेने के लिए नियमित बैठक आयोजित करेगी तथा प्रत्येक 6 महीनों में आयोग को स्थिति से अवगत कराऐगी।

(ख) बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

7.11 ऊपर उल्लिखित 10 सूत्री गतिविधि चार्टर के अनुसरण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 30 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा कि बंधुआ एवं बाल मजदूरों की पहचान, रिहाई तथा उनके पुनर्वास के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रथा का इसके सभी स्वरूपों में समाज से उन्मूलन किया जाना चाहिए। इसके लिए कानून हैं तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश एवं सिफारिशें हैं। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेश हैं जिनको यदि पूर्णतः लागू किया जाए तो बंधुआ मजदूरी की घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

7.12 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तथा आयोग में बंधुआ एवं बाल मजदूरी मामलों के प्रभारी ने कहा कि अधिकांश राज्यों में यह पाया गया है कि मजदूरों के नियोक्ता उचित रिकार्डों का रखरखाव नहीं करते तथा जांच अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए उन्हें चोरी–छिपे दूसरे स्थानों पर भेज देते हैं। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि अधिकांश जिला मजिस्ट्रेट तथा समाहर्त्ता इस पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं तथा वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को गलत रिपोर्ट पेश करते हैं जिससे बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई तथा उनका पुनर्वास कठिन हो जाता है। श्री अनिल स्वरूप, महानिदेशक (श्रम कल्याण), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि मंत्रालय बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए इसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक मशीनरी तथा सिविल सोसायटी के सहयोग की जरूरत होगी। उन्होंने बंधुआ मजदूरी के खतरे से निपटने के लिए तमिलनाडु में चलाए जा रहे मंत्रालय के मुख्य परियोजना की सफलता पर प्रकाश डाला।

7.13 श्री चमन लाल, पूर्व विशेष संपर्ककर्त्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान को यथार्थ में लागू करना होगा ताकि उचित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो सके। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेटों तथा समाहर्त्ताओं की जिम्मेवारी तय करने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व को भी बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए। श्री के. आर. वेणुगोपाल, पूर्व विशेष संपर्ककर्त्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को भी सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास की भांति ही महत्वपूर्ण समझने के मामले पर प्रकाश डाला।

7.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य, न्यायमूर्ति श्री के. रामास्वामी ने बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का विस्तृत विवरण पेश किया। डॉ0 लक्ष्मीधर मिश्रा, विशेष संपर्ककर्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बंधुआ मजदूरों की पहचान, उनकी रिहाई में, आने वाली बाधाओं तथा प्रमाण पत्रों के मामले; एवं बंधुआ मजदूरी की समस्या के उन्मूलन में सतर्कता समितियों तथा कानून प्रवर्तन

अभिकरणों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देशभर में किए गए उनके व्यापक दौरे तथा राज्य प्राधिकारियों के साथ उनकी चर्चा के दौरान उनमें से अधिकांश ने वस्तुस्थिति के विपरीत बंधुआ मजदूरी की मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि रिहाई प्रमाण पत्रों में निहित सामग्री सरल होनी चाहिए ताकि रिहा कराए गए मजदूर इसे समझ सकें तथा इससे लाभ उठा सकें।

7.15 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य श्री हर्ष मंडेर ने प्रवास, निराशा में प्रवास तथा कर्ज दासता पर बोलते हुए ठेकेदारों की सन्दिग्ध भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि उचित पहचान रिकार्डों के न होने के कारण जन वितरण प्रणाली के फायदे बंधुआ तथा प्रवासी मजदूरों तक नहीं पहुंचते।

7.16 बैठक में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कई राज्य प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के कारण वे अनेक बंधुआ मजदूरों की पहचान, उनकी रिहाई तथा पुनर्वास करने में सफल हो सके। बहरहाल, इस बात को सर्वसम्मति से महसूस किया गया कि न केवल बंधुआ मजदूरी के अलग–अलग स्वरुपों की पहचान करने बल्कि उसे खत्म करने के लिए भी शासन के विभिन्न स्तरों पर संगठित प्रयास की आवश्यकता है। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

7.17 संगोष्ठी में की गई विस्तृत चर्चा के आधार पर नीचे दी गई सिफारिशें की गई तथा उन्हें अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को भेज दिया गया। उम्मीद है कि बंधुआ एवं बाल मजदूरी प्रवण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इन सभी सिफारिशों का अनुपालन किया गया है :–

1. बंधुआ मजदूरी पर मौजूदा कानूनों तथा अन्य संबंधित कानूनों को अक्षरशः लागू करना। पुनर्वास निधि का समय पर वितरण जिसमें गैर सरकारी संगठनों, सतर्कता समितियों, राज्य एवं संघ शासित सरकारों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे निगरानी निकायों, सर्वोच्च सरकारी एजेंसियों एवं सिविल सोसायटी की भागीदारी हो।

2. बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर संवेदनशील बनाने हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर पुलिस एवं न्यायपालिका को प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, अंतर–राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियम) अधिनियम तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम को पीड़ितों की रक्षा के लिए लागू किया जाना चाहिए।

4. ईंट भट्टों के पंजीकरण के लिए श्रम विभाग के माध्यम से मैकेनिज्म तैयार करने के लिए राज्य एवं संघ शासित सरकारों को स्थायी प्रचालन प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए तथा प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

5. न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून का प्रवर्तन तथा जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम तत्काल शुरू किया जाना चाहिए ताकि उन परिस्थितियों को कम किया जा सके जिनके कारण मजदूर गुलामी में जीने को विवश होते हैं। न्यूनतम मजदूरी को अनौपचारिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए।

6. बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के प्रति जिला मजिस्ट्रेटों का दृष्टिकोण सक्रिय होना चाहिए तथा उन्हें बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 10,11 तथा 12 के तहत् अपनी शक्तियों का प्रयोग बुद्धिमानी, समानुभूति तथा संवेदनशीलता से करना चाहिए। सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच तालमेल बढ़ाया जाना चाहिए। बंधुआ मजदूरी से संबंधित सभी कार्रवाई के संबंध में सभी प्रयासों का केंद्र उपायुक्तों को होना चाहिए।

7. जिला एवं अनुमंडल स्तर पर जहाँ सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया गया है, वहाँ इनका गठन किया जाना चाहिए। इन सतर्कता समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा उन्हें क्रियाशील बनाया जाना चाहिए तथा उनकी बैठकों को नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। बैठकों की न्यूनतम संख्या तथा आवधिक आधार पर कार्यवृत तैयार करने एवं सूचना की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता समिति द्वारा किए जाने वाले विमर्श के लिए फार्मेट का निर्धारण अलग अधिसूचना द्वारा किया जाएगा तथा इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

8. गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक कार्रवाई समूहों की सहायता से सतर्कता समितियों द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इन सतर्कता समितियों को अनौपचारिक, अपरंपरागत एवं गैर खतरनाक दृष्टिकोण अपनाकर क्षेत्र सर्वेक्षण करना चाहिए।

9. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत् दर्ज किए गए सभी लंबित मामलों को सारांश जांच का सहारा लेकर तथा उनके पक्ष में रिहाई प्रमाणपत्र जारी कर जो गुलामी में रहते हुए पाए गए, शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। संबंधित समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट अथवा ऐसी शक्तियों से युक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को तुरंत एक रिहाई प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र व्यक्ति (व्यक्तियों) को उस भाषा में दिया जाना चाहिए जिसकी उसे जानकारी है।

10. पंचायती राज संस्थानों को बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन की प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तहसीलदारों, ग्राम पंचायत के सचिवों, पुलिस अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

11. केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों को पर्याप्त एवं समय पर निधि जारी हो इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार बिना किसी विलम्ब के समय पर निधि जारी करने के लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार कर सकती है।

(ग) बंधुआ मजदूरी पर कोर समूह का गठन

7.18 24 नवम्बर, 2011 को आयोग में बंधुआ मजदूरी पर 9 सदस्यों से युक्त एक कोर समूह का गठन किया गया। सदस्यों के नाम हैं : श्री विवेक विद्युलता पंडित, श्रमजीवी संगठन, जिला ठाणे, महाराष्ट्र; श्री किरण कमल प्रसाद, जीविका विमुक्ति ट्रस्ट, नागरभावी पोस्ट, बेंगलुरू; श्री वी. पी. यजुर्वेदी, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान,

नोएडा, उत्तर प्रदेश; डॉ0 आई एस सिंह, महात्मा गांधी लेबर इंस्टीटयूट, अहमदाबाद, गुजरात; डॉ0 प्रवीण सिन्हा, राष्ट्रीय श्रम कानून संघ, कड़कड़डूमा, दिल्ली; श्री चमन लाल, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त), बी एस एफ कॉपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी, गुड़गांव, हरियाणा; श्री के. बी. सक्सेना, आई ए एस (सेवानिवृत्त), इंस्टीटयूशनल एरिया जनकपुरी, नई दिल्ली; डॉ0 बी एन शुक्ला, महात्मा गांधी नगर, पटना, बिहार तथा श्री बी. के. साहू, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जनपथ, नई दिल्ली। इस कोर ग्रुप का गठन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल की अध्यक्षता में किया गया है।

7.19 कोर समूह के संदर्भ के विषय निम्नलिखित है :–

(i) बंधुआ मजदूरी पर मौजूदा सरकारी नीतियों, अधिनियमों, कानूनों आदि का मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से समीक्षा करना तथा लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनमें संशोधनों/सुधार का सुझाव देना।

(ii) नीति, वैधानिक ढांचा तथा कार्यान्वयन में अंतर की पहचान करना तथा कमियों को दूर करने के लिए उपाय सुझाना।

(iii) बंधुआ मजदूर की रिहाई एवं उसके पुनर्वास पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा उनमें सुधार का सुझाव देना।

(iv) बंधुआ मजदूर की पहचान, रिहाई एवं पुनर्वास के संबंध में उत्तम पद्धतियों की पहचान करना।

7.20 कोर ग्रुप की पहली बैठक 10 जनवरी 2012 को आयोग में आयोजित की गई थी। यह बैठक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

(घ) बंधुआ एवं बाल मजदूरी प्रथा का उन्मूलन

7.21 रिट याचिका (सिविल सं0 3922) 1985 में दिनांक 11 नवम्बर, 1977 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में आयोग देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। आयोग जिलों एवं अनुमंडलों में सतर्कता समितियों के गठन, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार बंधुआ मजदूरी का आवधिक सर्वेक्षण तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं अन्य श्रम कानूनों के तहत् निर्दिष्ट रिकार्डों के रखरखाव पर जोर देता रहा है। वर्ष 2011–2012 के दौरान इसने बंधुआ एवं बाल मजदूरी पर निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया।

क्रम सं0	कार्यशाला की तिथि	कार्यशाला का स्थान
1.	08–09 नवम्बर, 2011	अहमदाबाद (गुजरात)
2.	17–18 दिसम्बर, 2011	बेंगलूरू (कर्नाटक)
3.	05–06 जनवरी, 2012	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

7.22 इन क्षेत्रीय कार्यशालाओं में आयोग ने संबंधित साझेदारों को बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के बारे में बताया जो अलग–अलग स्वरूपों में बंधुआ मजदूरी प्रथा को स्वीकृति देने वाले प्रचलित विधानों सहित सभी समझौतों एवं बंधनों को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त यह उन्हें अधिनियम के विभिन्न परिणामों के बारे में संवेदीकृत करता है यथा सभी मजदूरों, जिनमें अधिकांशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हैं की इन बंधनों एवं समझौतों से मुक्ति। इसके अतिरिक्त यह उनके बकाये कर्ज को निरस्त करता है तथा किसी नए गुलामी के समझौते के निर्माण पर रोक लगाता है। यह उन्हें इस बात की जानकारी देता है कि इस अधिनियम में रिहा कराए गए बंधुआ मजदूर का राज्य द्वारा आर्थिक पुनर्वास तथा बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं पुनर्वास के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन का उपबंध किया गया है।

7.23 इसी प्रकार, यह बाल मजदूरी के स्वरूपों; अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जिसमें बच्चे काम करते हैं, बच्चों को नियोक्त करने पर रोक लगाने वाले संवैधानिक एवं विधिक रक्षोपायों तथा जोखिमपूर्ण उद्योगों से बाल मजदूरी का उन्मूलन करने का उद्देश्य रखने वाले विधानों एवं अन्य गैर जोखिमपूर्ण व्यवसायों में उनकी काम की परिस्थितियों के नियमन के बारे में साझेदारों को जानकारी देता है। यह मुख्यतः बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 की मुख्य विशेषताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

(च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पर जोनल कार्यशालाओं का आयोजन

7.24 वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट में यह सूचना दी गई थी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ईंट भट्टा उद्योग में नियोक्त मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। परिणामस्वरूप, आयोग ने ईंट भट्टे को एक अनुसूचित रोजगार के रूप में अधिसूचित करने, सभी श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें तय करने, मजदूरी की दरों में संशोधन, भुगतान का तरीका, साप्ताहिक अवकाश, रिकॉर्डों का रखरखाव तथा दावों के निपटान आदि पर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना मांगी थी।

7.25 राज्यों से प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाए गए। इसलिए, आयोग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर देश में पांच जोनल कार्य शालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया। इसने वर्ष 2010–11 के दौरान तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया। रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल की अध्यक्षता में संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से दो जोनल कार्यशालाओं का आयोजन किया :–

क्रम सं0	जोनल कार्यशालाएँ	कार्यशाला की तिथि	कार्यशाला का स्थान
1.	उत्तरी राज्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर जोनल कार्यशाला	08 अप्रैल, 2011	चंडीगढ़
2.	उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर जोनल कार्यशाला	14 अक्टूबर, 2011	शिलांग

7.26 इन कार्यशालाओं में आयोग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की विभिन्न धाराओं के बारे में भागीदारों को बताया जिसमें विभिन्न रोजगारों में मजदूरी की निम्नतम दरों को तय करने का उपबंध किया गया है तथा काम के घंटों के मानक, आराम तथा समयोपरि भता निर्धारित किया गया है। यह उन्हें अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार के विनियम एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1979 के बारे में भी बताता है जो प्रवासी मजदूरों के रोजगार की स्थितियों को निर्धारित करता है ताकि ठेकेदारों, दलालों एवं नियोक्ताओं द्वारा शोषण से उनकी रक्षा की जा सके।

(छ) प्रवासी मजदूरों संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की समीक्षा

7.27 सभी प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (आई सी एम डब्ल्यू) प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसम्बर, 1990 को प्रस्ताव 45/158 में अंगीकार किया गया था। यह 1 जुलाई, 2003 को लागू हुआ। इस अभिसमय का मुख्य उद्देश्य प्रवासी लोगों के मानव अधिकारों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना है जो न केवल कामगार हैं बल्कि मनुष्य भी हैं। भारत सरकार ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र आई सी एम डब्ल्यू पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

7.28 आयोग ने आई सी एम डब्ल्यू की जांच की तथा श्रम मंत्रालय को सितम्बर 2011 में इस उद्देश्य से एक पत्र लिखा कि प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के मानव अधिकारों की रक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए तथा उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

(ज) रा.मा.अ.आ. द्वारा निटपाए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर समूहों से संबंधित दृष्टांत मामले

1. *गुजरात में दलितों का जबरन प्रवास तथा बहिष्कार*
   (मामला सं0 166/6/2/09–10–एफ सी)

7.29 आयोग को अहमदाबाद स्थित एक गैर सरकारी संगठन नवसर्जन के कार्यक्रम निदेशक कीर्ति राठौड़ से दिनांक 19 मई, 2009 को एक शिकायत मिली जिसमें गुजरात के 23 गांवों में दलित समुदायों के जबरन प्रवास तथा सामाजिक बहिष्कार की तरफ आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया। सामाजिक बहिष्कार तथा जबरन प्रवास का विस्तृत विवरण देते हुए शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रभावित गांवों का दौरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने, जिला सतर्कता समिति द्वारा इस मामले पर विचार करने, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने, कानून के अनुसार पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

7.30 आयोग के दिनांक 27 मई, 2009 के निर्देशों के अनुसरण में अवर सचिव, गुजरात सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिनांक 13 अगस्त, 2009 के पत्र द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि (i) संबंधित जिला अधिकारियों, अर्थात् पिछड़ी जाति के कल्याण अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों, संबंधित जिले के परियोजना अधिकारियों ने सभी 23 गांवों का दौरा किया था तथा अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। (ii) सामाजिक बहिष्कार की घोषणा केवल दो गांवों में की गई थी, वे थे –पाटन तालुका में मीठीवादी तथा वीरांगम तालुकामें वंथाल, जिला

अहमदाबाद। जिला अधिकारियों ने दोनों गांवों का दौरा किया था तथा जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपी थी। (iii) संबंधित पिछड़ी जाति जिला कल्याण अधिकारी द्वारा 21 गांवों में नहीं बल्कि केवल दो गांवों में सामाजिक बहिष्कार एवं जबरन प्रवास घोषित किया गया था तथा नियमों के अनुसार उपरोक्त दोनों मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया था। (iv) 20 गांवों में हुए अत्याचार के सभी मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की उपयुक्त धाराओं के तहत् उन तीन गांवों को छोड़कर जहाँ ऐसी घटनाएँ नहीं हुई थीं, एफ आई आर दर्ज किए गए थे। (v) उपरोक्त अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के तहत् सामाजिक बहिष्कार के लिए 2 गांवों में मुआवजा प्रदान किया गया है। पाटन तालुका के मिठीवादी गांव में 183 दिनों के लिए सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई तथा 27 प्रताड़ित व्यक्तियों को नियमों के अनुसार हर्जाने के रूप में रु0 48,200 की राशि का भुगतान किया गया। अहमदाबाद जिले के वीरंमगम तालुका के वनथाल गांव में एक महीने के लिए सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई तथा 669 उत्पीड़ित व्यक्तियों को नियमों के अनुसार कुल रु0 2,00,700/– के मुआवजे का भुगतान किया गया। चूंकि किसी भी गांव में जबरन प्रवास की घटना नहीं घटी थी इसलिए पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की विभिन्न अन्य धाराओं के तहत् 17 गांवों में मुआवजे का भुगतान किया गया था। 21मामलों में दोषियों के विरूद्ध कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत् एफ आई आर दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकांश मामले अनुसूचित जातियों के अपमान, जमीन जोतने के उनके अधिकार से उन्हें रोकने, पंचायत चुनावों, दलित मुहल्लों से होकर सड़कों के गुजरने तथा उन्हें रास्ता देने से मना करने से संबंधित पाए गए।

7.31 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा पाया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जबरन प्रवास तथा सामाजिक बहिष्कार हुआ था। इसके अतिरिक्त पुलिस ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय दंड संहिता की उपयुक्त धाराओं के तहत् मामले दर्ज नहीं किए थे। प्रभावित पक्ष को उपयुक्त मुआवजा भी नहीं दिया गया था। यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला था। चूंकि दिए गए मुआवजे की राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा इसके प्रयोज्य कानूनों में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए आयोग ने गुजरात सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि क्या कमी रह गई थी तथा संगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को समुचित राशि का भुगतान हो इसके लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

7.32 राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

2. तमिलनाडु में जाति के नाम पर एक दलित लड़के के साथ दुर्व्यवहार
(मामला सं0 649/22/5/2011)

7.33 14 जून को मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि तमिलनाडु के नल्लीचेट्टी में रहने वाले चकिलिया समुदाय के ए. वसंत कुमार नामक एक दलित लड़के की करिकिलापलयम गांव के नजदीक सार्वजनिक नल से पानी भरने के कारण पिटाई की गई। कथित रूप से बसंत कुमार को जाति के नाम पर गाली भी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, दलितों को उस क्षेत्र में सैलून में बाल कटवाने तथा उनकी झोपड़ियों के बाहर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। यह भी उल्लेख था कि बसंत कुमार का गांव पानी की बेहद कमी से जूझ रहा था।

7.34 आयोग ने 16 जून, 2011 को इस मामले का संज्ञान लिया तथा तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया कि वह इस मामले में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध भी आयोग को सूचित करने को कहा गया :–

(क) क्या आरोपियों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया;

(ख) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत पीड़ित को किसी प्रकार की राहत दी गई;

(ग) दलितों के विरूद्ध इस प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे थे?

7.35 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में तमिलनाडु सरकार के, जनजाति कल्याण विभाग के सचिव ने दिनांक 19 जुलाई, 2011 को अपनी रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 12 जून, 2011 को लगभग 9.00 बजे रात में हुई। थाना अन्नूर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 323, 506 (i) भां दं0 सं0 आर/डब्ल्यू 3 (1) (x) के तहत् अपराध सं0 989/11 दर्ज किया गया। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था। तीन महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोयम्बटूर के जिला समाहर्ता ने सूचना दी थी कि सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकार विंग के पुलिस विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था तथा उसके प्राप्त होने पर रु0 25,000/– की कुल सहायता राशि में से रु0 6,250/– की पहली किस्त पीड़ित को जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में कहा गया कि 23 जून, 2011 को कोयम्बटूर के क्षेत्रीय विकास अधिकारी द्वारा एक शांति समिति बैठक बुलाई गई थी जिसमें नल्लीचेट्टीपलयम एवं कुरूकिल्लीमपलयम गांवों के लोग तथा उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा यह तय किया गया कि नल्लीचेट्टीपलयम के लोगों को कुरीकिल्लीयापलयम के सार्वजनिक नल से पीने का पानी लेने की अनुमति दी जाएगी। नल्लीचेट्टीपलयम के लोगों को भी यह चेतावनी दी गई कि यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो कानून के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

7.36 सभी तथ्यों की जांच करने पर आयोग ने कहा कि रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार ने इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई की थी। चूंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत् पीड़ित को रु0 25,000/– की सहायता प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें 25% का भुगतान अदालत में चार्ज शीट दाखिल करते समय तथा शेष राशि का भुगतान दोष सिद्धि के समय किया जाना है, इसलिए आयोग ने कोयम्बटूर के जिला समाहर्त्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कानून के अनुसार पीड़ित को दो चरणों में राहत का भुगतान हो। इन टिप्पणियों के साथ आयोग ने यह मामला बंद कर दिया।

3. उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा एक गरीब दलित लड़के को गैर कानूनी तरीके से बंद रखना (मामला सं0 21677/24/2006–2007)

7.37 आयोग को मधीना देवी, पत्नी अनंतु चमार तथा निवासी संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश से दिनांक 24 अगस्त, 2006 को एक शिकायत मिली जिसमें पुलिस थाने के प्रभारी के कहने पर अनंतु राम के उत्पीड़न तथा विभिन्न मामलों में उसे झूठे तरीके से फंसाने का आरोप लगाया गया था जिसका विवरण शिकायत में दिया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रभारी अपने सरकारी ओहदे का दुरूपयोग कर रहा था तथा उसने 50 लाख रु0 का एक घर खरीदा था।

7.38 आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में उप महा निरीक्षक (मानव अधिकार), पुलिस महानिदेशक कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश तथा उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो, सी आई डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपेक्षित रिपोर्टें सौंपी। उसके अवलोकन से पता चला कि याचिकाकर्त्ता के पति अनंतु को मामला अपराध सं0 332/06 में नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 (एन डी पी एस अधिनियम) की धारा 8/20 के तहत दंडनीय अपराध तथा अपराध सं. 398/06 में एन डी पी एस अधिनियम की धारा 8/22 के तहत् दंडनीय अपराध के लिए अदालत द्वारा संदेह का लाभ देते हुए क्रमशः 10 अप्रैल 2007 तथा 19 अप्रैल 2007 को बरी कर दिया गया था। पुलिस जांच से यह भी खुलासा हुआ कि याचिकाकर्त्ता के पति अनंतु को उपरोक्त दोनों मामलों में झूठे तरीके से फंसाया गया था तथा इसलिए आई पी सी की धारा 167/220/467/468/471/120 बी, एन डी पी एस अधिनियम की धारा 8/22 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, की धारा 3 (2) (2) के तहत् सभी पुलिस कर्मचारियों ने अपराध किया था। दोषी पुलिस कर्मचारी के विरूद्ध इन धाराओं के तहत् मामला दर्ज होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बात की सूचना दी गई थी कि उपनिरीक्षक के विरूद्ध अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए जांच चल रही थी।

7.39 आयोग ने इस मामले पर विचार करने के उपरांत कहा कि स्वतंत्र जांच में प्रकाश में लाए गए तथ्य चौंकाने वाले थे। दोषी पुलिस कर्मचारी जिन पर रिपोर्ट में अपनी शक्ति तथा अधिकार का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया गया था, ने एन डी पी एस अधिनियम की धाराओं को लागू करते हुए एक गरीब दलित लड़के को झूठे मामले में फंसाया था। इन पुलिस कर्मचारियों की तरफ से ऐसे कृत्य के कारण पीड़ित के मानव अधिकारों का गंभीर रूप से हनन हुआ था। इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का कारण बताने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 (ग) के तहत् एक नोटिस जारी किया कि पीड़ित को अंतरिम आर्थिक सहायता देने की संस्तुति क्यों नहीं की जाए। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को भी दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध शुरू की गई कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई के नतीजों के बारे में आयोग को जानकारी देने का निर्देश दिया गया।

7.40 आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच करने के लिए इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के लिए अपना मूल्यांकन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के माध्यम से रिकार्ड में रखा। जवाब में, दिनांक 18 मार्च, 2010 को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसके अवलोकन से पता चला कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किए गए मामले की जांच चल रही थी। यह भी पता चला कि चूंकि प्रथम दृष्टया पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए हैं इसलिए पीड़ित को अंतरिम सहायता प्रदान करना न्यायसंगत था।

7.41 आयोग ने कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करते हुए कहा कि राज्य सरकार को पीड़ित को अंतरिम सहायता प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आयोग ने पीड़ित अनंतु राम को आर्थिक सहायता के रूप में रु0 50,000/– का भुगतान करने की सिफारिश की। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को पीड़ित को किए गए भुगतान का साक्ष्य भेजने का निर्देश दिया गया तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की स्थिति के बारे में आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया गया।

7.42 जबाब में, पुलिस उपमहानिरीक्षक (मानव अधिकार), पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से दिनांक 21 जुलाई, 2010 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके साथ पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ सी

बी–सी आई डी की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। उसके अवलोकन से पता चला कि आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध अपराध मामला सं0 1968/09 में आरोप पत्र दायर करने के लिए संस्तुति की गई थी। अवर सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के पत्र द्वारा यह भी सूचित किया कि पीड़ित अनंतु राम को अंतरिम सहायता के रूप में रु0 50,000 की राशि का भुगतान चेक सं0 बी एन – 573551 दिनांक 5 मार्च, 2011 द्वारा किया गया था।

7.43. प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से प्राप्त दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 के पत्र से यह भी पता चला कि राज्य सरकार से पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संतरविदास नगर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। पुलिस अधीक्षक, संत नगर (भदोई) द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 का एक पत्र भी पीड़ित अनंतु कुमार को किए गए रु0 50,000/– के भुगतान के साक्ष्य सहित भेजा गया था।

7.44 आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस मामले को बंद कर दिया।

4. मोहाली, पंजाब में 23 बंधुआ मजदूरों की रिहाई
(मामला सं0 1014/19/0/2010–बी एल)

7.45 आयोग को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के एक निवासी यासिन से दिनांक 9 नवम्बर 2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसने आरोप लगाया था कि उसे 22 अन्य लोगों के साथ जिसमें बच्चे भी थे, पंजाब के मोहाली जिले के देरावसी थाना के रामपुर गांव स्थित बब्बू साहब के स्वामित्व वाले एन टी वी ईंट भट्ठे में बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था। उनसे जबरन काम कराया जाता था, मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती थी। उसने गुलामी से मुक्ति तथा मजदूरी के भुगतान के लिए अनुरोध किया था।

7.46 आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, मोहाली को घटना स्थल जांच के लिए कर्मचारियों की एक टीम नियुक्त करने तथा चार हफ्तों के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर सहित एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया :–

1. क्या ईंट भट्ठे के मालिक से मजदूरों ने कोई पेशगी ली थी।
2. क्या ली गई पेशगी के लिए अथवा उनके द्वारा लिए गए किसी भी आर्थिक मदद के लिए मजदूरों से जबरन काम कराया गया।
3. क्या मजदूरों को दी गई मजदूरी राज्य सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम थी।
4. क्या मजदूरों ने बंधुआ मजदूर के रूप में काम किया।
5. क्या वे मजदूर प्रवासी कामगार थे।

7.47 इसी बीच, एक अतिरिक्त शिकायत प्राप्त हुई जिसके आधार पर आयोग ने घटना स्थल जांच के लिए अपने अन्वेषण प्रभाग से एक टीम नियुक्त की। जांच के दौरान, टीम ने पारूल गांव में ईंट भट्ठे का दौरा किया किंतु कोई भी याचिकाकर्त्ता वहाँ नहीं पाया गया। आखिरकार यह टीम दूसरे ईंट भट्टे में पांच याचिकाकर्त्ताओं का पता लगाने में कामायाब हुई जिनके नाम थे, साजिद, संजीदा, सायना, मुमताज एवं मोहसीना। इन पांच मजदूरों को रूपनगर जिले के बिन्द्रख गांव में हरसीमरान में बंदी बना कर रखा गया था।

7.48 उपायुक्त, एस ए एस नगर, तथा जिला मजिस्ट्रेट, रूपनगर ने क्रमशः आयोग को बताया कि संजीदा, मीरहसन, मोहसीन, यासिन, साजिद एवं मुमताज नामक 6 मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुदाना तहसील के पदसोली गांव के निवासी थे, छोड़ दिया गया था तथा उन्हें रिहाई प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था।

7.49 चूंकि शिकायत में उल्लिखित अन्य मजदूरों के संबंध में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए अन्वेषण प्रभाग द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आलोक में आयोग ने उपायुक्त, एस ए एस नगर को निम्नलिखित याचिकाकर्त्ताओं के नाम से भी रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने की सिफारिश की।

1. यासीन सुपुत्र मेहरदीन
2. सोपत सुपुत्र मेहरदीन
3. नियाज अहमद
4. रूकसाना पत्नी नियाज अहमद
5. अब्दुल सुपुत्र महफूज
6. सलीम
7. नजमा पत्नी सलीम
8. फिरोज सुपुत्र महफूज

7.50 यह भी निर्देश दिया गया कि उपरोक्त 8 मजदूरों के नाम से भी रिहाई प्रमाणपत्र तत्काल जारी किया जाना चाहिए तथा उसे जिला समाहर्त्ता मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाने के अनुरोध के साथ भेजा जाना चाहिए।

7.51 बाद में, जिला मजिस्ट्रेट, रूपनगर, पंजाब द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले की दुबारा जांच की गई थी तथा एक टीम ने रूपनगर जिले के बिन्द्रख गांव में हरसीमराम ईंट भट्ठे का दौरा किया। टीम ने पाया कि पहले काम करने वाले मजदूर जिन्होंने वहाँ काम करने का आरोप लगाया था, ईंट भट्ठा छोड़कर चले गए थे, इसलिए उन मजदूरों के नाम से कोई रिहाई प्रमाणपत्र नहीं जारी किया जा सकता था।

7.52 आयोग ने 26 मार्च, 2012 को उपायुक्त, एस ए एस नगर, पंजाब को उन 8 मजदूरों के नाम से रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया जिन्हें आयोग के अन्वेषण टीम द्वारा ईंट भट्ठे में काम करते पाया गया तथा उसे जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाने के लिए भेजने का निर्देश दिया। उन्हें 6 हफ्तों के भीतर आयोग को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।

7.53 इस बीच बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से आयोग ने बंधुआ मजदूरों की पहचान, उनकी रिहाई तथा पुनर्वास के लिहाज से बंधुआ मजदूरों की स्थिति के बारे में संबंधित अधिकारियों एवं जिलों से सूचना मांगते हुए सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को एक प्रश्नावली परिचालित की। छतीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक,

मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी संघ प्रशासनों ने प्रश्नावली के उत्तर में अपना जबाव 31 मार्च, 2012 तक भेज दिया है।

5. हरियाणा में 9 बंधुआ मजदूरों की रिहाई
(मामला सं0 1447/7/8/2010–बी एल)

7.54 आयोग को श्याम सिंह से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके परिवार के सदस्यों तथा अन्यों के साथ उसे बंधुआ मजदूर बना कर रखा गया था तथा हरियाणा के जिंद जिले के तहसील–नरवाना, थाना–उचाना, गांव पलवन में स्थित आर. बी.टी. ईंट भट्ठे, जिसका मालिक कोई राजिंद्र था, में उनसे जबरन काम कराया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि भट्ठे का मालिक उनकी मजदूरी नहीं दे रहा था तथा उन्हें वहां से जाने नहीं दे रहा था। शिकायतकर्त्ता को आशंका थी कि उसके परिवार की महिलाओं की अस्मिता तथा बंधुआ मजदूरों की जिंदगी खतरे में थी।

7.55 आयोग द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 जुलाई, 2010 के निर्देशों के अनुसरण में उपायुक्त, जिंद, हरियाणा ने दिनांक 30 जुलाई, 2010 के अपने पत्र द्वारा उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, नरवाना की एक रिपोर्ट भेजी। अग्रेषित पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि 30 जून, 2010 को नरवाना के तहसीलदार; नायब तहसीलदार नरवाना , सहायक उप निरीक्षक, उचाना तथा उचाना के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी द्वारा एक संयुक्त जांच की गई थी। इस टीम ने श्याम सिंह एवं अन्यों के बयानों को दर्ज किया। रिपोर्ट के अनुसार, मजदूरों ने जांच टीम को यह बताया कि उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रखा गया था तथा यह कि ईंट भट्ठा मालिक के साथ अपना हिसाब–किताब निपटाने के बाद 30 जून, 2010 को वे भट्ठा छोड़कर चले गए थे तथा नियोक्ता के पास कुछ भी बकाया नहीं था।

7.56 आयोग ने दिनांक 24 जून, 2011 की अपनी कार्यवाहियों द्वारा इस बात पर ध्यान दिया कि जांच अधिकारियों ने उन रिकार्डों की जांच नहीं की थी जिनका रखरखाव ईंट भट्ठा मालिक द्वारा किया जाना था। इसने केवल कथित बंधुआ मजदूरों के बयानों पर विश्वास कर लिया। रिकार्ड से यह भी स्पष्ट नहीं था कि सात महीनों के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी की राशि कितनी थी तथा मजदूरों को दी गई मजदूरी क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप थी। तद्नुसार, उपायुक्त, जिंद, हरियाणा को मजदूरी के रजिस्टर, मस्टर रॉल आदि सहित लेखा बही प्राप्त करने का निर्देश दिया गया जिसका रखरखाव न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा मजदूरी का भुगतान अधिनियम के तहत् अपेक्षित है तथा सभी रिकार्डों की जांच के बाद चार हफ्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया कि क्या यह रिकार्ड उक्त ईंट भट्टे में बंधुआ मजदूर के होने के अनुमान का खंडन करने के लिए मान्य था या नहीं।

7.57 उपरोक्त निर्देशों के उत्तर में उपसमाहर्त्ता, जिंद हरियाणा ने दिनांक 25 अगस्त, 2011 के अपने पत्र द्वारा नायब तहसीलदार, उचाना तथा निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उचाना की दिनांक 26 जुलाई, 2011 की एक संयुक्त रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि ईंट भट्ठा मालिक के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था तथा उसके अभाव में जांच टीम आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार किसी भी चीज को प्रमाणित नहीं कर पाई।

7.58 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा कहा कि ''श्रम कानूनों के तहत् रिकार्डों का रखरखाव नहीं करना एक गंभीर अपराध है तथा नियोक्ता के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करता है। इससे यह धारणा भी बलवती होती है कि मजदूरी का भुगतान नहीं करने अथवा मजदूरों को उनकी इच्छा के विरूद्ध कैद रखने के संबंध में शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं। आसन्न मामले में, न तो राज्य सरकार न ही नियोक्ता ने इस बात का कोई संतोषजनक साक्ष्य पेश करके कि शिकायतकर्त्ता तथा उसके सहयोगी बंधुआ मजदूर नहीं थे, उक्त धारणा का खंडन करना चाहा है। नियोक्ता द्वारा पहली बार दी गई इस दलील को कि शिकायतकर्त्ता तथा उसके सहयोगियों को एक सरदार के जरिए काम पर लगाया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं शिकायत में एक पीड़ित पक्ष था तथा उससे हिसाब–किताब रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो केवल नियोक्ता की जिम्मेदारी है। इन परिस्थितियों में आयोग का मानना है कि श्याम सिंह तथा उसकी पत्नी मुन्नी देवी; मनोज तथा उसकी पत्नी आशा; वीरपाल एवं उसकी पत्नी लक्ष्मी, गुड्डू, सूरज पाल की पुत्री तथा सरदार एवं उसकी पत्नी को उपायुक्त, जिंद द्वारा बंधुआ मजदूर घोषित किया जाए। तद्नुसार, उसे उन्हें रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने तथा उसे जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसकी सूचना आयोग को दी जाए।

7.59 जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ, उत्तर प्रदेश को भी चार हफ्तों के भीतर उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने तथा पुनर्वास की स्थिति की रिपोर्ट 6 हफ्तों के भीतर आयोग को करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त, जिंद, हरियाणा को इसके अतिरिक्त बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936 सहित श्रम कानूनों के उपयुक्त प्रावधानों के तहत् नियोक्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने तथा चार हफ्तों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया।

7.60 इसके अतिरिक्त आयोग ने यह नोटिस किया कि तहसीलदार, नरवाना, नायब तहसलीदार, नरवाना, सहायक उप निरीक्षक, उचाना तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी द्वारा 30 जून, 2010 को की गई संयुक्त जांच बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा मजदूरी का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि जांच टीम 30 जून, 2010 को अपने पहले दौरे के समय नियोक्ता द्वारा रखे जा रहे रिकार्डों की जांच करने के अपने वैधानिक कर्तव्य में असफल रही। इससे गरीब मजदूरों के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ था। यदि इस टीम ने संयुक्त जांच के समय ईंट भट्ठे के मालिक द्वारा रखे गए रिकार्डों की जांच की होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए, आयोग ने जांच टीम के सदस्यों के विरूद्ध बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत् अपने कर्तव्यों का निर्वाह सावधानी पूर्वक नहीं करने के लिए उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की।

7.61 आयोग के निर्देशों की एक कापी मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा अन्य संगत श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बंधुआ मजदूरी के आरोपों से संबंधित मामलों की सख्ती से जांच करने के लिए हरियाणा राज्य में सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए भेजी गई।

7.62 उपरोक्त निर्देशों के जवाब में उपायुक्त, जिंद हरियाणा से दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया कि दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 की आयोग की कार्यवाही में उल्लिखित सभी मजदूरों के नाम से रिहाई प्रमाण पत्र जारी किया गया था तथा उसे जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ, उत्तर प्रदेश को अपनी

आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। उसने यह भी सूचित किया कि 24 नवम्बर, 2011 को आर. बी. टी ईंट भट्ठे में नए सिरे से निरीक्षण किया गया था हालांकि ईंट भट्ठे के मालिक ने कोई रिकार्ड पेश नहीं किया। इसलिए उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

7.63 श्रम आयुक्त, हरियाणा ने दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने बंधुआ मजदूरी की शिकायतों की जांच बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा अन्य संगत श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कड़ाई से करने के लिए हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किया था। उन्होंने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को भेजे गए अर्द्धशासकीय पत्र की कापी भी भेजी।

7.64 आयोग ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ उत्तर प्रदेश को उन नौ बंधुआ मजदूरों के संबंध में पुनर्वास की स्थिति सौंपने का निर्देश दिया जिनके रिहाई प्रमाण पत्र जारी किए गए थे तथा जिला मजिस्ट्रेट, जिंद, हरियाणा द्वारा उसे भेजा गया था।

7.65 उपायुक्त, जिंद, हरियाणा ने दिनांक 13 फरवरी, 2012 के अपने पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि बस्ती राम, तत्कालीन तहसीलदार नरवाना; ज्ञानी राम, निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उचाना के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी तथा ईंट भट्ठा मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय से प्राप्त 5 दिसम्बर, 2011 के दूसरे पत्र में इस बात का उल्लेख था कि उचाना के निरीक्षक, ज्ञानीराम के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी जो जांच टीम का भी एक सदस्य था।

7.66 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की स्थिति, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई तथा ईंट भट्ठा मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की क्रमशः प्रतीक्षा है।

6. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के बेहतर प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठों के मालिकों द्वारा रिकार्डों का रखरखाव
(मामला सं0 16893/24/31/2010–बीएल)

7.67 हरि सिंह ने दिनांक 30 अप्रैल, 2010 की अपनी शिकायत में कहा कि उसे उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाजियाबाद जिले में आर. के. ईंट भट्ठा में बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था। उसने अन्य बातों के साथ–साथ मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने, अवैध तरीके से कैद रखने तथा झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया।

7.68 आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया तथा जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। आयोग ने इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को

(क) ईंट भट्ठे में रखे जाने वाले रिकार्डों/रजिस्टरों का विवरण देने;

(ख) रिकार्डों का रखरखाव नहीं करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण देने को कहा तथा– यह पूछा कि

(ग) क्या जिले में जिला सतर्कता समिति का गठन किया गया था।

7.69 जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने यह सूचित करते हुए कि शिकायतकर्ता अपने बताए गए आवासीय पते पर उस गांव में पिछले 6 सालों से नहीं रह रहा था, एक रिपोर्ट सौंपी। गाजियाबाद जिले में सतर्कता समिति का गठन किया गया था तथा जिले के 442 ईंट भट्ठों में से 114 ईंट भट्ठों का निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण किए गए सभी 114 ईंट भट्ठों के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् आरोप पत्र दायर किया गया था। साथ ही, 110 भट्ठा मालिकों के विरूद्व मजदूरी का भुगतान अधिनियम के तहत् आरोप पत्र दायर किया गया था।

7.70 आयोग द्वारा यह पाया गया कि जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद का रवैया लापरवाह था क्योंकि उन्होंने श्रम कानूनों के तहत् रजिस्टरों/रिकार्डों का रखरखाव करने वाले ईंट भट्ठों की संख्या की सूचना नहीं दी थी। इसलिए आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को अपेक्षित रिपोर्टों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। 13 जून, 2011 को वे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा कहा कि श्रम कानूनों के तहत् बड़ी संख्या में रजिस्टरों/रिकार्डों का रखरखाव करना होता है, इसलिए रिकार्डों के सरलीकरण तथा वैज्ञानिक प्रबन्धन का कार्य श्रम आयुक्त कानपुर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था जिसने ईंट भट्ठों के मालिकों के लिए सात प्रपत्रों को अंतिम रूप दिया है।

7.71 जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने यह भी कहा कि अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 के दौरान भट्ठों का निरीक्षण करने के पश्चात् 123 ईंट भट्ठा मालिकों को मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत् आरोप पत्र दाखिल किया गया था तथा 127 मालिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत् आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान 131 ईंट भट्ठा मालिकों को मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत् आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा 86 ईंट भट्ठा मालिकों के विरुद्व न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत् आरोप पत्र दायर किया गया।

7.72 इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने दिनांक 20 अप्रैल, 2012 की एक रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा कि जिन 289 ईंट भट्ठों का निरीक्षण किया गया उन में से 195 ईंट भट्ठा मालिकों ने अपना रिकार्ड रखना शुरू कर दिया था। 85 मामलों में रिकार्डों का रख–रखाव नहीं करने के लिए उपयुक्त अदालत में ट्रायल शुरू हो गया था तथा 9 ईंट भट्ठे बन्द पाए गए।

7.73 आयोग ने जिला प्रशासन तथा श्रम विभाग, गाजियाबाद द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। गाजियाबाद के जिला प्रशासन तथा श्रम विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का पालन करने के लिए श्रम आयुक्त, कानपुर को निर्देश देने के साथ मामले को बंद कर दिया गया।

7. हरियाणा एवं राजस्थान में बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना, उनकी रिहाई तथा पुनर्वास (मामला सं0 813/7/03–04–बीएल)

7.74 आयोग को 9 जुलाई, 2003 को राजस्थान के सिकर जिले के निवासी किसी राजिन्द्र कुमार, से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि झज्जर, हरियाणा निवासी रणबीर सिंह ने सिकर जिले के निवासी किसी किशनलाल के साथ मिलकर उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को राजस्थान में उनके मूल गांव से हरियाणा के भिवानी जिला लेकर आया था तथा उन्हें इमलेता गांव में जे. एस. ईंट भट्ठे पर मजदूरी के काम में लगा दिया। उन्होंने उन्हें अच्छी मजदूरी देने का वादा किया। यह भी आरोप लगाया गया था कि जब उन्होंने अपनी मजदूरी मांगी तो नियोक्ता ने उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें यातना दी तथा उन पर शारीरिक हमला भी किया। किसी

तरह शिकायतकर्ता भागने में सफल रहा किन्तु उसके परिवार के सदस्यों को बंधुआ मजदूर के रूप में कैद रखा गया तथा नियोक्ता द्वारा उनका उत्पीड़न होता रहा। उसने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

7.75 जबाव में, राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि इस मामले की जांच उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, चरखी दादरी को सौंपी गई थी तथा उससे पता चला कि शिकायतकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यों को मई, 2003 के महीने में उनके मूल गांव भेजा जा चुका था तथा इसलिए आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

7.76 इस मामले पर विचार करने पर आयोग ने रिपोर्ट पर अपना असंतोष जाहिर करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्देश दिया :–

> ''अधिकारियों द्वारा दिमाग लगाए बिना भेजे गए रहस्यमय रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह (क) कानून के प्रावधानों की अनभिज्ञता, (ख) कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अनभिज्ञता, (ग) कर्तव्य में लापरवाही के समान है। इस बात की पुष्टि हो गई कि शिकायत में जिन लोगों के नाम थे वे नियोक्ता (नियोक्ताओं) के साथ काम कर रहे थे तथा उन्हें छुड़ाया जा चुका है फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विस्तृत जांच क्यों नहीं की गई है तथा अधिनियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं इस बात को पुष्ट करने के लिए संबंद्ध आदेश पारित किए बिना यह आदेश दिया गया है।
>
> इन परिस्थितियों में, मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य को इस बात का प्रबंध करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। इन अधिकारियों को यह भी याद रखना चाहिए कि यदि बंधुआ मजदूरी के मामलों में तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। केवल उन्हें उस स्थान से छुड़ा लेने जहां वे काम कर रहे थे, से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्हें यह पता होना चाहिए कि इन गरीब लोगों के पास कोई घर नहीं है अथवा खाने के लिए भोजन नहीं है तथा इसलिए वे नियोक्ताओं के जाल में फंस सकते हैं जिन्हें देश के इन गरीब नागरिकों का शोषण करने की आदत है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विधायिका ने यह देखने की जिम्मेवारी जिला मजिस्ट्रेटों को सौंपी है कि गरीब निवासी गरीब नहीं रहें तथा यदि वे बंधुआ पाए जाते हैं तो उन्हें ने केवल रिहा कराना है बल्कि उनका पुनर्वास भी करना है। यह देखने का काम समाहर्त्ता का है कि जिस मजदूरी के वे हकदार हैं उसका उन्हें भुगतान हो।''

7.77 आयोग ने रिपोर्टों पर आगे विचार करने पर दिनांक 1 नवम्बर, 2010 की अपनी कार्यवाही द्वारा जिला मजिस्ट्रेट भिवानी, हरियाणा को निर्देश दिया कि शिकायत में जिन लोगों के नाम थे उन सभी को बंधुआ मजदूर घोषित करे, उन्हें रिहाई प्रमाण पत्र जारी करे तथा उसे जिला मजिस्ट्रेट, सिकर, राजस्थान को उनके पुनर्वास के लिए भेजे।

7.78 जबाव में, जिला मजिस्ट्रेट, भिवानी से 14 दिसम्बर, 2010 का एक पत्र उनके द्वारा जारी रिहाई प्रमाण पत्र सहित आयोग में प्राप्त हुआ था। यह भी पता चला कि रिहाई प्रमाण पत्र की कापियाँ जिला मजिस्ट्रेट, सिकर को भेजी गई थी। उसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट, सिकर से दिनांक 17 जुलाई, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आयोग को सूचित किया गया था कि रिहा कराए गए दोनों बंधुआ मजदूरों, यथा राजिंद्र कुमार उर्फ पप्पू तथा ममता

में से प्रत्येक को 9 जुलाई, 2011 को रु0 20,000 की राशि का भुगतान किया गया था। इस बात की भी सूचना दी गई कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के प्रावधानों के तहत् उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके अतिरिक्त, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, नीमकठाना ब्रांच ने राजेन्द्र कुमार को कपड़ों की एक दुकान खोलने के लिए ऋण मंजूर किया था जबकि उसी बैंक द्वारा ममता को एक लघु आटा चक्की खोलने के लिए पुनर्वास पैकेज के रूप में ऋण की मंजूरी दी गई थी।

7.79 आयोग ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 की अपनी कार्यवाहियों द्वारा इस मामले पर विचार करने पर यह कहा कि चूँकि मजदूरों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी थी तथा उनके नाम से ऋण मंजूर किया गया था, इसलिए उनकी तरफ से आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं थी तथा मामले को बंद कर दिया गया।

अध्याय - 8

महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार

8.1 भारत में विश्व के सर्वाधिक बच्चे रहते हैं। विश्व का लगभग हर पांचवां बच्चा भारत में रहता है। 0–18 वर्ष के आयु समूह में लगभग 43 करोड़ बच्चे हैं; 16 करोड़ बच्चे 0–6 वर्ष की आयु समूह में हैं जिसमें से 8.5 करोड़ पुरूष हैं तथा 7.88 करोड़ महिलाएँ हैं। 6–18 वर्ष की आयु समूह में लगभग 27 करोड़ बच्चे हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 40% बच्चे सुविधा वंचित अथवा कमजोर हैं। इनमें वैसे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है, जो जबरन मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनका अवैध व्यापार होता है, जो आवारा हैं तथा सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदा आदि से प्रभावित है। इसलिए बड़ी संख्या में इन बच्चों के जीवन, उनके विकास तथा उनकी सुरक्षा पर मुख्यतः ध्यान दिए जाने की जरूरत है।[5]

8.2 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल आबादी में महिलाओं की आबादी लगभग 48.5% है। भारत के संविधान के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु सहित सभी व्यक्ति को कुछ जन्मजात तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त हैं। बच्चों एवं महिलाओं संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों यथा बच्चों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1989 (सी आर सी) तथा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेद–भाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय 1979 (सी इ डी ए डब्ल्यू) के प्रति भारत की वचनबद्धता की झलक भारत सरकार द्वारा लागू किए गए असंख्य नीतियों, कानूनों एवं कार्यक्रमों में मिलती है। सितम्बर, 2000 में भारत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने की चुनौती स्वीकार करने में संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम सम्मेलन में भाग लेने वाले 191 अन्य राष्ट्रों के साथ शामिल हुआ जिसमें से कई का बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष प्रभाव है। वर्ष 2005 में भारत सरकार ने सी आर सी के दो वैकल्पिक प्रोटोकालों यथा, बच्चों के अधिकारों, बच्चों को बेचने, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील साहित्य संबंधी अभिसमय के वैकल्पिक प्रोटोकाल; तथा सशस्त्र विद्रोह में बच्चों के शामिल होने संबंधी बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय का वैकल्पिक प्रोटोकाल की पुष्टि की। इससे पहले, वर्ष 2002 में भारत सरकार ने लोगों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों का व्यापार रोकने, उसे समाप्त करने तथा उसके लिए दण्ड देने के लिए प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए जो राष्ट्रपारीय संगठित अपराध, के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2000 का पूरक है। इसके अतिरिक्त, 2002 में भारत सरकार ने वेश्यावृति के लिए महिलाओं एवं बच्चों का व्यापार रोकने एवं उसका मुकाबला करने संबंधी सार्क समझौते का अनुसमर्थन किया तथा दक्षिण एशिया में बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं संबंधी सार्क सम्मेलन का अनुसमर्थन किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति 2001 तथा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 महिलाओं एवं बच्चों के लिए सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से वचनबद्ध है।

8.3 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम डब्ल्यू सी डी) महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए नोडल मंत्रालय है। उनके सरोकारों को देखनेवाले अन्य महत्त्वपूर्ण मंत्रालय हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

[5] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम डब्ल्यूसीडी) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए बाल अधिकारों संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट, एमडब्ल्यूसीडी, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2011

(एम एच एफ डब्ल्यू), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (एम एस जे एवं इ), मानव संसाधन विकास (एम एच आर डी) तथा श्रम। इन मंत्रालयों के अलावा महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत मैकेनिज्म में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों द्वारा गठित विभिन्न प्रकार के संस्थान शामिल हैं जिसमें स्वतंत्र/ स्वायत संगठन तथा गैर सरकारी अथवा समुदाय आधारित संगठनों द्वारा चलाए जा रहे संस्थान शामिल हैं। राज्य स्तर पर भी महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों पर कार्य करने वाले विभाग हैं। कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संबंधित विभाग को महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा सामाजिक कल्याण विभाग अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे अन्य विभाग भी महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके समग्र सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई तथा 2007 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन सी पी सी आर) का गठन किया गया। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए राज्य आयोग तथा बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आयोग हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग भी महिलाओं एवं बच्चों के चैंपियन के रूप में काम करते हैं। एम डब्ल्यू सी डी, एम एच एफ डब्ल्यू, एम एस जे इ, एन एच आर सी, एन सी डब्ल्यू, एन सी पी सी आर तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित विभाग/आयोग महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों पर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं।

8.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के संबंध में कई गतिविधियाँ शुरू की। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं।

(क) स्वास्थ्य का अधिकार–महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार के विशेष संदर्भ में: एक मानव अधिकार दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय गोष्ठी।

8.5 आयोग ने राजस्थान के सिकर जिले में लक्ष्मणगढ़ में फैक्लटी आफ लॉ, मोदी इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलाजी एण्ड साइन्स के सहयोग से 16 एवं 17 अप्रैल, 2011 को महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार पर उपरोक्त राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में विधिवेताओं, शिक्षाविदों, समाज विज्ञानियों, राजनीतिक विचारकों, कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों, अनुसंधान विद्वानों, सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, तकनीकी संस्थानों, गैर सरकारी एवं सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा 50 से अधिक आलेख प्रस्तुत किए गए। जिन विस्तृत विषयों पर प्रतिनिधियों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए वे निम्नलिखित हैं :–

- मानव अधिकार एवं महिलाओं का स्वास्थ्य – एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य
- सभी महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं – एक राष्ट्रीय परिदृश्य
- रक्षात्मक भेद–भाव – महिलाओं की मुक्ति के लिए एक प्रयास
- स्वास्थ्य का अधिकार एवं पर्यावरण कानून
- प्रजनन का अधिकार तथा सरोगेटेड मातृत्व
- अशक्त महिलाएँ तथा मातृत्व

- रोजगार के मामलों में तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण तथा जाति एवं धार्मिक उत्पीड़न
- एकल मातृत्व, यौन कामगार, अन्य सामाजिक रूप से बहिष्कृत महिलाएँ तथा उनके अधिकार
- कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक वर्जनाएँ एवं भेद–भावपूर्ण बर्ताव, तथा
- मुख्य विषय से संबंधित अथवा उससे प्रासंगिक कोई अन्य विषय

(ख) रिथिंकिंग फेमिनिज्म : महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति मानव अधिकार दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय सम्मेलन

8.6 अंतरर्राष्ट्रीय महिला दिवस के भाग के रूप में आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सहयोग से उपरोक्त विषय पर 3 तथा 4 मार्च, 2012 को जयपुर में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण के लिए सभी स्तरों पर उनके समग्र विकास के लिए काम करना
- महिलाओं के मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना तथा संवेदनशील बनाना
- महिलाओं द्वारा झेली जा रही चुनौतियों की जांच पड़ताल करना तथा उनसे निपटने के लिए मैकेनिज्म का पता लगाना

8.7 इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय श्री ब्रिज किशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ने किया। सत्र में बीज भाषण प्रो0 चंद्रकला पाडिया, राजनीति विज्ञान विभाग तथा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के समाज विज्ञान के डीन द्वारा दिया गया। प्रो0 दमयन्ती गुप्ता, डीन, सामाजिक विज्ञान, राजस्थान विश्वविद्यालय ने समारोह की अध्यक्षता की। सम्मेलन के विषय का परिचय राष्ट्रीय सम्मेलन के कन्वीनर, डा0 राजेश कुमार शर्मा द्वारा दिया गया। कुल मिलाकर, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के शिक्षाविदों द्वारा 60 से अधिक आलेख प्रस्तुत किए गए। समापन सत्र के मुख्य अतिथि संसद सदस्य तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा डा0 गिरिजा व्यास थीं।

ग. अपने अधिकारों के लिए बच्चों की बातचीत तथा मानव अधिकार सिद्धान्त, बाल अधिकारों संबंधी मार्गदर्शक नीति एवं रिपोर्टिंग पर गोष्ठी

8.8 बाल दिवस के भाग के रूप में, जिसे प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को पूरे देश में मनाया जाता है, आयोग ने इण्डिया एलायन्स फार चाइल्ड राईटस, नई दिल्ली के सौजन्य से 11 नवम्बर, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लॉन में बच्चों के साथ एक चर्चा का आयोजन किया। इसके बाद बाल अधिकारों संबंधी मानव अधिकार सिद्धान्तों, मार्गदर्शी नीति तथा रिपोर्टिंग पर एक गोष्ठी 12 नवम्बर, 2011 को आयोग के कोर्ट रूम में आयोजित की गई।

8.9 बच्चों के साथ चर्चा 11 नवम्बर, 2011 को पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक हुई। चर्चा के पश्चात् आयोग के अध्यक्ष ने उनके साथ परस्पर चर्चा की। इसके बाद अपने अधिकारों; मौजूदा वास्तविकता; आश्वासन तथा अधिकारों पर चर्चा करने के लिए बच्चों को चार समूहों में बांट दिया गया जिन्हें बच्चों के रूप में उन्हें देने के लिए भारत सरकार उनकी आभारी है। इस काम में उनकी मदद बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले इंडिया एलायन्स के सहयोगी संस्थाओं के मददकर्ताओं ने की।

8.10 बच्चों के विभिन्न समूहों द्वारा अभ्यास की रिपोर्टिंग 'सुनवाई : बच्चों की सुनवाई' के रूप में की गई जिसकी अध्यक्षता डा0 शांता सिन्हा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की गई।

8.11 12 नवम्बर, 2011 को हुई गोष्ठी में 'नीति एवं मूल्यांकन में राष्ट्रीय ध्यान पर बच्चों का विशेष दावा 'राष्ट्रीय नीति परिदृश्य एवं परिस्थिति का विकास', 'स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए मामला : यू पी आर अवसर एवं चुनौतियाँ' तथा आगे की दिशा के संबंध में समझौता' पर जोर दिया गया।

घ. बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2011 के मसौदे पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणी

8.12 भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को कुछ सहज एवं अहरणीय अधिकार प्राप्त हैं जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति भी शामिल हैं। संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। इसके अतिरिक्त, राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो शासन के लिए मूलभूत हैं, भी बच्चों को दिए जाने वाले अवसरों एवं सुविधाओं के संबंध में प्रयास करते हैं ताकि स्वस्थ तरीके से तथा आजादी एवं गरिमा के माहौल में उनका विकास हो सके।

8.13 बच्चों को देख–रेख प्रदान करने की आवश्यकता को 1948 के मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र तथा बच्चों के अधिकारों के घोषणापत्र में मान्यता दी गई है जिसे 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। इसके बाद 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय को अंगीकार किया गया। सी आर सी का भारत सरकार द्वारा 11 दिसम्बर, 1992 को अनुसमर्थन किया गया। सी आर सी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें राज्य पक्षकारों के लिए यह अपेक्षित है कि वह गरिमा के साथ जीने, निर्वाह एवं विकास के अधिकार; सभी प्रकार के भेदभाव के विरूद्ध सुरक्षा; बच्चों की भागीदारी शामिल करते हुए बच्चों के सर्वोतम हित के लिए काम करने; तथा बच्चों की उम्र एवं उनकी परिपक्वता के स्तर के अनुसार उनके विचारों के लिए सम्मान पर ध्यान केंद्रित करे।

8.14 बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति (एन पी सी) भारत सरकार द्वारा शुरू में 1974 में अंगीकार की गयी थी। इस नीति में बच्चों का वर्णन सर्वोच्च रूप से महत्त्वपूर्ण पूँजी के रूप में किया गया है तथा बच्चों को जन्म से पूर्व एवं उसके बाद तथा उनके बढ़ने की उम्र में एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए यह राज्य को जिम्मेवार बनाता है।

8.15 उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उदय के साथ नई चुनौतियाँ उभर कर आई हैं जो बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। जन्मजात एवं अहरणीय अधिकारों के साथ एक व्यक्ति के रूप में बच्चे की पहचान, जो परस्पर संबंधित हैं तथा एक–दूसरे पर निर्भर हैं, के कारण 1974

एन पी सी की समीक्षा तथा इसके परिणामस्वरूप इसको अद्यतन करने की आवश्यकता हुई। एक संशोधित नीति के निर्माण, के मुद्दे को जो अपने बच्चों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, नई चुनौतियों का समाधान करती है तथा देश में सभी बच्चों के लिए सभी बाल अधिकारों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखती हैं, एम डब्ल्यू सी डी द्वारा उठाया गया जो महिलाओं एवं बच्चों के मामलों को देखने वाला भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है।

8.16 1974 एन पी सी की समीक्षा एम डब्ल्यू सी डी द्वारा 2008 में शुरू की गई। इसने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, लाइन मंत्रालयों, विशेषज्ञों एवं सिविल सोसायटी संगठनों जैसे सभी साझेदारों को शामिल करते हुए एक साझेदारी प्रक्रिया अपनाई। एम डब्ल्यू सी डी द्वारा तैयार किये गये वर्किंग पेपर के मसौदे पर सितम्बर, 2010 से जनवरी, 2011 तक आयोजित पांच क्षेत्रीय परामर्शों में चर्चा की गई।

8.17 संशोधित वर्किंग पेपर पर बाद में मुख्य सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों, तकनीकी संस्थानों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, गैर सरकारी तथा सिविल संगठनों के साथ दिसम्बर, 2011 में आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श में चर्चा की गई।

आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणी की :—

"परिचय"

1. किसी नीति में राज्य के दर्शन तथा उसके समग्र वचनबद्धता की घोषणा होनी चाहिए तथा उसे निश्चयपूर्वक कहा जाना चाहिए। यह भारतीय राज्य की तरफ से की गई घोषणा है तथा इसके सभी अंग एवं समाज के सभी वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि वह इसका सम्मान करे। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2011 का मसौदा इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं होता।

2. एन पी सी को बच्चे को एक अधिकार धारक के रूप में मान्यता देनी चाहिए तथा इसे पूर्व में 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति में किए गए वादे की पुष्टि करनी चाहिए कि ''राष्ट्र के बच्चे उसकी सर्वोच्च पूँजी है।'' इसके अतिरिक्त, इसे इस बात को भी दुहराना चाहिए कि ''बच्चे के कल्याण के लिए उसका सर्वोत्तम हित राज्य के प्राथमिक विचार का मामला होगा''। दूसरे शब्दों में एन पी सी को इस बात पर जोर देना चाहिए कि यह बच्चों से संबंधित सभी कार्रवाईयों में एक अधिकार आधारित नीति है, चाहे पंचवर्षीय योजनाएँ हो, विधान, कार्यक्रम, योजना, कार्य योजना, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थानों अथवा गैर सरकारी संगठनों, कानून की अदालतों, प्रशासनिक प्राधिकरण अथवा वैधानिक निकाय, द्वारा शुरू की गई कोई अन्य नीति हो, बच्चे का सर्वोतम हित सर्वोच्च रूप से महत्त्वपूर्ण होगा।

3. उपरोक्त के आलोक में एन पी सी के लिए यह उचित होगा कि एक 'प्रस्तावना' हो। प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में दिए गए बच्चों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर निरंतर प्रकाश डाला जाना चाहिए। संविधान में एन पी सी की सुरक्षा का उपाय करना बच्चों के सर्वोतम हित में होगा।

4. इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में यू एन सी आर सी, सी आर सी के वैकल्पिक प्रोटोकॉल, अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा बच्चों पर प्रभाव डालने वाले अन्य मानव अधिकार एवं मानवतावादी कानून संधियाँ का आह्वान करना चाहिए जिसका भारत एक पक्षकार है। इसी प्रकार, सी आर सी समिति द्वारा समय–समय पर दी गई सामान्य टिप्पणियों को भी प्रस्तावना में दर्शाया जा सकता है। अभी तक, सी आर सी समिति ने 13 सामान्य टिप्पणियाँ दी है।

5. इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति का होना वांछित है। इससे बच्चों को उचित महत्त्व मिलेगा जिनके लिए नीति बनाई जा रही है। यदि एन पी सी को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाता है जिसे संसद का समर्थन प्राप्त हो, तो यह बच्चों के सर्वोतम हित में होगा।

एन पी सी का 'दर्शन'

6. एन पी सी के दर्शन को भी 'प्रस्तावना' में शामिल किया जा सकता है तथा इसे मुख्य रूप से 'गैर भेद–भाव', बच्चे का सर्वोतम हित', 'जीवन, निर्वाह एवं विकास का अधिकार' तथा ' बच्चों के विचार' पर केंद्रित होना चाहिए। ये चार सार्वभौम एवं दूरदर्शी सामान्य सिद्धान्त हैं जिन्हें सी आर सी में प्रतिष्ठापित किया गया है। इन सिद्धान्तों से सी आर सी को संपूर्ण तरीके से समझने तथा उसकी व्याख्या करने में मदद मिलती है तथा इस प्रकार बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति/कार्यक्रम/योजना/कार्य योजना को लागू करने में दिशानिर्देश मिलता है।

7. "भेदभाव के बिना" का उल्लेख करते समय 'भेदभाव के बिना' का सरल शब्दों, जैसे– 'कोई भी बच्चा लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, वर्ग, संस्कृति, भाषा, सामाजिक मूल, अपंगता या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा' में विस्तारपूर्वक उल्लेख बेहतर होगा। इसका आवश्यक संदेश सभी बच्चों के लिए अवसर की समानता है।

8. इसी प्रकार 'बच्चे के बेहतर हित' सिद्धान्त का संबंध न्यायालयों, प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधिक निकायों और सार्वजनिक एवं निजी कल्याण संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों से है। यह सी आर सी का मूल संदेश है, जिसे लागू करना एक मुख्य चुनौती है। इसे एन पी सी में दर्शाया जाना अपेक्षित है।

9. 'जीने, उत्तर जीविता तथा उन्नति करने के अधिकार' में जीवन तथा उन्नति करने के अधिकार के बारे में नीति का प्रतिपादन शामिल है। इसे सभी बच्चों के लिए उनकी आयु विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से इसे केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसमें मानसिक, भावात्मक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को भी शामिल करना चाहिए।

10. 'बच्चे के विचार' का अर्थ है– बच्चों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर उन्हें विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और बच्चों की 'आयु और परिपक्वता' के अनुसार

उन विचारों को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें अन्तर्निहित विचार यह है कि बच्चों को यह अधिकार है कि उनके विचार सुने जाएं तथा उनके विचारों को गंभीरता से लिया जाए, इसमें उन्हें प्रभावित करने वाली कोई न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया भी शामिल है।

11. उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों को एन पी सी में दर्शाया जाना आवश्यक है।

12. एन पी सी में 'दिशा–निर्देश सिद्धान्तों' से संबंधित भाग को संक्षिप्त किया जाना अपेक्षित है एवं इसे 'प्रस्तावना' में ही दर्शाया जाना चाहिए।

एन पी सी के कार्यनीतिक उद्देश्य

13. 'कार्यनीतिक उद्देश्य' पुनः अत्यधिक व्यापक है। इसे सरल भाषा में पुनः तैयार करना अपेक्षित है। उदाहरणार्थ उप पैरा 4–6 में "सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा विकास सुनिश्चित करने के बारे में विचार करते समय इसे संक्षेप में एक या दो वाक्य में उस तरीके का उल्लेख करना अपेक्षित है, जिसमें इसे पूरा किया जाएगा।

'प्राथमिकता वाले क्षेत्र''

14. पैरा 5 में उल्लिखित 'प्राथमिकता वाला क्षेत्र' भी अत्यधिक व्यापक है। इसे सुसंगठित किया जाना अपेक्षित है। किसी अवधि के दौरान पूरा किए जाने वाले प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्र को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा कुछ और प्राथमिकता क्षेत्र हैं जिनका उल्लेख एन पी सी में नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ सभी बच्चों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ करना।

15. पैरा 5.1.2 में 'कन्या भ्रूण हत्या' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'कन्या भ्रूण हत्या' के लिए इस समय प्रयोग किया जाने वाला शब्द 'जन्म पूर्व लिंग चयन' है। इसके अलावा 5.1.4 में एक और उप खण्ड जोड़ा जाना अपेक्षित है जिसमें यह उल्लेख हो कि छोटे परिवारों के लिए माता–पिता को जागरूक बनाया जाए क्योंकि इससे सभी बच्चे का जीवन, स्वास्थ्य, देखभाल, पोषण, विकास, शिक्षा, सुरक्षा तथा भागीदारी के संदर्भ में बेहतर हित सुनिश्चित होता है।

अन्य टिप्पणियाँ :–

16. वर्ष 2011 के एन पी सी में किसी प्रकार के लक्ष्य / लक्ष्यों का वर्णन नहीं है।

17. 1974 की नीति के विपरीत, वर्ष 2011 की एन पी सी में "स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका" तथा 'लोगों की भागीदारी' के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा में स्वयंसेवी संगठनों तथा सिविल सोसाइटी की भूमिका का उल्लेख करना व्यावहारिक होगा।

18. एन पी सी को एन एच आर सी, एन सी पी सी आर, एस एच आर सी, एस सी पी सी आर, बाल कल्याण समितियों आदि की सहायता से बाल सुरक्षा निगरानी प्रक्रिया के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने पर जोर देना चाहिए।

8.18 आयोग को यह आशा है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के प्रारूप के संबंध में इसके द्वारा की गई टिप्पणियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम संशोधित नीति में समुचित रूप से शामिल किया जाएगा।

(ड.) सी ई डी ए डब्ल्यू के संबंध में चौथे और पाँचवे संयुक्त आवधिक रिपोर्ट से संबंधित एम डब्ल्यू सी डी के अंतिम प्रारूप पर रा. मा. अ. आ. की टिप्पणियाँ :–

8.19 महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति (सी ई डी ए डब्ल्यू) संबंधी समझौते पर भारत सरकार द्वारा 30 जुलाई, 1980 को हस्ताक्षर किया गया एवं 9 जुलाई, 1993 को उसकी अभिपुष्टि की गई। सी ई डी ए डब्ल्यू के अनुच्छेद 18 के अनुसार, समझौते में अन्तर्निहित उपबंधों को लागू करने के लिए अभिपुष्टि करने वाले देशों को उनके द्वारा उठाये गए कदमों के संबंध में सी ई डी ए डब्ल्यू समिति को प्रत्येक चार वर्षों में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। भारत सरकार ने अपनी आरंभिक आवधिक रिपोर्ट सी ई डी ए डब्ल्यू समिति को अगस्त, 1998 में प्रस्तुत की थी। समिति द्वारा जनवरी, 2000 में अपने 22वें सत्र में इस रिपोर्ट की समीक्षा की गई थी। तत्पश्चात् एक संयुक्त दूसरी और तीसरी आवधिक रिपोर्ट अक्टूबर, 2005 में प्रस्तुत की गई थी जिसकी समीक्षा समिति द्वारा जनवरी–फरवरी, 2007 में अपने 37वें सत्र में की गई थी। सी ई डी ए डब्ल्यू समिति ने वर्ष 2002 की गुजरात की घटना का महिलाओं पर प्रभाव के संबंध में अनुवर्ती रिपोर्ट की मांग की थी। अनुवर्ती रिपोर्ट वर्ष 2009 में प्रस्तुत की गई थी और सी ई डी ए डब्ल्यू समिति द्वारा अक्टूबर, 2010 के अपने 47वें सत्र में इस पर विचार किया गया था। तद्नुसार, भारत सरकार में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों के संबंध में कार्रवाई करने वाले नोडल मंत्रालय, एम डब्ल्यू सी डी ने सी ई डी ए डब्ल्यू के उपबंधों को लागू करने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए कदमों तथा वर्ष 2006 से 2011 की अवधि के दौरान हुई प्रगति को शामिल करते हुए चौथी और पांचवी संयुक्त आवधिक रिपोर्ट तैयार की थी। इस प्रयोजन के लिए, एम डब्ल्यू सी डी ने व्यापक अंतर मंत्रालीय परामर्श की प्रक्रिया को अपनाया तत्पश्चात् सिविल सोसाइटी भागीदारों तथा संगठनों के साथ राष्ट्रीय परामर्श किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत ने भी इन परामर्शों में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था।

8.20 तत्पश्चात् अंतिम चौथी और पांचवी संयुक्त आवधिक रिपोर्ट को रा. मा. अ. आ. भारत को भी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। आयोग ने अपने क्षेत्र से जुड़े भागों की जांच की तथा देश में महिलाओं के अधिकारों के संवर्द्धन तथा रक्षा से संबंधित कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा इसने महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उसके द्वारा इस क्षेत्र में आरंभ किए गए कार्यों से संबंधित मामलों को उठाया। यू एन एफ पी ए के सहयोग से आरंभ किए गए "गर्भाधान पूर्व तथा जन्म पूर्व जांच तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम के कार्यान्वयन को मुख्य राज्यों में सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान एवं समीक्षा" नामक सामूहिक अनुसंधान परियोजना तथा "मानव अधिकार जागरूकता तथा भारत के चिह्नित 28 जिलों में मानव अधिकार कार्यक्रम का आकलन तथा उसे लागू करना" नामक कार्यक्रम के संबंध में आयोग द्वारा विशेष उल्लेख किया गया था। उपर्युक्त अनुसंधान अध्ययन का ब्यौरा एन एच आर सी की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर डाल दिया गया है। अन्य कार्यक्रमों के ब्यौरे पर इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय–6 में प्रकाश डाला गया है।

8.21 आयोग को विश्वास है कि इसके द्वारा प्रकाश में लाए गए महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन से संबंधित विषयों को सी इ डी ए डब्ल्यू संबंधी अंतिम चौथे एवं पांचवे संयुक्त आवधिक रिपोर्ट में सही तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी समय–समय पर सीडॉ समिति को रिपोर्ट सौंपेगा।

(च) महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए दृष्टान्त मामले

1. *धानीडीह गांव, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मर्यादा के साथ छेड़–छाड़ (मामला सं0 15143/24/66/07–08–डब्ल्यू सी)*

8.22 14 जुलाई, 2007 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में एक खबर छपी जिसका शीर्षक था "गैंग रेप के आरोपों ने माया सरकार की नींद हराम की"। यह खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के धानीडीह गांव में घटी एक घटना से संबंधित थी। इस घटना की शुरूआत एक हिन्दू लड़की के मुस्लिम लड़के के साथ भागने से हुई। यह खबर छपी थी कि 10 जुलाई 2007 को धानीडीह गांव पर भीड़ ने हमला कर दिया तथा लड़के के पिता तथा कुछ अन्य परिवारों के घर में लूटपाट की। भीड़ में से कुछ लोगों ने बुजुर्ग महिलाओं की भी पिटाई की। कुछ महिलाओं को गांव में नंगा कर के घुमाया गया तथा कुछ के साथ गैंग रेप किया गया।

8.23 आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया तथा घटनास्थल जांच के लिए अपनी टीम नियुक्त की। इस घटना के संबंध में दो मानव अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ एवं नीति सक्सेना तथा बीस मुस्लिम महिलाओं, जिन्हें हिंसा के दौरान चोट पहुँची थी, से भी शिकायतें प्राप्त हुई थी।

8.24 अन्वेषण प्रभाग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की जांच करने पर आयोग ने संस्तुति की कि घटना के संबंध में सिरसिया पुलिस थाने में दर्ज एफ आई आर नं0 316/07 में सी बी – सी आई डी द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। सी बी–सी आई डी को जांच में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल करने के लिए कहा गया :–

(i) क्या मुस्लिम लड़के के पिता चुन्नु तथा धानीडीह गांव के चार अन्य मुस्लिमों को पुलिस द्वारा गैरकानूनी तरीके से कैद रखा गया था? यदि हाँ तो कितनी अवधि के लिए?

(ii) क्या 10 जुलाई 2007 को घटी घटना में धानीडीह गांव के निवासियों की संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचाया गया था?

(iii) छेड़छाड़ अथवा बलात्कार के पीड़ितों की पहचान होनी चाहिए। यदि बलात्कार के कुछ प्रमाण पाए जाते हैं तो उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(iv) उन पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए जो या तो लापरवाह थे अथवा जिन्होंने उपद्रवियों को मौन सहमति दी थी।

8.25 इस घटना के संबंध में देवीपट्टम के प्रभागीय आयुक्त द्वारा एक जांच भी की गई थी।

8.26 सी बी – सी आई डी तथा प्रभागीय आयुक्त द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों पर विचार करने पर आयोग ने कहा कि 25 महिलाओं का शील भंग करने तथा सात लोगों को गैरकानूनी रूप से कैद रखने के संबंध में कोई खंडन

नहीं किया गया था। इसलिए इसने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(i) के तहत् उत्तर प्रदेश सरकार को इसके मुख्य सचिव के माध्यम से इस बात का कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि जिन महिलाओं का शील भंग किया गया था तथा जो इस घटना में घायल हुए थे एवं सात अन्य व्यक्तियों जिन्हें गैर कानूनी तरीके से कैद रखा गया था को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जाए।

8.27 मुआवजे के भुगतान का राज्य सरकार द्वारा विरोध नहीं किया गया था। आयोग ने फिर उत्तर प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से उन 25 महिलाओं में से प्रत्येंक को रु0 15,000 के मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की जिनके साथ घटना के दौरान बलात्कार हुआ था। गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को भी उन लोगों को मुआवजे के भुगतान का साक्ष्य भेजने का निर्देश दिया गया जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था। आयोग ने उन 6 महिलाओं में से प्रत्येक को 25,000/– रु0 मुआवजा की सिफारिश की जो घटना के दौरान घायल हुए थे। इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई थी।

2. झारखण्ड के गढ़वा जिले के सदर अस्पताल में एक महिला का अनादर
(मामला सं0 1412/34/7/2010)

8.28 यह मामला एक हिन्दी दैनिक द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित एक खबर पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, अनीशा परवीन नामक एक महिला प्रसव के लिए सदर अस्पताल आई किन्तु उसे बिना किसी जांच के लौटा दिया गया। चूंकि गरीब महिला को चिकित्सा सहायता देने से इंकार कर दिया गया, इसलिए उसने ओ पी डी के सामने खुले मैदान में एक बच्चे को जन्म दिया तथा उसके बाद ही माँ एवं बच्चे को अस्पताल में दाखिल किया गया।

8.29 उपायुक्त, गढ़वा की रिपोर्ट तथा सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गढ़वा की जांच रिपोर्ट ने आरोप की पुष्टि की। जांच अधिकारी ने पाया कि अनीषा परवीन की जांच करने से मना करने में डा0 सरोज का व्यवहार अनुचित था। यह खबर थी कि डा0 ने अपना इस्तीफा दे दिया था।

8.30 आयोग ने माना कि सदर अस्पताल, गढ़वा की डा0 सरोज की लापरवाही एवं अनुचित व्यवहार के कारण अनीशा परवीन को खुले में बच्चे को जन्म देने के अपमान से गुजरना पड़ा। डा0 सरोज के आचरण से अनीशा परवीन के गरिमा एवं जीने के अधिकार का हनन् हुआ था। पीड़ित को हर्जाना देने के लिए राज्य को जिम्मेवार ठहराते हुए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क)(i) के तहत् झारखण्ड सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से इस बात का कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया कि पीड़िता अनीशा परवीन को आर्थिक सहायता की आयोग क्यों न संस्तुति करे।

8.31 कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने पीड़िता को मुआवजा देने के लिए अपनी सहमति जताई।

8.32 इसलिए आयोग ने झारखण्ड सरकार को पीड़िता अनीशा परवीन को 25,000/– रु0 के मुआवजे का भुगतान करने की संस्तुति की।

8.33 इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

3. भिक्षुक महिला के अधिकारों का हनन्
(मामला सं0 1717/30/0/2011)

8.34 एक संसद सदस्य (राज्य सभा) ने दिनांक 1 फरवरी, 2011 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' द्वारा "बेघर महिला को सिपाहियों ने खदेड़ा, महिला ने पार्क में बच्चे को जन्म दिया" शीर्षक से प्रकाशित एक खबर आयोग को भेजी। रिपोर्ट के अनुसार प्रिया नामक एक गर्भवती महिला अपनी सास के साथ पार्क में बैठी हुई थी तभी अचानक पुलिस वहां आई और बैलून बेचने वालों सहित सभी भिखारियों को खदेड़ दिया। एक पुलिसवाले ने प्रिया को पार्क से बाहर खदेड़ने की कोशिश की। उसके बाद मची आपाधापी में उसके पैर पर चोट लग गई। इससे उसे सदमा पहुँचा तथा उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई, जिसके कारण उसने मिनटों में पार्क में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया।

8.35 आयोग ने 27 अप्रैल, 2011 को इस मामले पर संज्ञान लिया तथा मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं पुलिस आयुक्त, दिल्ली से रिपोर्ट मांगी।

8.36 अपर पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में एक सतर्कता जांच संयुक्त पुलिस आयुक्त, सतर्कता द्वारा की गई थी। यह पाया गया कि दिल्ली होमगार्ड मुकेश कुमार ने सहायक उप–निरीक्षक सत्य नारायण एवं अन्य पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पीड़िता की पिटाई की थी तथा उसे खदेड़ा था। इन पुलिसकर्मियों ने इस घटना के तथ्यों को तब तक छुपाया था जब तक कि जांच के दौरान उनकी पहचान जाहिर नहीं हो गई। दिल्ली होमगार्ड मुकेश कुमार को डयूटी से बरखास्त कर दिया गया।

8.37 यह पता लगने पर कि दिल्ली होम गार्ड मुकेश कुमार ने सहायक उप–निरीक्षक सत्य नारायण एवं दिल्ली पुलिस के अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पीड़िता गर्भवती प्रिया की पिटाई की थी तथा उसे खदेड़ा था, आयोग ने दिनांक 29 अगस्त, 2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(i) के तहत् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।

8.38 कारण बताओ नोटिस का जबाब एक उप–सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया। उसने केवल अपर पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली के दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 के रिपोर्ट की एक कापी भेजी। पीड़िता को आर्थिक सहायता के संबंध में दिल्ली सरकार के सुस्पष्ट रूख से आयोग को अवगत नहीं कराया गया। यह मानते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को इस विषय के संबंध में कुछ नहीं कहना था, आयोग ने दिनांक 24 मार्च, 2012 की अपनी कार्यवाही द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को इसके मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़िता प्रिया को 1,00,000/– रु0 के मुआवजे का भुगतान करने की संस्तुति की। मुख्य सचिव को 6 हफ्तों के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित एक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया। अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

4. झारखण्ड में बाल मजदूरी के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान
(मामला सं0 389/34/11/2011)

8.39 अंग्रेजी दैनिक 'द हिन्दू' में दिनांक 5 अप्रैल, 2011 को "झारखण्ड में बच्चे जीविका के लिए चूहों के बिल में पीस रहे" शीर्षक से एक खबर छपी। रिपोर्ट के अनुसार, झारखण्ड के हजारीबाग जिले में अवैध कोयला खदानें थी जिनमें बच्चों को मजदूरी के लिए नियोक्त किया गया था तथा उन्हें कोई सुरक्षोपाय अथवा अन्य सुविधाएँ नहीं दी गई थी।

8.40 आयोग ने न्यूज रिपोर्ट का संज्ञान लिया तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को इस मामले में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा। उन्हें निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ भेजने को भी कहा गया :–

(क) हजारीबाग जिले तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में कोयले की कितनी खदानें – कानूनी अथवा गैरकानूनी क्रियाशील हैं?

(ख) अवैध कोयला खदानों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(ग) वैध अथवा अवैध कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को क्या सुरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं?

(घ) क्या राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना है जो मजदूरों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हो?

(ड़) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना हजारीबाग जिले में शुरू की गई है? यदि हाँ, तो लाभार्थियों की संख्या क्या है।

(च) कोयला खदानों में बाल मजदूरी को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(छ) क्या 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हजारीबाग जिले तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में पर्याप्त स्कूल हैं। यदि नहीं तो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

8.41 अतिरिक्त प्रधान सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, झारखण्ड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से एकत्रित किए गए रिपोर्टों की कापियाँ उन पर अपनी टिप्पणी दिए बिना भेजी। रिपोर्टों के अनुसार, हजारीबाग जिले में अवैध कोयला खदानें नहीं थी। इसलिए, वहां कोई बाल मजदूरी नहीं थी।

8.42 आयोग ने दिनांक 17 जनवरी, 2012 की अपनी कार्यवाही में यह कहा कि अतिरिक्त प्रधान सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, झारखण्ड सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें केवल आयोग द्वारा उठाए गए कुछ विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर थे। मुख्य सचिव, को भी विचाराधीन मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपना अपेक्षित था, किन्तु उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। इसलिए आयोग ने प्रधान सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग को इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। राज्य सरकार से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

5. जूनागढ़, गुजरात में एक सरकारी अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए
(मामला सं0 920/6/12/2011)

8.43 आयोग ने 12 सितम्बर, 2011 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''23 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे एच.आई.वी. पॉजीटिव पाए गए'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार जूनागढ़, गुजरात के सरकारी अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित 23 बच्चे एच.आई.पी. पॉजीटिव पाए गए। बच्चों के माता–पिता ने

अस्पताल में रक्त चढ़ाने के कारण कथित तौर पर हुए घातक संक्रमण के लिए सरकारी स्वास्थ्य प्राधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। राज्य स्वास्थ्य विभाग को, इस बात का पता लगाने के लिए कि बच्चे इस संक्रमण के संपर्क में कैसे आए, जांच करने के लिए कहा गया था।

8.44 आयोग ने इस मामले में मुख्य सचिव, गुजरात सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

8.45 डॉ0 के.के. शाह, अपर प्रोजेक्ट निदेशक, गुजरात राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी ने इस विषय पर विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार की गई प्रांरभिक जांच रिपोर्ट आयोग को अग्रेषित की। रिपोर्ट के अनुसार, जूनागढ़ सरकारी अस्पताल में 12 मरीजों को अनियमित रूप से रक्त चढ़ाया गया था। उनमें से 1 मरीज के माता–पिता का पॉजीटिव इतिहास था तथा आठ मरीज, जो नियमित थे, उनके 2010 से पहले के इतिहास के विषय में विस्तृत जांच की आवश्यकता थी। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि सभी 20 मामलों को विस्तृत नैदानिक इतिहास की जांच करने की आवश्यकता है।

8.46 गुजरात सरकार ने इस मामले की विस्तृत जांच हेतु डॉक्टरों का एक अन्वेषण दल गठित किया तथा इसकी रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को अग्रेषित की। अन्वेषण दल ने निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया :–

i सरकारी अस्पताल, जूनागढ़ में ब्लड बैंक लाइसेंस के अनुसार प्राधिकृत कार्मिक मौजूद नहीं थे।

ii बायोकैमिस्ट्री / पैथोलॉजी / आई.सी.टी.सी / पी.पी.टी.सी.टी. से संबंधित जांच, जोकि ब्लड से संबंधित नहीं हैं, ब्लडबैंक के परिसर में की जा रही थी तथा ब्लडबैंक में इन जांचों से संबंधित उपकरण भी स्थापित किए गए थे।

iii ब्लडबैंक में रक्तदानकर्त्ता कमरा, प्रक्रिया, चिकित्सा जांच, परामर्श एवं संग्रहण तय मानकों के अनुसार नहीं थे।

iv एच.आई.वी. इलीसा दानकर्त्ताओं के लिए आई.सी.टी.सी / पी.पी.टी.सी.टी. (उच्च जोखिम) के मरीजों के सैम्पल सार्वजनिक क्षेत्र में एक ही प्लेट में रखे गए थे।

v किट इंसर्ट में दिए गये निर्देशों की परिणाम मूल्यांकन के रूपांतरण से पुष्टि नहीं हो रही थी।

vi कचरा प्रबंधन व्यवस्था भी घटिया थी तथा जांच करने की जगह को ठीक से साफ नही किया गया था।

vii रक्त चढ़ाने से पहले रक्त प्रसंस्करण की विभिन्न दशाओं के दौरान ब्लडबैंक को विसंक्रमित करने में भी लापरवाही की गई थी।

viii उपलब्ध तकनीकी स्टाफ उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं था।

ix दस्तावेजों में अत्यधिक काट–पीट की गई थी जिसमें प्राधिकृत कार्मिकों के हस्ताक्षर नहीं थे।

x कुछ उपकरण काम नहीं कर रहे थे तथा कुछ नई मशीनों को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा रहा था।

xi माता पिता/अभिभावकों द्वारा दिए गए साक्षात्कारों एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार 11 संक्रमित बच्चों से 5 बच्चों ने सरकारी अस्पताल, जूनागढ़ के अलावा अन्य जगहों से भी रक्त चढ़वाया था, उनमे से एक ब्लडबैंक उस समय बंद था। गैर–लाइसेंसी लैब से अन्य बच्चों को रक्त चढ़ाए जाने की संभावना का पता नहीं लग पाया ।

xii सिविल अस्पताल में उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार एच.आई.वी. संक्रमित थेलेसिमिया से ग्रस्त लगभग सभी बच्चे सिविल अस्पताल, जूनागढ़ में रक्त चढ़ाने के लिए नियमित रूप से नहीं आते थे तथा इस बीमारी में जीवन बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से नियमित/आवधिक रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है।

xiii थेलेसेमिक क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में इसकी उच्च प्रबलता तथा स्वास्थ्य देख–रेख व्यवस्थाओं तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी के कारण कुछ मरीज अपने नजदीकी जगहों से स्वास्थ्य देख–रेख, आई.वी.आई.एम., चिकित्सा उपचार एवं अप्राधिकृत रक्त संचरण की सुविधा लेते हैं, जो हो सकता है निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हों।

xiv सभी 20 मरीजों को आई.सी.टी.सी. में परामर्श दिया गया तथा उन्हें एन्टीरीट्रोवाइरल थैरेपी (ए.आर.टी.) के लिए रैफर किया गया था। इनमें से 6 मरीजों का ए.आर.टी. उपचार पहले ही शुरू किया जा चुका था।

xv चूंकि प्रत्येक बच्चे को 100 यूनिट से अधिक बार रक्त चढाया गया था तथा उनमें से कुछ 10–12 वर्ष के थे, संक्रमण को ढूंढना तथा संक्रमण के स्रोत की पुष्टि करना संभव नहीं था।

8.47 अन्वेषण दल ने यह निष्कर्ष दिया था कि चूंकि अधिकांश मामले अनियमित/ गैर–आवधिक रक्त चढ़ाने के थे, एच.आई.वी. संक्रमण का संचारण गैर प्राधिकृत स्रोत से संक्रमित रक्त प्राप्त करने के कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा देख–रेख/चिकित्सकीय दखल देने में असुरक्षित प्रक्रिया भी एच.आई.वी. संक्रमण के लिए उत्तरदायी हो सकती है। उच्च जोखिम वाले सैम्पलों का ब्लडबैंक के साथ ही सार्वजनिक में रखा जाना या प्रसंस्कृत किया जाना भी ब्लड बैगों में संदूषण के उच्च जोखिम का स्रोत हो सकता है।

8.48 अन्वेषण दल ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ की :–

i सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जूनागढ़ जिले में रक्त दान की स्वैच्छिक गैर–पारिश्रमिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

ii ब्लडबैंक परिसर को तत्काल प्रभाव से अन्य लैब जांच परिसरों से अलग किया जाना चाहिए।

iii औषध एवं प्रसाधन अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त संख्या में दक्ष, कर्मठ, तकनीकी मानव शक्ति उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

iv ब्लडबैंक ऐसे उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए जिसमे ऐसे साधन हों जिनसे रक्त चढ़ाए जाने से पहले ब्लड बैग के क्लोज सिस्टम को तोड़ने से बचा जा सके।

v माताओं के लिए प्रसवपूर्व थेलेसिमिया स्क्रीनिंग तथा थेलेसीमिया प्रभावित बच्चों को टी.टी. आई. के लिए स्क्रीनिंग भी नियमित प्रक्रिया के रूप में की जानी चाहिए तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

vi इन मरीजों की देख–रेख करने के लिए बाल चिकित्सालयों तथा ब्लड बैंक में स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए।

vii राज्य सरकार को इस क्षेत्र में थेलेसिमिया की रोकथाम के लिए आई.ई.सी. गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए।

8.49 डॉ0 के. के. शाह ने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी अग्रेषित की थी जिससे पता चला कि राज्य सरकार द्वारा उनके अन्वेषण दल द्वारा की गई संस्तुतियों पर उचित कार्रवाई की गई थी।

8.50 आयोग ने दिनांक 2 मार्च, 2012 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से इस उम्मीद के साथ इस मामले को बंद कर दिया कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने में इन उपायों का पालन किया जाता रहेगा।

6. जिला पश्चिम चंपारण, बिहार में पुलिस चौकी में महिला से हिरासत में बलात्कार
(केस सं0 565/4/9/2011–ए आर)

8.51 आयोग को प्रबीर कुमार दास नामक एक अधिवक्ता से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप था कि 4 मार्च, 2011 की रात को जिला चंपारण, बिहार में पटखोलिया पुलिस चौकी के परिसर में मुन्ना खान नाम के होम गार्ड जवान द्वारा एक 25 वर्षीय महिला से बलात्कार किया गया तथा उसने पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रार्थना की है।

8.52 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नोटिस के जवाब में पुलिस अधीक्षक, बगाह ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे खुलासा हुआ कि पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत पर 5 मार्च, 2011 को पटखोली पुलिस स्टेशन, बगाह में भा0 द0 सं0 की धारा 376(2) (ए) (बी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए एफ.आई.आर. सं0 88/2011 द्वारा एक मामला दर्ज किया गया तथा दोषी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया था। यह भी सूचित किया गया था कि अन्वेषण करने पर लगाए गए आरोप सही पाए गए तथा 24 मार्च, 2011 को अभियुक्त के विरूद्ध चालान दर्ज किया गया तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा रही है। उपरोक्त घटना पटखोली पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी की ओर से हुई लापरवाही के कारण घटित हुई, जिसे तब से निलंबित किया गया था तथा उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। यह भी सूचित किया गया था कि अभियुक्त की सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया भी चल रही थी।

8.53 उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार कर आयोग ने दिनांक 16 सितम्बर, 2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा यह माना कि कानून के संरक्षक ही अपराधकर्त्ता बन गए। इस प्रकार उन्होंने पीड़ित के मानव अधिकारों का हनन किया। आयोग ने अतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के अंतर्गत मुख्य सचिव, बिहार सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि कारण बताएं कि पीड़ित के लिए क्यों न अंतरिम राहत की संस्तुति की जाए ? हालांकि राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।

8.54 आयोग ने मामले पर आगे विचार करते हुए दिनांक 13 जनवरी, 2012 की अपनी कार्यवाही के द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ यह माना तथा निम्नांकित निर्देश दिया :–

> ''बलात्कार का अपराध होम गार्ड मुन्ना खान द्वारा किया गया तथा उसके विरूद्ध अप0 सं0 88/11 में अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। यह भी खुलासा हुआ था कि कथित अपराध ए.एस.आई. रोशन कुमार की ओर से हुई लापरवाही के कारण घटित हुआ जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। संरक्षक ही अपराधकर्त्ता बन गए थे, इस प्रकार पीड़ित के मानव अधिकारों का हनन हुआ। कारण बताओ नोटिस और अनुस्मारक देने के बावजूद कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार को कुछ नहीं कहना है। इस मामले में बलात्कार का अपराध होमगार्ड मुन्ना खान द्वारा किया गया, जो एक पुलिसकर्मी है। धारा 376(2) निम्नलिखित बताता है :–

जो भी हो :–

(क) जब एक पुलिस अधिकारी बलात्कार करे :–

- i उस पुलिस थाने की सीमा के भीतर जहाँ उसे नियुक्त किया गया है; अथवा
- ii किसी स्टेशन के परिसर में चाहे वह पुलिस स्टेशन में हो अथवा नहीं हो जहाँ उसे नियुक्त किया गया है; अथवा
- iii उसकी हिरासत में अथवा उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की हिरासत में महिला पर; अथवा

(ख) लोक सेवक होने के नाते, अपनी अधिकारिक स्थिति का फायदा उठाता है तथा इस प्रकार के लोक सेवक की हिरासत अथवा उसके अधीनस्थ लोक सेवक की हिरासत में महिला पर बलात्कार करता है; अथवा

(ग) जेल प्रबंधन अथवा जेल स्टाफ पर, रिमांड होम अथवा अन्य स्थानों में अथवा कुछ समय के लिए किसी कानून के तहत स्थापित हिरासत में अथवा महिला अथवा बाल संस्थानों में होने के कारण अपनी अधिकारिक स्थिति का फायदा उठाता है तथा इन जेलों, रिमांड होम, स्थान अथवा संस्थानों के संवासियों पर बलात्कार करता है; अथवा

(घ) किसी अस्पताल के प्रबंधन अथवा स्टाफ में होने के कारण अपनी अधिकारिक स्थिति का फायदा उठाता है तथा उस अस्पताल में महिला पर बलात्कार करता है; अथवा

(ड.) किसी महिला पर यह जानते हुए कि वह गर्भवती हो सकती है, बलात्कार करता है; अथवा

(च) किसी महिला से उस समय बलात्कार करता है जब उसकी आयु बारह वर्ष से कम हो; अथवा

(छ) सामूहिक बलात्कार करता है।

इस मामले में एक होम गार्ड द्वारा अपराध किया गया था जो किसी हत्या से कम नहीं माना जा सकता। अभियुक्त मुन्ना खान के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। इन परिस्थितियों में आयोग का मानना है कि पीड़ित के लिए अंतरिम राहत की संस्तुति न्यायसंगत है। पीड़ित को अंतरिम राहत के रूप में भुगतान हेतु 5,00,000/– रुपये की राशि संस्तुत की गई। मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना द्वारा पीड़ित को किए गए भुगतान के साक्ष्य आयोग को चार सप्ताह के भीतर भेजने का निर्देश दिया गया।

8.55 जवाब में मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी, 2012 द्वारा सूचित किया कि आयोग द्वारा संस्तुत 5,00,000/– रु0 की राशि का भुगतान पीड़ित को कर दिया गया था तथा भुगतान का साक्ष्य भी अग्रेषित किया था।

8.56 मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

7. मुंबई, महाराष्ट्र में कार्यस्थल पर एक महिला पुलिस अधिकारी का यौन उत्पीड़न (केस सं0 123/13/2002–2003)

8.57 आयोग को मुंबई से महिला पुलिसकर्मियों से 16 अप्रैल 2002 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमे आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (स्वापक), मुंबई, एक आई.पी.एस. अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर महिला पुलिस उप–निरीक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचाई। शिकायतकर्त्ता ने अपने आरोपों के समर्थ में विभिन्न समाचार पत्रों की कतरने भी संलग्न की थी। यह आरोप लगाया गया था कि मामले की जानकारी वरिष्ठ प्राधिकारियों को देने के बावजूद भी दोषी आई.पी.एस. अधिकारी के विरूद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

8.58 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने सूचित किया था कि इस मामले की जांच करने पर पता चला कि पुलिस उपायुक्त ने अपने कमरे में महिला पुलिस उप–निरीक्षक को कुछ कहा था जिससे उसने अपमानित एवं व्यथित महसूस किया तथा उस मामले को राज्य स्तरीय महिला शिकायत सुधार समिति को आगे की कार्रवाई हेतु रैफर कर दिया गया था।

8.59 आयोग ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करने के पश्चात् अपनी दिनांक 30 जून, 2011 की कार्यवाही द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ यह पाया तथा निम्नांकित निर्देश दिए :–

> ''रजिस्ट्री को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 20.03.2002 की रिपोर्ट सहित 14.02.2011 की कार्यवाही की प्रति मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, चौक, मुंबई को हस्तांतरित करे। महिला पुलिसकर्मियों ने यह शिकायत भेजी थी जिसमे 'दैनिक सामना' तथा मराठी दैनिक 'लोकमत' समाचार पत्रों की कतरनों का संदर्भ दिया गया था और आरोप था कि पुलिस उपायुक्त, स्वापक शाखा, मुंबई ने महिला उप–निरीक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचाई। मामले के विषय में पुलिस आयुक्त को सूचित किया गया था परंतु उन्होंने भा0 दं0 सं0 की धारा 354 के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश नहीं दिया।
>
> राज्य स्तरीय महिला शिकायत सुधार समिति ने दिनांक 27.01.2011 को एक बैठक की तथा पीड़ित से भी पूछताछ की गई। पीड़ित ने समिति के समक्ष दिए गए अपने बयान में आरोपों को दोहराया, परंतु यह कहा

कि चूंकि उसका तबादला पुणे में हो चुका है तथा अपने परिवार की खुशी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए तथा अपने पति से परामर्श करने के बाद और अपनी इच्छा से बिना किसी दवाब के यह कहा कि वह अपनी पिछली शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती। समिति ने इस बयान के आधार पर आगे कार्यवाही नहीं की तथा जांच को समाप्त कर दिया। पीड़ित पिछले 9 वर्षों से भी अधिक समय से मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रही थी तथा उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसने स्वयं ही आगे की कार्रवाई से मना कर दिया। तत्कालीन आई.पी.एस. अधिकारी ने पीड़ित के मानव अधिकारों का हनन किया। आयोग का मानना है कि पीड़ित को वित्तीय राहत दिए जाने की स्वीकृति न्यायसंगत है क्योंकि यह अन्य व्यक्तियों की आँखे खोलेगा कि भविष्य में वे इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त न हों। इन परिस्थितियों में पीड़ित को भुगतान करने के लिए 50,000/– रुपये की अंतरिम राहत की संस्तुति की जाती है। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को चार सप्ताह के भीतर पीड़ित को किए गए भुगतान के साक्ष्य आयोग को भेजने का निदेश दिया जाता है।''

8.60 जवाब में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, चौक, मुंबई ने अपने पत्र दिनांक 6 जून, 2011 द्वारा आयोग को सूचित किया कि अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन (37वां न्यायालय), चौक, मुंबई के न्यायालय ने आयोग की कार्यवाहियों को एक शिकायत के रूप में लिया तथा इसे 3700344/पी एस/2011 के रूप में दर्ज किया गया तथा संबद्ध अभियुक्त के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने अपने 20 सितम्बर, 2011 तथा 8 नवम्बर, 2011 के पत्रों के माध्यम से अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत की। इनके अवलोकन से खुलासा हुआ कि रु0 50,000/– की राशि, जैसा कि आयोग द्वारा संस्तुत किया गया था, का भुगतान 14 नवम्बर, 2011 को पीड़ित महिला पुलिस अधिकारी (जो अब पुलिस निरीक्षक है) को अंतरिम राहत के रूप में किया गया था। भुगतान का साक्ष्य भी अग्रेषित किया गया था। अनुपालन रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस राशि की वसूली दोषी पुलिस अधिकारी, जो अब पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदासीन है, से की जाएगी।

8.61 आयोग ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से इस मामले पर विचार करके यह माना कि सक्षम न्यायालय द्वारा पहले ही दोषी आई. पी. एस. अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी थी। महिला पुलिस अधिकारी, जिसे अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, को 50,000/– रूपये के मुआवजे का भुगतान किया गया था, जैसा कि आयोग द्वारा संस्तुत किया गया था, आगे की कार्रवाई की मांग नहीं की गई थी। अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा गया था तथा मामला बंद कर दिया गया था।

8. कार्यस्थल पर सरकारी महिला स्टाफ का यौन उत्पीड़न
(केस सं0 1943/13/ 2002 –2003– डब्ल्यू सी)

8.62 आयोग को दिनांक 25 फरवरी 2003 को जॉन एफ केनेडी मेमोरियल एड्यूकेशन एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, मुंबई के महासचिव से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमे आरोप था कि कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र श्रमकल्याण बोर्ड द्वारा उसी कार्यालय में महिला कनिष्ट लिपिक (30 वर्षीय) का यौन उत्पीड़न किया गया तथा राज्य सरकार दोषी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी।

8.63 आयोग ने मामले पर विचार कर दिनांक 12 मार्च, 2003 तथा 28 मई, 2006 की कार्यवाहियों द्वारा राज्य प्राधिकारियों को रिपोर्ट मंगवाने के लिए आदेश पारित किए। जब कोई जवाब नहीं मिला, आयोग ने दिनांक 25 अपैल, 2008 की कार्यवाही के द्वारा सशर्त समन जारी करने का निर्देश दिया। जवाब में राज्य प्राधिकारियों से दिनांक 9 सितम्बर, 2008 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमे अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख भी था कि मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार ने मामले की उच्च–स्तरीय जांच का आदेश दिया था तथा इसे प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली उप–समिति को रैफर किया गया था। समिति के अन्वेषण के अनुसार आयोग को दिनांक 10 सितम्बर, 2008 के पत्र के माध्यम से पुनः सूचित किया गया था कि 5 सितम्बर 2006 को राज्य सरकार को विभागीय जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी तथा अंतिम आदेश शीघ्र ही पारित किए जाएंगे।

8.64 आयोग ने तत्पश्चात् की गई कार्रवाई के साथ विभागीय जांच रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से कहा तथा जब रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, आयोग को उपसचिव, उद्योग विभाग, ऊर्जा एवं श्रम, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को सशर्त समन जारी करने को बाध्य होना पड़ा। जवाब में संबद्ध विभाग के डेस्क अधिकारी से दिनांक 14 जून, 2010 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आयोग को सूचित किया गया था कि दोषी अधिकारी को दंड देने की स्वीकृति के लिए संबद्ध मंत्री को दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 को प्रस्ताव भेजा गया था। तत्पश्चात् उपसचिव उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई से दिनांक 16 सितम्बर, 2011 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमे उल्लेख था कि पीड़ित महिला, जो कल्याण आयुक्त के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक थी, ने महाराष्ट्र श्रम कल्याण बोर्ड में कल्याण आयुक्त, उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत दी थी और कथित शिकायत की व्यापक जांच प्रधान सचिव द्वारा की गई थी तथा यह पाया गया कि दोषी अधिकारी के विरूद्ध की गई शिकायत में वास्तविकता थी। श्रम विभाग ने अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। परंतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए फाइल लंबित थी। यह भी उल्लेख था कि पीड़ित ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2010 को दोबारा एक शिकायत दी थी जिसमे आरोप लगाया गया था कि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे उत्पीड़ित किया जा रहा था तथा उसे पदावनत किया गया था।

8.65 यह उल्लेख भी किया गया था यौन उत्पीड़न की उक्त शिकायतों के अलावा कल्याण आयुक्त के विरूद्ध अनियमित भर्तियों एवं वित्तीय गड़बडियों से संबंधित अन्य गंभीर आरोप भी थे, जो सरकार के विचाराधीन थे। रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारी का आचरण विभाग एवं सरकार दोनों की ही छवि को खराब कर रहा था तथा राज्य सरकार संबद्ध प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके दोषी अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने की इच्छुक थी।

8.66 मामले पर विचार कर आयोग ने अपनी कार्यवाही दिनांक 9 अक्तूबर 2011 के द्वारा यह पाया तथा निम्नलिखित निर्देश दिया :–

> ''अधिकारी के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाए गए थे, जो जांच करने पर सही पाए गए, अभी तक इस मामले में राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले कई वर्षों से न्याय पाने के लिए पीड़ित जगह–जगह भटक रही है तथा सरकार के निरूत्साहित करने वाले व्यवहार से उसकी तकलीफ बढ़ रही है। यह दर्शाता है कि कार्य का संचालन करने वाले व्यक्ति मानव अधिकारों के कार्य हेतु संवेदनशीन नहीं है तथा कार्य स्थल पर महिलाओं के मान–सम्मान की सुरक्षा एवं संरक्षण में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं। सबसे अधिक विचलित करने वाला तथ्य यह है कि पीड़ित का अभी भी उत्पीड़न किया जा रहा है तथा आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी के विरूद्ध जो भी कार्रवाई की जानी थी, नहीं की गई। इन

परिस्थितियों में आयोग मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को व्यक्तिगत तौर पर आयोग के समक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहित उपस्थित होने का निर्देश देता है।''

8.67 राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के पत्र के माध्यम से उल्लेख किया था कि पूरे मामले पर कार्यवाही की गई तथा मुख्य सचिव एवं माननीय श्रम मंत्री के अनुमोदन/संस्तुतियों को लिया गया तथा फाइल को माननीय मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र को निर्णय हेतु भेजा गया था। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग से एक महीने की अवधि बढ़ने की प्रार्थना की गई थी, जिसकी स्वीकृति आयोग द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2012 को दी गई थी।

8.68 उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को दिनांक 4 जनवरी, 2012 को एक पत्र भेजा गया था, जिसमे इस बात को दोहराया गया था कि 2 फरवरी, 2012 तक अथवा उससे पहले आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए, जिसमे असफल होने पर मुख्य सचिव को आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

8.69 जवाब में, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई ने अपने दिनांक 1 फरवरी, 2012 के पत्र के माध्यम से आयोग को एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष को महिला कनिष्ठ लिपिक के यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए ''जांच अधिकारी'' नियुक्त किया गया था। जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि अधिकारी के विरूद्ध शिकायत में वास्तविकता थी। जांच रिपोर्ट के गंभीर निष्कर्षों पर विचार करके राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 के माध्यम से श्रम कल्याण आयुक्त को महाराष्ट्र श्रम कल्याण बोर्ड की सेवाओं से मुक्त कर दिया था।

8.70 आयोग ने मामले पर आगे विचार करके अपनी दिनांक 7 मार्च, 2012 की कार्यवाही के माध्यम से यह माना तथा निम्नलिखित निर्देश दिया :–

> ''रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित को उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा तथा दोषी अधिकारी पर कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया तथा सरकारी सेवा से मुक्त करके उसे दंड दिया गया। इस मामले में पीड़ित के मानव अधिकारों का हनन हुआ था। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भेजा जाए कि पीड़ित को वित्तीय राहत की संस्तुति क्यों न की जाए। चार सप्ताह में जवाब दें।''

8.71 राज्य सरकार के जवाब की प्रतीक्षा है। मामला आयोग के विचाराधीन है।

9. प्रधानाचार्य द्वारा चौथी कक्षा की छात्रा से यौन दुराचार
(केस सं0 2740/18/8 /2011–डब्ल्यू सी लिंक फाइल 2891/18/8/2011–डब्ल्यू सी एवं 2952/18/8/ 2011–डब्ल्यू सी)

8.72 आयोग को भारत में स्थित एशियन मानव अधिकार आयोग के कार्यालय से 9 नवम्बर, 2011 को ई–मेल प्राप्त हुआ था जिसमे आरोप था कि 15 अक्तूबर, 2011 की रात को सेवाश्रम विद्यालय, सूनाबेड़ा, जिला कोरापुत, ओड़िशा की 13 वर्षीय छात्रा से प्रधानाचार्य ताराकांत पानी द्वारा बलात्कार किया गया था। शिकायतकर्त्ता ने यह

आरोप भी लगाया था कि इस मामले की सूचना जिले के उच्च अधिकारियों को दी गई थी परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा पीड़ित के परिवार एवं अन्य गवाहों को शिकायत वापस लेने के लिए अभियुक्त उन्हें धमका रहा था एवं दवाब डाल रहा था। इसके अतिरिक्त आयोग को श्री दुशमंत पाधी एवं विद्युत मोहन्ती तथा अन्य व्यक्तियों से इस मामले में दो शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिन्हें लिंक केस के रूप में दर्ज किया गया था।

8.73 आयोग ने दिनांक 27 जनवरी, 2012 की कार्रवाई द्वारा इस मामले में पुलिस अधीक्षक, कोरापुत, ओडिशा से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमे खुलासा किया गया था कि थाना सूनाबेड़ा में भा दं सं0 की धारा 376 (2) (ग)/506/294 सहपठित अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (xii) /3 (2) (v) में एफ आई आर सं0 94 दिनांक 1 नवम्बर, 2011 दर्ज किया गया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।

8.74 आयोग को पुलिस अधीक्षक कोरापुत से दिनांक 12 अप्रैल, 2012 की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिससे छात्रावास के उचित प्रबंध हेतु व्यापक दिशा–निर्देश संलग्न थे। रिपोर्ट में उल्लेख था कि सूनाबेड़ा स्थित सेवाश्रम आवासीय विद्यालय एक सरकारी आवासीय विद्यालय था तथा केस सं0 94/2011 में अभियोग पत्र दर्ज किया गया, जो विचारण हेतु लंबित था।

8.75 रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने माना कि सूनाबेड़ा स्थित सेवाश्रम आवासीय विद्यालय, जो एक सरकारी आवासीय विद्यालय है, के प्राधानाचार्य, एक लोक सेवक द्वारा पीड़ित के मानव अधिकारों का हनन किया गया था। अतः आयोग ने निर्देश दिया कि उड़ीसा सरकार को इसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 (ए) (i) के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि पीड़ित के लिए वित्तीय मुआवजे के भुगतान की संस्तुति क्यों न की जाए।

8.76 कारण बताओ नोटिस के जवाब में आयुक्त–सह–सचिव ओड़िशा सरकार, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति विकास विभाग ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमे उल्लेख था कि ओड़िशा राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस विषय में केस सं0 2690/2011 में संज्ञान लिया। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख था कि ओड़िशा राज्य मानव अधिकार आयोग भुवनेश्वर, के निर्देशों के अनुपालन में पीड़ित के पिता की उपस्थिति में उसे 25,000/– की वित्तीय राहत प्रदान की गई थी तथा सोमिलीगुड़ा खंड के कल्याण प्रसार अधिकारी से स्पष्टीकरण देने को कहा गया था।

8.77 रिपोर्ट पर विचार कर आयोग ने इस आधार पर मामला बंद कर दिया था कि ओड़िशा राज्य मानव अधिकार आयोग ने पहले ही इस पर कार्रवाई कर दी थी।

10. महिला से यौन दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न
(केस सं0 18627/24/46/08–09–डब्ल्यू सी)

8.78 आयोग को चकमनोहर, थाना पसगवां, जिला खीरी, उ0प्र0 की निवासी एक महिला से 31 जुलाई, 2008 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनांक 31 जुलाई, 2008 को राम सिंह नामक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी उल्लेख किया था कि अभियुक्त इस घटना की जानकारी पुलिस को देने पर उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहा था तथा थाना पसगंवा के पुलिस अधिकारियों ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की थी। उसने आयोग से एफ आई आर दर्ज करवाने में सहायता करने तथा उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।

8.79 आयोग द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2008 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, खीरी, उत्तर प्रदेश ने मंडल अधिकारी मोहम्मदी खीरी, की दिनांक 18 सितम्बर, 2008 की रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि शिकायतकर्त्ता ने अ0 दं0 स0 की धारा 156(3) के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया तथा न्यायालय के निर्देश पर रामसिंह के विरूद्ध पुलिस स्टेशन पसगवांन में 376/504/506 भा दं सं0 तथा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)12 में केस सं0 1004/08 दर्ज किया गया था। मामले की जांच मंडल अधिकारी, मोहम्मदी खीरी, उत्तर प्रदेश द्वारा की जानी थी।

8.80 आयोग ने मामले पर दिनांक 06 मई, 2010 को विचार किया तथा यह पाया गया कि पुलिस रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए पुलिस स्टेशन पसगवांन की पुलिस द्वारा कोई एफ आई आर दर्ज क्यों नहीं की गई जबकि शिकायतकर्त्ता उसी दिन वहाँ गई थी तथा उसने पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को शिकायत की थी। आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि न्यायालय के निर्देश के बाद ही दोषी के विरूद्ध भा दं सं0 की धारा 376/504/506 तथा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकार यह संभावना थी कि पुलिस की सुस्ती की वजह से एक महीने से ज्यादा का समय बीतने के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य खत्म हो गए हों।आयोग का मानना है यह ज्ञात तथ्य है कि बलात्कार की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य अपराध घटित होने के कुछ घंटों के भीतर एकत्रित किए जाने चाहिए। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने से इंकार करके अभियुक्त के साथ पुलिस भी सहभागी थी तथा हो सकता है कि उसने जानबूझ कर पीड़ित के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन कर दिया है। पुलिस अधिकारी अनु जा0 एवं अनु जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 5(1) (2) एवं (3) के अनुसार कार्रवाई करने में भी असफल रहे।

8.81 आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 4 के उपबंधों के तहत दोषी पुलिसकर्मियों के साथ–साथ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ करने का निदेश दिया।

8.82 आयोग के निदेशों के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक खीरी तथा पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ रेंज, लखनऊ की रिपोर्टें अग्रेषित की। रिपोर्टों में उल्लेख था कि जांच के दौरान भा0 द0 सं0 की धारा 354/504/506 के अंतर्गत दर्ज अपराध की पुष्टि हो गई तथा अभियुक्त रामसिंह तथा सालीग्राम को जेल भेज दिया गया था। रिपोर्ट में यह उल्लेख भी था कि पीड़ित से पुलिस अधीक्षक, खीरी के कार्यालय में दिनांक 02 अगस्त, 2008 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी, पसगवांन, नरेशचंद्र जौहरी तथा उप–निरीक्षक गंगा राम आर्य द्वारा जांच की गई थी। दोनों ही झूठी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दोषी पाए गए थे। अतः उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।

8.83 इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित के लिए 25,000/– रूपये का अनुमोदन किया था, जिसमें से 6,225/– रूपये की पहली किश्त का भुगतान किया गया था।

8.84 आयोग ने दिनांक 24 सितम्बर, 2010 की अपनी कार्यवाही के द्वारा यह माना कि भा0 दं0 सं0 की धारा 376 के तहत अपराध की पुष्टि नहीं हो पाई संभवतः इसका कारण पुलिस की सुस्ती की वजह से एक महीने से अधिक समय बीतने के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य खत्म हो गए। दो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी। अतः पीड़ित, जो एक गरीब तबके से संबंधित थी, राज्य अधिकारियों की ओर से हुई लापरवाही के कारण न्याय पाने के मानव अधिकार से वंचित रही। आयोग ने तद्नुसार उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि सरकारी अधिकारियों की त्रुटि एवं कार्य के कारण हुए पीड़ित के मानव अधिकारों के हनन के लिए क्यों न पीड़ित को मुआवजा दिया जाए।

8.85 आयोग ने यह भी पाया कि केवल 25,000/— रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी, जिसमे से पीड़ित को केवल 25% का भुगतान किया गया था। अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12(4) की सूची का अनुलग्नक 1 अनुबंध करता है कि धारा 3(1) xi के अंतर्गत हुए अपराधों के प्रत्येक पीड़ित को न्यूनतम 50,000/— रूपये की राशि का भुगतान किया जाए, जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया कि पीड़ित को शेष राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया, जबकि इस मामले में पहले ही अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (xi) के अंतर्गत अभियोग पत्र दाखिल किया जा चुका था।

8.86 आयोग ने दिनांक 27 अप्रैल, 2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, खीरी को पुनः निदेश दिया कि पीड़ित को बकाया राशि अर्थात 18,750/— रूपये तथा मामले का निर्णय होने पर शेष 25,000/— रूपये का भुगतान करे।

8.87 आयोग ने मामले पर पुनः 12 जनवरी, 2012 को विचार किया तथा माना कि अंतरिम राहत से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी परंतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) के अंतर्गत भेजे गए नोटिस का उल्लेख नहीं था। आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने संदर्भित सरकारी आदेश के संगत उपबंधों तथा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के नियम 12 (4) के क्रम सं0 11 के अनुसार कार्रवाई नहीं की, जो उपबंधित करता है कि चिकित्सा जांच के बाद 25,000/— तथा शेष राशि 25,000/— का भुगतान मामले का निर्णय होने के बाद किया जाए। आयोग अपेक्षा करता है कि जिला मजिस्ट्रेट, खीरी कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा तथा आयोग को सूचित करते हुए पीड़ित को पर्याप्त संविधिक राहत उपलब्ध करवाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी माना कि पुलिस की ओर से हुई लापरवाही के कारण पीड़ित के मानव अधिकारों का हनन हुआ था, जिसके लिए उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। तदनुसार आयोग ने पीड़ित को वित्तीय मुआवजे के रूप में 50,000/— की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से संस्तुति की। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह के भीतर भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया। मामले में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

11. बी सी सी एल प्राधिकारियों द्वारा एक विधवा का उत्पीड़न
(केस सं0 636/34/4/2010)

8.88 शिकायतकर्त्ता लीलू देवी, एक आदिवासी महिला, ने अपनी दिनांक 19 मई, 2010 की शिकायत में उल्लेख किया था कि उसका पति भारत कोकिंग कोल इंडिया लिमिटेड (बी सी सी एल) के अंतर्गत कोलियरी क्षेत्र सं0 5, कोयला भवन, धनबाद (झारखंड) में कार्य करता था तथा दिनांक 28 नवम्बर, 2002 को उसकी मृत्यु हुई। उसने

अपनी शिकायत में यह भी लिखा कि बी सी सी एल द्वारा उसके स्वर्गीय पति की पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए गए तथा उसके पुत्र की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी नहीं की गई।

8.89 आयोग ने दिनांक 5 जुलाई, 2010 की कार्यवाही द्वारा प्रबंधन निदेशक, बी सी सी एल को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

8.90 मामले में प्राप्त रिपोर्ट को शिकायतकर्त्ता के पास, उसकी टिप्पणी, यदि कोई हो, हेतु भेजा गया।

8.91 शिकायतकर्त्ता ने जवाब में आयोग को सूचित किया कि आयोग के हस्तक्षेप के बाद उसे उसके स्वर्गीय पति के प्रोविडेंट फंड की राशि प्राप्त हो गई थी। ग्रेच्युटी का भुगतान बी सी सी एल द्वारा प्रक्रियाधीन था। उसने परिवारिक पेंशन तथा अपने पुत्र रिशाधर कांत तूडू को अनुकंपा को आधार पर नियुक्त करने की प्रार्थना की थी।

8.92 बी सी सी एल के एरिया पर्सनल मैनेजर, सूआ क्षेत्र, जिला धनबाद ने दिनांक 13 जनवरी, 2011 के पत्र द्वारा सूचित किया कि 6,06,609/— रूपये की राशि वाली सी एम पी एफ राशि का भुगतान शिकायकर्त्ता को दिनांक 2 दिसम्बर, 2010 के चेक द्वारा किया गया था। यह भी सूचित किया गया था कि ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार कोई नामांकन उपलब्ध नहीं था, अतः ग्रेच्युटी राशि 1,58,927/— रूपये को दिनांक 9 मार्च, 2005 के चेक द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात् ए एल सी (सी) धनबाद के पास जमा करवा दिया गया था। शिकायतकर्त्ता के पुत्र की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के विषय में सूचित किया गया था कि उसे चिकित्सा जांच करवाने के लिए कहा गया था, परंतु शीर्ष मेडिकल बोर्ड ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका जवाब यूनिट द्वारा दिया जाना था।

8.93 आयोग ने माना कि यद्यपि शिकायतकर्त्ता के पति की मृत्यु 28 दिसम्बर, 2002 को हुई थी, उसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन के भुगतान तथा उसके पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने में अवांछनीय देरी हुई थी, शिकायतकर्त्ता को भविष्य निधि की राशि आयोग के हस्तक्षेप के बाद दिसम्बर 2010 में प्राप्त हुई थी, जबकि अन्य लाभ मिलना प्रक्रियाधीन थे।

8.94 आयोग के सम्मन दिनांक 29 अगस्त, 2011 के अनुपालन में महाप्रबंधक (पी एंड आई आर), कोयला भवन, धनबाद ने 13 जनवरी, 2011 एवं 23/24 अगस्त 2011 के आयोग को संबोधित पत्र हस्तांतरित किए। 23/24 अगस्त 2011 के पत्र के संगत हिस्से को इस प्रकार पढ़ा जाए :—

> ''मथुरा मांझी की मृत्यु होने पर लीलू देवी ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी हेतु आवेदन दिया, परंतु उस पर राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता (एन सी डब्ल्यू ए) के उपबंधों के अंतर्गत विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसने 45 वर्ष की उम्र पार कर ली थी। इसके पश्चात् मृतक की पत्नी ने अपने लिए वित्तीय मुआवजे के भुगतान तथा अपने पुत्र के नाम को कम्पनी के रोस्टर में रखने के लिए आवेदन किया। उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार मृतक कर्मचारी ने प्रबंधन के समक्ष अपने दावेदार पुत्र रिशादर कांत ताडु का नाम घोषित नहीं किया था।
>
> ग्रेच्युटी की राशि 1,58,927/— रूपये दिनांक 13 जुलाई, 2005 के पत्र सं0 बी.एस.पी/पी.डी./05/542 द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी ए एल सी (सी) के कार्यालय में जमा करा दी गई थी, क्योंकि मृतक कर्मचारी ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के उपबधों के अंतर्गत नामांकन फार्म एफ में अपने परिवार के किसी भी

सदस्य को नामांकित नहीं किया था। लीलू देवी तथा अन्य रिश्तेदारों को ग्रेच्यूटी राशि के भुगतान के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 2011 को आदेश जारी किया गया था।

भविष्य निधि की राशि 6,06,609/– रूपये का भुगतान पहले ही श्रीमती लीलू देवी को चेक सं0 927578 दिनांक 2 दिसम्बर, 2010 को सी एम पी एफ आयुक्त के हस्तक्षेप से पहले दिनांक 17 मई 2010 को उसके द्वारा किए गए दावे की प्राप्ति पर किया गया था। दावेदार द्वारा क्रमशः दिनांक 9 फरवरी तथा 22 फरवरी 2011 को दिए गए आवेदन पर कानूनी उत्तराधिकारी को सी एम पी एफ प्राधिकारी द्वारा भविष्य निधि का भुगतान किया गया था। लीलू देवी का पेंशन क्लेम जो सी एम पी एफ को अग्रेषित किया गया था, का भी भुगतान किया गया था।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि लीलू देवी के दावे का भुगतान करने में देरी हुई क्योंकि मृतक कर्मचारी ने अपने जीवन काल में अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं करे थे साथ ही आश्रित के परिवार के सदस्यों द्वारा दावा प्रस्तुत करने में देरी हुई थी।

जहां तक रोजगार का संबंध है, अब श्रीमती लीलू देवी ने यूनिट में दिनांक 13 जुलाई, 2011 को अपने पुत्र रिशादर कांत तुडु को नौकरी दिए जाने के लिए आवेदन/हलफनामा दाखिल किया है। एन. सी. डब्ल्यू. ए. के उपबंधों के अनुसार नौकरी के लिए प्रस्ताव की जांच की जा रही है, जिसके विषय में एक महीने के भीतर दावेदार को सूचित किया जाएगा।

8.95 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा दिनांक 14 नवम्बर, 2011 की कार्यवाही के माध्यम से निम्नलिखित आदेश दिया :–

''भविष्य निधि के भुगतान के विषय में यह सूचित किया गया था कि श्रीमती लीलूदेवी को 6,06,609/– रूपये की राशि का भुगतान चेक द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2010 को किया गया था। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है भविष्य निधि के साथ क्या देय ब्याज का भुगतान किया गया था ? तथा कर्मचारी की मौत के बाद तत्काल ही नियोक्ता द्वारा भुगतान करने के लिए पर्याप्त प्रयास क्यों नहीं किए गए ? जबकि यह रिकॉर्ड में है कि मृतक कर्मचारी की पत्नी ने अपने लिए वित्तीय मुआवजे का भुगतान करने तथा कम्पनी के रोस्टर में अपने पुत्र का नाम रखने के लिए आवेदन किया था।

ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में सूचित किया गया था कि ग्रेच्युटी की राशि 1,58,927/– रूपये दिनांक 13 जुलाई, 2005 के पत्र सं0 बी.एस.पी/पी.डी./05/542 द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी ए एल सी (सी) के कार्यालय में जमा करा दी गई थी, क्योंकि मृतक कर्मचारी ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के उपबधों के अंतर्गत नामांकन फार्म एफ में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नामांकित नहीं किया था। लीलू देवी तथा अन्य रिश्तेदारों को ग्रेच्यूटी राशि के भुगतान के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 2011 को आदेश जारी किया गया था। आयोग ने यह ध्यान दिया है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4(सी) में उल्लेख है कि 'कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसे देय ग्रेच्युटी का भुगतान उसके नामित व्यक्ति को किया जाएगा अथवा यदि कोई नामाकंन नहीं किया गया हो तो, उसके उत्तराधिकारियों को तथा जहां ऐसा नामांकित कोई व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी नाबालिग हो, उस नाबालिग का हिस्सा नियंत्रक

प्राधिकारी के पास जमा करवाया जाएगा। जो उसे नाबालिग के लाभ के लिए किसी बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान, जो भी निर्धारित हो, में निवेश करेगा, जब तक कि वह नाबालिग व्यक्ति व्यस्क नहीं हो जाता। इस प्रकार यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक की पत्नी के दावे को नजरअंदाज करके ग्रेच्युटी राशि को एक अनिश्चित काल के लिए नियंत्रक प्राधिकारी ए एल सी (सी), धनबाद के पास क्यों जमा किया गया। तथा विलंबित भुगतान के एवज में क्या ग्रेच्युटी राशि के लिए किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान किया गया था ?

पेंशन के भुगतान के संबंध में सूचित किया गया था कि सी एम पी एफ कार्यालय को अग्रेषित श्रीमती लीलू देवी के दावे का भी भुगतान कर दिया गया था। हालांकि प्राधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आयोग के हस्तक्षेप करने तक लगभग 8 वर्षों तक नियोक्ता द्वारा पारिवारिक पेंशन के मामले पर विचार क्यों नहीं किया गया। पेंशन की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के भुगतान के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले के संदर्भ में यह सूचित किया गया था कि ''मथुरा मांझी की मृत्यु होने पर लीलू देवी ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी हेतु आवेदन दिया, परंतु उस पर राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता (एन सी डब्ल्यू ए) के उपबंधों के अंतर्गत विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसने 45 वर्ष की उम्र पार कर ली थी। इसके पश्चात् मृतक की पत्नी ने अपने लिए वित्तीय मुआवजे के भुगतान तथा अपने पुत्र के नाम को कम्पनी के रोस्टर में रखने के लिए आवेदन किया। इसके विपरीत, महाप्रबंधक (पी एंड आई आर) कोयला भवन, धनबाद के पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि ''श्रीमती लीलू ने यूनिट में 13 जुलाई, 2011 को अपने पुत्र रिशादर कांततुडु को नौकरी देने के लिए आवेदन/हलफनामा प्रस्तुत किया है। एन सी डब्ल्यू ए के उपबंधों के अनुसार रोजगार हेतु प्रस्ताव की जांच की जानी है, जिसके विषय में दावेदार को एक महीने के भीतर सूचित किया जाएगा।'' आयोग को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि एरिया पर्सनल मैनेजर, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सूआ क्षेत्र, जिला धनबाद ने पहले ही आयोग को दिनांक 13 जनवरी, 2011 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि शिकायतकर्त्ता के पुत्र रिशादर कांत को चिकित्सा जांच हेतु भेजा गया था। अतः महाप्रबंधक (पी एंड आई आर), कोयला भवन, धनबाद का यह दावा कि मृतक की पत्नी ने अपने पुत्र रिशादर कांत तुडु को नौकरी देने के लिए दिनांक 13, जुलाई 2011 को एक आवेदन/हलफनामा दिया था, भ्रामक प्रतीत होता है।

उपरोक्त से ऐसा लगता है कि लोक प्राधिकारियों ने लबें समय तक न्यायसंगत राहत उपलब्ध नहीं करवाकर मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के मानव अधिकारों का घोर हनन किया है, जिसके लिए कम्पनी को दायित्व उठाना चाहिए तथा मृतक कर्मचारी की पत्नी को कुछ मुआवजा देना चाहिए।

8.96 तद्नुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18(सी) के अंतर्गत अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक बी सी सी एल, धनबाद, झारखंड को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि कारण बताएँ कि क्यों न मृतक कर्मचारी मथुरा मांझी की पत्नी लीलू देवी को वित्तीय राहत की संस्तुति की जाए। अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक, बी सी सी एल को यह निर्देश भी दिया गया कि मृतक कर्मचारी मथुरा मांझी के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्यनिधि तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने में अत्याधिक देरी के मामले की व्यापक जांच करवाएँ तथा इस प्रकार के सभी मामलों में उचित दंडात्मक एवं सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएँ। इसके

अलावा यह निर्देश दिया गया था कि पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि की राशि, देय ब्याज एवं बकाये सहित भुगतान से संबंधित अंतिम रिपोर्ट तथा मृतक मांझी के पुत्र रिशाधर कांत तुडु की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी रिपोर्ट दस सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

8.97 आयोग ने सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से भी इस मामले की जांच करवाने को कहा कि किन परिस्थितियों में मृतक कर्मचारी मथुरा मांझी की ग्रेच्युटी राशि को बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक ए एल सी (सी), धनबाद द्वारा रोककर रखा गया तथा क्या इसके लिए किसी ब्याज का भुगतान किया गया था।

8.98 फलस्वरूप महाप्रबंधक, बी सी सी एल, धनबाद ने अपने दिनांक 30 जनवरी, 2012 के पत्र के द्वारा सूचित किया कि श्रीमती लीलू देवी को प्रतिमाह 599/– रूपये की दर से मासिक पेंशन संस्वीकृत की गई थी तथा अक्टूबर 2010 में बकाया राशि 56945/– को शामिल कर 61,945/– रूपये का भुगतान किया गया था। मृतक कर्मचारी के बेटे और बेटी मे से प्रत्येक को सी एम पी एफ पर उपार्जित सांविधिक ब्याज सहित 2,02,203/– रूपये की सी एम पी एफ राशि का भुगतान चेक दिनांक 9 फरवरी, 2011 द्वारा किया गया था। 17 जनवरी, 2012 के चेक सं0 50946 के माध्यम से श्रीमती लीलू देवी को रोजगार के एवज में वित्तीय राहत के रूप में 4,51,600/– रूपये का भुगतान भी किया गया था। यह भी सूचित किया गया था कि श्री रिशादर कांत तुडु पुत्र स्वर्गीय मथुरा मांझी को दिनांक 16 जनवरी, 2012 के कार्यालय आदेश के माध्यम से अनुकंपा के आधार पर नौकरी उपलब्ध करवाई गई थी।

8.99 आयोग के कारण बताओ नोटिस दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के जवाब में अध्यक्ष/ प्रबंधन निदेशक, बी सी सी एल से दिनांक 02 फरवरी, 2012 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमे उल्लेख था कि मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपचारी उपाय किए गए तथा संबद्ध अधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया था। इस प्रकार की चूक नहीं होना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए थे।

8.100 आयोग ने मामले पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक, बी सी सी एल को आदेश दिया कि पीड़ित श्रीमती लीलू देवी एवं उसके परिवार के मानव अधिकारों के हनन हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में 1,00,000/– रूपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करे। मामला आयोग की जांच के आधीन है।

12. लापरवाही के कारण एक छात्रा की मृत्यु एवं अन्य को चोट आना
(केस सं0 849/35/5/2010)

8.101 आयोग को जिला मजिस्ट्रेट देहरादून, उत्तराखंड से मैराथन रेस के दौरान कुमारी श्रुति, आयु 16 वर्ष, पुत्री श्री दीपक, निवासी– 99 मन्नुगंज, देहरादून, उत्तराखंड की छात्रा की मौत के विषय में दिनांक 7 मई, 2010 को एक सूचना प्राप्त हुई थी।

8.102. आयोग द्वारा जारी दिनांक 23 जून, 2010 के निर्देशों के अनुपालन में, अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त की गई थी।

8.103. इस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट में पाया गया कि मैराथन दौड़ के दौरान किनारे पर लगा एक पेड़ उस लड़की पर तथा अन्य छात्रों पर गिर गया था जिसके कारण आघात लगने तथा रक्तस्त्राव होने से उस लड़की की मृत्यु हुई। यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मैराथन दौड़ के आयोजक एवं स्कूल प्रशासन असावधान एवं

लापरवाह थे, क्योंकि उन्हें मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले उन स्कूली छात्रों की सुरक्षा एवं रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी। यह भी पाया गया कि उसी दिन 3:00 बजे उस पेड़ में आग लग गई थी तथा अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया था। इस मामले के विषय में सबद्ध विभाग को किसी दुर्घटना की रोकथाम को सुनिश्चित करने लिए सूचना नहीं देने के कारण अग्निशमन विभाग के कर्मचारी लापरवाह माने गए।

8.104 आयोग का मानना है कि 16 वर्षीय छात्रा की मौत को टाला जा सकता था यदि स्कूल, आयोजकों एवं अग्निशमन विभाग ने मैराथन दौड़ के मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पर्याप्त देखभाल एवं सावधानी का प्रयोग किया होता।

8.105 तद्नुसार आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तराखंड को निदेश दिया कि मजिस्ट्रेटी जांच में लापरवाह पाए जाने वाले अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें तथा मैराथन दौड़ के लापरवाह आयोजकों तथा स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध उचित कार्रवाई करे। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार को इसके मुख्य सचिव के माध्यम से एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि कारण बताएं कि एफ. आई. आर. में दर्ज मृतक कुमारी श्रुति, पुत्री श्री दीपक तथा अन्य घायल व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदार के लिए क्यों न वित्तीय राहत की संस्तुति की जाए।

8.106 अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) ने जवाब में पत्र दिनांक 8 मई, 2011 के माध्यम से सूचित किया था कि सुखपाल सिंह (अग्निशमन सेवा का ड्राइवर), राहुल गोसांई तथा धीरेन्द्र सिंह (दमकलकर्मी) के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा रही थी। जवाब में यह उल्लेख भी था कि मैराथन दौड़ के आयोजकों तथा सकूल प्रबंधन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबद्ध विभागध्यक्ष द्वारा की जानी थी। पत्र के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित अंतरिम राशि का भुगतान पीड़ित को करने के लिए सरकार राजी हो गई थी।

8.017 तद्नुसार आयोग ने इस मामले में पुलिस स्टेशन राजपुर के 18 अप्रैल, 2010 के सामान्य डायरी प्रविष्टि में उल्लिखित मृतक कुमारी श्रुति के निकटतम रिश्तेदार को 3,00,000/– रूपये तथा 5 घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 50,000/– रूपये का भुगतान उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जाने की संस्तुति की।

8.108 पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) उत्तराखंड, देहरादुन ने जवाब में पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2011 के माध्यम से इस मामले में 5,50,000/– की संस्तुत राशि के भुगतान के साक्ष्य की प्रति भेजी थी।

8.109 चूंकि आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों की अनुपालना हो गई थी, केस बंद कर दिया गया था।

अध्याय - 9

वृद्धजनों के अधिकार

9.1 पिछले कुछ वर्षों में भारत में बेहतर स्वास्थ्य कवरेज एवं जागरूकता सहित लोगों के औसत जीवन में वृद्धि हुई है। पुरूषों के लिए प्रत्याशित आयु में 1951–1960 में 42 वर्ष से 1986–1990 में 58 वर्ष में एक स्थिर बढ़ोतरी देखी गई; इसे वर्ष 2011–2016 में 67 वर्ष माना गया, अतः 25 वर्षों की अवधि में 1986–1990 से 2011–2016 में लगभग 9 वर्षों की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के मामले में प्रत्याशित आयु में उच्च बढ़ोतरी पाई गई, लगभग 11 वर्ष, उसी समयावधि के दौरान, 1986–1990 में 58 वर्ष से 2011–2016 में 69 वर्ष। 60 वर्ष की आयु में भी महिलाओं के लिए प्रत्याशित आयु में स्थिर तथा थोड़ी उच्च बढ़ोतरी पाई गई। आयु प्रत्याशितता में बढ़ोतरी ने 1901 में भारत में केवल 12 मिलियन व्यक्तियों से 60 + व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी की 1951 में इस संख्या ने 204 मिलियन तथा 1991 में 57 मिलियन की संख्या को पार कर लिया। जनसंख्या प्रक्षेपण संबंधी तकनीकी समूह द्वारा 1996–2016 के लिए तैयार किए गए जनसंख्या प्रक्षेपण में उल्लेख है कि वर्ष 2013 में यह आंकडा 100 मिलियन तक होने की संभावना है। यूनाइटेड नेशन्स द्वारा तैयार किए गए 2016 के बाद प्रक्षेपणों में भी संकेत है कि भारत वर्ष 2030 में 60+ आयुवर्ग में 198 मिलियन तथा 2050 में 326 मिलियन व्यक्ति होगा। कुल जनसंख्या में 60+ व्यक्तियों का प्रतिशत 1901 में 5.1 प्रतिशत से स्थाई बढ़ोतरी 1991 में 6.8 प्रतिशत तक हुई। यू एन द्वारा तैयार किए गए 2016 के बाद के प्रक्षेपण में उल्लेख है कि 2050[6] तक भारतीय जनसंख्या का 21 प्रतिशत 60+ हो जाएगा।

9.2 भारतीय लोगो के मूल्यों एवं जीवन शैली में औद्योगिकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा के प्रसार तथा अन्य साधनों की जानकारी से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। शहरों में अधिक किराए के साथ–साथ घरों में स्थान की कमी के कारण परिवार अपने माता–पिता को अपने मूल निवास में छोड़ने को प्राथमिकता देते हैं। महिलाओं की बदलती भूमिका एवं अपेक्षाओं से, निजी स्थान हेतु उनकी मांग से, लंबे समय तक वृद्ध व्यक्तियों की देख–रेख की जिम्मेदारी का भार नहीं उठाने की इच्छा, जीविका संबंधी महत्वकांक्षाएँ तथा घर से बाहर रोजगार के परिणाम स्वरूप वृद्ध व्यक्तियों की देख–रेख करने के लिए विशेष रूप कम समय मिलता है। वृद्धावस्था में अकेले व्यक्तियों खासतौर पर महिलाओं की स्थिति दयनीय है क्योंकि बहुत कम लोग ही अवंशागत रिश्तेदार की देख–रेख करने के लिए इच्छुक होते हैं। इसी प्रकार की स्थिति विधवाओं की भी है।

9.3 हालांकि वृद्धजनों की गरीबी का वर्तमान आंकडा उपलब्ध नहीं है, यह अंदाजा लगाना यथोचित होगा कि अधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे करोड़ों वृद्धजन हैं तथा उनमे से अधिकांश वृद्ध लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। उनके लिए वृद्धाश्रमों जैसी सुविधाओं का निर्माण मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में किया गया है। आश्रितता, जीवन संबंधी प्रबंध, स्वास्थ्य समस्याएं तथा शारीरिक अक्षमताएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं क्योंकि देख–रेख देने वाले, संस्थागत समर्थन, स्वास्थ्य सुविधाएँ सामान्यतः वहां उपलब्ध नहीं हैं। लगभग सभी राज्यों/संघ शसित क्षेत्रों में वृद्धजनों की

[6] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एम.एस.जे.ई.), वृद्धजनों संबंधी राष्ट्रीय नीति – 1999, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1999.

देख–रेख करने के लिए समाज कल्याण विभाग हैं। आज कार्पोरेट घराने, सभ्य समाज, संगठन तथा गैर सरकारी संगठन मौजूद हैं, जो वृद्धजनों के कल्याण को संरक्षण एवं संवर्द्धन करने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजन शहरी क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक खराब हालत में हैं।

9.4 वृद्धजनों के अधिकारों के संबंध में आयोग की संलिप्तता प्रारंभ में उनसे प्राप्त शिकायतों पर कार्य करके शुरू हुई। हालांकि आयोग की संलिप्तता में वास्तव में वर्ष 2000 में बढोतरी हुई जब इसने सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद् के कार्य में भाग लिया तथा वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयनके विषय में अपने कार्य योजना (2000–2005) पर टिप्पणी दी। उस वर्ष से ही आयोग वृद्धजनों के अधिकारों के लिए कार्यरत समूहों एवं संगठनों के साथ निकट संपर्क में रहा तथा केन्द्र सरकार को जब कभी सुझावों की आवश्यकता होती है तो यह अपने सुझाव देता है। उदाहरणार्थ आयोग ने अस्पतालों में वृद्वजनों के लिए अलग लाइनें बनाने के प्रावधान के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जवाब मांगा। संबद्ध मंत्रालय ने, अपनी ओर से, सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के अस्पतालों में वृद्धजनों हेतु अलग लाइनें बनाने के प्रावधान के लिए संस्तुतियाँ परिचालित की। आयोग ने असंठित क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित वृद्धजनों की दुर्दशा के प्रति भी अपनी चिंता व्यक्त की है।

क वृद्धजनों हेतु स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

9.5 आयोग ने जनवरी तथा फरवरी 2012 में मथुरा एवं बीकानेर में हेल्प एज इंडिया के संयुक्त तत्त्वावधान में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मथुरा में किए गए कार्यक्रम में स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान तथा वृद्धावस्था में विभिन्न बीमरियों से प्रभावित व्यक्तियों पर केन्द्रित कैम्प का आयोजन शामिल था। कुछ डॉक्टरों ने मोतियाबिंद के आपरेशनों, अन्य दृष्टि संबंधी समस्याओं तथा विषाद संबंधी समस्याओं के लिए वृद्धजनों को निःशुक्ल सेवाएं देने की इच्छा व्यक्त की। हेल्पएज ने अपनी ओर से वृद्धजनों के लिए रैफर करने वाली पर्चियाँ जारी की ताकि वे निःशुल्क उपचार हेतु अपने–अपने डॉक्टर के पास जा सकें।

9.6 इसी प्रकार बीकानेर में स्वास्थ्य जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया था, जिससे 1041 वृद्धजनों ने भाग लिया। कैम्प में विभिन्न बीमरियों जैसे मोतियाबिंद, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य बीमारियों के संबंध में वृद्धजनों की निःशुल्क जांच की गई।

ख वृद्धजनों के अधिकारों के विषय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों के दृष्टांत ।

1. *मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में उप–जेलर की विधवा को विशेष पेंशन का भुगतान नहीं किया जाना।*
   (केस सं0 23002/24/2002–2003)

9.7 आयोग को सावित्री देवी, निवासी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से दिनांक 27 अगस्त, 2002 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमे उसने उल्लेख किया था कि उसके पति बृज भूषण, जो उप–जेलर के रूप में कार्य करता था, की हत्या 1977 में उस समय हुई जब वह ड्यूटी पर था। उसे बाद में पारिवारिक पेंशन दी गई थी। उसके मामले में, हालांकि उसके मृतक पति द्वारा लिए गए आखरी वेतन के आधार पर विशेष पेंशन की संस्तुति की गई थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः उसने आयोग से इस मामले की जांच करने का आग्रह किया।

9.8 आयोग ने उसकी शिकायत जेल महानिदेशक, उत्तरप्रदेश को अग्रेषित की तथा रिपोर्ट मांगी थी। जवाब में, जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के महानिदेशक ने अपने पत्र दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से सूचित किया कि शिकायतकर्त्ता को विशेष पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति का मामला राज्य सरकार के पास लांबित था। इसने आगे सूचित किया था कि शिकायतकर्त्ता को अनिवार्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजने को कहा गया था ताकि उन्हें इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में महालेखाकार को अग्रेषित किया जा सके।

9.9 आयोग को यह जानकर खेद हुआ कि वर्ष 1977 में ड्यूटी के दौरान उप–जेलर की हत्या की गई थी। लगभग 31 वर्षों के बीत जाने पर भी पेंशन की स्वीकृति नहीं की गई थी। आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से जांच करने तथा मामले के परिणाम के विषय में आयोग को सूचित करने हेतु नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

9.10 विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने जवाब में सूचित किया कि शिकायतकर्त्ता ने अपनी शिकायत पहली बार सितम्बर 2006 में राज्य सरकार को भेजी थी। तद्नुसार विभागध्यक्ष अर्थात जेल महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। सामान्यतः असाधरण पेंशन की स्वीकृति महालेखाकार, इलाहाबाद के अधिकार क्षेत्र में आती है तथा उन्हें भेजे गए रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की गई। महानिदेशक, जेल प्रशासन लखनऊ को अतः निर्देश दिया गया कि महालेखाकार, इलाहाबाद द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाएं ताकि शिकायतकर्त्ता के मामले पर शीघ्रता से कार्रवाई हो सके।

9.11 आयोग ने महानिदेशक, जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, लखनऊ को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या महालेखाकार, इलाहाबाद द्वारा मांगे गए दस्तावेज एवं सूचनाएं भेज दिए गए थे, यदि नहीं, तो उसका कारण बताएं। उन्हें इस मामले की जांच व्यक्तिगत तौर पर करने का निदेश दिया गया था।

9.12 अपर महानिदेशक (प्रशासन), जेल शासन एवं सुधार सेवाएं, लखनऊ ने जवाब में सूचित किया था कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से संपर्क किया गया तथा आवश्यक स्वीकृति के लिए आग्रह किया गया था। जेल प्रशासन ने अपने पत्र दिनांक 24 अगस्त, 2011 के द्वारा सूचित किया गया था कि स्वर्गीय बृजभूषण दुबे अपनी मृत्यु के समय कोई ड्यूटी नहीं कर रहा था तथा उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम 1941 नियम 6 (ii) को ध्यान में रखते हुए मृत्यु के 7 वर्ष बाद असाधारण पेंशन नहीं दी जा सकती थी। इसे ध्यान में रखते हुए मृतक की विधवा विशेष पेंशन के लिए हकदार नहीं थी।

9.13 मामले पर विचार करके आयोग ने पाया कि यदि प्राधिकारियों ने इस पर पहले कार्रवाई की होती तो, यह दलील कि मामला 7 वर्ष से अधिक पुराना था तथा इस प्रकार असाधरण पेंशन की स्वीकृति शिकायतकर्त्ता के लिए नहीं की जा सकती थी, नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा, यह दावा करना कि स्वर्गीय बृजभूषण दुबे अपनी मृत्यु के समय कोई आधिकारिक ड्यूटी नहीं कर रहा था, भी उपमहानिरीक्षक, विशेष जेल द्वारा जारी दिनांक 16 अगतस्त, 1978 के अन्य पत्र द्वारा झूठा साबित होता है, जिसमे यह स्पष्टतः उल्लेख था कि दिनांक 30 अप्रैल 1977 को मृतक की गुंडों द्वारा हत्या किए जाने के समय वह ड्यूटी पर था। इसके बाद ही मृतक की विधवा के लिए असाधारण पेंशन की स्वीकृति हेतु संस्तुति की गई थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर जांच करने तथा उचित एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करने का निदेश दिया ताकि मृतक बृज भूषण दुबे की विधवा को मदद मिल सके।

9.14 आयोग ने यह भी माना कि इस देश में गरीब एवं अशिक्षित लोगों के पास सरकारी कार्यालयों में अपनी फाइलें आगे बढ़ाने के लिए कोई आधार नहीं है। फाइलों पर अधिकतर ध्यान नहीं दिया जाता तथा लोक सेवकों पर जिम्मेदारी डालने से बचने की दृष्टि से टालमटोल वाले उत्तर दिए जाते हैं। जब उप महानिरीक्षक (जेल) ने 16 अगस्त 1978 को महालेखाकार को पत्र लिखा था,तो किसी ने भी उसका उत्तर क्यों नहीं दिया था। अतः इस मामले में कठोर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था। आयोग ने इस बात की ओर से इशारा किया कि इस मामले में सावित्री देवी, पत्नी बृजभूषण दुबे ने मुख्यमंत्री, संबद्ध सचिव तथा महालेखाकार को पत्र लिखे थे, परंतु किसी ने भी सकारात्मक उत्तर नहीं दिया, उसे मजबूरन दिनांक 27 अगस्त, 2002 के पत्र माध्यम से आयोग से संपर्क करना पड़ा था।

9.15 जवाब में महानिरीक्षक, जेल प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाएं, लखनऊ से दिनांक 15 फरवरी, 2012 का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमे सूचित किया गया था कि सावित्री देवी, पत्नी स्वर्गीय बृज भूषण दुबे को असाधारण पेंशन का भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह भी सूचित किया गया था कि बकाया राशि का शीघ्रता से भुगतान करने के आग्रह सहित आदेश की प्रतियां महालेखाकार तथा पी.पी.ओ. तथा जी.पी.ओ. को भेजी गई थी।

9.16 आयोग ने दिनांक 5 मार्च, 2012 को रिपोर्ट पर विचार किया तथा महानिरीक्षक, जेल प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाएं, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर शिकायतकर्त्ता को किए गए बकाया राशि के भुगतान के साक्ष्य भेजने को कहा। आयोग ने यह निर्देश भी दिया कि शिकायतकर्त्ता को एक पत्र भेजकर उससे पूछा जाए कि क्या उसने बकाया राशि प्राप्त की थी।

9.17 राज्य सरकार से जवाब मिलने की प्रतीक्षा है तथा मामला आयोग के विचाराधीन है।

2. मध्य प्रदेश के रनझी उपनगरीय क्षेत्र, जबलपुर में रहने वाले वृद्धजनों के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की स्वास्थ्य सुविधाएं देने से इंकार
(केस सं0 1936/12/22 /2011)

9.18 दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को श्री जे.पी.सेठी एवं अन्य 56 व्यक्तियों द्वारा भेजी गई आयोग को संबोधित शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के रणझी उपनगरीय क्षेत्र में रहने वाले लगभग 20,000 वृद्धजन स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने यह उल्लेख किया था कि बूढ़े बीमार पेंशनधारी को जबलपुर से नजदीकी शहर में अपनी चिकित्सा जांच हेतु लगभग 15–20 किलोमीटर का सफर करने के लिए मजबूर हैं, जहां केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की केवल 3 डिसपेंसरियाँ थी; जोकि उस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 45,000 पेंशनधारियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त थीं। इस मामले में संबद्ध प्राधिकारियों को जानकारी दी गई थी, परंतु वृद्ध पेंशनधारियों की शिकायतों से निपटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। शिकायतकर्त्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनें संलग्न की थीं।

9.19 आयोग द्वारा जारी दिनांक 13 अक्तूबर, 2011 के निदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ने एक रिपोर्ट आयोग के सूचनार्थ एवं विचारार्थ भेजी थी।

9.20 मामला आयोग के विचाराधीन है।

3. एक वृद्ध व्यक्ति को पेंशन एवं सेवानिवृति लाभों का भुगतान नहीं किया जाना (केस सं0 466/35/8/09–10)

9.21 आयोग को पारेश्वरी बिष्ट, पत्नी महाबीर सिंह बिष्ट, निवासी– गांव–बुंगा, पोस्ट–बांघाट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल से एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमे आरोप लगाया गया था कि शिक्षाविभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा उसके पति को सेवानिवृति लाभों का भुगतान नहीं किया गया, जबकि वह 30 नवम्बर, 2006 को सेवानिवृत हो चुका था। उसने आयोग से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

9.22 आयोग द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2009 को जारी निर्देशों के अनुपालन में सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2009 के माध्यम से सूचित किया कि शिकायतकर्त्ता के पति श्री महावीर सिंह बिष्ट को कुछ सूचना मुहैया कराने के लिए पत्र की प्रति भेजी गई थी परंतु उसने समय पर वह सूचना नहीं भेजी तथा इसी कारण उसके मामले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

9.23 आयोग ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 की कार्यवाही में राज्य सरकार को निदेश दिया कि अनुलग्नकों सहित रिपोर्ट की प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से शिकायतकर्त्ता को उसकी टिप्पणियों, यदि कोई हों, हेतु 6 सप्ताहों के भीतर देने हेतु भेज दें।

9.24 जवाब में शिकायतकर्त्ता पारेश्वरी बिष्ट ने सूचित किया कि उसके पति को प्रशासन के गलत निर्णय द्वारा बिना किसी स्थानांतरण आदेश के 03 मार्च, 2004 को कार्यमुक्त किया गया तथा उसे 07 फरवरी, 2005 को नया कार्यभार दिया गया था। इस अवधि के दौरान नियमों के विरूद्ध कार्यमुक्त किए जाने की कार्रवाई के विरोध में प्रतिवेदन करने के लिए उपस्थित उसका पति मंडलीय मुख्यालय में रहा। इस प्रकार उसके पति को 04, मार्च, 2004 से 06 फरवरी 2005 की अवधि के लिए अर्जित अवकाश अथवा अन्य अवकाश की स्वीकृति की सहमति देने के लिए जोर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह गलत प्रशासनिक आदेश का शिकार था तथा उक्त अवधि के दौरान उसने कोई कार्य नहीं किया क्योंकि उसके पास कार्य करने के लिए कार्यालय नहीं था।

9.25 आयोग ने रिकॉर्ड में रखी गई साम्रगी पर विचार कर दिनांक 22 मार्च, 2010 की कार्यवाही के माध्यम से सचिव, उत्तराखंड सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि शिकायतकर्त्ता का पति महावीर सिंह बिष्ट 4 मार्च, 2004 से 6 फरवरी, 2005 तक अपनी नियुक्ति के लिए संबद्ध प्राधिकारियों से आदेश प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए किस प्रकार उत्तरदायी था तथा यदि वह उत्तरदायी नहीं था, तो इस जबरन अवकाश के लिए उसके अर्जित अवकाश को क्यों काटा गया। शिकायतकर्त्ता की टिप्पणियों की प्रति भी उसके संदर्भ हेतु भेजी गई थी।

9.26 जवाब में निदेशक, स्कूली शिक्षा, उत्तराखंड, नानूरखेड़ा, देहरादून ने सूचित किया था कि महाबीर बिष्ट के मामले को प्रशासन के पास अग्रेषित नहीं किया जा सका था क्योंकि उसने इस अंतराल के अवरोध को पूरा करने के लिए निर्धारित समय के भीतर अन्य अवकाश हेतु अपनी सहमति नहीं दी थी।

9.27 आयोग ने मामले पर विचार किया तथा यह माना कि निदेशक, स्कूली शिक्षा उत्तराखंड ने आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं दिया। अतः अपनी दिनांक 17 जून, 2010 की कार्यवाही में आयोग ने निदेशक, स्कूली शिक्षा, उत्तराखंड से 20 अगस्त, 2010 अथवा उससे पहले स्पष्टीकरण देने को कहा कि शिकायतकर्त्ता का पति महावीर सिंह विष्ट 4 मार्च, 2004 से 6 फरवरी 2005 तक अपनी नियुक्ति के लिए संबद्ध प्राधिकारियों से

आदेश प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए किस प्रकार उत्तरदायी था तथा यदि वह उत्तरदायी नहीं था, तो इस जबरन अवकाश के लिए उसके अर्जित अवकाश को क्यों काटा गया।

9.28 बहरहाल, निदेशक, स्कूली शिक्षा, उत्तराखंड ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 2010 के पत्र के माध्यम से दिनांक 4 मार्च से 6 फरवरी 2005 तक सेवा में अंतराल के विरूद्ध किसी अवकाश के समायोजन के बिना पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने में अपनी अक्षमता जाहिर की थी। उसने शिकायतकर्त्ता के पति को संबद्ध अधिकारियों के निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

9.29 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को कार्यवाही की तथा यह पाया कि शिक्षा विभाग ने स्वयं ही महाबीर सिंह को दिनांक 5 फरवरी, 2005 को सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), पौडी गढ़वाल माना था, जैसाकि पत्र सं0 109/ XXIV – 2/ 2005 दिनांक 5 फरवरी 2005 में उल्लेख था, जिसके माध्यम से उसे रूद्र प्रयाग स्थानांतरित किया गया था। राज्य से एक अन्य पत्र में भी उसे विवादित अवधि के दौरान सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), पौड़ी गढ़वाल के रूप में माना गया था। महाबीर बिष्ट से कथित अवधि के अंतराल में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया था। तद्नुसार आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि महाबीर बिष्ट की पेंशन को अति शीघ्र तैयार किया जाए तथा बिना समय गंवाए उसे सभी लंबित देय सहित पेंशन का भुगतान किया जाए। मुख्य सचिव को यह निदेश भी दिया गया था कि रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या उनके अनुसार पेंशन की स्वीकृति में हुई देरी का तर्क देने के लिए 4 मार्च 2004 से 6 फरवरी, 2005 तक शिकायतकर्त्ता के पति की सेवा में अंतराल था।

9.30 जवाब में, प्रमुख सचिव, उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 21 फरवरी, 2012 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि श्री महाबीर सिंह को 4 मार्च 2004 से 6 फरवरी, 2005 तक की अवधि के लिए 'बाध्य प्रतीक्षा अवकाश' दिनांक 2011 के आदेश द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा पेंशन सहित सभी सेवानिवृत्ति देय का भुगतान उसे 29 अक्टूबर, 2011 तथा 27 जनवरी, 2012 को किया था। प्रमुख सचिव ने 8 अगस्त 2011 के आदेश सहित पेंशन प्रमाण पत्र, जिसमे दर्शाया गया था 1 दिसम्बर, 2006 से 31 दिसम्बर, 2011 तक की पेंशन 12, 21, 220/– रूपये, ग्रेच्युटी 5,52,189/– रूपये तथा अवकाश रूपांतरण के रूप में 6,45,228/– अर्थात् कुल राशि 24,18,637/– रूपये संलग्न किया था दिनांक 8 अगस्त, 2011 के आदेश में लिखा हुआ था कि 4 मार्च से 6 फरवरी, 2005 तक की अवधि के लिए महाबीर सिंह बिष्ट को वित्तीय नियम कोड़ के नियम 6 (ब) (2) के उपबंधों के अंतर्गत 'बाध्य प्रतीक्षा अवकाश' स्वीकृत किया गया था, क्योंकि दिनांक 19 नवम्बर, 2003 के आदेश में तकनीकी त्रुटि के कारण इस अवधि के दौरान उसे 'बाध्य प्रतीक्षा' में रहने के लिए मजबूर किया गया था।

9.31 आयोग ने अनुभव किया कि शिकायतकर्त्ता का पति महाबीर सिंह बिष्ट, 30 नवम्बर 2006 को जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के रूप में सेवानिवृत्त हुआ तथा बिना किसी प्रांसंगिक कारण के एक लम्बी अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभों जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अवकाश रूपांतरण आदि से वंचित रहा। इस प्रकार राज्य के अधिकारियों की ओर से हुई लापरवाही के कारण महाबीर सिंह को अपने आश्रितों के साथ–साथ सेवानिवृत्ति के लगभग पांच वर्षों के बाद तक वित्तीय संकट एवं मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ी जिसके लिए पीड़ित को अवश्य ही क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। तद्नुसार आयोग ने निदेश दिया कि उत्तराखंड सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क) (i) अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए, कि कारण बताएँ कि क्यों न लोक सेवकों द्वारा मानव अधिकारों के हनन के लिए महाबीर सिंह बिष्ट को वित्तीय राहत की संस्तुति की जाए।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार को इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की सूचना देने तथा महाबीर सिंह बिष्ट को उसकी ओर से कोई गलती नहीं होने पर भी लंबे समय के बाद किए गए ब्याज के भुगतान का ब्यौरा देने को भी कहा गया था।

9.32 मुख्य सचिव के जवाब की प्रतीक्षा है।

4. समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतक कर्मचारी की विधवा को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में अत्यधिक देरी
(केस सं0 20804/24/24/2010)

9.33 यह मामला समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रुप–IV कर्मचारी श्री पुत्तुलाल के परिवार को उस की मृत्यु, जो 8 नवम्बर 1979 में हुई थी, के 31 वर्ष बीत जाने के बाद भी आवधिक देयों का भुगतान नहीं करने से संबंधित है।

9.34 आयोग ने मामले की जांच कर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए नोटिस जारी किया।

9.35 समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि राज्य सरकार ने मई 2011 में मृतक कर्मचारी के परिवार को भविष्य निधि के 27,390/– रूपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट के 115.30 रूपये तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में 3,835/– रूपये का भुगतान किया था, परंतु मृतक कर्मचारी के परिवार को ग्रेच्युटी एवं पेंशन, हालांकि स्वीकृति थी, का भुगतान नहीं किया गया था।

9.36 आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उदासीनता पर ध्यान दिया गया तथा आयोग ने राज्य को निदेश दिया कि मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल ग्रेच्युटी एवं पेंशन का भुगतान करे। आयोग को बाद में सूचित किया गया था कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को ग्रेच्युटी एवं पेंशन का बकाया के रूप में 5,72,259/– रूपये का भुगतान किया था।

9.37 आयोग ने तत्पश्चात् मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत नोटिस जारी कर कारण पूछा कि मृतक कर्मचारी के परिवार के मानव अधिकारों के हनन के लिए क्यों न मुआवजे की संस्तुति की जाए।

9.38 आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि मृतक कर्मचारी को वर्ष 1979 से देय बकाया राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान हेतु उन्होंने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था।

9.39 मामला आयोग के विचाराधीन है।

अध्याय - 10

अशक्त व्यक्तियों के अधिकार

10.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में लगा हुआ है। आयोग का मत है कि अशक्त व्यक्तियों को भी अन्य व्यक्तियों की तरह समान रूप से सभी मानव अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। इसी दिशा में आयोग निरंतर अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 (पी डब्ल्यू डी अधिनियम, 1995) के उचित क्रियान्वयन के लिए आग्रह करता रहता है।

10.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग ने अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर कार्य करने हेतु बहु–भुजीय प्रस्ताव को अपनाया, जिसमे व्यक्तिगत शिकायतों का निपटान, विधायी एवं नीतिगत सुधार तथा अशक्त व्यक्तियों के बीच अधिकारों से संबंधित जागरूकता का प्रसार करना शामिल हैं।

क सामाजिक–आर्थिक जनगणना

10.3 अशक्त व्यक्तियों को प्रतिदिन उनके मूल अधिकारों जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य के संबंध में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप वे गरीबी, कुपोषण एवं पुराने रोगों से पीड़ित होते हैं। सर्वविदित तथ्य है कि गरीबी एवं अशक्तता का नजदीकी अंतर–संबंध है। अशक्त व्यक्तियों को अपनी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए सहायक उपकरणों, दवाओं, परिवहन तथा अन्य खर्चों पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रयोज्य आय पर नकारात्मक असर पड़ता है।

10.4 आयोग के ध्यान में यह लाया गया था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए समाज–आर्थिक जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे बी पी एल परिवारों की पहचान करने के लिए ऐसी प्रणाली का प्रयोग किया गया जिसमें उन सभी परिवारों को शामिल किया गया जिसमे अशक्त सदस्य थे तथा कोई शारीरिक रूप से सक्षम व्यस्क सदस्य नही थे। अपनाई गई प्रणाली में, आयोग ने महसूस किया कि परिवार को शामिल करने के लिए वंचन सूचक का इस्तेमाल किया गया। आयोग का मत था कि यदि परिवार का मुखिया अशक्त पाया जाता है तो, परिवार को बी पी एल श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि आय सीलिंग को बी. पी. एल. परिवारों के निष्काषन शर्तों के अंतर्गत संस्तुत स्तर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने तथा अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु बी. पी. एल. शर्तों को संशोधित कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को तद्नुसार संस्तुति की गई थी।

ख अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर कंट्री रिपोर्ट तैयार करने की मॉनीटरिंग

10.5 अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में यूनाइटेड नेशन्स अभिसमय के अंतर्गत, भारत सरकार अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अपनी पहली कंट्री रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन्स समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए

बाध्य है। जैसाकि वर्ष 2010–2011 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख था, आयोग अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी कंट्री रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ अनुर्वतन कर रहा था। साथ ही आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालय से पूछा था कि कंट्री रिपोर्ट तैयार करने में क्या अशक्त व्यक्तियों से परामर्श किया गया तथा उन्हें शामिल किया गया था।

10.6 समीक्षाधीन वर्ष में आयोग को भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए पहली कंट्री रिपोर्ट के मसौदे पर इसकी टिप्पणियाँ देने के कहा गया। इसके अलावा आयोग को दिए गए विषय पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेषरूप से आयोजित दो–दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोग ने अपनी ओर से कंट्री रिपोर्ट की समीक्षा की तथा मंत्रालय को अपने सुझाव भेजे। आयोग को विश्वास है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली कंट्री रिपोर्ट में उसके द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया जाएगा।

ग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अशक्तता संबंधी कोर समूह की बैठक

10.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 3 जून 2011 को अशक्तता संबंधी अपने पुनर्गठित कोर समूह की बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य श्री पी.सी. शर्मा ने की थी। बैठक के दौरान चर्चा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं :–

(i) अशक्तता संबंधी कानून मसौदा, जो तैयार करने की प्रक्रियाधीन था तथा यह विद्यमान 'अशक्त व्यक्तियों संबंधी अधिनियम' 1995 का स्थान लेगा;

(ii) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक के नए मसौदे को यू एन सी आर पी डी के साथ सुमेलन;

(iii) यू एन सी आर पी डी के साथ तालमेल बैठाने की दृष्टि से 'ऑटिज्म, सिरेबरल पालसी, मानसिक मंदन तथा बहुविध अशक्तता सहित व्यक्ति अधिनियम 1999' के राष्ट्रीय न्यास में प्रस्तावित संशोधन;

घ आयोग द्वारा अशक्त व्यक्तियों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. राजस्थान में मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की दयनीय दशा
(केस सं0 1023/20/0/2010)

10.8 शिकायतकर्त्ता विमल कुमार अमेटा ने आरोप लगाया था कि राजस्थान की गलियों में मानसिक रूप से अशक्त अनेक व्यक्ति यहाँ–वहाँ दयनीय स्थिति में घूमते रहते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसमे यह प्रावधान है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को पुलिस, जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं, द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए।

10.9 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में राजस्थान सरकार ने सूचित किया था कि पहचाने गए मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को न्यायालय की आज्ञा से मानसिक अस्पतालों में भर्ती किया गया था तथा उन्हें उपचार मुहैया करवाया गया था। मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति, जिनका परिवार नहीं था, के पुनर्वास हेतु कार्रवाई भी की जा रही थी।

10.10 आयोग ने देखा कि राजस्थान पुलिस ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के उपबंधों के अनुसार मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को ढूंढने तथा पुनर्वासित करने के लिए कार्रवाई की थी। आयोग ने यह भी देखा कि इस प्रकार के विषयों पर सभी संबद्ध व्यक्तियों के संगठित प्रयासों द्वारा बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। अतः इसने अनुभव किया कि राजस्थान सरकार की ओर से यह व्यावहारिक होगा कि सामाजिक प्रासंगिकता वाले विषयों पर प्रशिक्षण/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करे तथा इन कार्यक्रमों में राज्य कार्यकर्त्ताओं/गैर सरकारी संगठनों/मीडिया आदि की सहभागिता सुनिश्चित करे।

10.11 उपरोक्त मामला मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को दिए गए इस निर्देश सहित बंद किया गया था कि सभी राज्य कार्यकत्ताओं द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई की जाए।

2. अपनी पढाई जारी रखने में एक अशक्त लड़की द्वारा कठिनाइयों का सामना करना (केस सं0 4353/30/4/2010)

10.12 आयोग को श्रीमती गीता सुब्रामणयम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमे उसने यह शिकायत की थी कि उसकी बेटी, निव्या, जो कि 75% तक अशक्तता से पीड़ित थी, अशक्तता के कारण अपनी पढाई जारी रखने में सक्षम नहीं थी, जिससे उसके कार्य में बाधा आ रही थी। मुख्य आयुक्त, अशक्तता, से भी संपर्क किया गया था, जिन्होंने इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस विषय पर दिशा–निर्देश जारी करने के लिए रैफर कर दिया था। याचिकाकर्त्ता ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबद्ध विभाग को निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

10.13 आयोग ने सभी तथ्यों की जांच करने के बाद सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मा0 सं0 वि0 मंत्रालय ने सूचित किया था कि अशक्ता संबंधी मुख्य आयुक्त की संस्तुतियों को केन्द्रीकृत निधिबद्ध शैक्षिक संस्थानों को भेज दिया गया था, जो ऐसे उपाय सुझाएंगे जिनसे शिकायकर्त्ता की बेटी जैसे अशक्त व्यक्तियों को सहायता मिलेगी।

10.14 आयोग ने बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निदेश दिया कि वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में सूचित करें। आयोग ने अनुभव किया कि अशक्त छात्रों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने से उनके मन में आत्म–विश्वास बढाने में सहायक होगा तथा इस प्रकार उन्हें उत्पादक मानव संसाधन बनाया जा सकेगा। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों को शिकायतकर्त्ता की बेटी की तरह के छात्रों को मदद करने के लिए नीतियां/प्रणालियां बनानी चाहिए ताकि वे सूचना प्रौद्योगिकी, इसकी संरचना आदि का सही उपयोग करने में सक्षम हो पाएं।

10.15 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 9 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना के माध्यम से अशक्त व्यक्तियों के लिए संशोधित नीति स्वीकृत की। आयोग ने शिकायतकर्त्ता को अधिसूचना की प्रति अग्रेषित की तथा मामला बंद कर दिया था।

अध्याय - 11

मानव अधिकार शिक्षा , प्रशिक्षण एवं जागरुकता

11.1 मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ज) ''समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार शिक्षा का प्रसार करने तथा इन अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षोपायों का अपने प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनार तथा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से जागरूकता का संवर्द्धन'' करने के लिए आयोग को दायित्व सौंपता है। पी एच आर ए की धारा 29 के अनुसार राज्यों में उनके अपने–अपने राज्य मानव अधिकार आयोगों को इसी प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं।

11.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने देश में मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता का संवर्द्धन करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की।

(क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.3 अपने अधिदेश के भाग के रूप में वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 194 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन किया था। इनमे से 50 संस्थानों/विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा 125 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। इसके अलावा वर्ष 2010–11 की अवधि के 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 2011–12 के दौरान आयोजित किए गए थे, इस प्रकार कुल 134 प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक 8 पर है।

(ख) ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम

11.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नियमित रूप से प्रति वर्ष एक महीने की अवधि के 2 अंतःशिक्षुता कार्यक्रमों का आयोजित करता आ रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान 18 मई से 16 जून, 2011 तक ग्रीष्मकालीन अंतःशिक्षुता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमे भारत के 12 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के 27 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से 26 महिलाओं एवं 12 पुरूषों को मिलाकर कुल 38 अंतःशिक्षुओं ने भाग लिया था। शीतकालीन अंतःशिक्षुता कार्यक्रम 3 जनवरी से 1 फरवरी 2012 को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के 19 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के 31 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से 21 महिलाओं एवं 27 पुरूषों को मिलाकर कुल 48 अंतःशिक्षुओं ने भाग लिया था। अंतः शिक्षुता कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सुलभ अनुभव कराने की दृष्टि से उन्हें गैर सरकारी संगठनों तथा जिला जेलों के क्षेत्रीय दौरे कराने के लिए ले गए थे। अंतःशिक्षुओं का आयोग के विभिन्न अनुभागों के साथ भी संयोजन किया गया था तथा देश में मानव अधिकार दशाओं के विभिन्न पहलुओं के विषय पर प्रोजेक्ट दिए गए थे, जिन पर उन्हें कार्य करना था तथा बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। दो अंतःशिक्षुता कार्यक्रमों की अवधि के दौरान छात्रों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर चार छात्रों को 'उत्तम अंतःशिक्षु पुरस्कार' दिया

गया था। इसके अतिरिक्त शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम के दौरान अंतः शिक्षुओं के लिए विशेष रूप से दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ परस्पर चर्चा सत्र की व्यवस्था की गयी थी।

(ग) अल्पकालिक अंतःशिक्षुता कार्यक्रम

11.5 आयोग ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रमों के अतिरिक्त 15 दिनों से 1 महीने की अवधि के लिए अल्पकालिक अंतःशिक्षुता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न शिक्षणों, विशेषरूप से विधि की शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए वर्ष भर खुला रहता है। अल्प–कालिक संयोजन के दौरान छात्रों को आयोग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों की जानकारी दी जाती है ताकि वे प्रत्येक अनुभाग में कुछ दिनों के लिए कार्य कर सकें। इन अंतःशिक्षुओं को आयोग के मदद केन्द्र में भी नियुक्त किया जाता है, जहाँ वे मानव अधिकारों के हनन के पीड़ितों के साथ बातचीत करने का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसके अलावा इन अंतःशिक्षुओं को तिहाड़/जिला जेल के क्षेत्रीय दौरे पर ले जाते हैं, जिसके द्वारा वे वहाँ के कार्यों एवं वहाँ के संवासियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों से लगभग 304 छात्रों ने आयोग के साथ अल्प–कालिक अंतःशिक्षुता में भाग लिया।

(घ) भारतीय विदेश सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 2006 से विदेश मंत्रालय के विदेशी सेवा संस्थान के साथ मिलकर भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए दो–दिवसीय 'अटेचमेंट प्रोग्राम' आयोजित करवा रहा है। इस अटेचमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य परिवीक्षार्थियों को मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाना है। वर्ष 2011–2012 के दौरान 2010 बैच के भारतीय विदेश सेवा के 13 परिवीक्षार्थियों को दिनांक 22 एवं 23 नवम्बर, 2011 को एन0एच0आर0सी0 के साथ संबद्ध किया गया था। प्रोबेशनर्स को शिकायत प्रबंधन प्रणाली के बारे में एक अभिविन्यास सहित आयोग के विभिन्न प्रभागों की कार्यप्रणाली के बारे में समग्र रूप से बताया गया। उन्होंने एन0एच0आर0सी0 के अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की।

ङ. भारत के विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं के साथ चर्चा

11.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपे गए अधिदेश की दृष्टि से इससे विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा आयोग में दौरा करने के लिए उनके विद्यार्थियों को अनुमति देने हेतु नियमित रूप से संपर्क किया जाता है ताकि आयोग के संगठनात्मक संरचना, कार्यों तथा शिकायतों के निपटान की प्रणाली के विषय में सीधे सूचना प्राप्त की जा सके। आयोग अपनी ओर से इन प्रतिभागियों को मानव अधिकारों के दूत के रूप में देखता है, जो जानकारी प्राप्त करके, अपने आस–पास के लोगों में इसका उत्साहपूर्वक प्रसार करेंगे। वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों /शैक्षिक संस्थानों के लगभग 765 छात्रों ने अपने वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

(च) पुलिसकार्मियों के लिए मानव अधिकार संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली के संयुक्त तत्त्वावधान में पुलिस कार्मिकों के लिए तीन विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा इग्नू के बीच तद्नुसार एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये कार्यक्रम इस प्रकार थे कांस्टेबल एवं उप–निरीक्षकों के लिए बेसिक कोर्स; मध्यस्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए एडवांस कोर्स तथा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कोर्स।

11.9 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के तीन पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में कांस्टेबलों एवं उप–निरीक्षकों के लिए बेसिक कोर्स सहित शुरू किया गया था। 2011–12 के दौरान 13–15 जुलाई 2011, 16–18 जुलाई 2011 तथा 19–21 मार्च 2012 को तीन प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्मिकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु स्रोत व्यक्तियों का समूह तैयार करना था। इसके अतिरिक्त आयोग ने 9–13 जनवरी 2012 को पांच दिवसीय बेसिक कोर्स आयोजित किया जिसमे राजेन्द्र नगर (दिल्ली), मधुबन (हरियाणा) के एस.टी.सी. के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज से 115 पुलिस कार्मिकों ने भाग लिया।

(छ) महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

11.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 18–20 मार्च, 2012 को उत्तर प्रदेश के बदायूँ जिले के दातागंज ब्लॉक में महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास विषय पर तीन– दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली अध्यापकों तथा कॉलेजों के प्रोफेसरों के साथ–साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मानव अधिकारों के विषय में मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित करना था ताकि वे महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों सहित मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता का प्रसार करने में आयोग के प्रयासों के पूरक बन सकें। कार्यक्रम में 130 प्रतिभागी उपस्थित थे।

(ज) मानव अधिकार पक्षकारों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम

11.11 ओड़िशा में 21 मार्च, 2012 को मानव अधिकार पक्षकारों के लिए एक–दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि), जो मानव अधिकार पक्षकारों हेतु फोकल प्वाइंट भी हैं, ने आयोग का प्रतिनिधत्व किया।

(झ) स्थापना दिवस समारोह

11.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर, 2011 को अपना 18 वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में 3 अक्टूबर, 2011 को भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के संयोजन से आयोग के इंप्लॉइज़ वेलफेयर, स्पोर्टस एवं कल्चरल एसोसिएशन द्वारा आयोग में रक्तदान कैम्प आयोजित किया गया था। कैम्प का उद्घाटन आयोग के संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) द्वारा किया गया था। आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया।

11.13 आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। पेंटिग प्रतियोगिता के उद्देश्य हेतु बच्चों को तीन आयु वर्गों में विभक्त किया गया था 5–10 वर्ष; 11–15 वर्ष तथा 16–17 वर्ष। सर्वोत्तम पेंटिंग के लिए प्रत्येक श्रेणी में 2–2 पुरस्कार दिए गए थे।

11.14 12 अक्टूबर, 2012 को मावलंकर हॉल, नई दिल्ली में शाम को आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समारोह का समापन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उनके परिवारों, नामचीन कथक नर्तको एवं गायकों ने प्रस्तुति दी। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने वक्तव्य में न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल ने मानव अधिकारों के हनन के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में आयोग के प्रयासों को याद दिलाया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार कार्यकर्त्ता बनने की आवश्यकता है ताकि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा गारंटित मौलिक अधिकारों से वंचित न रहे। उन्होंने आयोग के स्टाफ एवं अधिकारियों को मानव अधिकार दृष्टिकोण अपनाने तथा देश में लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन करने के लिए विशेष रूप से सराहना की।

11.15 इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री पटेल ने आयोग के अन्य सदस्यों श्री सत्यब्रत पाल एवं श्री पी. सी. शर्मा के साथ मिलकर बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए।

(ञ) मानव अधिकार दिवस समारोह

11.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तीनमूर्ति भवन, नई दिल्ली में 10 दिसम्बर, 2011 को मानव अधिकार दिवस मनाया।

11.17 इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री जी. पी. माथुर, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों की सार्वभैमिक घोषणा को मनुष्य जाति के इतिहास में एक मील का पत्थर के रूप में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार दिवस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को देश में मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण में इसकी गतिविधियों की सूची बनाने तथा आने वाली चुनौतियों के लिए इसे आत्मदर्शन हेतु तैयार करने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है तथा इस कार्य में सभी पणधारियों, जिसमे सरकारी कार्यकर्त्ता, गैर सरकारी संगठन तथा सभ्य समाज शामिल है, का सहयोग मांगा है।

11.18 इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री बान की मून का संदेश श्री राजीव चंद्रन, राष्ट्रीय सूचना अधिकारी, यू एन आई सी ने पढ़ा। संदेश में यून एन महासचिव ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि ''मानव अधिकार निर्विवादित रूप से हम सभी से संबंधित है। परंतु जब तक हम उन्हें जान नहीं लेते, जब तक हम यह मांग नहीं करते कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए तथा जब हम इनका प्रयोग करने के लिए अपने अधिकारों तथा दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर लेते, वे केवल दशकों पुराने दस्तावेजों में दर्ज शब्द मात्र रह जाएंगे।''

11.19 इससे पूर्व आयोग के महासचिव डॉ0 राजीव शर्मा ने आयोग के साथ मानव अधिकार दिवस मनाने हेतु एकत्रित सभी अतिथियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्वागत किया।

11.20 आयोग के सदस्यों न्यायमूर्ति श्री जी.पी.माथुर, न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल, श्री सत्यब्रत पाल तथा श्री पी. सी. शर्मा ने आयोग के छः प्रकाशनों का लोकार्पण किया जिसमे शामिल थे हिंदी में 'नई दिशाएं' तथा अंग्रेजी में

'जर्नल'; 'नो योर राइट्स' श्रृंखला के अंतर्गत अंग्रेजी में तीन पुस्तिकाएं 'राइट टू वर्क', 'राइट टू एडीक्वेट शेल्टर' तथा 'एलडरली पीयुपल' तथा 'मैनुअल ऑन ह्युमन राइट्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स'। वार्षिक अंग्रेजी 'जर्नल 2011 में 'विकास एवं विस्थापन – मानव अधिकार विषय;' 'मानव अधिकार तथा सुशासन, 'शिक्षा एवं मानव अधिकार' तथा अन्य विषयों से संबंधित आलेखों को शामिल किया गया था।

(त) अंतर–केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता

11.21 मानव अधिकारों के विषय में केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिकों के बीच जागरूकता का संवर्द्धन करने की दिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 1996 से ही नियमित रूप से प्रति वर्ष मानव अधिकारों से संबंधित विषयों पर वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। वाद–विवाद प्रतियोगिता को प्रारंभ में जोनल स्तरों पर आयोजित किया जाता है, जिसके द्वारा सेमी–फाइनल तथा फाइनल राउंड हेतु वाद–विवाद प्रतिभागियों को सूचीबद्ध किया जाता है। सेमी–फाइनल तथा फाइनल रांउड का आयोजन करने का दायित्व रोटेशन के आध ाार पर अर्द्ध–सैनिक बलों के संगठनों को दिया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 18 नवम्बर, 2011 को हरियाणा में मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) के सहयोग से हिंदी एवं अंग्रेजी में अंतर–केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों की अखिल–भारतीय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया था।

11.22 वाद–विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक था ''मानव अधिकार मानकों का अनुपालन, समझौते तथा सुरक्षाबलों की प्रभावोत्पादकता''। हिंदी में वाद–विवाद हेतु प्रथम पुरस्कार श्री गजेन्द्र कुमार, राइफलमैन, असम राइफल्स तथा अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार, श्री नवदीप सिंह हीरा, असिस्टेंट कामंडेंट, सी आई. एस. एफ. को दिया गया। हिन्दी में द्वितीय पुरस्कार श्री पूरन सिंह, हवलदार, असम राइफल्स तथा अंग्रेजी में मेजर शंकर दास, एन एस जी को दिया गया। हिन्दी में तृतीय पुरस्कार श्री सुवालाखिया, निरीक्षक, सी.आई.एस.एफ. को तथा अंग्रेजी में सुश्री राजबीर कौर, कांस्टेबल, बी.एस.एफ. को दिया गया। ओवर आल बेस्ट टीम की रोलिंग ट्रॉफी असम राइफल्स को दी गई थी।

11.23 विजेताओं का चयन आयोग के सदस्य श्री सत्यब्रत पाल की अध्यक्षता वाले तीन–सदस्यीय पैनल द्वारा किया गया था। विजेताओं को बधाई देते हुए श्री पाल ने कहा कि अपने कर्त्तव्यों में आने वाली चुनौतियों के बावजूद भी सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। इससे पूर्व प्रतिभागियों तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री आर. के. मेधेकर, महानिदेशक, एन एस जी ने कहा कि यह वाद–विवाद प्रतियोगिता केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के बीच मानव अधिकारों के विषय में जागरूकता फैलाने में लाभप्रद थी।

11.24 आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण) श्री सुनील कृष्ण ने अपनी समापन टिप्पणी में सभी प्रतियोगियों के बहुमूल्य विचारों की सराहना की तथा विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने इस समारोह को सफल बनाने के लिए ज्यूरी तथा एन एस जी को धन्यवाद दिया।

(थ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिन्दी पखवाड़ा

11.25 आयोग ने दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक हिन्दी पखवाड़े का दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2011 को आयोजन किया था। हिन्दी भाषा के संवर्द्धन हेतु इस अवसर पर आयोजित वाद–विवाद, प्रश्न मंच तथा निबंध प्रतियोगिताओं के साथ–साथ अन्य कार्यक्रमों में आयोग के अधिकारियों एवं स्टाफ ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

अध्याय - 12

मानव अधिकार पक्षकार

12.1 'मानव अधिकार पक्षकार' शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के विषय में बताने के लिए किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। मानव अधिकार पक्षकार से सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों के संर्वद्धन एव संरक्षण के साथ–साथ, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। मानव अधिकार पक्षकार मानव अधिकारों से संबंधित विषयों पर कार्य करते हैं, जिसमें विविध विषय हो सकते हैं उदाहरणार्थ संक्षिप्त निष्काषन, उत्पीड़न, अवैध गिरफ्तारी एवं कैद, महिला जननेंद्रिय विकृति, भेदभाव, रोजगार संबंधी विषय, जबरन निष्पादन, स्वास्थ्य देख–रेख के लिए पहुंच तथा विषैले अपशिष्ट तथा पर्यावरण पर उनका प्रभाव।

(क) मानव अधिकार पक्षकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र घोषणा

12.2 दिसम्बर 1998 में 14 वर्षों के समझौते के बाद यू एन की आम सभा द्वारा मानव अधिकार पक्षकारों संबंधी घोषणा को अंगीकार किया गया था।

विधिक विशेषता

12.3 घोषणा, अपने आप में एक विधिक रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है। हालांकि इसमें अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में स्थापित मानव अधिकार मानकों पर आधारित सिद्धांतों एवं अधिकारों की श्रृंखला समाहित है, जो विधिक रूप से बाध्यकारी हैं– जैसे सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। इसके अतिरिक्त, घोषणा को आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया था, अतः इसके क्रियान्वयन हेतु राज्यों द्वारा दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। घोषणा को एक बाध्यकारी राष्ट्रीय कानून के रूप में अंगीकृत करने पर राज्य बढ़े पैमाने पर विचार कर रहे हैं।

घोषणा के प्रावधान

12.4 घोषणा मानव अधिकार पक्षकारों को उनके कार्य के संदर्भ में समर्थन एवं संरक्षण देने का प्रावधान करता है। यह नए अधिकारों का निर्माण नहीं करता बल्कि विद्यमान अधिकारों को इस प्रकार सुस्पष्ट करता है जिससे मानव अधिकार पक्षकारों की व्यवहारिक भूमिका एवं स्थिति के लिए उन्हें प्रयुक्त करने में आसानी हो। यह ध्यान देता है, उदाहरणार्थ मानव अधिकार पक्षकारों के संगठनों द्वारा धन प्राप्त करने के लिए तथा मानव अधिकारों के मानकों एवं उनके हनन से संबंधित सूचना एकत्रित करने तथा आदान–प्रदान करने के लिए। घोषणा राष्ट्रीय कानून के साथ इनके संबंधों की व्याख्या करने के अतिरिक्त मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्यों के कुछ

विशिष्ट दायित्वों तथा प्रत्येक व्यक्ति के कर्त्तव्यों को रेखांकित करता है। यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि घोषणा के अंतर्गत मानव अधिकार पक्षकार शांतिपूर्ण ढंग से गतिविधियाँ करने के लिए बाध्य हैं।

राज्यों की भूमिका

12.5 राज्यों का दायित्व है कि वे घोषणा के सभी उपबंधों का क्रियान्वयन एवं सम्मान करें। विशेष रूप से राज्यों का कर्त्तव्य है कि वे मानव अधिकारों के संवर्द्धन हेतु उनको अधिदेशित कार्य के रूप में मानव अधिकार पक्षकारों की रक्षा किसी भी प्रकार की हिंसा, प्रतिशोध एवं अभित्रास से करें। संरक्षण करने का कर्त्तव्य राज्य निकायों और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर–राज्य कर्त्ताओं की कार्रवाई तक विस्तृत है जिसमे निगम, ''मौलिकतावादी'' समूह तथा अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

(ख) आयोग में मानव अधिकार पक्षकारों हेतु फोकल प्वाइंट

12.6 आयोग द्वारा नई दिल्ली में 12 अक्तूबर, 2009 को आयोजित मानव अधिकार पक्षकारों संबंधी कार्यशाला की सिफारिशों में से एक पर कार्रवाई करते हुए, मानव अधिकार पक्षकारों द्वारा दी गई उत्पीड़न के आरोपों की शिकायतों अथवा लोक प्राधिकारियों के दृष्टांतों पर कार्रवाई करने के लिए आयोग में मानव अधिकार पक्षकारों के लिए फोकल प्वाइंट का गठन किया गया था। फोकल प्वाइंट में प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति श्री ए. के. पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) हैं। मानव अधिकार पक्षकारों के लिए फोकल प्वाइंट 24 घंटे इनके माध्यम से उपलब्ध है :– (i) मोबाइल नं0 9810298900 (ii) फैक्स नं0 23384012 तथा (iii) ई मेल : hrd-nhrc@nic.in । फोकल प्वाइंट यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के निर्देशों के अनुसार मानव अधिकार पक्षकारों के कथित उत्पीड़न के प्रत्येक मामले में प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन हो तथा संबंद्ध मानव अधिकार पक्षकार को सूचित किया जाए। मानव अधिकार पक्षकारों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों का अपडेट आयोग की वेबसाइट में भी पोस्ट किया गया है।

12.7 वर्ष 2011–12 के दौरान मानव अधिकार पक्षकारों हेतु फोकल प्वाइंट ने देश में अनेक स्थानों का दौरा किया जैसे – उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, पंजाब, तमिलनाडु तथा हरियाणा तथा ग्रामवासियों, मानव अधिकार पक्षकारों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा संबद्ध राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों की स्थिति को समझा जा सके तथा लोगों के मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके। दौरे की रिपोर्टों तथा दौरे की अवधि में प्राप्त शिकायतों को आयोग के समक्ष रखा गया तथा उन पर तत्काल कार्रवाई की गई थी।

(ग) मानव अधिकार पक्षकारों के संरक्षण हेतु आयोग की कार्रवाई प्रक्रिया

12.8 आयोग हमेशा से मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के कार्य के लिए अपना सर्मथन देता आ रहा है तथा उन व्यक्तियों की निंदा करता है जो इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिशोध, उत्पीड़न आदि का कार्य करते हैं। वास्तव में, आयोग द्वारा नागरिकों के सुरक्षोपाय के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, मानव अधिकार पक्षकारों के अधिकारों का संरक्षण, जिसे यह जारी रखेगा।

12.9 मानव अधिकार पक्षकारों के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :–

- राज्यों को एक दृढ़ संदेश देता है कि मानव अधिकार पक्षकारों को प्रताड़ित नहीं किया जाए।
- मानव अधिकार पक्षकारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में राज्य कार्यकर्त्ताओं को संवेदनशील करना।
- मानव अधिकार पक्षकारों के उद्देश्य को संरक्षण देने हेतु दोषी लोक सेवकों का अभियोजन, मानव अधिकार हनन के पीड़ितों को मुआवजा आदि द्वारा सक्रिय कदम उठाना।
- मानव अधिकार पक्षकारों के विषय में कार्यशाला आयोजित करना तथा उनकी समस्याओं को जानने तथा तद्नुसार उन्हें सुधारने की सुविधा हेतु उच्च–स्तरीय राज्य कार्यकत्ताओं को आमंत्रित किया।
- सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु मानव अधिकार पक्षकारों से संबंधित सभी गतिविधियों की संस्तुतियाँ अग्रेषित की।
- मानव अधिकार पक्षकारों द्वारा आयोग को सूचित मामलों को इसकी वेबसाइट पर पोस्ट किया।
- मानव अधिकार पक्षकारों को समर्थन जारी रखने के विषय में 9 दिसम्बर, 2011 को आयोग ने एक संदेश भी जारी किया था। संदेश की सामग्री **अनुलग्नक 9** में है।

(घ) मानव अधिकार पक्षकारों के संबंध में आयोग द्वारा निपटाए गए दृष्टांत मामले

12.10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने मानव अधिकार पक्षकारों के कथित उत्पीड़न से संबंधित 63 शिकायतें प्राप्त की। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा मानव अधिकार पक्षकारों से संबंधित 17 मामलों का अंतिम रूप से निपटान किया गया था। आयोग द्वारा की गई कार्रवाई सहित लंबित मामलों का विवरण इसकी वेबासाइट में उपलब्ध है। वर्ष 2011–12 के दौरान निपटाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे दिए गए हैं :–

1 पुलिस शक्ति का कथित दरूपयोग
(केस सं0 634/22/13/2010)

12.11 सखी प्रभावती, सचिव, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड रेस्कयू सेंटर, दिल्ली ने अपनी दिनांक 3 अप्रैल, 2010 की शिकायत के द्वारा आरोप लगाया था कि डॉ0 अम्बेडकर लॉ कालेज, चैन्नई, तमिलनाडु में दुर्व्यवहार के एक मामले में आयोग को उसके द्वारा की गई शिकायत से क्षुब्ध होकर पुलिस ने दिल्ली में उसके परिसर में घुसकर उसका लैप–टॉप, पेन ड्राइव, चेकबुक, कार की चाबियाँ आदि छीन ली। उसे कथित तौर पर झूठे मामले में फंसा दिया तथा उसे पुलिस हिरासत में लेकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

12.12 आयोग के निर्देशों के जवाब में पुलिस महानिदेशक, तामिलनाडु ने सूचित किया कि उसके मामले से संबंधित दस्तावेजों से किसी सर्वनारायण करूप्पासामी तथा सखी प्रभावती की तमिलनाडु पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान मानव अधिकारों के किसी प्रकार के उल्लंघन का पता नहीं चलता।

12.13 रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्त्ता को उसकी टिप्पणी हेतु भेजी गई थी। टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई थी तथा यह आयोग के विचाराधीन हैं।

2. पुलिस द्वारा मानव अधिकार पक्षकार को कथित गैर कानूनी कैद
(केस सं0 10558/24/37/2011)

12.14 आयोग को भूपेन्द्र दयाल नामक एक मानव अधिकार पक्षकार से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके प्रतिद्वंदी के इशारे पर पुलिस द्वारा उसे 5 दिनों तक गैर कानूनी रूप से कैद करके रखा गया तथा प्रताड़ित किया गया। उसने यह आरोप भी लगाया कि उसके प्रतिद्वंदी ने पुलिस के साथ मिलकर उसकी दुकान को आग लगा दी तथा उसे जीविका से वंचित कर दिया। चूंकि उसे निरंतर धमकियाँ मिल रही हैं; उसका कहना है कि उसकी शिकायतों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

12.15 आयोग ने पुलिस अधीक्षक, महामायानगर, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, जो आयोग के विचाराधीन है।

3. जिला महोबा, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का विरोध करने पर मानव अधिकार पक्षकार को धमकी मिलना
(केस सं0 15733/24/50/2011 एल एफ 18494/24/50/2011)

12.16 एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता ने अपनी दिनांक 30 अप्रैल, 2011 की शिकायत द्वारा आयोग का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि काबरी नगर, महोबा जिला, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का विरोध करने वाले मानव अधिकार पक्षकारों का जीवन खतरे में है।

12.17 कार्यवाही के दौरान राज्य कार्यकत्ताओं द्वारा यह सूचित किया गया था कि मंगल सिंह नामक एक व्यक्ति ने पत्थर क्रशर को बंद करवाने के विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क किया तथा अपने लिए सुरक्षा मांगी थी। आयोग ने इस तथ्य पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक तथा जिला महिस्ट्रेट, महोबा को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मंगल सिंह के लिए सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाने के प्रस्ताव के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी तथा आयोग के विचाराधीन है।

4. मजदूरों के कथित शोषण का मानव अधिकार पक्षकार द्वारा खुलासा
(केस सं0 21867/24/72/2011)

12.18 एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता ने आयोग को बताया कि मजदूरों ने उससे शिकायत की थी कि बंधुआ मजदूरों के रूप में उनका शोषण किया जा रहा है। उसने इस मामले के विषय में जिला प्राधिकारियों को बताया, जिन्होंने तहसीलदार के साथ–साथ श्रम विभाग के अधिकारी को उस ईंट भट्टे में छापा मारने के लिए तैनात किया, जहाँ मजदूरों को कथित तौर पर बंधुआ मजदूरों के रूप में रखा गया था। शिकायतकर्त्ता ने मजदूरों को ध मकाने वाले प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया।

12.19 इस मामले में आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी। अनुस्मारक देने के बावजूद भी अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

12.20 आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर दिया है, जिसके असफल होने पर आयोग पी एच आर. ए 1993 की धारा 13 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा।

5. पुलिस द्वारा एक मानव अधिकार पक्षकार को गैर कानूनी कैद (केस सं0 36808/24/72/2011)

12.21 आयोग को डॉ0 लेनिन रघुवंशी, कार्यकारी निदेशक, पीपुल्स विजिलेंस कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमे महजबीं नामक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को उसके माता–पिता की इच्छा के विरूद्ध एक मुस्लिम युवक से विवाह करने के कारण उसके पिता के इशारे पर पुलिस स्टेशन, भेलूपुर, जिला वाराणसी में अवैध रूप से कैद किया गया था। यह आरोप भी लगाया गया था कि पुलिस ने उसे अ0 दं0 सं0 की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था।

12.22 आयोग ने अपनी दिनांक 16 सितम्बर, 2011 की कार्यवाही के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया।

12.23 चूंकि निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, आयोग ने निर्धारित अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को अनुस्मारक जारी करने का निर्देश दिया, जिसके असफल होने पर आयोग पी एच आर ए 1993 की धारा 13 के तहत कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

6. मानव अधिकार पक्षकार पर हमले के बाद पुलिस की कथित निष्क्रियता (केस सं0 1988/18/27/2011)

12.24 शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि दिनांक 30 अगस्त, 2011 को कुछ बदमाशों द्वारा किसी तेजधार वाले हथियार से रवीन्द्रनाथ पांडा नामक एक मानव अधिकार पक्षकार पर हमला करके उसे घायल किया गया था। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था परंतु अभी भी सभी अपराधी स्वच्छंद हैं। यह आरोप भी लगाया गया था कि गांव करांदिया पटना के ऊंची जाति के परिवारों से संबंधित बदमाश, दलित पाना समुदाय के परिवारों को सता रहे थे तथा उनका शोषण कर रहे थे। अतः याचिकाकर्त्ता ने दलित परिवारों के मानव अधिकारों की संरक्षा करने तथा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, केन्द्रपाड़ा के विरूद्ध इस प्रकार के हनन की रोकथाम में लापरवाही के लिए आयोग से कार्रवाई करने का आग्रह किया।

12.25 आयोग के निर्देशों के अनुवर्तन में पुलिस उप महानिरीक्षक, कटक, ओड़िशा से एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें यह सूचित किया गया था कि कानून के अनुसार जांच की गई थी। रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को उसकी टिप्पणियों हेतु भिजवाई थी।

12.26 शिकायकर्त्ता से टिप्पणियाँ प्राप्त करके, आयोग ने मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, ओड़िशा सरकार को निदेश दिया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

12.27 ओड़िशा सरकार से अपेक्षित रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

7. पुलिस द्वारा कथित निष्क्रियता तथा धमकी दिया जाना
(केस सं0 11939/24/73/2010)

12.28 एक मानव अधिकार पक्षकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की शिकायत द्वारा सूचित किया था कि उसने गोपीगंज पुलिस स्टेशन, जिला संत रवि दासनगर, उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिसकर्मियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर आयोग ने केस (सं0 224/24/73/09–10) दर्ज किया था तथा संबद्ध जिला प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि अपर पुलिस अधीक्षक, संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश ने उसे बुलाया तथा उससे बयान वापस लेने को कहा। उसने यह आरोप भी लगाया था जब शिकायतकर्त्ता ने इंकार किया तो अपर पुलिस अधीक्षक, संत रविदास नगर ने उसके विरूद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करने की धमकी दी। शिकायतकर्त्ता को संदेह है कि अपर पुलिस अधीक्षक, संत रविदास नगर संभवतः उसे किसी फर्जी मामले में फंसा देगा अथवा फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर देगा।

12.29 मामले की विस्तृत जांच करने के बाद आयोग ने माना कि नंदलाल शुक्ला, नामक एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को रूचिता चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक छद्म शिकायत के आधार पर डराया तथा उत्पीड़ित किया गया था, क्योंकि उसने पुलिस कुव्यवस्था का खुलासा किया था। आयोग ने अपनी दिनांक 4 फरवरी, 2010 की कार्यवाही के द्वारा निदेश दिया कि पी एच आए ए की धारा 18 (क) (i) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करें तथा मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करें।

12.30 तद्नुसार आयोग द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न पीड़ित को मुआवजे की संस्तुति की जाए तथा एक छद्म शिकायत के आधार पर मानव अधिकार पक्षकार श्री नंदलाल शुक्ला को डराने तथा प्रताड़ित करने के लिए रूचिता चौधरी के विरूद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया। आयोग ने यह निदेश भी दिया कि इस बात की जांच करें की मामले में क्यों और कितनी बार पुलिस अधिकारियों को मुंबई भेजा गया था तथा तत्कालीन पुलिस महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी दिनांक 18 मार्च, 2010 का पत्र वास्तविक था अथवा नहीं।

12.31 नंदलाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

12.32 कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ था तथा यह आयोग के विचाराधीन है।

8. भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने पर मानव अधिकार पक्षकार पर तेजाब से हमला
(केस सं0 881/6/12/2011)

12.33 एक गैर सरकारी संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक श्री हेनरी तिपंग ने अपनी दिनांक 26 अगस्त, 2011 की शिकायत द्वारा आरोप लगाया था कि जयसुख बमभानिया नामक एक मानव अधिकार पक्षकार पर 21 अगस्त, 2011 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तलवार और रॉड जैसे हथियारों से हमला किया गया जिसके साथ तेजाब भी डाला गया क्योंकि उसने आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत अवैध रेस्टोरेंट के निर्माण तथा सड़क परिवहन कार्यालय द्वारा नकली लाइसेंस जारी करने के विषय में सूचना मांगी थी। शिकायतकर्त्ता ने उल्लेख किया था कि पीड़ित पर एक नेता द्वारा कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर हमला किया गया था तथा उसका शरीर गंभीर रूप से

जल गया जिसके कारण 27 टांके लगे। शिकायतकर्त्ता ने देश में आर.टी.आई. कार्यकर्त्ताओं की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

12.34 आयोग ने 5 सितम्बर, 2011 को निदेश दिया कि इस मामले में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, गुजरात सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

12.35 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, जूनागढ़, गुजरात ने अपने दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 के पत्र द्वारा सूचित किया कि उना पुलिस स्टेशन में अ0 सं0 134/2011 दिनांक 20 अगस्त, 2011 को भां0 दं0 सं0 की धारा 143/ 147/ 148/149 / 326/323 तथा गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 35 के तहत इन व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था –(1) हरवेश बावाभाई जेठुवा (2) विनोद प्रेमजी भाई सोलंकी (3) शामजी भाई प्रेमजी भाई सोलंकी (4) नानजी भाई पीठाभाई मकवाना (5) वशरामभाई सोलंकी तथा (6) भाईदास बाराइया। यह भी सूचित किया गया था कि यह मामला सी आई डी, अपराध एवं रेलवे, गुजरात राज्य, गांधीनगर को हस्तांतरित किया गया था।

12.36 आयोग ने 16 नवम्बर, 2011 को मामले पर विचार किया तथा मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, गुजरात सरकार को इस मामले की जांच के अंतिम निष्कर्ष 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

12.37 पुलिस अधीक्षक, जूनागढ़, गुजरात ने पत्र दिनांक 23, नवम्बर, 2011 के द्वारा सूचित किया कि उना पुलिस अ0 सं0 134/2011, भा0 दं0 सं0 की धारा 143/147/ 148/149/326/323 तथा मुबंई पुलिस अधिनियम की धारा 135 की जांच का कार्य 12 अक्टूबर, 2011 को सी आई डी, अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ, जूनागढ़ को हस्तांतरित किया गया था।

12.38 आयोग ने मामले पर विचार किया तथा पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक, जूनागढ़ को निदेश दिया कि 6 सप्ताह के भीतर अ0 सं0 134/2011, उना पुलिस स्टेशन की जांच के अंतिम परिणाम भेज दें। गुजरात सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

9. भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मानव अधिकार पक्षकार की कथित हत्या
(केस सं0 1529/34/0/2011)

12.39 झारखंड में मनाब ह्यूमन नामक गैर सरकारी संगठन के धारक शिकायतकर्त्ता से आरोप लगाया था कि नियामत अंसारी, एक मानव अधिकार पक्षकार की हत्या बदमाशों द्वारा उस समय कर दी थी, जब उसने आर टी आई अधिनियम के तहत् सूचना मांग कर भ्रष्टाचार का खुलासा करने का प्रयास किया। मृतक नियामत अंसारी का परिवार अब भुखमरी से जूझ रहा है। यह भी उल्लेख था कि भूकन सिंह नामक एक अन्य आर टी आई कार्यकर्त्ता तथा उसके परिवार को भी बदमाशों द्वारा पीड़ित किया जा रहा था तथा उस पर उस समय जानलेवा हमला किया गया जब उसने इस बात का खुलासा किया कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए आंबटित सरकारी धन के बहुत बड़े भाग का सरकारी अधिकारियों तथा बिचौलियों द्वारा गबन किया जा रहा था। शिकायतकर्त्ता ने आयोग से आग्रह किया कि इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा उचित कार्रवाई करे ताकि दोनों पीड़ितों तथा उनके परिवारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

12.40 आयोग ने मामले पर 24 नवम्बर, 2011 को विचार किया तथा निदेश दिया कि मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाए।

12.41 आयोग ने 24 फरवरी, 2012 को रिपोर्ट पर विचार किया तथा रिपोर्ट पर शिकायतकर्त्ता की टिप्पणियाँ प्राप्त करने का निदेश दिया।

10. आर. टी. आई. कार्यकर्त्ता पर हमले के बाद पुलिस की निष्क्रियता
(केस सं0 6029/30/1/2011)

12.42 शिकायतकर्त्ता ने 11 अक्टूबर, 2011 को ई–मेल द्वारा यह आरोप लगाया था कि आर. टी आई कार्यकर्त्ता शीबा फहमी तथा उसके पति पर उत्तेजित भीड़ द्वारा हमला किया गया, जो जामा मस्जिद, दिल्ली स्थित उनके घर/कार्यालय में जबरदस्ती घुस आए तथा बिजली के उपकरणों एवं अन्य उपकरणों को क्षति पहुंचाई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी परंतु उसने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। शिकायतकर्त्ता ने पीड़ितों पर हमला करने के लिए उन व्यक्तियों तथा कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस के विरूद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।

12.43 आयोग ने मामले पर 15 नवम्बर, 2011 को विचार किया तथा पुलिस आयुक्त, दिल्ली को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

12.44 आयोग ने इस मामले पर दोबारा 16 फरवरी, 2012 को विचार किया तथा संबंधित प्राधिकारी से रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अनुस्मारक जारी करने का निदेश दिया, ऐसा नहीं करने पर आयोग पी एच आर ए की धारा –13 के उपबंधों को लागू करने को बाध्य होगा।

11. बिहार में आर टी आई कार्यकर्त्ता एवं विसल ब्लोअर की हत्या
(केस सं0 2621/4/19/2011 एल एफ 2623/4/19/2011 एल एफ 2658/4/19/2011)

12.45 आयोग ने मामले में 14 दिसम्बर, 2011 को संज्ञान लिया जिसमे यह आरोप लगाया गया था कि 9 दिसम्बर, 2011 को रामविलास सिंह, एक आर टी आई कार्यकर्त्ता एवं विसलब्लोअर की बिहार के लखी सराय जिले में बवानगवां गावं में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। आयोग ने पुलिस अधीक्षक, लखीसराय, बिहार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

12.46 आयोग के निर्देशों के जवाब में पुलिस अधीक्षक, लखीसराय से दिनांक 16 जनवरी, 2012 की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि मृतक के पुत्र अभिषेख कुमार उर्फ सोनू के बयान के आधार पर लखीसराय पुलिस स्टेशन में भा0 दं0 सं0 की धारा 302/34 सहपठित शस्त्र अधिनियम की धारा 207 के तहत तीन अभियुक्तों एवं दो अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध 8 दिसम्बर, 2011 को एफ आई आर सं0 522/11 दर्ज की गई थी। एफ आई आर में यह आरोप था कि एक अभियुक्त राकेश सिंह उर्फ बमबम सिंह की पत्नी पंचायत का चुनाव हार गई थी तथा इस का बदला लेने के लिए बमबम सिंह तथा अन्य व्यक्तियों ने राम विलास सिंह की हत्या कर दी। भा0 दं0 सं0 की धारा 302/120बी/34 सहपठित शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत् आरोप पत्र सं0 6/12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 दर्ज किया गया था। अन्य अभियुक्त फरार थे तथा उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास जारी था।

12.47 आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2012 को रिपोर्ट पर विचार किया तथा पुलिस अधीक्षक, लखीसराय को एफ आई आर सं0 522/11 में जांच की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट 4 सप्ताह में प्रस्तुत करने का निदेश दिया

12.48 रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी तथा आयोग के विचाराधीन है।

12. भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मानव अधिकार पक्षकार को कथित धमकी दिया जाना (केस सं0 3017/18/2/2011)

12.49 एक गैर सरकारी संगठन– एलर्ट इंडिया का कार्यालय धारक शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि 18 अक्टूबर, 2011 को एक मानव अधिकार पक्षकार जिसका नाम गोपाल बंधु है, को श्री बीरेन्द्र त्रिपाठी, उप–मंडलीय अधिकारी, ग्रामीण कार्य, बोलनगीर द्वारा धमकी दी गई थी क्योंकि पीड़ित ने आर टी आई के माध्यम से तहसील कार्यालय में नव निर्मित भवन के विषय में उसका पर्दाफाश किया था। शिकायतकर्त्ता ने आग्रह किया था कि पीड़ित एवं उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में उचित कार्रवाई की जाए।

12.50 आयोग ने मामले में 14 दिसम्बर, 2011 को संज्ञान लिया तथा पुलिस महानिदेशक, ओड़िशा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

12.51 आयोग को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी तथा इसे शिकायतकर्त्ता के पास उसकी टिप्पणियों हेतु भेजा गया था।

अध्याय - 13

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के साथ सहयोग

13.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच (ए पी एफ) वर्ष 1996 में स्थापित एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक अग्रणी क्षेत्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह एक सदस्य– आधारित संगठन है जो इस क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को स्थापित करने तथा सुदृढ़ बनाने में सहयोग करता है। इसका लक्ष्य सदस्य संस्थानों के नेटवर्क के जरिये एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण एंव संवर्द्धन करना है। वार्षिक रिपोर्ट लिखने के समय, ए. पी. एफ. में 15 पूर्ण सदस्य थे तथा तीन सह–सदस्य थे। ये सदस्य क्षेत्र के देशों की व्यापक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.–भारत) इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ए. पी. एफ. का सदस्य बनने के लिए एशिया प्रशांत में कोई भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान आवेदन दे सकता है। सदस्यता देने का निर्णय ए. पी. एफ. के शासी निकाय की फोरम परिषद द्वारा लिया जाता है।

13.2 पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान को पेरिस सिद्धांतों[7] में दिए गए न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों का अवश्य अनुपालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फोरम ए पी एफ सदस्यता की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के अधिकृत निर्णयों को अंगीकृत करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, जो पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने वाले माने जाते है उन्हें 'ए दर्जा' दिया जाता है, जबकि इन सिद्धांतों का आंशिक रूप से पालन करने वालों को 'बी दर्जा' अधिकृत किया जाता है। 'ए दर्जा' वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को यू एन राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद तथा इसके अधीनस्थ निकायों के कार्यों एवं विचार–विमर्श में भाग लेने की अनुमति है।

13.3 ए. पी. एफ. की 16 वीं वार्षिक बैठक तथा द्विवार्षिक सम्मलेन 6 से 8 सितम्बर, 2011 को बैंकॉक, थाइलैंड में आयोजित की गई थी। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, सरकारों, सभ्य समाज संगठनों और यू एन अभिकरणों से लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, अध्यक्ष ने किया।

13.4 वर्ष 2011 के सम्मेलन में विकास का अधिकार के क्रियान्वयन में प्रगति एवं चुनौतियों पर फोकस था। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को संलिप्त करने वाली उत्तम प्रथा तथा उनके देशों में विकास का अधिकार संबंधी घोषणा के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग में उनकी भूमिका के उदाहरण प्रस्तुत किए। समानान्तर

---

[7] पेरिस सिद्धांत ('राष्ट्रीय संस्थानों की स्थिति एवं कार्यों से संबंधित सिद्धांत') प्रभावपूर्ण संचालन हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। सिद्धांत 6 मानक निर्धारित करता है जिनका राष्ट्रीय मानव संस्थानों को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने हेतु पालन करना चाहिए, इसमें शामिल हैं :– सावभौमिक मानव अधिकार मानकों पर आधारित स्पष्टतः व्याख्यायित एवं व्यापक अधिदेश; सरकार से स्वायत्तता; कानून अथवा संविधान द्वारा गारंटित स्वतंत्रता; बहुवादता इसमें ऐसी सदस्यता शामिल है जिसमें उनके समाज की व्यापक झलक मिलती हो; पर्याप्त संसाधन; तथा जांच करने की पर्याप्त शक्तियाँ।

चर्चाओं की श्रृंखला में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय गैर–सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों ने विविध संबंधित विषयों जैसे – मानव अधिकार पक्षकार तथा विकास का अधिकार; मीडिया की भूमिका तथा विकास; प्राकृतिक संसाधन तथा विकास, पर चर्चा की।

13.5 बैंकॉक में आयोजित 16 वीं वार्षिक बैठक तथा द्विवार्षिक सम्मेलन से पूर्व पुलिस उप–महानिरीक्षक (अन्वेषण अनुभाग) तथा निदेशक (पी. आर .पी. एंड पी. अनुभाग), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत ने 20 एवं 21 जून, 2011 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित 'जननीय अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका' संबंधी ए. पी. एफ.– यू. एन. एफ. पी. ए. क्षेत्रीय परामर्श में भाग लिया। क्षेत्रीय परामर्श का मुख्य उद्देश्य था जननीय अधिकारों के विषय में जानकारी एवं समझ का निर्माण करना, वे क्या हैं, इनका अंतरराष्ट्रीय कानून में किस प्रकार संरक्षण किया जाए तथा इन अधिकारों को बनाए रखने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्षेत्रीय परामर्श को ए. पी. एफ. तथा यू. एन. एफ. पी. ए. द्वारा सह–प्रायोजित एवं आयोजित किया गया तथा मलेशिया के मानव अधिकार आयोग द्वारा संचालित किया गया था।

13.6 ए. पी. एफ. द्वारा एक अन्य ऑन–लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 'उत्पीड़न रोकथाम' विषय पर एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर, जिनेवा के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 11 से 13 अगस्त, 2011 को किया गया था। एन एच आर सी भारत से चार मध्य स्तरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ऑन–लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने पर चार अधिकारियों ने 19 से 23 सितम्बर, 2011 को काठमांडू, नेपाल में ए. पी. एफ. द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया में राष्ट्रीय मानव संस्थानों हेतु उप–क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

13.7 ए. पी. एफ. ने राउल वालेनबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमेनेटेरियन लॉ तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत के सहयोग से ''ब्लैंडेड लर्निंग कोर्स ऑन नेशनल इंक्वायरीज़ फॉर एन एच आर आई इन साउथ एशिया'' का आयोजन किया। इस कोर्स का आयोजन 14–18 नवम्बर, 2011 को तिरूवनथपुरम, केरल में किया गया था। कोर्स में भारत सहित छः देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों से अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में एक माह तक चले ऑन–लाइन कोर्स की समाप्ति के बाद हिस्सा लिया।

13.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत एवं ए. पी. एफ. के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार एन एच आर सी –भारत ने वर्ष 2011–12 के लिए अपने वार्षिक सहयोग के रूप में ए पी एफ को एक लाख डॉलर की राशि दी।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति और मानव अधिकार परिषद के साथ संयोजन।

13.9 मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति विश्व के सभी भागों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निकाय है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को स्वतंत्र एवं प्रभावपूर्ण ढंग से स्थापित एवं सुदृढ़ करने में सहायता करना है, जो पैरिस सिद्धांतों में दिए गए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरे करें। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच साझा गतिविधियों एवं सहयोग को बढ़ावा देता है; यू. एन. तथा अन्य अंतराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है; जोखिम के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को सहायता देता है तथा जहां आग्रह किया जाता है, सरकारों को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता करता है।

13.10 ए पी एफ तथा इसके सदस्य संस्थान आई सी सी के कार्यों एवं मानव अधिकार पहलों के लिए लगातार महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। यह संगठन स्विस कानून के तहत् एक गैर–मुनाफा संगठन के रूप में संस्थापित है। मार्च 2009 में अंगीकृत आई सी सी का कानून इसके उद्देश्यों एवं कार्यों को निर्दिष्ट करता है।

13.11 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जो पैरिस सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करते है– तथा जिन्हें आई सी सी ब्यूरो द्वारा 'ए दर्जा' प्राप्त है – आई सी सी के सदस्यों का चुनाव करने तथा शासी स्थिति प्राप्त करने के पात्र होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, जो पैरिस सिद्धांतों का आंशिक रूप से पालन करते है तथा जिन्हें आई सी सी ब्यूरो द्वारा 'बी दर्जा' प्राप्त है– आई सी सी की बैठकों में भाग ले सकते हैं परंतु मतदान अथवा शासी स्थिति प्राप्त करने के पात्र नहीं होते।

13.12 आई सी सी ब्यूरो द्वारा आई सी सी के कार्यों का प्रबंधन किया जाता है, जिसमें चार क्षेत्रीय समूहों से प्रत्येक के प्रधिनिधि शामिल होते हैः अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप तथा एशिया प्रशांत। प्रत्येक क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व 'ए दर्जा' प्राप्त राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों से चयनित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। भारत, जॉर्डन, मलेशिया तथा न्यूज़ीलैंड द्वारा आई सी सी ब्यूरो के विषय में हाल ही में ए पी एफ ने प्रतिनिधित्व किया था।

13.13 आई सी सी ब्यूरो की मुख्य भूमिका आई सी सी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना है। इसके अलावा ये अधिकृत संबंधी उप–समिति से प्राप्त संस्तुतियों के अनुपालन में, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की समीक्षा एवं प्राधिकृत स्थिति निर्धारित करता है,

13.14 इसके अतिरिक्त आई सी सी ब्यूरो मानव अधिकारों हेतु उच्चायुक्त (ओ एच सी एच आर) के कार्यालय को यू एन मानव अधिकार परिषद में राष्ट्रीय मानव संस्थानों को सहभागिता की सुविधा देने के लिए, विशेषरूप से राष्ट्रीय संस्थानों एवं क्षेत्रीय तंत्र यूनिटों के साथ सहयोग करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान तथा ओ एच सी एच आर के क्षेत्रीय यंत्र यूनिट, आई सी सी के सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं। मानव अधिकार परिषद एवं इनके मानव अधिकार तंत्रों में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को समर्थन तथा सहभागिता की सुविधा देने के लिए जिनेवा में आई सी सी एक स्थाई प्रतिनिधि है।

13.15 आई सी सी बैठकें अधिकतर दो वर्षों में आयोजित की जाती हैं, पहली यू एन मानव अधिकार परिषद के पहले त्रैमासिक सत्र के सहयोग से तथा दूसरी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों में से एक के क्षेत्रीय नेटवर्क बैठको के साथ सहयोग से। द्विवार्षिक आई सी सी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के सहयोग में भी एक बैठक की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ–साथ यू एन अभिकरणों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा सभ्य समाज को भी शामिल करता है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच सहयोग सुदृढ़ करना, संबद्ध साझेदारों के मानव अधिकार विषयों पर चर्चा करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनुवर्तन सुनिश्चित करना है।

13.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत, जैसाकि ऊपर उल्लेख है, आई सी सी का एक सदस्य है। यह आई सी सी ब्यूरो के 16 चयनित सदस्यों में से एक है। इस प्रकार इसने आई सी सी की ब्यूरो बैठक, आई सी सी की वार्षिक बैठक (आई सी सी 24) तथा 16 से 20 मई, 2011 को जिनेवा में यू एन पलाइस डेस नेशन्स में मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु निवारण की भूमिका के विषय में कार्यशाला में भाग लिया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत से न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, श्री पी. सी. शर्मा, सदस्य तथा श्री जे. पी. मीणा, संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) ने इन बैठकों में भाग लिया।

13.17 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत से न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2011 को आयोजित आई सी सी ब्यूरो की बैठक तथा 11 से 13 अक्टूबर, 2011 को सियोल, कोरिया में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स से संबंधित एशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान सम्मेलन में भी भाग लिया था।

13.18 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत ने वर्ष 2011–12 के लिए सदस्यता शुल्क ने रूप में आई सी सी को 5000 स्विस फ्रैंक्स की राशि दी थी।

ग. द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा –यू एन मानव अधिकार परिषद के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत की प्रस्तुति

13.19 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत ने 25 नवम्बर, 2011 को यू एन मानव अधिकार परिषद को द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यू पी आर) संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यू पी आर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें प्रति चार वर्षों में सभी 193 यूनाइटेड नेशन्स सदस्य राज्यों के मानव अधिकार रिकार्डों की समीक्षा शामिल है। यू पी आर, मानव अधिकार परिषद की एक प्रासंगिक प्रक्रिया है। यह प्रत्येक राज्य को अवसर देता है कि वे घोषणा करें कि अपने देशों में मानव अधिकार स्थितियों को सुधारने तथा मानव अधिकर दायित्वों को पूरा करने के लिए वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आजकल इस प्रकार की कोई दूसरी पद्धति विद्यमान नहीं है।

13.20 यू पी आर की स्थापना तब की गई थी, जब 60/251 संकल्प में यू एन आम सभा द्वारा 15 मार्च, 2006 को मानव अधिकार परिषद का निर्माण किया गया था। परिषद को यह अधिदेशित करता है कि ''प्रत्येक राज्य द्वारा उसके मानव अधिकार दायित्वों तथा कर्त्तव्यों को इस तरीके से पूर्ण किया जाए, जिससे सभी राज्यों के संबंध में कवरेज तथा समान व्यवहार की सार्वभौमिकता सुनिश्चित हो, के उद्देश्यों तथा विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित सार्वभौमिक आवाधिक समीक्षा करें। 18 जून, 2007 को इसकी पहली बैठक होने के एक वर्ष बाद, नई परिषद के सदस्यों ने इसके इंस्टीट्यूशन–विल्डिंग पैकेज को 5/1 संकल्प द्वारा स्वीकार किया था। यह संकल्प, परिषद को भविष्य के कार्यों के लिए रोड़ मैप उपलब्ध कराता है। इस पैकेज का एक मुख्य अव्यव यू पी आर प्रक्रिया है।

13.21 यू पी आर का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक देश की मानव अधिकार दशाओं को सुधारना है। अतः यह जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण का तत्काल समर्थन तथा प्रसार करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यू पी आर प्रक्रिया में सभी सदस्य राज्यों के मानव अधिकार रिकॉर्डों का मूल्यांकन करना तथा जहां पर भी मानव अधिकारों का हनन होता है, से निपटना है। यू पी आर का यह उद्देश्य भी है कि राज्यों को तकनीकी सहायता मुहैया करवाएं जिसके द्वारा वे मानव अधिकारों की चुनौतियों पर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता का विस्तार करने के साथ–साथ राज्यों तथा अन्य पणधारियों के बीच उत्तम मानव अधिकार प्रथाओं को साझा कर सके।

13.22 प्रत्येक सदस्य राज्य की समीक्षा, परिषद के 47 सदस्यों को शामिल कर यू पी आर वर्किंग ग्रुप द्वारा आयोजित की जाती है। हालांकि समीक्षा किए गए राज्यों[8] के साथ चर्चा/विचार विमर्श में कोई भी यू एन सदस्य राज्य भाग ले सकता है। दस्तावेजों, जिन पर समीक्षाएं आधारित होती है, का संबंध – (i) समीक्षाधीन राज्य द्वारा

[8] प्रत्येक राज्य समीक्षा को तीन राज्यीय समूह, जिसे 'ट्रोइकस' कहा जाता है द्वारा सहायता की जाती है; जो संपर्ककर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक राज्य समीक्षा के लिए ट्रोइकस का चुनाव, प्रत्येक वर्किंग ग्रुप सत्र से पहले पर्ची डालने के माध्यम से किया जाता है।

उपलब्ध सूचना, जो ''राष्ट्रीय रिपोर्ट'' का रूप ले सकते हैं (ii) स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञों तथा समूहों की रिपोर्टों में दी गई सूचना, जिसे विशेष प्रक्रिया, मानव अधिकार संधि निकाय तथा अन्य यू एन अधिकृत के रूप में जाना जाता है (iii) अन्य पणधारियों से प्राप्त सूचना जिसमें गैर–सरकारी संगठन तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान शामिल हैं।

13.23. यू पी आर प्रक्रिया के भाग के रूप में, प्रथम चार–वर्षीय चक्र (2008–2011) के दौरान भारत की 10 अप्रैल 2008 को समीक्षा की गई थी। मानव अधिकार परिषद संकल्प 5/1 के अनुलग्नक के पैरा 15 (क) के अनुसार, भारत सरकार ने समीक्षा के उद्देश्यों से एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 'संस्थान निर्माण' संबंधी मानव अधिकार परिषद संकल्प 5/1 के अनुलग्नक का पैरा 15 (ग) उल्लेख करता है कि समीक्षा में परिषद द्वारा संगत पणधारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य अतिरिक्त एवं विश्वसनीय सूचनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार 'एन एच आर सी–इंडिया पेपर फॉर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू' शीर्षक से आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2008 में मानव अधिकारों संबंधी यू एन उच्चायुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अन्य संगत पणधारियों की रिपोर्टों के साथ विचार किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय रिपोर्ट के आधार पर वर्किंग ग्रुप ने 18 संस्तुतियां तैयार की।

13.24 यू पी आर का द्वितीय चक्र जून 2012 में प्रारंभ हुआ। यह समीक्षा अन्य बातों के साथ–साथ स्वीकृत संस्तुतियों तथा समीक्षाधीन सदस्य राज्य में मानव अधिकार दशा के विकास के क्रियान्वयन पर केंद्रित होगी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 5 क्षेत्रीय परामर्श तथा गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, अधिकारियों तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों (एस एच आर सी) के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया, जबकि इसके अधिदेश एवं कार्यों में इसे केन्द्र और राज्य सरकारों, जिनकी मानव अधिकार संबंधी प्रदर्शन का यह मूल्यांकन करता है तथा सिविल समाज जिससे अधिकतर गंभीर शिकायतें प्राप्त होती हैं, के साथ निरंतर संवाद करना शामिल है। यह इस कार्य को दो कारणों से करता है: भारत को विविधता देने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को लिया जा रहा है, तथा उन बिन्दुओं को केन्द्रित करना जिन पर यू पी आर ध्यान देगा। आयोग द्वारा यू एन राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद को दी गई रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट (www.nhrc.nic.in) में पोस्ट की गई है।

13.25 मोटे तौर पर कहा जाए तो जहाँ एक ओर बहुत सी कामयाबियां मिली हैं, वहीं अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जिसमें भारत सरकार के लिए प्रथम यू पी आर में दी गई 18 संस्तुतियाँ शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी ओर से इसे प्राप्त शिकायतों तथा स्वतः संज्ञान के आधार पर मानव अधिकारों की व्यापक श्रेणी को मॉनीटरिंग करता रहेगा। इसके द्वारा मॉनीटर किए गए विषय तथा इसके द्वारा तैयार की गई संस्तुतियों का प्रथम यू पी आर की संस्तुतियों के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा, जिससे समस्याओं के संकीर्ण समूह पर कार्य किया जाएगा। बहरहाल चूंकि द्वितीय यू पी आर सरकार के उन कार्यों का मूल्यांकन करेगा जिन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत ने यू एन ओ एच सी एच आर में फोकस किया गया है, जिन्हें यू एन नजर अंदाज नहीं कर सकता।

घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत द्वारा एन सी एच आर ऑफ रवांडा को दिया गया तकनीकी सहयोग

13.26 संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव आयोग तथा तकनीकी निदेशक, नेशनल इंफोरमेटिक सेन्टर (एन आई सी) ने किया। 19 से 30 सितम्बर, 2011 को नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स (एन सी एच आर), रवांडा का दौरा वहां पर शिकायत निपटान प्रणाली (सी एम एस) को स्थापित करने के लिए किया।

च. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत ने अंतरराष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया

13.27 वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग और इसके अधिकारियों ने निम्नलिखित बैठकों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया :–

13.28 नेपाल में 19 से 27 अप्रैल, 2011 को आयोजित इंटरनेशनल ह्यूमनटेरियन लॉ (आइ एच एल) संबंधी 18 वीं दक्षिण एशियाई टीचिंग सेशन में एक अधिकारी ने भाग लिया।

13.29 राष्ट्रीय मानव आयोग –भारत के सदस्य की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अन्य राष्ट्रीय आयोगों के सदस्य भी शामिल थे, ने 16 से 18 जून, 2011 को बाकू, अज़रबजान में आयोजित 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों तथा शरणार्थियों के सांस्कृतिक अधिकार : विधिक पहलू एवं क्रियान्वयन' विषय पर ओम्बड़समैन के नौवें अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन में भाग लिया।

13.30 डैनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा तैयार की गई तथा यू एन पापुलेशन फंड (यू एन एफ पी ए) द्वारा समर्थित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए उत्पादकता अधिकार विषय पर पुस्तिका को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) ने 27 एवं 28 सितम्बर, 2011 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित मान्यकरण कार्यशाला में भाग लिया।

13.31 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 17 से 21 अक्टूबर, 2011 को बैंकॉक, थाइलैंड में आयोजित प्रवासी मजदूरों के अधिकारों संबंधी क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया।

13.32 संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ने 24 एवं 25 अक्टूबर, 2011 को मैलबर्ग हाउस, लंदन, यूनाइडेट किंगडम में आयोजित राष्ट्रकुल सदस्य देशों के लिए सर्वाभौमिक आवधिक समीक्षा विषय पर सम्मलेन में भाग लिया।

13.33 संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) ने 22 एवं 23 फरवरी, 2012 को बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित 'राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों एवं संसदों के बीच संबंध' विषय पर विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन में भाग लिया।

छ. आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा

13.34 वर्ष 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत में निम्नलिखित व्यक्तियों/ प्रतिनिधिमंडलों ने दौरा किया :–

- मेक्सिको के राजदूत श्री जैमीनुआलार्ट तथा मेक्सिको के सेकेंड सेक्रेटरी श्री व्लादिमीर वगनेर ने 11 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत का दौरा किया तथा मानव अधिकारों की भूमिका तथा घरेलु व्यवस्थाओं में विधि के नियमों को सुदृढ़ करने के विषय में चर्चा की।

- अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन (ए आई एच आर सी) से एक प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान में विशेष हित के क्षेत्र से संबंधित यू एन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं तकनीकी सहायता से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 6 मई, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत का दौरा किया।

- बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, एक पूर्ण–कालिक सदस्य तथा 5 मानद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने 25 से 27 मई, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत का दौरा किया तथा सामान्य चिन्ताओं के विषय में, खासकर मानव अधिकार विषयों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत की भूमिका, कार्यों तथा गतिविधियों संबंधी सूचना के विषय में अपने विचारों का आदान–प्रदान किया।

- एशिया प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के दौरे के एक भाग के रूप में म्यांमार के लोगों पर किए जाने वाले मानव अधिकारों के अत्यधिक हनन के संबंध में म्यांमार में एक इन्क्वायरी कमीशन गठित करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए 30 अगस्त, 2011 को म्यांमार से मानव अधिकार कार्यकत्ताओं वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत का दौरा किया।

- इथियोपियाई मानव अधिकार आयोग से एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 22 से 23 सितम्बर, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत का दौरा अन्वेषण कौशल, मॉनीटरिंग तथा अनुसंधान विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया।

- चीन से एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें वकील, विधिक अनुसंधानकर्त्ता, शिक्षाविद् तथा प्रोफेसरों के साथ–साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री डी. के. बसु तथा डेनिश मानव अधिकार संस्थान, कोपेनहेगन से दो वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल थे, 22 अक्टूबर, 2011 को अध्ययन दौरे के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत का दौरा किया।

- 17 फरवरी, 2012 को यूरोपियन पार्लियामेंट की सदस्य सुश्री क्रिज़टीना मॉर्वल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत का दौरा किया।

अध्याय - 14

राज्य मानव अधिकार आयोग

14.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (पी एच आर ए) की धारा 21 सभी राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एस एच आर सी) के निर्माण का प्रावधान करती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ–साथ राज्य मानव अधिकार आयोगों के विद्यमान होने तथा कार्यों से निस्संदेह मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एव संवर्द्धन के कार्य में अत्यधिक लाभ होगा। अब यह सर्वविदित तथ्य है कि सुशासन तथा मानव अधिकार एक साथ चलते हैं। अतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के बीच गहन चर्चा को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ मानव अधिकारों के संरक्षण एवं सवर्द्धन के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा संयुक्त नीतियां बनाए जाने की स्वाभाविक आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानव आयोग तथा राज्य मानव आयोग के प्रयासों में न केवल समन्वय एवं कवरेज़ की आवश्यकता है बल्कि देश में मानव अधिकारों की संस्कृति बनाने के लिए पंचायतों एवं सभ्य सामाजिक संगठनों जैसे स्थानीय निकायों के बीच भी सामंजस्य बैठाने की आवश्कता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें अपने–अपने राज्य मानव अधिकार आयोगों को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित कदम उठाएं। मात्र राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन कर देने से ही अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, जब तक कि उन्हें उनके कार्य करने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती।

क. राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थिति

14.2 अब तक 21 राज्यों ने अपने राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है। इन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं – असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश में एक सचिव के अलावा; अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। सिक्किम सरकार से राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के साथ–साथ अध्यक्ष एवं सचिव की नियुक्ति की अधिसूचना के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है जिनके यहां राज्य मानव अधिकार आयोग या तो गठित नहीं हुए हैं अथवा पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुए हैं।

14.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक राज्य में एस एच आर सी के गठन का इच्छुक है ताकि इन राज्य के लोगों को आसानी से न्याय सुलभ हो क्योंकि एस एच आर सी राज्य सरकारों को उनके सांविधिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आयोग ने उन सभी राज्यों, जिन्होंने अभी तक एस एच आर सी का गठन नहीं किया है, से अनुरोध किया है कि वे मानव अधिकारों को बेहतर सरंक्षण एवं संवर्द्धन के हित में इसका गठन अति शीघ्र कर लें।

14.4 देश के मानव अधिकार परिदृश्य को सुधारने में भविष्य में सहयोग की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी ओर से राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित चर्चाएं एवं बैठकें करने की पहल की है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सामग्री तथा स्रोत व्यक्ति उपलब्ध करवाने में राज्य मानव अधिकार आयोग को सहायता करता है। इसके अतिरिक्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निपटान की दृष्टि से शिकायत निपटान प्रणाली को सरल एवं कारगार बनाने में मदद करता है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन राज्य मानव अधिकार आयोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

ख. एस एच आर सी के कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा समिति का गठन

14.5 राज्य मानव अधिकार अयोगों से संबंधित चिंता के मुख्य विषयों पर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा एस एच आर सी संबंधी समिति का गठन किया गया था। इसकी पहली बैठक 22 जुलाई, 2011 को आयोग में आयोजित की गई थी। इस बैठक में चिंता के तीन मुख्य विषयों पर विचार किया गया – एस एच आर सी की संरचना, मानव शक्ति तथा वित्तीय आवश्कताएं। समिति की संस्तुतियां निम्नलिखित हैं :–

(i) संरचना

14.6 प्रत्येक एस एच आर सी में संबद्ध राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम अनिवार्य संरचनागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिनमें शमिल हैं :– एक स्वतंत्र भवन; जिसमें वर्तमान के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थान हो; यह केन्द्र में स्थित होना चाहिए तथा सार्वजनिक परिवहन द्वारा भली–भांति जुड़ा हो; लोगों के लिए आसानी से सुलभ हो तथा अशक्तता–अनुकूल हो, जिसमें अशक्त व्यक्तियों की सुविधा हेतु आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले रैम्प, लिफ्ट तथा अन्य सुविधाएं हों।

14.7 पी एच आर ए के अंतर्गत इसके अधिदेश के अनुसार प्रभावशाली कार्य करने के लिए प्रत्येक एस एच आ सी में समान न्यूनतम संस्थागत ढांचा जैसे प्रशासन अनुभाग, विधि अनुभाग, अन्वेषण अनुभाग तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अनुभाग होने चाहिए।

(ii) मानव शक्ति

14.8 उपरोक्त चारों अनुभागों में से प्रत्येक के लिए सभी एस एच आर सी में बुनियादी, मानकीकृत, न्यूनतम स्टाफ संरचना होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पी एच आर ए राज्य सरकार के लिए सचिव के पद का प्रावधान करता है, जो राज्य आयोग का सचिव होना चाहिए इसके अलावा, इसमें एक संयुक्त सचिव, अवर सचिव (2), अनुभाग अधिकारी (3), सहायक (8), एम टी एस (8), आशुलिपिक (3) तथा संयुक्त सचिव के एक निजी सचिव का पद होना चाहिए। लेखा अनुभाग अवश्य ही प्रशासन अनुभाग का ही हिस्सा होना चाहिए तथा इसमे एक वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाकार (2) तथा एम टी एस (2) होने चाहिए। अनुकूलता के अनुसार विधि अनुभाग में एक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार (2), सहायक रजिस्ट्रार (4), सहायक (8), एम टी एस (8) तथा आशुलिपिक (7) होने चाहिए। अन्वेषण अनुभाग का मुखिया ऐसा अधिकारी होना चाहिए। जो पुलिस महानिदेशक से नीचे की श्रेणी का नहीं हो। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक (2), पुलिस उपाधीक्षक (4), निरीक्षक (8), पुलिस कांस्टेबल (16),

आशुलिपिक (3) तथा एम टी एस (4) होने चाहिए। प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अनुभाग का मुखिया एक संयुक्त सचिव होना चाहिए, वरिष्ठ अनुसांधन अधिकारी (2), अनुसांधन अधिकारी (4), सहायक (8), एम टी एस (8) तथा आशुलिपिक (3) होने चाहिए। लाइब्रेरी में एक लाइबेरियन, एक सहायक लाइब्रेरियन तथा एम टी एस (2) होने चाहिए तथा इसे प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अनुभाग का हिस्सा होना चाहिए।

(iii) वित्तीय आवश्यकताएँ

14.9 राज्य सरकार को एस एच आर सी के सभी पदों, जिसमें महंगाई भत्ता आदि में वार्षिक बढ़ोतरी होने का प्रावधान है, के लिए कुल वेतन पर होने वाले व्यय को मिलाकर वित्तीय आबंटन तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पी एच आ ए की धारा 12 के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु एस एच आर सी को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एस एस आर सी के लिए वेतन लागत के बराबर राशि दी जानी चाहिए।

ग. एन एच आर सी तथा एस एच आर सी के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रम

14.10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव आयोग ने पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा असम के एस एच आर सी की साझेदारी में चार क्षेत्रीय परामर्शों का आयोजन किया जिसका उद्देश्य था, देश में विद्यमान मानव अधिकार दशाओं के विषय में तथा में, भारत के द्वितीय यू पी आर के लिए इसे अंतिम रूप देने और भारत द्वारा यू न मानव अधिकार परिषद के समक्ष इसके पेपर प्रस्तुत करने से पहले इसकी अनुवर्ती कार्रवाई की प्रगति के विषय में उनसे ज्ञात प्रक्रिया में सभी संगत पणधारियों के साथ एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया विकसित करना था। आयोग ने इसके द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित अन्य राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में भी भाग लेने के लिए एस एच आर सी को आमंत्रित किया।

अध्याय - 15

अन्य तंत्र

क. विशेष संपर्ककर्त्ता

15.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अधिदेशित दायित्वों के निष्पादन में सहायता देने करने के लिए विशेष संपर्ककर्त्ता की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट लिखने की अवधि के दौरान यह व्यवस्था जारी थी। विशेष संपर्ककर्त्ता वे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो सेवानिवृति से पूर्व, भारत सरकार में सचिव अथवा पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे अथवा जिन्होंने मानव अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में अनुकरणीय सेवाएं दी हों। इन्हें बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, हिरासतीय न्याय, अशक्तता आदि जैसे विशेष विषयों पर कार्य सौंपा जाता है अथवा मानव अधिकार एवं उनके हनन से संबंधित विषयों पर कार्य करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के समूह वाले जोऩ का कार्य सौंपा जाता है।

15.2 वर्ष 2011–2012 के दौरान श्री दामोदर षडंगी, विशेष संपर्ककर्त्ता, पूर्वी जोन–I ने 19 से 22 जून, 2011 को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में दमदम केन्द्रीय सुधार गृह का दौरा किया। उनके दौरे की रिपोर्ट को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट – www.nhrc.nic.in पर 'रिपोर्ट्स' शीर्षक के अंतर्गत पोस्ट किया गया है। इसी प्रकार अशक्तता संबंधी विशेष संपर्ककर्त्ता श्री पी. के. पिंचा ने "अशक्ततायुक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995" के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु 25–28 मई, 2011 को गुजरात तथा 17–20 अगस्त, 2011 को ओड़िशा राज्यों का दौरा किया। उनके दौरों की विस्तृत रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट – www. nhrc.nic.in में 'रिपोट्स' शीर्षक के अंतर्गत पोस्ट की गई हैं।

15.3 इसी प्रकार डॉ0 एल. मिश्रा विशेष संपर्ककर्त्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 4 से 5 जुलाई, 2011 को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, एस सी बी मेडिकल कॉलेज, कटक के कार्यों की समीक्षा हेतु दौरा किया। इनके दौरा रिपोर्ट की प्रति संस्तुतियों सहित राज्य सरकार को आयोग के निर्देशों पर अग्रेषित की गई थी।

ख. कोर एवं विशेषज्ञ समूह

15.4 कोर एवं विशेषज्ञ समूह मानव अधिकारों के विभिन्न विषयों पर कार्यरत् वे प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा निकायों के प्रतिनिधि होते हैं जो स्वेच्छा से मानव क्षमता के अंतर्गत इस प्रकार के समूहों के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। ये समूह आयोग को विशेषज्ञ राय देते हैं। आयोग में वर्तमान में कार्यरत् कुछ महत्वपूर्ण कोर एवं विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित हैं :–

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह

- अशक्तता संबंधी कोर समूह
- गैर–सरकारी संगठनों का कोर समूह
- विधिक विषयों संबंधी कोर समूह
- भोजन का अधिकार संबंधी कोर समूह
- वृद्धजनों के अधिकारों संबंधी कोर समूह
- सिलिकॉसिस संबंधी विशेषज्ञ समूह

15.5 उपरोक्त कोर एवं विशेषज्ञ समूहों में से कुछ समूहों द्वारा की गई बैठकों का विवरण संबंधित मानव अधिकार विषय के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के पूर्वगामी अध्यायों में दिया गया है। इन विवरणों को भी आयोग की वेबसाइट www. nhrc.nic.in में 'कोर समूह' शीर्षक के अंतर्गत देखा जा सकता है।

ग. गैर–सरकारी संगठन

15.6 पी एच आर ए, 1993 की धारा 12 (i) यथासंशोधित 2006, के अनुपालन में अपनी स्थापना के समय से ही आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों तथा सभ्य सामाजिक संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करता आ रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विश्वसनीय एन जी ओ एवं सभ्य समाज संगठनों के सहयोग से अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जिसमे मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। आयोग का यह स्पष्ट मत है कि मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के कार्य को आयोग, गैर सरकारी संगठनों एवं सिविल सामाजिक संगठनों के बीच पूर्ण सहयोग के बिना गति नहीं मिल सकती। आयोग इनका अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों तथा ईमानदार आलोचकों के रूप में सम्मान करता है। आयोग और गैर सरकारी संगठनों, दोनों ही के लिए यह सहयोग आपसी समझ एवं देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में एक साथ कार्य करने की उनकी क्षमता निर्माण करने में बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ है। आयोग द्वारा नियुक्ति विशेष संपर्ककर्त्ताओं के साथ गैर सरकारी संगठनों ने इसकी सोच एवं पहुंच को बढ़ाकर आयोग के प्रयासों में 'गुणात्मक प्रभाव' डाला है।

15.7 गैर सरकारी संगठनों तथा सभ्य समाज संगठनों के साथ चर्चा को सुगम बनाने की दिशा में आयोग ने जुलाई 2001 को कोर समूह का गठन किया। कोर समूह का पुनर्गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था इसके पश्चात् क्रमशः नवम्बर 2006, अगस्त 2008 तथा सितम्बर 2008 में इसमें कुछ नए सदस्य शामिल किए गए थे। कोर समूह के सदस्य मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से कार्यरत् अग्रणी गैर सरकारी संगठनों एंव सिविल समाज संगठनों के प्रतिनिधि हैं। गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह का पुनर्गठन 16 सितम्बर, 2011 को 11 सदस्यों सहित किया गया था।

15.8 समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 10 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह की एक बैठक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोजित की थी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि आयोग पी एच आर ए के उपबंधों के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में एक नवीन फोकस के साथ अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित तथा रचनात्मक आलोचना के लिए तैयार था।

15.9 कोर समूह के सदस्यों ने आयोग द्वारा किए गए कार्यों की सहारना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत वास्तव में विश्व में एक मात्र संस्थान है जो मानव अधिकारों के हनन के पीड़ितों के लिए अधिक वित्तीय राहत की संस्तुति कर रहा था तथा लोक प्राधिकारियों द्वारा इसकी संस्तुतियों का अनुपालन भी बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा था। इस उपलब्धि को उचित रूप से दर्शाए जाने की आवश्यकता है। मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं तथा उनकी जागरूकता से संबंधित अनेक विषयों जैसे एस एच आर सी को सुदृढ़ बनाना, शिकायत सुधार प्रणाली, मणिपुर की कार्यकर्त्ता सुश्री इरोम–चानु शर्मिला की भूख हड़ताल, उत्पीड़न के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास का अधिकार तथा अशक्ततायुक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी यू एन अभिसमय, अनुवंशानुगत एवं जातिगत बाधाएं, अस्पृश्यता, बच्चों की समान देखरेख का अधिकार, भारत सरकार द्वारा उत्पीड़न के विरूद्ध यू एन अभिसमय का संशोधन तथा स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर बैठक के दौरान चर्चा की गई थी।

ध. ए आई एन एन आई रिपोर्ट के मीडिया प्रकाशन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत का वक्तव्य

15.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत को यह जानकर दुख हुआ कि ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ एन जी ओ एंड इंडिवीजुअल (ए आई एन एन आई) के बैनर तले किसी गलत धारणा के चलते राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत जैसे राष्ट्रीय संस्थान, जिसे मानव अधिकार संगठन के रूप में विश्वनीयता के लिए ''ए'' स्तर की मान्यता प्रात है, दुनिया की नजरों में देश के नामी संस्थान को नीचा दिखाने के लिए मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति से उसे कमतर आंकने को कहा गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली स्वायत्त एवं स्वतंत्र सांविधिक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों में से एक है तथा इसे वैशिविक स्तर पर मान्यता भी प्राप्त है। इस तथ्य को जानने के बावजूद भी यह प्रचार किया गया

15.11 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत के विषय में इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार गई रिपोर्ट को नई दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा मुम्बई में न्यायमूर्ति श्री एच. सुरेश, सेवानिवृत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया तथा इसे मीडिया के सेक्शन में इस प्रकार दिया गया था जो कि तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत करता है। आयोग को यह जानकर निराशा हुई कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत संबंधी रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ स्वयं को जोड़ा, जो उनके कार्यकाल के साथ–साथ मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कुछ अधिक नहीं किए जाने की आलोचना करता है।

15.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (i) के उपबंधों के अनुरूप कार्य करने में लगा है तथा महत्वपूर्ण मानव अधिकार विषयों पर न केवल जागरूकता उत्पन्न करने बल्कि मानव अधिकार परिदृश्य का आकलन करने में भी एन जी ओ के साथ आवधिक परामर्श करने के लिए इसके पास तंत्र भी है। आयोग गैर–सरकारी संगठनों के कोर समूह के सदस्यों के साथ बैठक करने में अत्यधिक शीघ्रता दिखाता है, जबकि उनकी ओर से उत्साहजनक उत्तर नहीं मिलता। आयोग ने उन मानव अधिकार पक्षकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें सभ्य समाज के सक्रिय सदस्य शामिल हैं तथा आयोग के भीतर उनके लिए फोकल प्वाइंट का गठन किया।

15.13 यह हैरानी की बात है कि ए आई एन एन आई के पीछे तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत की आलोचना करने वाले कुछ लोग इसके एन जी ओ कोर समूह के सदस्य भी है। उन्हें लगातार राष्ट्रीय मानव अधिकार कार्य योजना, जिस पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत कार्य कर रहा है, के विकास के लिए योगदान देने का आग्रह किया गया, परंतु उनमे से किसी ने भी कोई सकारात्मक योगदान नहीं दिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत की ओर से अनेक अवसरों पर निमंत्रण देने के बावजूद ये गैर–सरकारी संगठन अनेक महत्वपूर्ण मानव अधिकार विषयों से संबंधित राष्ट्र स्तरीय, सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं परामर्शों में शामिल नहीं हुए। यह दर्शाता है कि उन्हें केवल जनता की समझ तथा इसके प्रति विश्वास को विकृत करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की आलोचना करने में दिलचस्पी है।

15.14 वर्ष 1993 में अपनी स्थापना से पिछले 17 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –भारत मानव अधिकारों के मामलों में इसके हस्तक्षेपों, संस्तुतियों तथा मानव अधिकारों के हनन के मामलों में सक्रिय सोच के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभर कर आया है। इस तथ्य को अंतरराष्ट्रीय निकायों, जिसमें आई सी सी भी शामिल है, ने मान्यता दी जिसने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत को ''ए'' दर्जा प्राधिकृत किया। सुश्री नवनीतम पिल्लै, मानव अधिकारों संबंधी यू एन उच्चायुक्त ने अपने हाल ही के भारत दौरे में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत की इसके कार्यों के लिए सराहना की।

15.15 आयोग को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं स्कूलों तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में भी मानव अधिकार शिक्षा को शामिल करने में सफलता प्राप्त हुई है। यह एक सत्त प्रयास है, जिसका जो़रदार ढंग से तथा दृढ़ता के साथ अनुसरण किया जा रहा है।

15.16 मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी होने से यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत के कार्यों तथा लोगों का इस पर विश्वास के विषय में जागरूकता बढ़ रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत द्वारा तैयार अधिकांश संस्तुतियों का क्रियान्वयन लोकप्राधिकारियों द्वारा किया गया। बंधुआ एवं बाल मजदूरी, उत्पीड़न, नार्को–एनालेसिस, मानसिक स्वास्थ्य, सिर पर मैला ढोना, सिलिकॉसिस, एंडोसन्फान, शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के अधिकार, दंगों अथवा औद्योगिकरण के कारण लोगों का विस्थापन, मुठभेड़ एवं हिसासतीय मौतों आदि विषयों से संबंधित इसकी संस्तुतियों ने एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयोग की संस्तुतियों पर ही ओड़िशा सरकार ने सदियों से चली आ रही 'बरतन' प्रथा, जो बंधुआ मजदूरी का ही एक रूप है, को हाल ही में समाप्त किया।

15.17 आयोग ने वर्ष 2010 –11 के दौरान कैम्प सिटिंग की व्यवस्था को भी जारी रखा तथा लंबे समय के लंबित मामलों के स्थल पर जाकर निपटान हेतु दो बैठकें दक्षिणी राज्यों के लिए बैंगलुरू, कर्नाटक तथा भुवनेश्वर, ओड़िशा में आयोजित की थी।

15.18 वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग ने 87,568 मामलों का निपटान किया जिनमे से 19,86,55,500/– रु0 की राशि के वित्तीय राहत के 583 मामलों में मृतकों के लिए निकटतम रिश्तेदारों के लिए संस्तुति की गई थी। वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग ने 85,587 मामलों का निपटान किया जिनमे से 398 मामलों में पीड़ितों के निकटतम रिश्तेदारों के भुगतान हेतु 6,29,33000/– रू0 की राशि की संस्तुति की गई थी। वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोग ने 1,03,996 मामलों का निपटान किया जिनमे से 373 मामलों में पीड़ितों अथवा मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को 5,02,49,000/– रु0 की राशि की वित्तीय राहत की संस्तुति की गई थी।

15.19 आयोग राज्यों को मानव अधिकार आयोगों की स्थापना हेतु राजी करने को प्रयासरत् है तथा 20 राज्यों ने अपने राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है। आयोग संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा इसको प्रदत्त अधिदेश एवं शक्तियों के अनुसार कार्य करता है। हालांकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, इस भ्रांति को दूर करते हुए आयोग ने पहली बार हाल ही में अधिनियम की एक स्पष्ट व्याख्या की है जिसमे इस बात का वर्णन है कि मानव अधिकारों के सरंक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य में सुशासन हेतु मदद करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत की एक भूमिका है तथा इसी संदर्भ में जम्मू एवं कश्मीर राज्य भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

15.20 आयोग यू एन सी आर पी डी की स्वीकृति के साथ अशक्त व्यक्तियों के लिए नए अधिनियम को लाने के लिए सरकार को राजी करने के लिए प्रयास कर रहा है।

अध्याय - 16

प्रशासन एवं संभारकीय सहयोग

क. स्टाफ

16.1 31 मार्च, 2012 तक सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल स्वीकृत क्षमता 343 के विपरीत 301 कार्मिक पदासीन थे। पिछले वर्षों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कार्मिकों ˙ के चयन तथा अपना स्वयं का कैडर निर्मित एवं विकसित करने के लिए अनेक तरीकों का सहारा लिया। इन तरीकों में सीधी भर्ती, पुनः नियोजन, प्रतिनियुक्ति तथा अनुबंधात्मक नियुक्तियाँ शामिल हैं।

ख. राजभाषा का प्रयोग

16.2 आयोग के राजभाषा अनुभाग को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जारी परिपत्रों, नोटिसों के अलावा आयोग की मासिक न्यूजलेटर, वार्षिक रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट, बजट दस्तावेजों, आर टी आई आवेदनों, प्रकाशनों के अनुवाद का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त आयोग का हिन्दी अनुभाग राजभाषा हिंदी के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य गतिविधियों को भी संचालित कर रहा है।

16.3 आम–जनमानस के बीच मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के अपने प्रयासों की दिशा में आयोग भारत के विभिन्न भागों में हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित करता आ रहा है। इस क्रम में दो–दिवसीय अवधि वाली तीन राष्ट्रीय संगोष्ठियां क्रमशः मैसूर, कोलकाता तथा तेजपुर में क्रमशः 03–04 अक्टूबर, 26–27 दिसम्बर, 2011 तथा 12–13 मार्च, 2012 को आयोजित की गई। मैसूर में आयोजित संगोष्ठी का विषय ''सुशासन, मानव अधिकार एवं न्यायपालिका,'' कोलकाता में आयोजित संगोष्ठी का विषय ''विकास, मानव अधिकार एवं कार्यपालिका'' तथा तेजपुर में आयोजित संगोष्ठी का विषय ''शिक्षा, समाज एवं मानव अधिकार'' था। इन संगोष्ठियों में प्रसिद्ध व्यक्तियों, शिक्षाविदों, राज्य सरकार के अधिकारियों, एस एच आर सी तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा आयोग में इसके दैनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुभाग ने 1 से 14 सितम्बर, 2011 को वार्षिक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया । आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से वाद–विवाद, प्रश्नमंच, निबंध प्रतियोगिता तथा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया गया।

16.4 साथ ही अनुभाग इन मानव अधिकारों पर हिंदी में द्विवार्षिक पुरस्कार योजना भी प्रारंभ की गई है। योजना का प्रमुख उद्देश्य मानव अधिकारों के विभिन्न विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत 14 सितम्बर, 2011 को मानव अधिकारों पर हिंदी में, मौलिक पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए वर्ष 2008–09 हेतु 6 लेखकों को पुरस्कार दिए गए थे। साथ ही, अन्य भारतीय भाषा से हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवादक को पुरस्कार दिया गया।

16.5 प्रतिवर्ष मानव अधिकार 'नई दिशाएं' नामक एक हिंदी जर्नल को प्रकाशित करने का दायित्व अनुभाग का है। अनुभाग द्वारा तैयार किया गया हिंदी जर्नल का 8 वां अंक 10 दिसम्बर, 2011 को लोकार्पित किया गया।

ग. एन एच आर सी लाइब्रेरी

16.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 1994 में प्रारंभ में अनुसंधान को मदद करने तथा आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों के लिए संदर्भ हेतु आधार प्रदान करने के लिए की गई थी। समय बीतने के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विशेषीकृत डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का निर्माण करके अपनी लाइब्रेरी को उन्नत बनाया। यह केंद्र कम्प्यूटर एवं इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से सूचना प्राप्त करने तथा उन्हें ढूंढने में सहायता करता है। पाठकों के व्यापक उपयोग हेतु INTERNET एवं INTRANET पर पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के बढ़िया संग्रहण के कारण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत् छात्रों, शोधकर्त्ताओं तथा अन्य पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय है।

16.7 लाइब्रेरी में लगभग 21,030 पुस्तकों तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नलों के अंक हैं। इसमें 341 सीडी, डीवीडी तथा कैसेटों का भी संग्रह है। यह 53 जर्नल, 105 श्रृंखला प्रकाशन, 32 पत्रिकाएं तथा 23 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचारपत्र मंगवाता है। अतः लाइब्रेरी में मानव अधिकारों तथा संबंधित विषयों के व्यापक पहलुओं को शामिल करने वाली पुस्तकों एवं दस्तावेजों का व्यापक संग्रह मौजूद है।

16.8 वर्ष 2011–12 के दौरान लाइब्रेरी के संग्रह में मानव अधिकारों से संबंधित कुल 812 पुस्तकों को शामिल किया गया था। नई प्रविष्टयों में विभिन्न विषयों की व्यापक श्रृंखला है जिसमे मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, आंतकवाद, उत्पीड़न, जननीय अधिकार, अदिवासी एवं दलित, गरीबी, विस्थापित व्यक्ति एवं उनका पुनर्वास तथा अन्य संबंधित विषय शामिल हैं।

16.9 लाइब्रेरी एस सी सी ऑनलाइन (केन्द्रीय विधेयक सहित) उच्चतम न्यायालय केस फाइंडर सीडी– रोम, 1950 से 2011 तक के उच्चतम न्यायालय मामले ए आई आर इन्फोटेक; 1950–2011 तक ए आई आर उच्च न्यायालय मामले; 1914–1950 तक ए आई आर प्राइवी काउसिंल तथा 1950–2011 क्रिमिनल लॉ जर्नल से सुसज्जित है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी नेशनल इंफॉरमेटिक सेन्टर (एन आई सी) नई दिल्ली द्वारा विकसित लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज (ई–ग्रन्थालय) से सुसज्जित है।

16.10 ई–ग्रन्थालय ओपन पब्लिक एक्सेस कैटालॉगिंग का डिज़ाइन विशेष रूप से 'लेखक, विषय, शीर्षक, कीवर्ड तथा प्रकाशक' के आधार पर पुनः जानकारी प्राप्ति हेतु पहुंचने के माध्यम से लाइब्रेरी में किसी भी उपलब्ध पुस्तक अथवा दस्तावेज की उपलब्धता एवं स्थिति का शीघ्रता से पता लगाने के लिए तैयार किया गया है।

16.11 यह लाइब्रेरी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी तथा DELNET (डेवेलपईंग लाइब्रेरी नेटवर्क, नई दिल्ली) का एक संस्थान सदस्य है जो लाइब्रेरियों के बीच स्रोत साझा करने की सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी की अंतर–लाइब्रेरी ऋण सुविधा, जिसके द्वारा पुस्तकें, दस्तावेज तथा जर्नल उधार लिए जा सकते हैं, के माध्यम से अन्य लाइब्रेरियों के साथ सहयोग करती है।

16.12 लाइब्रेरी द्वारा वर्ष 2007–08 में 'करंट कंट्ेटस' नाम से नई 'इन्डेक्सिंग सेवा' की शुरूआत की गई थी। यह लाइब्रेरी में प्राप्त जर्नलों के आलेखों का विवरण देता है। लाइब्रेरी में 'DOCLIB' साफ्टवेयर का प्रयोग भी किया

जाता है। इस साफ्टवेयर के इस्तेमाल से समाज विज्ञान तथा मानव अधिकारों से संबंधित विषयों पर प्रकाशित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा लाइब्रेरी में आने वाले अन्य व्यक्तियों को सहायता मिलती है।

16.13 लाइब्रेरी में अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं, केन्द्र/राज्य कानूनों, न्यायिक मामलों (उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित मामले तथा समय–समय पर इसके द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों को शामिल कर बिबलियोग्राफी सेवा शुरू की गई थी। बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, अशक्तता, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर अपराध, प्रवासी मजदूर, सिर पर मैला ढ़ोना, वृद्धा जन, जेलें तथा कैदी, शरणार्थी, भोजन का अधिकार, विकास का अधिकार, आतंवाद, उत्पीड़न, महिलाओं एव बच्चों का अवैध व्यापार तथा मानव अंगों का प्रत्यारोपण संबंधी बिवलियोग्राफी को तैयार कर आयोग के वेबपेज (http:www.nhrc.nic.in) पर संबंधित लिंक सहित पाठकों के लिए पोस्ट किया गया है।

घ. सूचना का अधिकार

16.14 वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास आर टी आई के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संस्थागत प्रबंध है। आर टी आई अधिनियम के तहत आयोग के सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, जनसूचना अधिकारी हैं तथा संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं।

16.15 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान आर टी आई के तहत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है :–

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	2470
2.	30 दिनों के भीतर निपटाए गए आवेदनों की संख्या	2431
3.	लंबित परंतु एक महीने के बाद निपटाए गए आवेदनों की संख्या	....
4.	लंबित किंतु एक महीने के भीतर आवेदनों की संख्या	39
5.	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को हस्तांतरित आवेदन	175

पहली अपील का विवरण

1.	अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त द्वारा अपीलों की संख्या	112
2.	एक महीने के भीतर निपटाई गई इस प्रकार की अपीलों की संख्या	112
3.	लंबित अपीलों की संख्या	....

सी आई सी के पास दूसरी अपीलों का विवरण

1.	सी आई सी से प्राप्त नोटिसों की संख्या	03
2.	सी पी आई ओ/अपीलीय अधिकारी द्वारा भाग ली गई सुनवाइयों की सं0	03
3.	सी आई सी को प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाइयों की सं0	03
4.	उन सुनवाइयों की संख्या जिनके विषय में सी आई सी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई	शून्य

अध्याय - 17

महत्वपूर्ण संस्तुतियों एवं टिप्पणियों का सार

17.1 दिनांक 12 अक्टूबर, 1993 को अपने स्थापना दिवस से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार का ध्यान सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण तथा संवर्धन करने पर केन्द्रित है। इन सभी मामलों के संबंध में आयोग, देश में कहीं पर भी हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास कर रहा है। शिकायतों की संख्या में बड़ी मात्रा में हो रही वृद्धि लोगों के बीच में मानव अधिकारों के बारे में बढ़ रही जागरुकता तथा आयोग के प्रति उनके विश्वास को दर्शाती है। **(पैरा 1.6)**

17.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक राष्ट्रीय संस्थान के रुप में इन सभी अधिकारों तथा संबंधित चुनौतियों के विषय में कार्य करना जारी रखा। आने वाले अध्यायों में इन सभी मामलों पर आयोग के विचारों एवं कार्रवाईयों की विस्तृत चर्चा की गई है। इन अध्यायों में अन्य बातों के साथ–साथ आतंकवाद एवं उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों की सुरक्षा; हिरासतीय हिंसा तथा अभिरक्षा में मौत सहित प्रताड़ना तथा 'मुठभेड़'; और कारागारों की स्थिति सहित विविध सिविल स्वतंत्रताओं पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य के अधिकार; खाने–पीने के अधिकार; शिक्षा के अधिकार; अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकार तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के अधिकार; महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार; वृद्धों के अधिकार, पर्यावरण संबंधी अधिकार; मानव अधिकार जागरुकता तथा साक्षरता सृजित करने के प्रयास; तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में मानव अधिकारों के प्रतिरक्षकों पर भी प्रकाश डाला गया है। चालू वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित ऐसा प्रत्येक मुद्दा जिस पर कार्रवाई की गई है, में आयोग को अधिनिर्णयन के लिए रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार उल्लंघन के मामले शामिल हैं। **(पैरा 1.7)**

शिकायतों की संख्या तथा प्रकृति

17.3 विगत की तरह इस बार भी आयोग को देश के विभिन्न भागों से मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में कथित हिरासतीय मौतों, प्रताड़ना, जाली मुठभेड़, पुलिस की ज्यादती, सुरक्षा बलों द्वारा किया गया उल्लंघन, कारावास संबंधी परिस्थितियां, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचार, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, लोक प्राधिकारियों की लापरवाही आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। आयोग, प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टों तथा अध्यक्ष, सदस्यों एवं विशेष संपर्ककर्ताओं द्वारा किए गए दौरों के दौरान, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कई घटनाओं को स्वतः संज्ञान में लेता है। **(पैरा 2.4)**

मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

17.4 वर्ष 2011–2012 के दौरान आयोग में 95,174 मामले पंजीकृत किए गए (अनुलग्नक 1)। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मामलों सहित 92,942 मामलों का निपटान किया गया। आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 48,913 मामलों को 'प्रारंभिक स्तर' पर ही खारिज कर दिया गया था, जबकि 13,214 मामलों में यथोचित प्राधिकारियों को उपचारी उपाय करने संबंधी निदेश देते हुए उनका निपटान किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य मानव अधिकार आयोगों को कुल 24,055 मामले अंतरित किए गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार मामलों का विवरण अनुलग्नक–2 पर है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति अर्थात 31 मार्च 2012 को आयोग के पास 15,090 मामले लंबित थे जिसमें 1,533 मामले ऐसे थे जिनका प्रारंभिक विचारण प्रतीक्षित था तथा 13,557 मामले ऐसे थे जिनके संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्रतीक्षित थीं या प्राप्त हो गई थीं लेकिन वो आयोग के भावी विचारण के लिए लंबित थीं (अनुलग्नक–3).**(पैरा 2.5)**

हिरासतीय हिंसा निवारण

17.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु की 1,302 सूचना, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की 129 सूचना तथा अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा[8] में मृत्यु की 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं। आयोग ने न्यायिक अभिरक्षा के 1,571 मामलों को निपटाया जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के 1,364 मामले, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के 204 मामले तथा अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में मृत्यु के तीन मामले शामिल थे। इन आंकड़ों में पिछले वर्ष के मामले भी शामिल हैं। **(पैरा 2.10)**

कारावासों तथा सुधार गृहों का निरीक्षण

17.6 आयोग के एक सदस्य, एक विशेष संपर्ककर्ता, महानिदेशक (अन्वेषण), संयुक्त सचिव (पी0 एण्ड ए0) तथा आयोग के अन्वेषण प्रभाग के एक अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में जिला कारावास दुर्ग; कोलकाता, पश्चिम बंगाल में दम–दम केन्द्रीय सुधारक गृह; छत्तीसगढ़ में रायपुर सेंट्रल जेल; जिला गाजियाबाद में डासना जेल तथा उत्तर प्रदेश में जिला कारावास हरदोई; चेन्नई, तमिलनाडु में सेंट्रल जेल तथा पुदुचेरी में सेंट्रल जेल का दौरा किया। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य इन संस्थानों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण के साथ–साथ कैदियों के मानव अधिकारों की स्थिति का अध्ययन करना था। **(पैरा 2.11)**

स्थल निरीक्षण

17.7 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 60 मामलों का स्थल निरीक्षण करने का निदेश दिया। यह मामले हिरासतीय मौतों/बलात्कारों, पुलिसकार्मिकों द्वारा यौन शोषण; अभिरक्षा में प्रताड़ना; झूठे मामलों में फंसाना; अवैध रूप से बंदी बनाना; बंधुआ तथा बाल मजदूरी; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा

[8] वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है, न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में जेलों में बंद व्यक्ति।

अन्य वंचित वर्गों पर अत्याचार; सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय लापरवाही तथा उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव, विभिन्न राज्य प्राधिकारियों की लापरवाहियों के कारण मृत्यु; कारावासों तथा बाल सुधार गृहों में अमानवीय स्थितियों से संबंधित थे। **(पैरा 2.12)**

मौद्रिक राहत तथा उसके अनुपालन के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

17.8 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान आयोग ने 592 मामलों में पीड़ितों या मृतक के निकटतम संबंधी को 15,58,64,000 रु0 मौद्रिक राहत के भुगतान की सिफारिश की। आयोग ने 12 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अभियोजन की भी सिफारिश की। इन मामलों में से 331 मामलों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुईं तथा पीड़ितों/मृतकों के निकटतम संबंधियों को कुल 6,93,54,000 रु0 की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार विवरण अनुलग्नक 4 पर है। **(पैरा 2.35)**

17.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऐसे 261 मामलों की अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है जिनके संबंध में 8,65,10,000 रु0 की राशि के मौद्रिक राहत की सिफारिश की जा चुकी है (अनुलग्नक 5)। **(पैरा 2.36)**

7.10 जहां तक पिछले वर्षों से संबंधित मामलों संबंधी अनुपालन रिपोर्टों का प्रश्न है, 58 मामलों में सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं (अनुलग्नक 6 एवं 7)। इन मामलों का विवरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में दिया जा चुका है। **(पैरा 2.37)**

हिरासतीय हिंसा और उत्पीड़न

17.11 हिरासतीय हिंसा, मानवीय गरिमा पर किया जाने वाला एक सुविचारित आघात है। आयोग, हिरासतीय मौतों में परिणित होने वाले मानव अधिकारों के घोर उल्लंघनों को समाप्त करने के अपने प्रयासों में सतत एवं सक्रिय रूप से कार्यरत रहा है। हिरासतीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास करना आयोग की प्रमुख वरीयता है। इसके दिशानिर्देशों के अनुसरण में राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की एजेंसियां, अभिरक्षा में हुई किसी मृत्यु के बारे में 24 घंटों के अंदर–अंदर आयोग को इसकी सूचना देने के मामले में कमोबेश सफल रही हैं। तथापि, कई मामलों में जांच–पड़ताल रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट आदि जैसी अनुवर्ती रिपोर्टें शीघ्र प्राप्त नहीं हुई हैं। **(पैरा 4.1)**

17.12 यह नोट करना प्रासंगिक है कि हिरासतीय मौतों के सभी मामले हिरासतीय हिंसा या चिकित्सीय लापरवाही नहीं होते हैं। वास्तव में ऐसी अधिकांश मौतों का मुख्य कारण प्राकृतिक होता है जैसे कि लम्बे समय से चली आ रही बीमारी तथा उम्रदराज होना। शेष मामलों में चिकित्सीय लापरवाही के कारण बीमारी का बढ़ जाना, लोक सेवकों द्वारा हिंसा या कैदियों के बीच हिंसा, आत्महत्या आदि जैसे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। वर्ष 2011–2012 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को न्यायिक हिरासतीय मौतों के 1,302 मामले प्राप्त हुए, इनमें से 129 मामले पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों तथा 2 मामले रक्षा/अर्ध सैनिक बलों की अभिरक्षा में हुई मौतों से संबंधित थे। आयोग ने हिरासतीय मौतों से संबंधित 1,571 मामलों का निपटान किया जिसमें 1,364 मामले न्यायिक हिरासत में हुई मौतों से संबंधित थे, 204 मामले पुलिस हिरासत में हुई मौतों से संबंधित थे तथा तीन मामले अर्ध–सैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में हुई मौतों से संबंधित थे। **(पैरा 4.2 और 4.3)**

जेल सुधार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

17.13 उक्त सिफारिशों को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालन के लिए भेज दिया गया। अभी तक आयोग को 14 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। इन राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के नाम हैं, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। आयोग को विश्वास है कि इन सिफारिशों का शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पालन किया जाएगा जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। **(पैरा 4.220)**

सिलिकोसिस

17.14 सिलिकासिस से पीड़ित सभी लोगों के साथ–साथ उनके परिवार के नजदीकी सदस्यों द्वारा झेली जा रही अमानवीय दशाओं की तरफ सरकार तथा सांसदों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोग ने सिलिकासिस पर एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की तथा इसे संसद में रखने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया। **(पैरा 5.9)**

एन्डोसल्फान

17.15 आयोग केरल के कसारगोड़ जिले में एन्डोसल्फान कीटनाशक के हवा में छिड़काव से होने वाले दुष्प्रभावो से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, उनका उपचार करने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए सभी संबंधितों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी कर रहा है। 2011–2012 में सभी साझेदारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने के लिए आयोग ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों तथा केरल सरकार के स्वास्थ्य सचिव के साथ कई बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में आयोग ने एन्डोसल्फान से पीड़ित लोगों के प्रति केरल सरकार के असंवेदनशील रवैये के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। इस बात को भी दोहराया गया कि प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा तथा चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी तथा इसने त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। **(पैरा 5.10 और 5.11)**

फ्लोरोसिस

17.16 एक दर्दनाक, अपंग बनाने वाली बीमारी फ्लूरोसिस जो बहुल ऊतकों, अंगों तथा तंत्र को प्रभावित करता है, के स्वास्थ्य आयामों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आयोग इस विषय पर अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता रहा। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को यह सिफारिश की थी कि वह भारतीय चिकित्सा परिषद को मेडिकल अंतः शिक्षुओं के प्रशिक्षण में 'फ्लूरोसिस' को शामिल करने के लिए निर्देश दे जिसके परिणामस्वरूप एम सी आई सभी मेडिकल कालेजों को परिपत्र भेज सके। आयोग की जानकारी में यह बात लाई गई कि आज भी मेडिकल छात्रों को मेडिकल कालेजों के शिक्षा पाठ्यक्रम में इस विषय के न होने से इसकी पहचान, प्रभाव तथा उपचार के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को मेडिकल छात्रों के शिक्षण पाठ्यक्रम में फ्लूरोसिस को शामिल करने का एम सी

आई को निर्देश देने को कहा ताकि स्नातक करने वाले डॉक्टरों को इस दर्दनाक, अपंग बनाने वाली बीमारी की गंभीरता, निदान तथा उपचार की पूरी जानकारी हो **(पैरा 5.13)।**

स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं पर प्रस्तावित कर संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का बयान

17.17 मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से आयोग की जानकारी में यह बात लाई गई कि भारत सरकार का स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं पर 5% का सेवाकर लगाने का प्रस्ताव है इस प्रकार नैदानिक सेवाओं तथा ऐसे अस्पतालों जिसमें केंन्द्रीकृत वातानुकुलित व्यवस्था सहित 25 या उससे अधिक बिस्तर हैं उन्हें कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। यह सूचना भी दी गई कि दवाओं पर उत्पाद शुल्क को चार से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जिससे दवाएँ महँगी हो सकती हैं जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक दवाओं को पहली बार उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया जा रहा था। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यह उम्मीद है कि सरकार ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाएगी जो आम आदमी के स्वास्थ्य देखरेख को प्रभावित करे। आयोग का यह मत है कि गरीबों तथा जरूरतमंदों के मानव अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी कर को नहीं आरोपित किया जाना चाहिए। **(पैरा 5.21, 5.22 और 5.24)**

बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

17.18 संगोष्ठी में की गई विस्तृत चर्चा के आधार पर नीचे दी गई सिफारिशें की गई तथा उन्हें अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को भेज दिया गया। उम्मीद है कि बंधुआ एवं बाल मजदूरी प्रवण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इन सभी सिफारिशों का अनुपालन किया गया है **(पैरा 7.17)।**

प्रवासी मजदूरों संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की समीक्षा

17.19 सभी प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (आई सी एम डब्ल्यू) प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसम्बर, 1990 को प्रस्ताव 45/158 में अंगीकार किया गया था। यह 1 जुलाई, 2003 को लागू हुआ। इस अभिसमय का मुख्य उद्देश्य प्रवासी लोगों के मानव अधिकारों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना है जो न केवल कामगार हैं बल्कि मनुष्य भी हैं। भारत सरकार ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र आई सी एम डब्ल्यू पर हस्ताक्षर नहीं किया है। आयोग ने आई सी एम डब्ल्यू की जांच की तथा श्रम मंत्रालय को सितम्बर 2011 में इस उद्देश्य से एक पत्र लिखा कि प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के मानव अधिकारों की रक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किया जाना तथा उसकी पुष्टि की जानी चाहिए **(पैरा 7.27 और 7.28)।**

बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2011 के मसौदे पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणी

17.20 आयोग को यह आशा है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के प्रारूप 2011 के संबंध में इसके द्वारा की गई टिप्पणियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम संशोधित नीति में समुचित रूप से शामिल किया जाएगा **(पैरा 8.18)।**

सी ई डी ए डब्ल्यू के संबंध में चौथे और पाँचवे संयुक्त आवधिक रिपोर्ट से संबंधित एम डब्ल्यू सी डी के अंतिम प्रारूप पर रा. मा. अ. आ. की टिप्पणियाँ

17.21 आयोग को विश्वास है कि इसके द्वारा प्रकाश में लाए गए महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन से संबंधित विषयों को सी इ डी ए डब्ल्यू संबंधी अंतिम चौथे एवं पांचवे संयुक्त आवधिक रिपोर्ट में सही तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी समय–समय पर सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. समिति को रिपोर्ट सौंपेगा **(पैरा 8.21)।**

वृद्धजनों के अधिकार

17.22 वृद्धजनों के अधिकारों के संबंध में आयोग की संलिप्तता प्रारंभ में उनसे प्राप्त शिकायतों पर कार्य करके शुरू हुई। हालांकि आयोग की संलिप्तता में वास्तव में वर्ष 2000 में बढोतरी हुई जब इसने सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद् के कार्य में भाग लिया तथा वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन के विषय में अपने कार्य योजना (2000–2005) पर टिप्पणी दी। उस वर्ष से ही आयोग वृद्धजनों के अधिकारों के लिए कार्यरत समूहों एवं संगठनों के साथ निकट संपर्क में रहा तथा केन्द्र सरकार को जब कभी सुझावों की आवश्यकता होती है तो यह अपने सुझाव देता है। उदाहरणार्थ आयोग ने अस्पतालों में वृद्वजनों के लिए अलग लाइनें बनाने के प्रावधान के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जवाब मांगा। संबद्ध मंत्रालय ने, अपनी ओर से, सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के अस्पतालों में वृद्धजनों हेतु अलग लाइनें बनाने के प्रावधान के लिए संस्तुतियाँ जारी की। आयोग ने असंठित क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित वृद्धजनों की दुर्दशा के प्रति भी अपनी चिंता व्यक्त की है **(पैरा 9.4)।**

सामाजिक आर्थिक जनगणना

17.23 अशक्त व्यक्तियों को प्रतिदिन उनके मूल अधिकारों जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य के संबंध में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप वे गरीबी, कुपोषण एवं पुराने रोगों से पीड़ित होते हैं। सर्वविदित तथ्य है कि गरीबी एवं अशक्तता का नजदीकी अंतर–संबंध है। अशक्त व्यक्तियों को अपनी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए सहायक उपकरणों, दवाओं, परिवहन तथा अन्य खर्चों पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रयोज्य आय पर नकारात्मक असर पड़ता है। आयोग के ध्यान में यह लाया गया था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए समाज–आर्थिक जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे बी पी एल परिवारों की पहचान करने के लिए ऐसी प्रणाली का प्रयोग किया गया जिसमें उन सभी परिवारों को शामिल किया गया जिसमे अशक्त सदस्य थे तथा कोई शारीरिक रूप से सक्षम व्यस्क सदस्य नही थे। अपनाई गई प्रणाली में, आयोग ने महसूस किया कि परिवार को शामिल करने के लिए वंचन सूचक का इस्तेमाल किया गया। आयोग का मत था कि यदि परिवार का मुखिया अशक्त पाया जाता है तो, परिवार को बी पी एल श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि आय सीलिंग को बी. पी. एल. परिवारों के निष्काषन शर्तों के अंतर्गत संस्तुत स्तर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने तथा अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु बी. पी. एल. शर्तों को संशोधित कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को तद्नुसार संस्तुति की गई थी **(पैरा 10.3 और 10.4)।**

अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर कंट्री रिपोर्ट तैयार करने की मॉनीटरिंग

17.24 अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में यूनाइटेड नेशन्स अभिसमय के अंतर्गत, भारत सरकार अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अपनी पहली कंट्री रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन्स समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। जैसाकि वर्ष 2010–2011 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख था, आयोग अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी कंट्री रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ अनुर्वतन कर रहा था। साथ ही आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालय से पूछा था कि कंट्री रिपोर्ट तैयार करने में क्या अशक्त व्यक्तियों से परामर्श किया गया तथा उन्हें शामिल किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष में आयोग को भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए पहली कंट्री रिपोर्ट के मसौदे पर इसकी टिप्पणियाँ देने के कहा गया। इसके अलावा आयोग को दिए गए विषय पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेषरूप से आयोजित दो–दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोग ने अपनी ओर से कंट्री रिपोर्ट की समीक्षा की तथा मंत्रालय को अपने सुझाव भेजे। आयोग को विश्वास है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली कंट्री रिपोर्ट में उसके द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया जाएगा **(पैरा 10.5 और 10.6)।**

मानव अधिकार पक्षकारों के संरक्षण हेतु आयोग की कार्रवाई प्रक्रिया

17.25 आयोग हमेशा से मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के कार्य के लिए अपना सर्मथन देता आ रहा है तथा उन व्यक्तियों की निंदा करता है जो इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिशोध, उत्पीड़न आदि का कार्य करते हैं। वास्तव में, आयोग द्वारा नागरिकों के सुरक्षोपाय के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, मानव अधिकार पक्षकारों के अधिकारों का संरक्षण, जिसे यह जारी रखेगा **(पैरा 12.8)।**

द्वितीय सार्वभौम आवधिक समीक्षा – राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को प्रस्तुति

17.26 मोटे तौर पर कहा जाए तो जहाँ एक ओर बहुत सी कामयाबियां मिली हैं, वहीं अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जिसमें भारत सरकार के लिए प्रथम यू पी आर में दी गई 18 संस्तुतियाँ शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी ओर से इसे प्राप्त शिकायतों तथा स्वतः संज्ञान के आधार पर मानव अधिकारों की व्यापक श्रेणी को मॉनीटरिंग करता रहेगा। इसके द्वारा मॉनीटर किए गए विषय तथा इसके द्वारा तैयार की गई संस्तुतियों का प्रथम यू पी आर की संस्तुतियों के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा, जिससे समस्याओं के संकीर्ण समूह पर कार्य किया जाएगा। बहरहाल चूंकि द्वितीय यू पी आर सरकार के उन कार्यों का मूल्यांकन करेगा जिन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– भारत ने यू एन ओ एच सी एच आर.में फोकस किया गया है, जिन्हें यू एन नजर अंदाज नहीं कर सकता **(पैरा 13.25)।**

राज्य मानव अधिकार आयोग

17.27 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (पी एच आर ए) की धारा 21 सभी राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एस एच आर सी) के निर्माण का प्रावधान करती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ–साथ राज्य मानव अधिकार आयोगों के विद्यमान होने तथा कार्यों से निस्संदेह मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एव संवर्द्धन के कार्य में अत्यधिक लाभ होगा। अब यह सर्वविदित तथ्य है कि सुशासन तथा मानव अधिकार एक साथ चलते

हैं। अतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के बीच गहन चर्चा को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ मानव अधिकारों के संरक्षण एवं सवर्द्धन के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा संयुक्त नीतियां बनाए जाने की स्वाभाविक आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानव आयोग तथा राज्य मानव आयोग के प्रयासों में न केवल समन्वय एवं कवरेज़ की आवश्यकता है बल्कि देश में मानव अधिकारों की संस्कृति बनाने के लिए पंचायतों एवं सभ्य सामाजिक संगठनों जैसे स्थानीय निकायों के बीच भी सामंजस्य बैठाने की आवश्कता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें अपने–अपने राज्य मानव अधिकार आयोगों को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित कदम उठाएं। मात्र राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन कर देने से ही अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, जब तक कि उन्हें उनके कार्य करने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती **(पैरा 14.1)।**

17.28 अब तक 21 राज्यों ने अपने राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है। इन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं – असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक राज्य में एस एच आर सी के गठन का इच्छुक है ताकि इन राज्य के लोगों को आसानी से न्याय सुलभ हो क्योंकि एस एच आर सी राज्य सरकारों को उनके सांविधिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आयोग ने उन सभी राज्यों, जिन्होंने अभी तक एस एच आर सी का गठन नहीं किया है, से अनुरोध किया है कि वे मानव अधिकारों को बेहतर सरंक्षण एवं संवर्द्धन के हित में इसका गठन अति शीघ्र कर लें (पैरा 14.2 और 14.3)।

17.29 देश के मानव अधिकार परिदृश्य को सुधारने में भविष्य में सहयोग की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी ओर से राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित चर्चाएं एवं बैठके करने की पहल की है। राज्य मानव अधिकार अयोगों से संबंधित चिंता के मुख्य विषयों पर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा एस एच आर सी संबंधी समिति का गठन किया गया था। इसकी पहली बैठक 22 जुलाई, 2011 को आयोग में आयोजित की गई थी। इस बैठक में चिंता के तीन मुख्य विषयों पर विचार किया गया – एस एच आर सी की संरचना, मानव शक्ति तथा वित्तीय आवश्कताएं। **(पैरा 14.4 और 14.5)।**

17.30 प्रत्येक एस एच आर सी में संबद्ध राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम अनिवार्य संरचनागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिनमें शमिल हैं :– एक स्वतंत्र भवन; जिसमें वर्तमान के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थान हो; यह केन्द्र में स्थित होना चाहिए तथा सार्वजनिक परिवहन द्वारा भली–भांति जुड़ा हो; लोगों के लिए आसानी से सुलभ हो तथा अशक्तता–अनुकूल हो, जिसमें अशक्त व्यक्तियों की सुविधा हेतु आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले रैम्प, लिफ्ट तथा अन्य सुविधाएं हों **(पैरा 14.6)।**

17.31 पी.एच.आर.ए. के अंतर्गत इसके अधिकार के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए प्रत्येक एस एच आर सी में समान न्यूनतम संस्थागत ढांचा जैसे प्रशासन अनुभाग, विधि अनुभाग, अन्वेषण अनुभाग तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अनुभाग होने चाहिए। उपरोक्त चारों अनुभागों में से प्रत्येक के लिए सभी एस एच आर सी में बुनियादी, मानकीकृत, न्यूनतम स्टाफ संरचना होनी चाहिए। राज्य सरकार को एस एच आर सी के सभी पदों, जिसमें महंगाई भत्ता आदि में वार्षिक बढ़ोतरी होने का प्रावधान है, के लिए कुल वेतन पर होने वाले व्यय को मिलाकर वित्तीय आबंटन तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पी एच आर ए की धारा 12 के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु एस एच आर सी को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एस एस आर सी के लिए वेतन लागत के बराबर राशि दी जानी चाहिए **(पैरा 14.7, 14.8 एवं 14.9)।**

अनुलग्नक

अनुलग्नक–1

पैरा 2.5

01/04/2011 से 31/03/2012 तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका

राज्य संघशासित क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञानं	हिरासतीय मौते/बलात्कार के विषय में विषय में प्राप्त सूचना			मुठभेड में मौतों के विषय में प्राप्त सूचना	कुल
			पुलिस हिरासतीय मौतें/बलात्कार	न्यायिक हिरासतीय मौतें/बलात्कार	अर्द्ध सैनिक/रक्षा हिरासत में मौतें/बलात्कार		
सम्पूर्ण भारत	171	2	0	0	0	0	173
आन्ध्र प्रदेश	1461	0	13	77	0	8	1559
अरूणाचल प्रदेश	28	0	0	2	0	1	31
आसाम	209	65	4	20	0	87	385
बिहार	3197	1	8	95	0	2	3303
छत्तीसगढ़	724	3	5	41	0	3	776
गोवा	85	0	0	1	0	0	86
गुजरात	1044	4	5	53	0	2	1108
हरियाणा	4117	4	3	49	0	2	4175
हिमाचवल प्रदेश	170	0	3	7	0	0	180
जम्मू और कश्मीर	365	0	3	3	0	0	371
झारखण्ड	1749	3	4	46	0	9	1811
कर्नाटक	1301	2	2	13	0	1	1319
केरल	525	0	1	37	0	0	563
मध्य प्रदेश	2597	4	8	86	0	5	2700
महाराष्ट्र	2267	2	20	95	0	1	2385
मणीपुर	143	0	1	1	0	17	162
मेघालय	44	0	0	1	0	5	50
मिजोपुर	17	0	1	0	0	0	18
नागालैण्ड	12	0	0	0	0	0	12
उड़ीसा	3337	1	4	33	0	5	3380
पंजाब	1149	1	6	115	0	0	1271
राजस्थान	2806	2	3	70	0	3	2884
सिक्किम	14	0	0	0	0	0	14
तमिलनाडु	1862	1	7	58	0	2	1930
त्रिपुरा	67	0	0	2	0	1	70
उत्तराखण्ड	2008	1	1	12	0	0	2022
उत्तर प्रदेश	51909	11	17	260	0	19	52216
पश्चिम बंगाल	1512	1	5	89	2	5	1614
अंडमान और निकोबार	42	1	1	4	0	1	49
चण्डीगढ़	208	0	0	4	0	0	212
दादर और नागर हवेली	14	0	0	0	0	0	14
दमन एवं दीव	15	0	0	1	0	0	16
दिल्ली	7830	7	1	27	0	0	7865
लक्ष्यद्वीप	8	0	0	0	0	0	8
पुडुचेरी	73	0	3	0	0	0	76
विदेशों	366	0	0	0	0	0	366
कुल जोड़	**93446**	**116**	**129**	**1302**	**2**	**179**	**95174**

अनुलग्नक–2

2011–2012 के दौरान मामलों के निपटान को दर्शाने वाली तालिका

राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रारंभ में खारिज	निर्देश सहित निपटाए गए	एसएचआरसी को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद समाप्त			कुल
				शिकायतें / स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौतें / बलात्कार	मुठभेड में मौतों के विषय में प्राप्त सूचना	
सम्पूर्ण भारत	146	18	0	0	0	0	164
आन्ध्र प्रदेश	820	227	297	74	142	15	1575
अरूणाचल प्रदेश	16	5	0	11	0	0	32
आसाम	103	37	25	51	36	30	282
बिहार	1471	380	831	159	118	0	2959
छत्तीसगढ़	380	66	131	38	35	3	653
गोवा	44	23	0	7	4	0	78
गुजरात	630	158	120	105	61	0	1074
हरियाणा	1956	1464	0	448	66	5	3939
हिमाचवल प्रदेश	100	25	21	18	5	0	169
जम्मू और कश्मीर	113	59	32	38	4	0	246
झारखण्ड	982	363	160	144	83	7	1739
कर्नाटक	423	102	706	33	61	10	1335
केरल	263	88	64	46	35	0	496
मध्य प्रदेश	1492	290	544	121	73	6	2526
महाराष्ट्र	1403	285	400	86	177	13	2364
मणीपुर	38	35	5	32	0	1	111
मेघालय	17	11	0	11	8	1	48
मिजोपुर	7	5	0	7	2	0	21
नागालैण्ड	5	2	0	2	3	0	12
उड़ीसा	833	1231	798	157	34	2	3055
पंजाब	580	208	242	73	100	1	1204
राजस्थान	1430	368	697	124	41	1	2661
सिक्किम	8	4	0	0	1	0	13
तमिलनाडु	997	303	374	72	56	5	1807
त्रिपुरा	22	14	0	17	3	0	56
उत्तराखण्ड	1289	559	0	214	24	10	2096
उत्तर प्रदेश	27472	4629	18323	1931	275	112	52742
पश्चिम बंगाल	752	171	285	95	93	1	1397
अंडमान और निकोबार	18	5	0	2	1	0	26
चण्डीगढ़	82	84	0	19	2	0	187
दादर और नागर हवेली	13	1	0	0	0	0	14
दमन एवं दीव	8	8	0	0	0	0	16
दिल्ली	4702	1861	0	813	23	6	7405
लक्ष्यद्वीप	3	4	0	1	0	0	8
पुडुचेरी	33	25	0	6	5	0	69
विदेशों	262	96	0	5	0	0	363
कुल जोड़	**48913**	**13214**	**24055**	**4960**	**1571**	**229**	**92942**

अनुलग्नक–3

पैरा 2.5

31/03/2012 तक लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचारण हेतु प्रतीक्षित मामलें				Pendency of Cases Where Reports have either been Received or Awaited from State Authorities				कुल जोड़
	शिकायतें/स्वतः संज्ञान	हिरासतीय बलात्कार/मौतें	मुठभेड में मौत	कुल	शिकायतें/स्वतः संज्ञान	हिरासतीय बलात्कार/मौतें	मुठभेड में मौत	कुल	
सम्पूर्ण भारत	6	0	0	6	10	0	0	10	15
आन्ध्र प्रदेश	19	2	0	21	180	145	28	353	374
अरूणाचल प्रदेश	6	0	0	6	10	5	2	17	23
आसाम	1	0	0	1	156	30	159	345	346
बिहार	57	2	0	59	633	156	12	801	860
छत्तीसगढ़	11	0	0	11	195	55	9	259	270
गोवा	1	0	0	1	16	4	0	20	21
गुजरात	50	1	0	51	236	110	4	350	401
हरियाणा	41	0	0	41	681	69	7	757	798
हिमाचवल प्रदेश	3	0	0	3	29	12	0	41	44
जम्मू और कश्मीर	9	0	0	9	224	8	1	233	242
झारखण्ड	16	2	0	18	315	78	20	413	431
कर्नाटक	12	1	0	13	107	35	15	157	170
केरल	5	0	0	5	144	52	1	197	202
मध्य प्रदेश	32	0	0	32	354	118	14	486	518
महाराष्ट्र	45	3	1	49	225	234	45	504	553
मणीपुर	1	0	0	1	142	4	25	171	172
मेघालय	0	0	0	0	29	1	11	41	41
मिजोपुर	0	0	0	0	11	3	0	14	14
नागालैण्ड	0	0	0	0	7	2	0	9	9
उड़ीसा	59	0	0	59	970	34	14	1018	1077
पंजाब	15	2	0	17	176	74	1	251	268
राजस्थान	67	0	0	67	314	104	8	426	493
सिक्किम	2	0	0	2	2	0	0	2	4
तमिलनाडु	33	0	0	33	276	118	12	406	439
त्रिपुरा	1	0	0	1	38	7	2	47	48
उत्तराखण्ड	48	1	0	49	181	25	14	220	269
उत्तर प्रदेश	820	4	0	824	3786	399	232	4417	5241
पश्चिम बंगाल	49	1	0	50	372	62	17	451	501
अंडमान और निकोबार	2	0	0	2	21	4	1	26	28
चण्डीगढ	1	0	0	1	41	5	0	46	47
दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	1	0	0	1	1
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	1	0	1	1
दिल्ली	93	1	0	94	949	53	16	1018	1112
लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	1	0	0	1	1
पुडुचेरी	1	0	0	1	18	4	0	22	23
विदेशों	6	0	0	6	26	0	0	26	32
कुल जोड़	**1512**	**20**	**1**	**1533**	**10874**	**2012**	**671**	**13557**	**15090**

अनुलग्नक–4

पैरा 2.35

2011–12 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्यवाई हेतु संस्तुत मामलों की कुल संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या जिनमें संस्तुतियां की गई	पीडितो/मृतकों के रिस्तेदारों को राहत राशि	मामलों की संख्या जिनमें संस्तुतियां का अनुपालन किया गया	भुगतान की गई राशि (₹)	अनुपालन हेतु लंबित केसो की संख्या	अनुपालन हेतु लंबित मामलों में संस्तुत राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	28	60,05,000	22	32,05,000	6	28,00,000
2	अरुणाचल प्रदेश	2	5,75,000	1	5,00,000	1	75,000
3	आसाम	21	83,50,000	14	45,50,000	7	38,00,000
4	बिहार	43	1,76,11,000	23	73,11,000	20	1,03,00,000
5	छत्तीसगढ़	13	53,00,000	11	32,00,000	2	21,00,000
6	गोवा	1	5,00,000	1	5,00,000	0	0
7	गुजरात	21	42,00,000	16	29,00,000	5	13,00,000
8	हरियाणा	19	26,24,000	12	11,44,000	7	14,80,000
9	हिमाचल प्रदेश	2	1,50,000	0	0	2	1,50,000
10	जम्मू और कश्मीर	5	23,00,000	3	17,00,000	2	6,00,000
11	झारखण्ड	35	80,45,000	20	52,10,000	15	28,35,000
12	कर्नाटक	13	16,90,000	11	15,70,000	2	1,20,000
13	केरल	5	9,70,000	1	1,00,000	4	8,70,000
14	मध्य प्रदेश	17	49,82,000	9	11,07,000	8	3875000
15	महाराष्ट्र	42	1,05,85,000	14	24,75,000	28	81,10,000
16	मणिपुर	4	16,75,000	2	5,75,000	2	11,00,000
17	मेघालय	5	14,00,000	3	8,00,000	2	6,00,000
18	मिजोरम	2	5,50,000	2	5,50,000	0	0
19	नागालैण्ड	2	2,00,000	1	1,00,000	1	1,00,000
20	उड़ीसा	8	25,35,000	4	9,35,000	4	16,00,000
21	पंजाब	7	19,00,000	1	1,00,000	6	18,00,000
22	राजस्थान	16	29,70,000	9	11,70,000	7	18,00,000
23	सिक्किम	1	1,00,000	1	1,00,000	0	0
24	तमिलनाडु	12	21,30,000	6	7,80,000	6	13,50,000
25	त्रिपुरा	4	9,00,000	1	1,00,000	3	8,00,000
26	उत्तराखण्ड	18	64,95,000	12	36,95,000	6	28,00,000
27	उत्तर प्रदेश	205	5,42,37000	108	2,06,12,000	97	3,36,25,000
28	पश्चिम बंगाल	14	24,65,000	7	14,15,000	7	10,50,000
29	छत्तीस गढ़	5	5,75,000	3	4,25,000	2	1,50,000
30	दिल्ली	21	35,45,000	12	22,50,000	9	1295000
31	पुडुचेरी	1	3,00,000	1	3,00,000	0	0
		592	**15,58,64,000**	**331**	**6,93,54,000**	**261**	**8,65,10,000**

अनुलग्नक–5

पैरा 2.36

वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के भुगतान हेतु वर्ष 2011–12 के दौरान रा.मा.अ. आयोग के संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

कुल सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीडितों/मृतकों के रिस्तेदारों संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
1	आन्ध्र प्रदेश	1147/1/18/2010-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	1,00,000.00	12/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
2	आन्ध्र प्रदेश	13/1/18/2011-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	24/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
3	आन्ध्र प्रदेश	1439/1/9/07-08	पुलिस मुठभेड में मौत	10,00,000.00	04/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
4	आन्ध्र प्रदेश	484/1/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	25/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
5	आन्ध्र प्रदेश	64/1/17/07-08	पुलिस मुठभेड में मौत	5,00,000.00	24/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
6	आन्ध्र प्रदेश	979/1/23/2010-सीडी	पुलिस मुठभेड में मौत	10,00,000.00	01/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
7	अरुणाचल प्रदेश	26/2/0/2010	शक्ति का दुरुपयोग	75,000.00	15/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
8	असम	104/3/24/08-09-ईडी	पुलिस मुठभेड में मौत	5,00,000.00	19/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
9	असम	113/3/4/09-10-ईडी	पुलिस मुठभेड में मौत	5,00,000.00	23/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
10	असम	116/3/16/2010-ईडी	पुलिस मुठभेड में मौत	10,00,000.00	01/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
11	असम	130/3/9/09-10-एएफ	सैन्य मुठभेड में मौत	5,00,000.00	07/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
12	असम	136/3/24/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	16/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
13	असम	144/3/16/2010-ईडी	पुलिस मुठभेड में मौत	5,00,000.00	11/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
14	असम	270/3/19/2010-ईडी	पुलिस मुठभेड में मौत	5,00,000.00	01/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
15	असम	1228/4/2004-2005-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	31/05/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
16	बिहार	1430/4/28/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	08/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
17	बिहार	1460/4/32/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	05/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
18	बिहार	1508/4/29/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	23/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
19	बिहार	1548/4/27/07-08	शक्ति का दुरुपयोग	5,00,000.00	01/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
20	बिहार	166/4/2001-2002	पुलिस मुठभेड में मौत	10,00,000.00	08/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
21	बिहार	1683/4/8/2010	बच्चे	2,00,000.00	24/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
22	बिहार	1758/4/20/2010	पुलिस गोलीबारी में मौत	2,00,000.00	30/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
23	बिहार	2301/4/2005-2006	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	37,50,000.00	30/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
24	बिहार	3335/4/26/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	01/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
25	बिहार	3402/4/2002-2003	विविध	1,00,000.00	08/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
26	बिहार	3605/4/2005-2006-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	03/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
27	बिहार	3637/4/2002-2003	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	10,00,000.00	11/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
28	बिहार	364/4/2003-2004	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	2,00,000.00	25/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
29	बिहार	366/4/25/2011-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	5,00,000.00	22/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है

कुल सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीडितों/मृतकों के रिस्तेदारो कों संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
30	बिहार	516/4/10/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	50,000.00	17/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
31	बिहार	565/4/9/2011-एआर	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय बलात्कार	5,00,000.00	13/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
32	बिहार	651/4/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	20/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
33	बिहार	827/4/8/07-08-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	10/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
34	बिहार	831/4/3/2011-डीएच	न्यायिक हिरासत में मौत	3,00,000.00	14/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
35	बिहार.	217/33/14/2011	अनु.जातियों/अनु.जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग पर अत्याचार	1,00,000.00	16/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
36	छत्तीसगढ	236/33/3/09-10-एएफई	कथित फर्जी मुठभेड़	20,00,000.00	16/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
37	गुजरात	133/6/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	07/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
38	गुजरात	40/6/2005-2006-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	18/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
39	गुजरात	411/6/21/08-09-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	08/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
40	गुजरात	419/6/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	09/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
41	गुजरात	94/6/23/07-08-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	21/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
42	हरियाणा	1052/7/8/09-10	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	2,00,000.00	27/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
43	हरियाणा	1294/7/5/2010	अपहरण	60,000.00	16/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
44	हरियाणा	2146/7/2/08-09-एएफई	कथित फर्जी मुठभेड़	7,50,000.00	15/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
45	हरियाणा	2336/7/17/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	14/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
46	हरियाणा	2532/7/8/2010	बच्चें	1,70,000.00	09/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
47	हरियाणा	581/7/2006-2007	गृह में कथित मौत	1,00,000.00	19/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
48	हरियाणा	850/7/19/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	10/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
49	हिमाचल प्रदेश	124/8/4/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	50,000.00	07/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
50	हिमाचल प्रदेश	39/8/12/09-10-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	03/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
51	जम्मू और कश्मीर	25/9/4/07-08-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	27/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
52	जम्मू और कश्मीर	5/9/0/08-09-पीएफ	गोलीबारी में मौत	1,00,000.00	18/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
53	झारखण्ड	1077/34/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	15/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
54	झारखण्ड	1375/34/6/2010	गैरकानूनी कैद	20,000.00	20/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
55	झारखण्ड	1412/34/7/2010	चिकित्सा व्यावसायिको का कदाचार	25,000.00	08/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
56	झारखण्ड	159/34/16/2011	शक्ति का दुरुपयोग	1,25,000.00	02/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
57	झारखण्ड	213/34/18/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	24/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
58	झारखण्ड	334/34/5/2010-डब्ल्यूसी	सामूहिक बलात्कार	5,00,000.00	18/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
59	झारखण्ड	419/34/4/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	25/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
60	झारखण्ड	490/34/5/2011-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	16/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
61	झारखण्ड	540/34/12/2011	गैर कानूनी कैद	15,000.00	29/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
62	झारखण्ड	565/34/17/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	07/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
63	झारखण्ड	684/34/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	2,00,000.00	27/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
64	झारखण्ड	75/34/16/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	2,00,000.00	19/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
65	झारखण्ड	766/34/6/09-10-डीएच	न्यायिक हिरासत में मौत	50,000.00	11/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
66	झारखण्ड	844/34/10/07-08-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	5,00,000.00	14/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
67	झारखण्ड	956/34/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	05/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है

कुल सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीडितों/मृतकों के रिस्तेदारो कों संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
68	कर्नाटक	1170/10/11/07-08-डब्ल्यूसी	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (सरकारी कार्यालय)	20,000.00	01/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
69	कर्नाटक	258/10/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	11/05/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
70	केरल	302/11/2/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	31/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
71	केरल	4/11/2005-2006-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	4,00,000.00	02/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
72	केरल	50/11/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	2,70,000.00	02/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
73	केरल	84/11/8/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	02/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
74	मध्य प्रदेश	1245/12/2005-2006	अवैध गिरफतारी	10,00,000.00	01/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
75	मध्य प्रदेश	2358/12/2005-2006	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	05/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
76	मध्य प्रदेश	416/12/5/09-10-पीसीआर	हिरासतीय बलात्कार (पुलिस)	3,00,000.00	16/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
77	मध्य प्रदेश	441/12/2003-2004-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	07/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
78	मध्य प्रदेश	652/12/22/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	50,000.00	23/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
79	मध्य प्रदेश	914/12/18/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	24/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
80	मध्य प्रदेश	921/12/2/09-10	चिकित्सा व्यावसायिको का कदाचार	13,25,000.00	05/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
81	मध्य प्रदेश	923/12/22/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	03/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
82	महाराष्ट्र	1110/13/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	26/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
83	महाराष्ट्र	1120/13/2005-2006	पुलिस हिरासत में मौत	5,00,000.00	02/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
84	महाराष्ट्र	1340/13/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	24/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
85	महाराष्ट्र	1386/13/17/09-10-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	20/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
86	महाराष्ट्र	15/13/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	19/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
87	महाराष्ट्र	164/13/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	3,00,000.00	24/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
88	महाराष्ट्र	1717/13/16/09-10-एडी	पुलिस अभिरक्षा में हिरासतीय मौत	5,00,000.00	19/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
89	महाराष्ट्र	1734/13/4/2010-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	06/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
90	महाराष्ट्र	1789/13/28/09-10-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	27/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
91	महाराष्ट्र	1806/13/21/08-09-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	08/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
92	महाराष्ट्र	1871/13/14/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	17/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
93	महाराष्ट्र	1882/13/3/08-09-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	22/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
94	महाराष्ट्र	1953/13/16/08-09-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	02/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
95	महाराष्ट्र	2010/13/2/07-08-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	3,00,000.00	02/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
96	महाराष्ट्र	2139/13/23/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	23/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
97	महाराष्ट्र	2152/13/10/2010-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	02/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
98	महाराष्ट्र	2155/13/30/2010	हिरासतीय उत्पीड़न	10,000.00	30/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
99	महाराष्ट्र	244/13/1/07-08-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	29/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
100	महाराष्ट्र	2531/13/17/07-08-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	3,00,000.00	26/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
101	महाराष्ट्र	352/13/2005-2006-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	29/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
102	महाराष्ट्र	374/13/2/08-09-डब्ल्यूसी	महिलाओं का अनैतिक व्यापार	1,00,000.00	09/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
103	महाराष्ट्र	436/13/30/08-09-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	22/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
104	महाराष्ट्र	51/13/16/2011-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	06/03/2012	Proof of payment awaited
105	महाराष्ट्र	570/13/16/2011-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	14/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है

कुल सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीडितों / मृतकों के रिस्तेदारो कों संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
106	महाराष्ट्र	747/13/24/07-08-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	12/05/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
107	महाराष्ट्र	913/13/16/08-09-ईडी	पुलिस मुठभेड में मौत	5,00,000.00	16/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
108	महाराष्ट्र	941/13/2004-2005	पुलिस मुठभेड में मौत	5,00,000.00	12/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
109	महाराष्ट्र	976/13/28/2010-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	01/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
110	मणीपुर	2/14/2001-2002-पीएफ	प्रताड़ना	5,00,000.00	13/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
111	मणीपुर	2/14/4/08-09-ईडी	पुलिस मुठभेड में मौत	6,00,000.00	09/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
112	मेघालय	16/15/2002-2003	पुलिस फायरिंग में मौत	1,00,000.00	29/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
113	मेघालय	34/15/5/2010-ईडी	पुलिस मुठभेड में मौत	5,00,000.00	24/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
114	नागालैण्ड	9/17/3/09-10-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	28/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
115	ओडीशा	1217/18/26/2010	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	5,00,000.00	14/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
116	ओडीशा	135/18/2005-2006	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	5,00,000.00	15/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
117	ओडीशा	176/18/6/2011	राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	3,00,000.00	05/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
118	ओडीशा	334/18/13/09-10-डब्ल्यूसी	बलात्कार	3,00,000.00	12/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
119	पंजाब	254/19/1/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	5,00,000.00	05/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
120	पंजाब	363/19/2/08-09-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	04/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
121	पंजाब	590/19/2004-2005	पुलिस फायरिंग में मौत	5,00,000.00	05/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
122	पंजाब	648/19/2005-2006-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	08/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
123	पंजाब	921/19/2001-2002-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	23/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
124	पंजाब	982/19/9/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	10/05/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
125	राजस्थान	1014/20/14/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	13/05/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
126	राजस्थान	2159/20/18/08-09-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	07/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
127	राजस्थान	2266/20/21/07-08-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	05/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
128	राजस्थान	457/20/11/09-10	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	2,00,000.00	14/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
129	राजस्थान	865/20/24/2011-डब्ल्यूसी	अपहरण, बलात्कार और हत्या	3,00,000.00	23/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
130	राजस्थान	867/20/14/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	5,00,000.00	01/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
131	राजस्थान	918/20/19/08-09-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	22/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
132	तमिलनाडु	2349/22/36/08-09-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	5,00,000.00	16/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
133	तमिलनाडु	2594/22/13/08-09	पुलिस	5,00,000.00	11/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
134	तमिलनाडु	328/22/13/2011-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	22/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
135	तमिलनाडु	534/22/37/07-08	गैरकानूनी कैद	50,000.00	10/05/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
136	तमिलनाडु	903/22/5/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	31/05/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
137	तमिलनाडु	982/22/46/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	21/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
138	त्रिपुरा	10/23/2005-2006-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	09/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
139	त्रिपुरा	38/23/4/2010-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	15/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
140	त्रिपुरा	8/23/4/09-10-एआर	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय बलात्कार	6,00,000.00	26/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
141	उत्तराखण्ड	103/35/6/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	02/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
142	उत्तराखण्ड	1525/35/8/2010	सरकारी अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएँ	1,00,000.00	23/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है

कुल सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीडितों/मृतकों के रिस्तेदारो कों संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
143	उत्तराखण्ड	205/35/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	10,00,000.00	29/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
144	उत्तराखण्ड	42/35/6/2011-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	3,00,000.00	04/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
145	उत्तराखण्ड	522/35/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	6,00,000.00	23/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
146	उत्तराखण्ड	805/35/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	30/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
147	उत्तर प्रदेश	10186/24/1/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	28/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
148	उत्तर प्रदेश	11131/24/43/08-09	शक्ति का दुरुपयोग	3,50,000.00	22/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
149	उत्तर प्रदेश	11880/24/35/2010-डब्ल्यूसी	महिला का अपमान	3,00,000.00	08/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
150	उत्तर प्रदेश	1235/24/2006-2007	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	08/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
151	उत्तर प्रदेश	13195/24/31/2010-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	07/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
152	उत्तर प्रदेश	13396/24/27/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	5,00,000.00	22/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
153	उत्तर प्रदेश	1340/24/67/2010	हिरासतीय उत्पीड़न	10,000.00	13/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
154	उत्तर प्रदेश	14152/24/2004-2005	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000.00	03/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
155	उत्तर प्रदेश	144/24/4/2010	गायब होना/गुमशुदगी	50,000.00	06/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
156	उत्तर प्रदेश	14811/24/7/07-08-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	17/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
157	उत्तर प्रदेश	14957/24/52/2011	पेंशन/मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाना	50,000.00	22/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
158	उत्तर प्रदेश	15141/24/2005-2006	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	01/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
159	उत्तर प्रदेश	15143/24/66/07-08-डब्ल्यूसी	अल्पसंख्यक महिला का बलात्कार	5,25,000.00	07/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
160	उत्तर प्रदेश	15943/24/31/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	21/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
161	उत्तर प्रदेश	16341/24/2005-2006	कथित फर्जी मुठभेड़	10,00,000.00	29/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
162	उत्तर प्रदेश	1708/24/2005-2006	दीर्घ विचारन	30,000.00	04/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
163	उत्तर प्रदेश	17156/24/43/09-10-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	03/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
164	उत्तर प्रदेश	17917/24/31/2010-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	22/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
165	उत्तर प्रदेश	17924/24/4/2010-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	13/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
166	उत्तर प्रदेश	18510/24/2002-2003	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	09/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
167	उत्तर प्रदेश	18627/24/46/08-09-डब्ल्यूसी	सामुहिक बलात्कार	50,000.00	12/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
168	उत्तर प्रदेश	19241/24/64/2010	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	12,00,000.00	10/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
169	उत्तर प्रदेश	19327/24/2006-2007	अपहरण	25,000.00	19/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
170	उत्तर प्रदेश	19732/24/2006-2007	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	3,00,000.00	12/05/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
171	उत्तर प्रदेश	19842/24/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	26/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
172	उत्तर प्रदेश	19885/24/2005-2006-डीएच	न्यायिक अभिरक्षा में मौत	50,000.00	31/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
173	उत्तर प्रदेश	1998/24/56/09-10	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	50,000.00	13/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
174	उत्तर प्रदेश	20304/24/2004-2005-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	3,00,000.00	27/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
175	उत्तर प्रदेश	20513/24/12/07-08	अवैध गिरफ्तारी	5,000.00	17/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
176	उत्तर प्रदेश	20645/24/40/09-10-जेसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	1,00,000.00	26/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है

कुल सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीडितों/मृतकों के रिस्तेदारो कों संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
177	उत्तर प्रदेश	20772/24/46/07-08-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	18/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
178	उत्तर प्रदेश	21264/24/31/08-09-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	19/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
179	उत्तर प्रदेश	21313/24/52/2010-एएफई	कथित फर्जी मुठभेड़	10,00,000.00	23/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
180	उत्तर प्रदेश	2172/24/54/2011	अवैध गिरफ्तारी	10,000.00	28/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
181	उत्तर प्रदेश	23018/24/54/2010-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	27/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
182	उत्तर प्रदेश	235/24/54/2010-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	31/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
183	उत्तर प्रदेश	23712/24/14/09-10	शक्ति का दुरुपयोग	20,000.00	04/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
184	उत्तर प्रदेश	2400/24/2005-2006	पुलिस मुठभेड़ में मौत	10,00,000.00	07/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
185	उत्तर प्रदेश	24411/24/2005-2006	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000.00	20/07/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
186	उत्तर प्रदेश	25020/24/68/09-10-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	21/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
187	उत्तर प्रदेश	26628/24/2005-2006	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	01/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
188	उत्तर प्रदेश	27143/24/12/07-08-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	1,00,000.00	23/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
189	उत्तर प्रदेश	2727/24/4/08-09-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	31/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
190	उत्तर प्रदेश	2756/24/54/2010	अवैध गिरफ्तारी	20,000.00	23/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
191	उत्तर प्रदेश	27848/24/70/09-10	अवैध गिरफ्तारी	20,000.00	14/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
192	उत्तर प्रदेश	29354/24/43/07-08	शक्ति का दुरुपयोग	50,000.00	05/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
193	उत्तर प्रदेश	30444/24/48/09-10-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	13/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
194	उत्तर प्रदेश	30824/24/48/09-10-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	08/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
195	उत्तर प्रदेश	30962/24/36/09-10-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	5,00,000.00	24/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
196	उत्तर प्रदेश	31299/24/52/2010	हत्या का प्रयास	3,00,000.00	02/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
197	उत्तर प्रदेश	31374/24/7/07-08	गैर कानूनी कैद	10,000.00	13/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
198	उत्तर प्रदेश	32604/24/2005-2006	अपहरण	20,000.00	04/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
199	उत्तर प्रदेश	32646/24/53/2010-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	10,00,000.00	01/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
200	उत्तर प्रदेश	32803/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	01/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
201	उत्तर प्रदेश	33489/24/2005-2006-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	26/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
202	उत्तर प्रदेश	33785/24/3/09-10	शक्ति का दुरुपयोग	20,000.00	21/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
203	उत्तर प्रदेश	34653/24/2005-2006	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	25/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
204	उत्तर प्रदेश	34804/24/19/07-08	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	40,000.00	15/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
205	उत्तर प्रदेश	35292/24/70/09-10	अवैध गिरफ्तारी	15,000.00	08/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
206	उत्तर प्रदेश	35715/24/2004-2005	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000.00	15/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
207	उत्तर प्रदेश	3583/24/2002-2003	राज्य में उचित चिकित्सा सुविधाओं की कमी	44,20,000.00	28/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
208	उत्तर प्रदेश	35837/24/2005-2006	अपहरण	5,00,000.00	30/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
209	उत्तर प्रदेश	3644/24/54/2010	गैर कानूनी कैद	10,000.00	29/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
210	उत्तर प्रदेश	36496/24/48/2010	चिकित्सा व्यावसायिकों का कदावार	2,00,000.00	30/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
211	उत्तर प्रदेश	37510/24/36/09-10-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	3,00,000.00	22/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है

कुल सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीडितों/मृतकों के रिस्तेदारो कों संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
212	उत्तर प्रदेश	38867/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	07/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
213	उत्तर प्रदेश	3915/24/1/2011	अवैध गिरफ्तारी	10,000.00	01/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
214	उत्तर प्रदेश	39207/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	20/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
215	उत्तर प्रदेश	3937/24/56/2010-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	11/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
216	उत्तर प्रदेश	39448/24/2005-2006	पुलिस मुठभेड़ में मौत	14,00,000.00	19/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
217	उत्तर प्रदेश	39486/24/43/07-08	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	6,00,000.00	15/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
218	उत्तर प्रदेश	39631/24/1/2011	अवैध गिरफ्तारी	25,000.00	20/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
219	उत्तर प्रदेश	39951/24/31/07-08	अवैध गिरफ्तारी	50,000.00	15/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
220	उत्तर प्रदेश	39983/24/3/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	16/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
221	उत्तर प्रदेश	41124/24/2006-2007	गैरकानूनी कैद	50,000.00	29/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
222	उत्तर प्रदेश	42599/24/20/2010-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	15,00,000.00	02/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
223	उत्तर प्रदेश	42681/24/2005-2006	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	08/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
224	उत्तर प्रदेश	43035/24/2004-2005	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	12/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
225	उत्तर प्रदेश	43305/24/2004-2005-सीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	5,00,000.00	05/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
226	उत्तर प्रदेश	4337/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	16/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
227	उत्तर प्रदेश	4381/24/72/2010-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	13/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
228	उत्तर प्रदेश	4446/24/2006-2007	अपहरण	10,000.00	20/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
229	उत्तर प्रदेश	44714/24/48/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	10,00,000.00	07/12/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
230	उत्तर प्रदेश	49073/24/1/2010	अवैध गिरफ्तारी	15,000.00	13/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
231	उत्तर प्रदेश	4922/24/4/07-08-डब्ल्यूसी	दहेज हत्या अथवा हत्या का प्रयास	10,000.00	14/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
232	उत्तर प्रदेश	50964/24/40/07-08-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	06/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
233	उत्तर प्रदेश	51676/24/2006-2007	गैरकानूनी कैद	10,000.00	04/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
234	उत्तर प्रदेश	51743/24/30/07-08	शक्ति का दुरुपयोग	20,000.00	25/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
235	उत्तर प्रदेश	52494/24/56/07-08	हिरासतीय उत्पीड़न	20,000.00	03/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
236	उत्तर प्रदेश	5981/24/17/09-10	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	10,000.00	27/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
237	उत्तर प्रदेश	6153/24/56/2011-पीएफ	शक्ति का दुरुपयोग	25,000.00	23/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
238	उत्तर प्रदेश	6752/24/2004-2005	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000.00	01/06/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
239	उत्तर प्रदेश	6916/24/2005-2006	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000.00	04/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
240	उत्तर प्रदेश	7697/24/1/08-09-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	29/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
241	उत्तर प्रदेश	8039/24/14/09-10	हिरासतीय उत्पीड़न	10,000.00	02/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
242	उत्तर प्रदेश	9668/24/2006-2007-सीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	28/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
243	उत्तर प्रदेश	9833/24/63/2010-डब्ल्यूसी	दहेज हत्या अथवा हत्या का प्रयास	10,000.00	08/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
244	पश्चिमी बंगाल	1011/25/5/07-08-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	11/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
245	पश्चिमी बंगाल	1068/25/4/2010	हत्या का प्रयास	2,00,000.00	19/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
246	पश्चिमी बंगाल	511/25/13/09-10-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	11/10/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
247	पश्चिमी बंगाल	578/25/2002-2003	बच्चे	50,000.00	20/04/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
248	पश्चिमी बंगाल	624/25/15/07-08	गैरकानूनी कैद	50,000.00	23/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
249	पश्चिमी बंगाल	646/25/2/09-10-जेडीसी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	23/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
250	पश्चिमी बंगाल	901/25/2006-2007	शक्ति का निरंकुश प्रयोग	50,000.00	03/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है

कुल सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीडितों/मृतकों के रिस्तेदारो कों संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
251	चण्डीगढ़	25/27/0/09-10-एडी	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासतीय मौत	1,00,000.00	10/08/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
252	चण्डीगढ़	43/27/0/2010	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अनियमितताएं	50,000.00	19/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
253	दिल्ली	1559/30/8/2010	राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	6,00,000.00	30/11/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
254	दिल्ली	1681/30/0/2010	बच्चे	50,000.00	13/02/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
255	दिल्ली	1717/30/0/2011	शक्ति का दुरुपयोग	1,00,000.00	24/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
256	दिल्ली	209/30/6/09-10	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अनियमितताएं	10,000.00	05/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
257	दिल्ली	2843/30/1/2010	राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	1,00,000.00	20/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
258	दिल्ली	4528/30/9/07-08-जेसीडी	हिरासतीय मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	04/01/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
259	दिल्ली	4951/30/8/2010	मजदूर	3,00,000.00	01/09/2011	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
260	दिल्ली	5031/30/2/08-09	गैर कानूनी कैद	10,000.00	22/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है
261	दिल्ली	5749/30/8/2010	गैर कानूनी कैद	25,000.00	24/03/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है

वर्ष 1993–94 से 2009–2010 के दौरान रा.मा.अ.आयोग द्वारा आर्थिक राहत के भुगतान/ अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित /उनके परिजनों के लिए संस्तुत की राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
1	बिहार	838/4/2006-2007 एम-2	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000 + अनुशासिक कार्रवाई	29.02.2008	मृतक कैदी के परिजन को आर्थिक सहायता की राशि नहीं दी जा सकी है क्योंकि उसका पता नहीं चल पाया है अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट कभी प्राप्त नहीं हुई है।
2	बिहार	3413/4/2006'2007 एफ सी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	23.11.2009	भुगतान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।
3	जम्मू एवं कश्मीर	55/9/2003–2004 एडी एफ सी	जम्मू पुलिस की हिरासत में तथाकथित मौत (शिकायत)	500000	19.08.2009	राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों को जम्मू एवंकश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है
4	जम्मू एवं कश्मीर	206/9/2003–2004 एम–4	सरकार द्वारा घर को क्षति (शिकायत)	200000	23.11.09	राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है
5	केरल	235/11/98–99 एफसी	कथित रूप से झूठे मामले में फँसाना	10000	14.03.01	राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों के विरूद्ध रिट याचिकाओं को वरीयता दी है जो विचार के लिए लंबित है।
6	केरल	95/11/1999–2000 एफसी	समय पर चिकित्सा देख–रेख के अभाव में डयूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल की मौत	50000	29.08.07	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण केरल उच्च न्यायालय में चुनौती मिलने के कारण अनुपालन रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। केरल उच्च न्यायालय से रिट याचिका सं0 36890/07 में दिया गया आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित /उनके परिजनों के लिए संस्तुत की राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
7	केरल	43/11/2002–2003–सीडी एम–1	न्यायिक हिरासत में मौत	150000	12.09.08	आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के विरूद्ध केरल सरकार ने केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 21305/09 दायर की तथा रिट याचिका पर उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा है।
8	उड़ीसा	123/18/1999–2000 एफ सी	पुलिस द्वारा शारीरिक यातना तथा अवैध रूप से कैद रखना	अनुशासनिक कार्रवाई		राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों के विरूद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 ओ. जे.सी सं0 8776/2000 को वरीयता दी है जो विचार के लिए लंबित है।
9	उत्तर प्रदेश	30217/24/2002–2003 सीडी एफ सी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	10000	20.02.08	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
10	उत्तर प्रदेश	24507/24/2004–2005 सीडी एफ सी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	16ण02ण09	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
11	उत्तर प्रदेश	20992/24/2006–2007 सी डी एफ सी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	02ण12ण2009	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
12	उत्तर प्रदेश	12969/24/2002–2003 एफ सी	पुलिस मुठभेड़ में हत्या (शिकायत)	300000	27ण05ण2009	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
13	उत्तर प्रदेश	39058/24/2003–2004 एफ सी	पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मौत (शिकायत)	600000 (दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक को रु0 3,00,000/–)	27.07.2009	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
14	उत्तर प्रदेश	37802/24/2006–2007 एम.5	पुलिस द्वारा कथित यातना (शिकायत)	25000	24.08.2009	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
15	उत्तर प्रदेश	38166/24/2006–2007 सीडी एम.5	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	31.10.2009	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
16	उत्तर प्रदेश	14303/24/2006–2007 एम.5	लखीमपुर खिरी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जिसके विरूद्ध उसने प्रेस में रिपोर्ट प्रकाशित की थी, के कहने पर पुलिस द्वारा एक प्रेस रिपोर्टर को तंग करना तथा उसे यातना देना (शिकायत)	500000	04.02.10	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
17	उत्तर प्रदेश	13285/24/48/09–10 एम.5	गोमती नगर, लखनऊ में मैनहोल में गिरने से एक बच्चे की मौत (शिकायत)	300000	10.03.2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
18	दिल्ली	102/30/2005–2006 एफ सी	सी जी एच एस डिस्पेंसरी द्वारा गलत दवा देने के कारण एक लड़की को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या झेलनी पड़ी	100000	30.07.07	शिकायतकर्ता द्वारा दवा देने से मना करने; याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिए जाने के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के कारण अनुपालन रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई; गलत दवा दिए जाने के कारण रोगी की स्थिति बिगड़ गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 9776/07 का आदेश लंबित।

अनुलग्नक–7

पैरा 2.37

वर्ष 2010–11 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा आर्थिक राहत के भुगतान/ अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित /उनके परिजनों के लिए संस्तुत की राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	1085/1/6/07–08 जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	18/02/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	आंध्र प्रदेश	444/1/2006–2007 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	09/12/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	अरूणाचल प्रदेश	1/2/4/08–09 पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	21/10/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	अरूणाचल प्रदेश	3/2/14/08–09 पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	12/11/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
5.	असम	32/3/2006–2007 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	24/02/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
6.	बिहार	1358/4/26/08–09 जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	22/11/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
7.	बिहार	2491/4/7/08–09 जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	31/03/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
8.	बिहार	2602/4/2006–2007 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	02/02/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
9.	गुजरात	259/6/2004–2005 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	500000	01/04/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
10.	गुजरात	300/6/25/07–08	जोखिमपूर्ण रोजगार	71400000	12/11/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
11.	केरल	112/11/10/2010 पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	500000	10/11/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
12.	केरल	46/11/2006–2007 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	23/06/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
13.	केरल	49/11/2006–2007 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	27/09/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
14.	मध्य प्रदेश	130/12/13/2010 पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	200000	09/03/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
15.	मध्य प्रदेश	2138/12/38/07–08	तथाकथित फर्जी मुठभेड़	200000	14/07/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
16.	महाराष्ट्र	1122/13/2005–2006 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	05/01/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
17.	महाराष्ट्र	1476/13/2006–2007 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	06/01/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
18.	महाराष्ट्र	2103/13/2003–2004	पुलिस गोलीबारी में मौत	500000	05/01/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
19.	महाराष्ट्र	511/13/2003–2004	कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहना	1430000	06/01/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
20.	उड़ीसा	256/18/2/09–10	केन्द्र/राज्य सरकारों के सीमाशुल्क/ उत्पाद/ प्रवर्तन/वन/आयकर आदि विभागों द्वारा अत्याचार	700000	31/03/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित /उनके परिजनों के लिए संस्तुत की राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
21.	उड़ीसा	613/18/2002–2003 ए एफ	प्रताड़ना	2400000	19/10/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
22.	त्रिपुरा	28/23/2004–2005 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	21/06/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
23.	उत्तर प्रदेश	12677/24/2000–2001	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भेद–भाव	1200000	25/11/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
24.	उत्तर प्रदेश	14927/24/2003–2004	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	17/03/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
25.	उत्तर प्रदेश	16176/24/12/07–08	गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी	20000	22/12/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
26.	उत्तर प्रदेश	20170/24/2006–2007	कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहना	100000	17/02/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
27.	उत्तर प्रदेश	20640/24/2003–2004	प्रताड़ना	200000	02/07/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
28.	उत्तर प्रदेश	21872/24/2006–2007 सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	08/09/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
29.	उत्तर प्रदेश	23226/24/1/07–08	गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करना	10000	18/10/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
30.	उत्तर प्रदेश	23917/24/2006–2007	अपहरण	20000	14/02/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
31.	उत्तर प्रदेश	24409/24/43/07–08 जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	500000	19/04/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
32.	उत्तर प्रदेश	34100/24/2006–2007	राज्य सरकार/केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अकर्मण्यता	200000	27/01/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
33.	उत्तर प्रदेश	38543/24/2005–2006	बच्चे	200000	03/12/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
34.	उत्तर प्रदेश	41093/24/2005–2006	राज्य सरकार/केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अकर्मण्यता	2600000	14/03/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
35.	उत्तर प्रदेश	42474/24/2006–2007	गैरकानूनी तरीके से कैद रखना	50000	25/05/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
36.	उत्तर प्रदेश	42526/24/2005–2006सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	12/01/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
37.	उत्तर प्रदेश	6384/24/2003–2004	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	05/05/2010	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।
38.	उत्तर प्रदेश	9085/24/48/08–09जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	11/02/2011	भुगतान का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुलग्नक–8

पैरा 11.3

वर्ष 2011–2012 के दौरान संचालित किए गए मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विशय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
1)	**असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज,** खानपारा, गुवाहाटी–22, असम	**मानव अधिकारों पर एक टी ओ टी (तीन दिवसीय) कार्यक्रम**	असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, गुवाहाटी	**19-21 दिसम्बर 2011** 22 भागीदार
2)	**छतीसगढ़ एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,** इंद्रवती खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़	**मानव अधिकारों पर तीन टी ओ टी (तीन दिवसीय) कार्यक्रम**	कमरा नं0 2, छतीसगढ़ एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन	**15-17 नवम्बर 2011** 15 भागीदार **07-09 दिसम्बर 2011** 19 भागीदार **27-29 दिसम्बर 2011** 21 भागीदार
3)	**एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट,** मिजोरम, ऐंजल	**मानव अधिकारों पर चार (दो दिवसीय) उन्नत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम**	एस आई आर डी ट्रेनिंग हॉल, आर. डी. ब्लॉक, थिंगसुल्थलीआ ऐबक कम्यूनिटी हॉल कान्फ्रेंस हॉल, थिंग्डबल, आर. डी ब्लाक कम्यूनिटी हॉल रीक आर. डी. ब्लाक	**5-6 अक्टूबर 2011** 39 भागीदार **10-11 अक्टूबर 2011** 50 भागीदार **13-14 अक्टूबर 2011** 43 भागीदार **19-20 अक्टूबर 2011** 40 भागीदार
4)	**एच सी एम राजस्थान स्टेट इन्स्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,** जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017	**(I) मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम** **(II) मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम** **(III) मानव अधिकारों संबंधी एक टी ओ टी (तीन दिवसीय) कार्यक्रम**	एच सी एम राजस्थान स्टेट इन्स्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, परिसर	**6 फरवरी 2012** 17 भागीदार **13-14 मार्च 2012** 11 भागीदार **27-29 फरवरी 2012** 10 भागीदार

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
5)	**अन्ना इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट,** माहीझम्पू, 163/1, थाना कुमारासामी राजा सलाई (ग्रीनवेज रोड) चेन्नई–600028	**मानव अधिकारों संबंधी एक टी ओ टी (तीन दिवसीय) कार्यक्रम**	**अन्ना इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, कैम्पस**	**12-14 दिसम्बर 2011** 24 भागीदार
6)	**यूथ टेक्निकल ट्रेनिंग सोसायटी,** 13 (जी एफ) करूणा सदन, सेक्टर–11, चंडीगढ़	**मानव अधिकारों संबंधी एक टी ओ टी (तीन दिवसीय) कार्यक्रम**	आर्मी पब्लिक स्कूल, तारापूर इक्लेव, भटिंडा रोड़, पटियाला, पंजाब गुरू नानक लाइब्रेरी, जालंधर एस. डी. कॉलेज, अम्बाला	**16-18 अगस्त 2011** 66 भागीदार **12-14 मार्च 2012** 50 भागीदार **16-18 मार्च 2012** 54 भागीदार
7)	**ऑल इंडिया डिजास्टर मिटीगेशन इन्स्टीटयूट,** 411, सकर फाइव, नजदीक नटराज सिनेमा, आश्रम रोड़, अहमदाबाद–380 009	**मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम**	नंदाकुमारपुर, संन्दरवन, पश्चिम बंगाल	**3-4 नवम्बर 2011** 54 भागीदार
8)	**उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग,** मानव अधिकार भवन, टीसी/34 वी–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010	**मानव अधिकारों पर तीन (एक दिवसीय) कार्यशाला**	फैजाबाद मिर्जापुर बरेली	**25 अगस्त 2011** 50 भागीदार **17 अक्टूबर 2011** 68 भागीदार **10 दिसम्बर 2011** 70 भागीदार
9)	**महाराश्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग,** 9, हजारीमल सोमानी मार्ग, अपोजिट सी एस टी स्टेशन, मुम्बई	**विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकार जागरूकता संबंधी एक कार्यक्रम (दो दिवसीय)**	न्यूजीलैन्ड हॉस्टल, आर कालोनी, गोरेगांव (ई), मुम्बई	**23-24 फरवरी 2012** 109 भागीदार
10)	**इन्स्टीटयूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन** सैक्टर–6, चंड़ीगढ़	**मानव अधिकार एवं अभियोधीन के हिरासत प्रबंधन संबंधी एक टी ओ टी (तीन दिवसीय) कार्यक्रम**	इन्स्टीटयूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, चंड़ीगढ़	**24-26 अगस्त 2011** 40 भागीदार
11)	**यशवंतरॉ चवन अकेडमी ऑफ डेवलोपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन,** राज भवन कॉम्पलैक्स, बनेर रोड़ पुणे	**मानव अधिकारों पर पाँच (दो दिवसीय) उन्नत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम**	सतारा कोलहापुर अहमदनगर	**28-29 दिसम्बर 2011** 66 भागीदार **05-06 जनवरी 2012** 50 भागीदार **20-21 जनवरी 2012**

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
12)	**एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट,** अरूणाचल प्रदेश सरकार, नाहरलागुन	**मानव अधिकारों पर एक दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम**	इन्स्टीटयूट कैम्पस	**09 मार्च 2012** 44 भागीदार
13)	**एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट,** ललिता महल रोड़, मैसूर	**मानव अधिकारों पर एक दिवसीय मूलभूत कार्यक्रम** **मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उन्नत स्तर का कार्यक्रम** **मानव अधिकारों संबंधी एक टी ओ टी (तीन दिवसीय) कार्यक्रम**	जेड पी मीटिंग हॉल कोप्पला जेड पी मीटिंग हॉल दावनगेरे ए टी आई, मैसूर	**09 नवम्बर 2011** 85 भागीदार **20-21 दिसम्बर 2011** 68 भागीदार **23-25 जनवरी 2012** 18 भागीदार
14)	**महात्मा गांधी स्टेट इन्स्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,** इंस्टीटयूशनल एरिया, सैक्टर–26, चंड़ीगढ़–160 019	**मानव अधिकार संबंधी चार (एक दिवसीय) कार्यक्रम** **मानव अधिकारों पर चार (दो दिवसीय) उन्नत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम**	पटियाला जालंधर चंड़ीगढ़ भटिंडा पटियाला जालंधर चंड़ीगढ़ भटिंडा	**03 अक्टूबर 2011** 40 भागीदार **18 अक्टूबर 2011** 40 भागीदार **21 नवम्बर 2011** 40 भागीदार **25 नवम्बर 2011** 58 भागीदार **04-05 अक्टूबर 2011** 30 भागीदार **24-25 अक्टूबर 2011** 30 भागीदार **22-23 नवम्बर 2011** 30 भागीदार **29-30 नवम्बर 2011** 34 भागीदार
15)	**आंध्र प्रदेश पुलिस अकेडमी,** हिमायत सागर, हैदराबाद–500008	**मानव अधिकारों पर दो (दो दिवसीय) उन्नत स्तर के कार्यक्रम** **मानव अधिकारों संबंधी एक टी ओ टी (पांच दिवसीय) कार्यक्रम**	आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी	**19-20 दिसम्बर 2011** 16 भागीदार **22-23 दिसम्बर 2011** 17 भागीदार 28 **नवम्बर –** **02 दिसम्बर 2011** 51 भागीदार
16)	**पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, दारोह,** कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	**मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उन्नत स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम**	मेन कॉन्फ्रेन्स हॉल, पी टी सी, दारोह	**15-16 दिसम्बर 2011** 50 भागीदार

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
17)	**पंजाब पुलिस अकेडमी,** फिल्लौर, जिला जालंधर, पंजाब	**मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उन्नत स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम** **मानव अधिकारों संबंधी दो टी ओ टी (तीन दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम**	पंजाब पुलिस अकेडमी, फिल्लौर	**20-21 मार्च 2012** 33 भागीदार **03-05 जनवरी 2012** 50 भागीदार **21-23 फरवरी 2012** 50 भागीदार
18)	**पुलिस मुख्यालय,** जहाँगीराबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश	**पैंतालीस एक दिवसीय कार्यशाला** **एक टी ओ टी (तीन दिवसीय)**	पीटीएस टिघरा ग्वालियर (8) पीटीएस इंदौर (4) पचमढी (8) पीटीएस उमारिया (8) आईजी जोन जी डब्ल्यू एल (1) पीटीएस मकरोनिया (8) रीवा (8) पीटीएस इंदौर	**20-27 नवम्बर 2011** 600 भागीदार **3-6 नवम्बर 2011** **1-4 दिसम्बर 2011** **8-11 दिसम्बर 2011** 493 भागीदार **1-4 दिसम्बर 2011** **8-11 दिसम्बर 2011** 497 भागीदार **21 नवम्बर 2011** **26 दिसम्बर 2011-2 जनवरी 2012** 539 भागीदार **4 - 11 जनवरी 2012** 545 भागीदार **5-7 नवम्बर 2011**
19)	**टाटा इन्स्टीटयूट ऑफ सोशल साइन्सेज,** बी एन पूरव मार्ग, देवनार, मुम्बई	**जेल प्रबंधन में मानव अधिकार : चुनौतियाँ एवं उपाय विशय पर तीन क्षेत्रीय संगोश्ठियाँ (उन्नत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम)**	ए पी सी ए, वेल्लौर टी.आई.एस.एस मुम्बई के आई आई टी यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	**7-8 जनवरी 2012** 100 भागीदार **4-5 फरवरी 2012** 115 भागीदार **25-26 फरवरी 2012** 100 भागीदार
20)	**इन्स्टीटयूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, नं0 24, शिवानंद नगर, नवानगर, हुबली–580025, कर्नाटक**	**मानव अधिकारों पर दो (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम**	संस्कृति समुच्चय भवन, कॉलेज रोड़ धरवाड़, जिला धरवाड़, कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ए .पी. एम.सी. यार्ड, गदग, जिला गदग, कर्नाटक	**21 जनवरी 2012** 109 भागीदार **10 मार्च 2012** 105 भागीदार
21)	**स्कूल फार लीगल स्टडीज,** बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ -226 025	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) राश्ट्रीय संगोश्ठी**	कॉन्फ्रेन्स हॉल, स्कूल फॉर लीगल स्टडीज, बी.बी.ए यूनिवर्सिटी, लखनऊ	**14 नवम्बर 2011** 193 भागीदार

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
22)	**मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर, इम्फाल– -795003**	**मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसी य) संगोष्ठी**	मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, पनगेई	**11-12 फरवरी 2012** 413 भागीदार
23)	**मिजोरम यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक्स, तनहरिल, पोस्ट बॉक्स नं0 190, ऐंजल**	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) कार्यशाला**	इंफोर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन हॉल, ऐजल	**28 नवम्बर 2011** 100 भागीदार
24)	**इक्वल अपार्चुनिटी सेल,** तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर–784 028, असम	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) कार्यशाला**	तेजपुर यूनिवर्सिटी	**12 नवम्बर 2011** 100 भागीदार
25)	**सोहरा गवर्नमेंट कॉलेज,** सोहरा, इस्ट खासी हिल्स, मेघालय	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) संगोष्ठी**	कॉलेज परिसर	**05 दिसम्बर 2011** 65 भागीदार
26)	**इंडियन इन्स्टीटयूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन,** संचार मार्ग, धेनकनल–759 001, ओडिशा	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी**	स्पंदन (ऑडिटोरियम) आई.आई.एम.सी., धेनकनल कैम्पस	**08 दिसम्बर 2011** 94 भागीदार
27)	**समाज सेवा समिति (आर)** नं0 60, थर्ड क्रॉस, गविपुरम एक्सटेंशन, बैंगलोर	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) कार्यशाला**	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज परिसर रायचूर	**11 फरवरी 2012** 103 भागीदार
28)	**लक्ष्मी बाई कॉलेज,** यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अशोक विहार–III, नई दिल्ली	**मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) राष्ट्रीय संगोष्ठी**	कॉलेज परिसर	**28-29 फरवरी 2012** 50 भागीदार
29)	**डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटीकल साइंस,** मिजोरम यूनिवर्सिटी, तन्हरिल, ऐजल	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) कार्यशाला**	मिजोरम यूनिवर्सिटी, ऐजल	**28 फरवरी 2012** 90 भागीदार
30)	**यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज,** उमीअम ख्वान, आर–भोई जिला–793 122 मेघालय	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) संगोष्ठी**	कॉलेज ऑडिटोरियम यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज, मेघालय	**10 दिसम्बर 2011** 261 भागीदार

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
31)	**एजुकेशन डिपार्टमेन्ट मिजोरम यूनिवर्सिटी** तन्हरिल, ऐजल	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी**	अकेडमिक कॉन्फ्रेन्स हॉल	**29 फरवरी 2012** 70 भागीदार
32)	**इंडियन इन्स्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,** बदायूँ ब्रांच, उ0 प्र0,	**दो (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम** **मानव अधिकारों पर एक (टी ओ टी)**	बी.आई.एम.टी कॉलेज, ककराला रोड़, बदायूँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कछला, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ब्लॉक ऑफिस, दातागंज, जिला बदायूँ, उत्तर प्रदेश	**03 दिसम्बर 2011** लगभग 80 भागीदार **22 दिसम्बर 2011** लगभग 100 भागीदार **18-20 मार्च 2012** 75 भागीदार
33)	**रिजनल कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन,** दरगाह रोड़, हाटीगांव, गुवाहाटी, असम	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) संगोष्ठी**	आर.आई.एस.टी कॉन्फ्रेन्स हॉल	**12 February 2012** 116 भागीदार
34)	**भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लायड साइन्सेज** (यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), सैक्टर–2, फेस -I, द्वारिका, नई दिल्ली	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) संगोष्ठी**	कॉलेज परिसर	**13 मार्च 2012** 150 भागीदार
35)	**ह्यूमन राईटस सेल, लॉ स्कूल,** बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी,	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) संगोष्ठी**	लॉ स्कूल, बी.एच.यू.	**04 मार्च 2012** 279 भागीदार
36)	**केन्द्रीय विद्यालय, संगठन, नई दिल्ली**	**मानव अधिकारों पर दो (तीन दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम**	केन्द्रीय विद्यालय, प्रगति विहार, लोधी रोड़, नई दिल्ली	**03-05 मई 2011** 45 भागीदार **8-10 अगस्त 2011** 48 भागीदार
37)	**सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश,** धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	**'न्याय, भाांति एवं सतत विकास' के सामान्य विशय पर कानून का समाजशास्त्र संबंधी एक (तीन दिवसीय) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन**	धर्मशाला, कांगड़ा	**10-12 सितम्बर 2011** 107 भागीदार
38)	**महानिरीक्षक एफ टी आर मुख्यालय बी.एस.एफ** दक्षिण कोलकाता	**दो मानव अधिकार संवेदीकरण (एक दिवसीय) कार्यक्रम**	कोलकाता	**16 & 17 फरवरी 2012** 41 भागीदार
39)	**महानिरीक्षक एफ टी आर मुख्यालय बी.एस.एफ** उत्तरी	**एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**	सिलिगुरी	**28 फरवरी 2012** 47 भागीदार

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
1)	**ह्यूमन राईटस फ्रन्ट,** 298, गंगा नगर, यूनिट–VI, भुवनेश्वर, उड़ीसा	**1. मानव अधिकारों पर मीडियाकर्मियों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम** **2. मानव अधिकार पक्षकारों संबंधी एक दिवसीय कार्यक्रम**	सी.वाई.एस.डी.–डी.आर. टी.सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	**19 मार्च 2012** 73 भागीदार **21 मार्च 2012** 85 भागीदार
2)	**श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया कल्चरल सोसायटी,** हाउस नं0 1–30, बी सेट्टीपल्ली गांव एवं पोस्ट चिलामाथुर मंडल, हिन्दुपुर तालुक, अनंतापुर जिला	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम**	श्री सत्य साईं रिसोर्स भवन, अनंतापुर जिला, आंध्र प्रदेश	**18 मार्च 2012** 100 भागीदार
3)	**श्री गुरू अयप्पा स्वामी एजुकेशनल ट्रस्ट,** चितगुप्पा पोस्ट, तालुक हुमुनाबाद, जिला बिदर, कर्नाटक	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रि शक्षण कार्यक्रम**	कॉलेज कैम्पस	**25 मार्च 2012** 102 भागीदार
4)	**यूनिवर्सिटी इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी,** यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, नेयट्टीनकारा सेंटर, अरालुम्मूडू, पो0 तिरूवनंतपुरम	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम**	यूनिवर्सिटी सीनेट चेम्बर, पलयम, तिरूवनंतपुरम	**30 मार्च 2012** 191 भागीदार
5)	**बरेली कॉलेज,** बरेली, उत्तर प्रदेश	**मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रि शक्षण कार्यक्रम**	बरेली कॉलेज	**21 मार्च 2012** 130 भागीदार

मानव अधिकारा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 2010–2011 के दौरान अनुमोदित किए गए किन्तु जिनका संचालन 2011–12 में हुआ।

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एव कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
45	**सरदार पटेल इन्स्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन** इसरो के सामने सेटेलाइट रोड़ अहमदाबाद, गुजरात	**सुशासन के लिए मानव अधिकारों संबंधी एक टी ओ टी (तीन दिवसीय)**	भादर हॉल एस.पी.आई.पी.ए, अहमदाबाद	**14-17 जुलाई 2011** * भागीदारों की संख्या उपलब्ध नहीं
46	**असम राज्य मानव अधिकार आयोग,** जी.एम.सी रोड़, भंगागढ़ गुवाहाटी–781 005	**मानव अधिकारों पर दो (एक दिवसीय) प्रि शक्षण कार्यक्रम**	सोनारी डूमडूमा	**13 जून 2011** 67 भागीदार **15 जून 2011** 80 भागीदार

क्रम सं0	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं भागीदारों की संख्या
47	**यूनिवर्सिटी इन्स्टीटयूट ऑफ लीगल स्टडीज** (एच.पी.यू.) ए वी ए–लॉज कैम्पस, चौड़ा–मैदान, शिमला–171 004	**बच्चों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गो के मानव अधिकारों संबंधी एक (एक ि दवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम**	यूनिवर्सिटी इन्स्टीटयूट ऑफ लीगल स्टडीज, शिमला	**31 मार्च 2012** 100 से अधिक भागीदार
48	**राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,** जयपुर, राजस्थान	**मानव अधिकारों पर तीन (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम**	उदयपुर सिरोही किशनगढ़, अजमेर	**11 अगस्त 2011** 45 भागीदार **16 अगस्त 2011** 42 भागीदार **18 अगस्त 2011** 40 भागीदार
49	**डिपार्टमेन्ट ऑफ कम्परेटिव द्रविड़ियन लिट्रेचर एंड फिलॉसॉफी,** द्रविड़ियन यूनिवर्सिटी, कुप्पम–517 425 (आंध्र प्रदेश)	**मानव अधिकारों संबंधी एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम**	द्रविड़ियन यूनिवर्सिटी कैम्पस	**21 जनवरी 2012** 150 भागीदार
50	**एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट** पश्चिम बंगाल सरकार, साल्ट लेक सिटी सेक्टर -III, एफ सी– ब्लॉक कलकत्ता -700 091	**मानव अधिकार संबंधी एक टी ओ टी (पाँच दिवसीय)**	इन्स्टीटयूट परिसर	**20-24 जून 2011** 34 भागीदार

अनुलग्नक–9

पैरा 12.9

संदेश

समूचे विश्व का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय पूरी दुनिया में मानव अधिकार राज्य को सुदृढ़ करने में मानव अधिकार पक्षकारों की भूमिका एवं उनके योगदान को स्वीकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आम आदमी के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं उसके संवर्द्धन के लिए एक संस्थान के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के प्रयास में मानव अधिकार पक्षकारों को अपना भागीदार मानता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह जानता है कि मानव अधिकार पक्षकारों के लिए सुरक्षा संबंधी कई खतरे हैं तथा मानव अधिकार पक्षकार के रूप में अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में उन्हें काफी जोखिम भरे एवं कठिन रास्तों पर चलना है। मानव अधिकार पक्षकारों की समस्याओं एवं उनके उत्पीड़न की आयोग को जानकारी है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव सच्चे प्रयास किए हैं। मानव अधिकार पक्षकारों के लिए फोकल प्वाइन्ट, एच.आर.डी के लिए समर्पित वेबसाइट स्थान तथा कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों/संगोष्ठियों/बैठकों के माध्यम से राज्य एवं गैर राज्य दोनों कार्यकर्ताओं को सुग्राही बनाने जैसे उपाय से एच आर डी की बात को सुनने में तथा मानव अधिकारों के संरक्षक एवं संवर्द्धक के रूप में उनकी पहचान बहाल करने में काफी सफलता मिली है।

आयोग का यह मानना है कि 9 दिसम्बर, वह दिन जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 दिसम्बर, 1998 को मानव अधिकार पक्षकारों से संबंधित घोषणापत्र अंगीकार किया गया था, को मानव अधिकार पक्षकारों को सदैव समर्थन की प्रतिज्ञा करते हुए मानव अधिकार पक्षकार दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए जो अधिकारों के प्रति जागरूक एवं अधिकारों का सम्मान करने वाले सिविल सोसायटी के निर्माण एवं उसकी पुष्टि के लिए काम कर रहे हैं।

****

चार्ट एवं ग्राफ

1 वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में राज्य/संघ राज्य आधारित पंजीकृत मामलों की संख्या

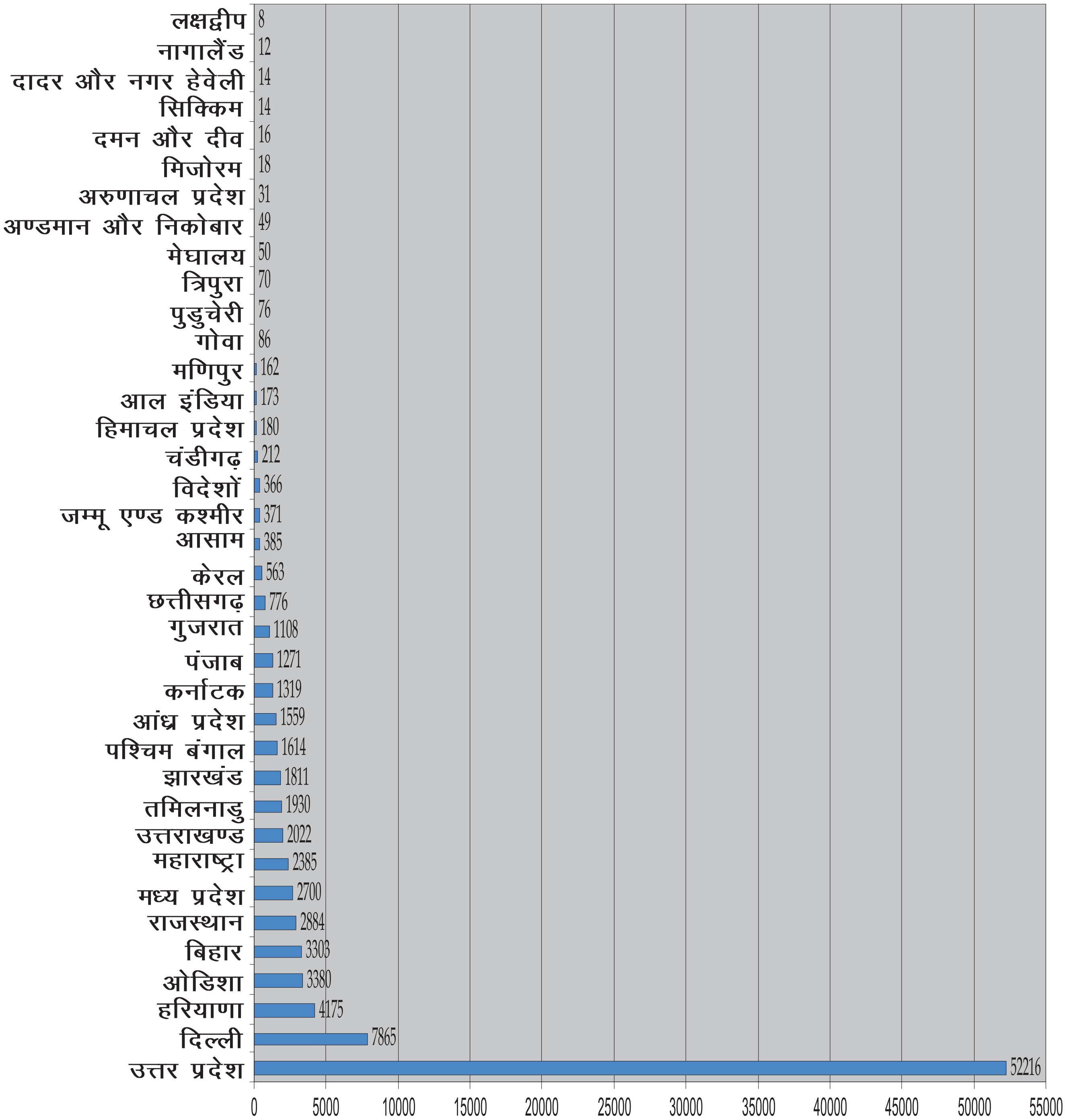

कुल पंजीकृत मामले = **95174**

2 वर्ष 2011–12 के दौरान हिरासत में हुई मौतों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में राज्य/संघ राज्य आधारित पंजीकृत सूचनाएं

कुल मामले = 1436

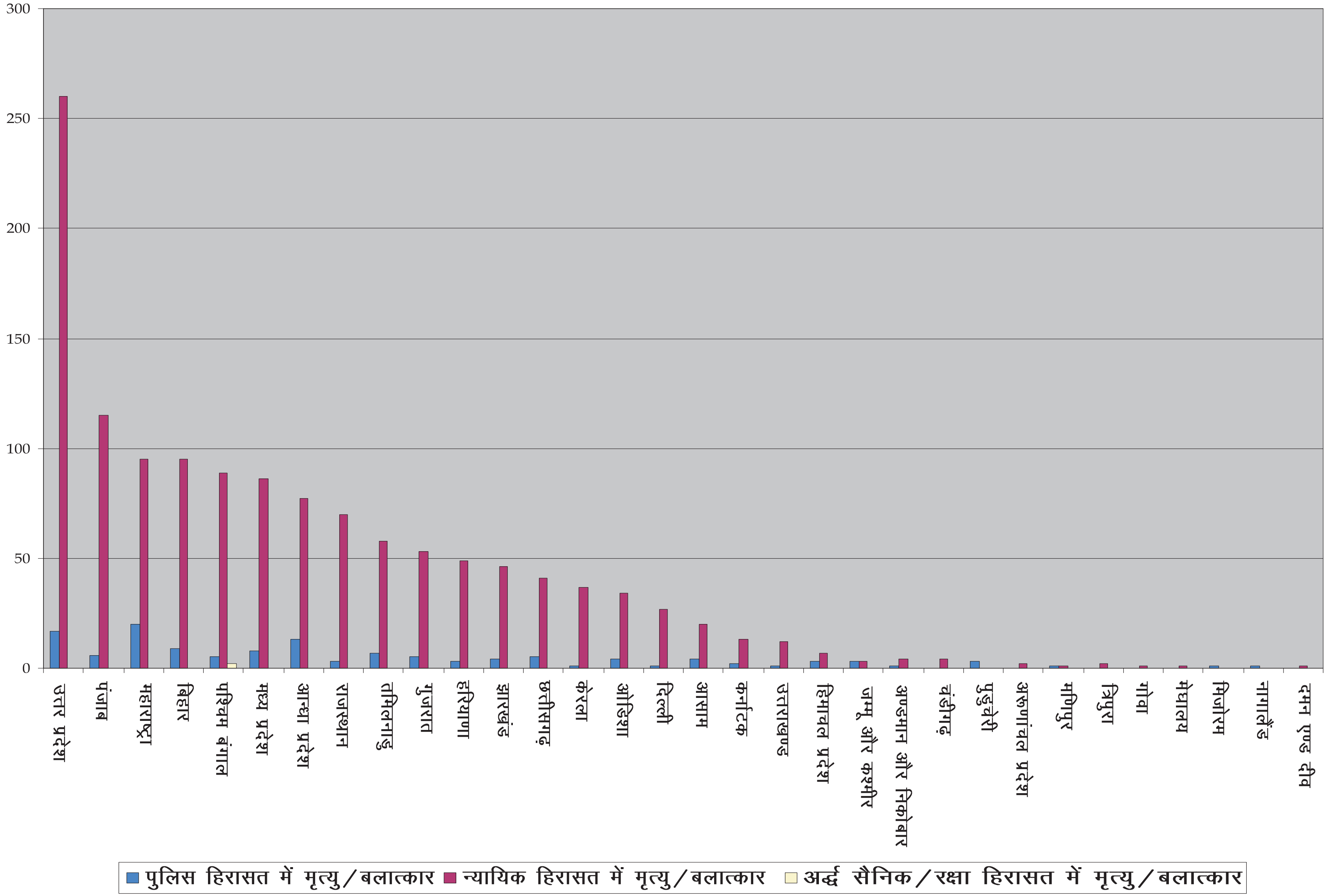

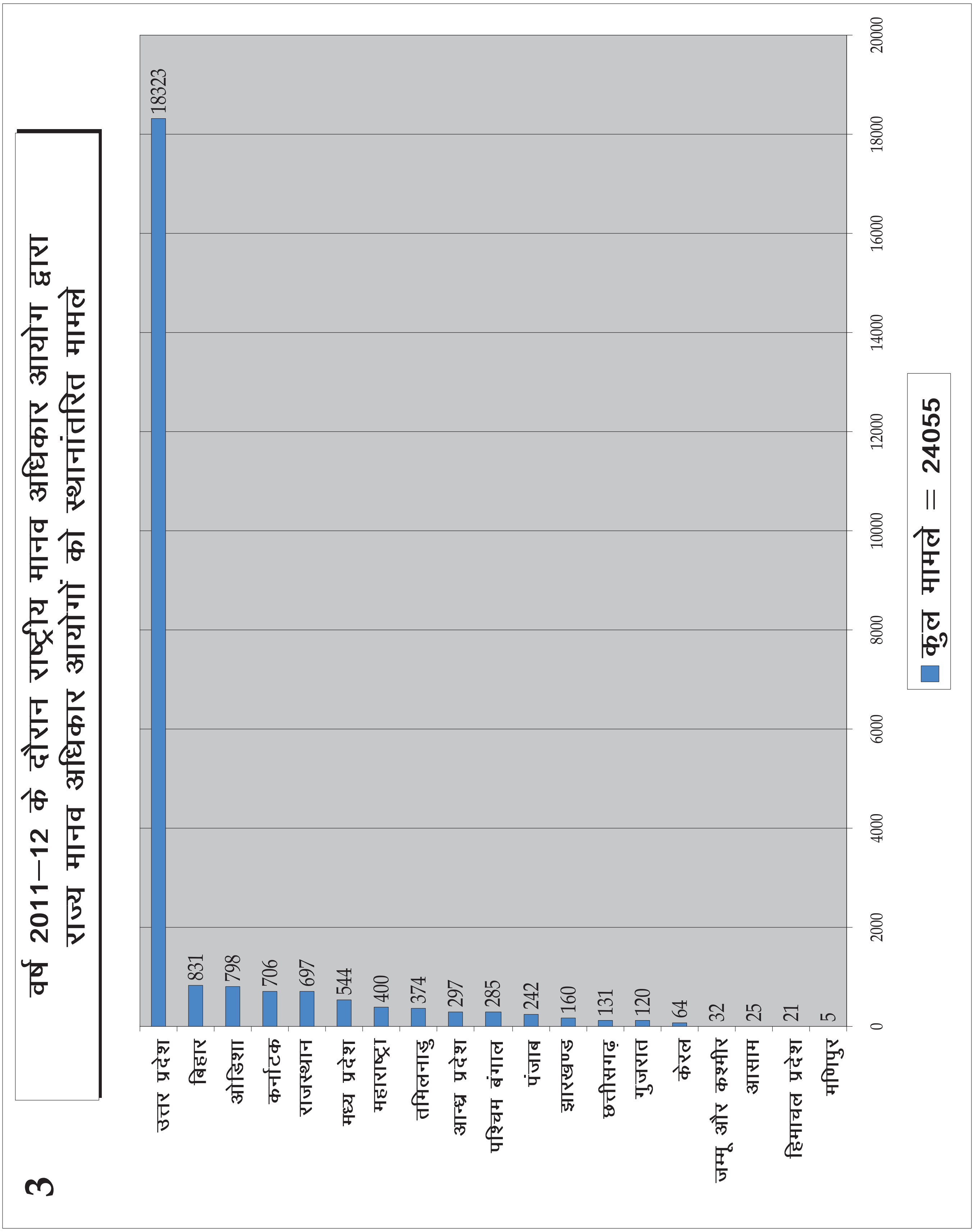
3
वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानांतरित मामले
उत्तर प्रदेश 18323
बिहार 831
ओडिशा 798
कर्नाटक 706
राजस्थान 697
मध्य प्रदेश 544
महाराष्ट्रा 400
तमिलनाडु 374
आन्ध्र प्रदेश 297
पश्चिम बंगाल 285
पंजाब 242
झारखण्ड 160
छत्तीसगढ़ 131
गुजरात 120
केरल 64
जम्मू और कश्मीर 32
आसाम 25
हिमाचल प्रदेश 21
मणिपुर 5
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
कुल मामले = 24055

4 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की प्रकृति एवम् वर्गीकरण

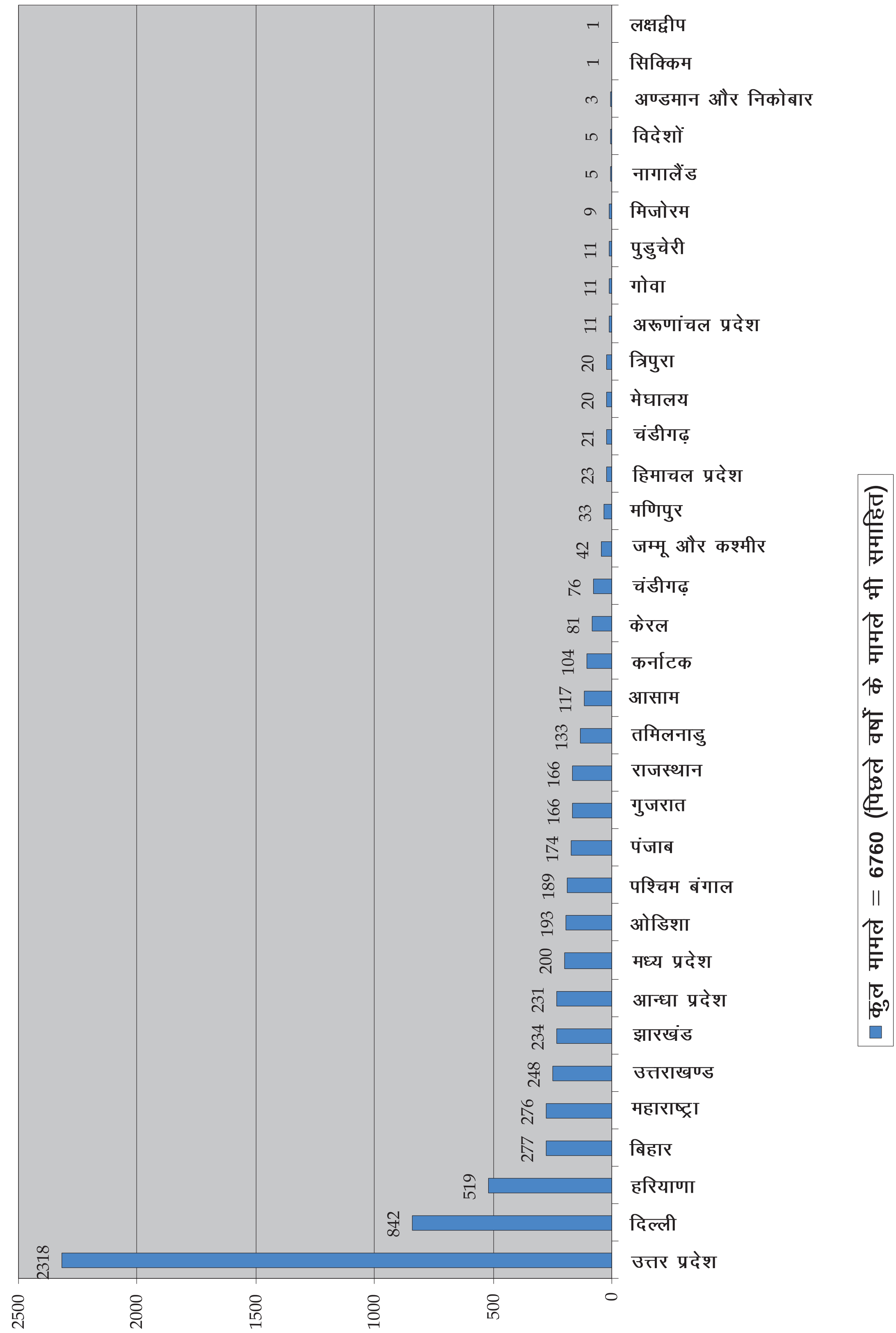

5 राज्य/संघ राज्यों में 2 प्रतिशत से अधिक निष्कासन दर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आरंभ से ही खारिज मामले

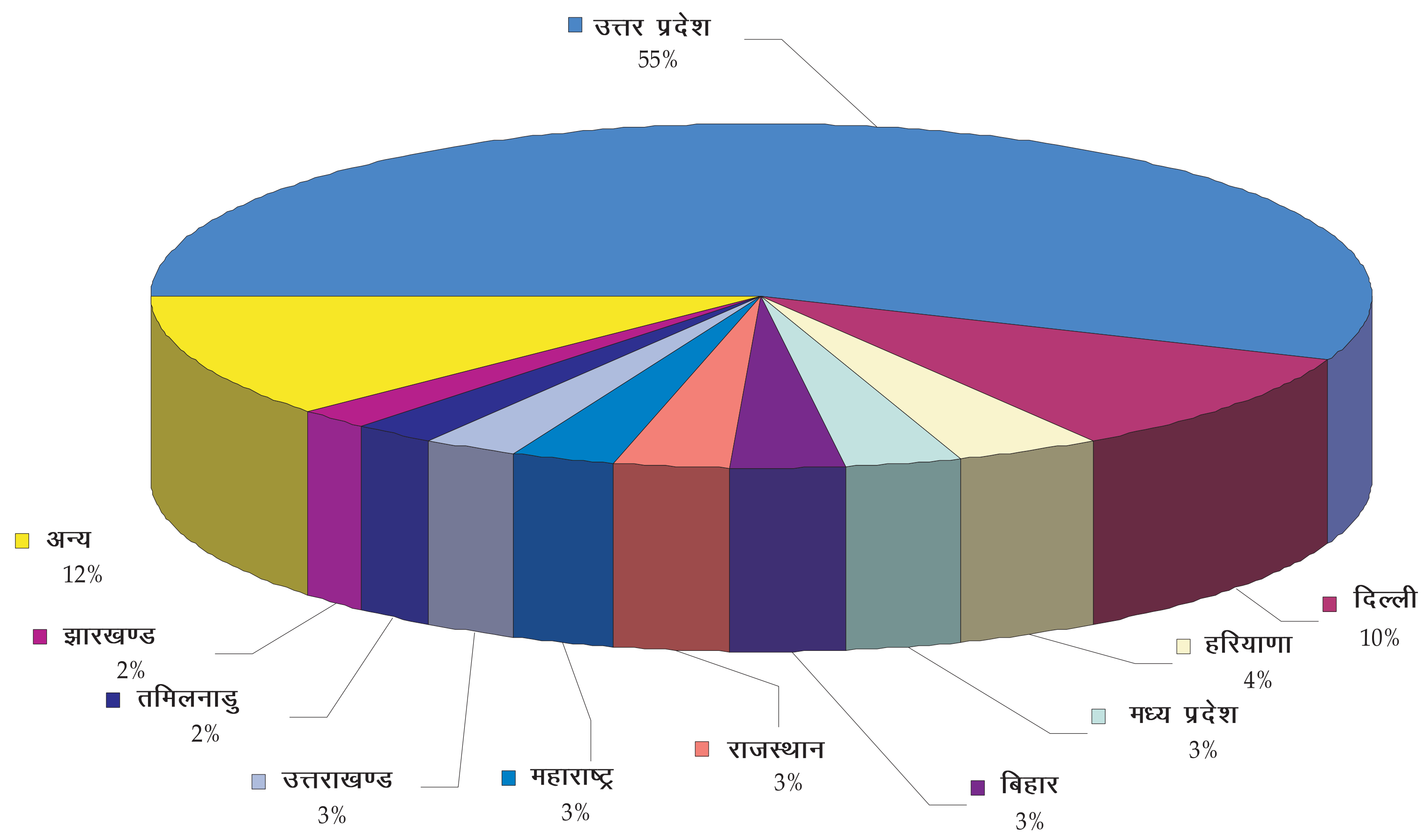

6

2011–12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए/लंबित निपटान मामले

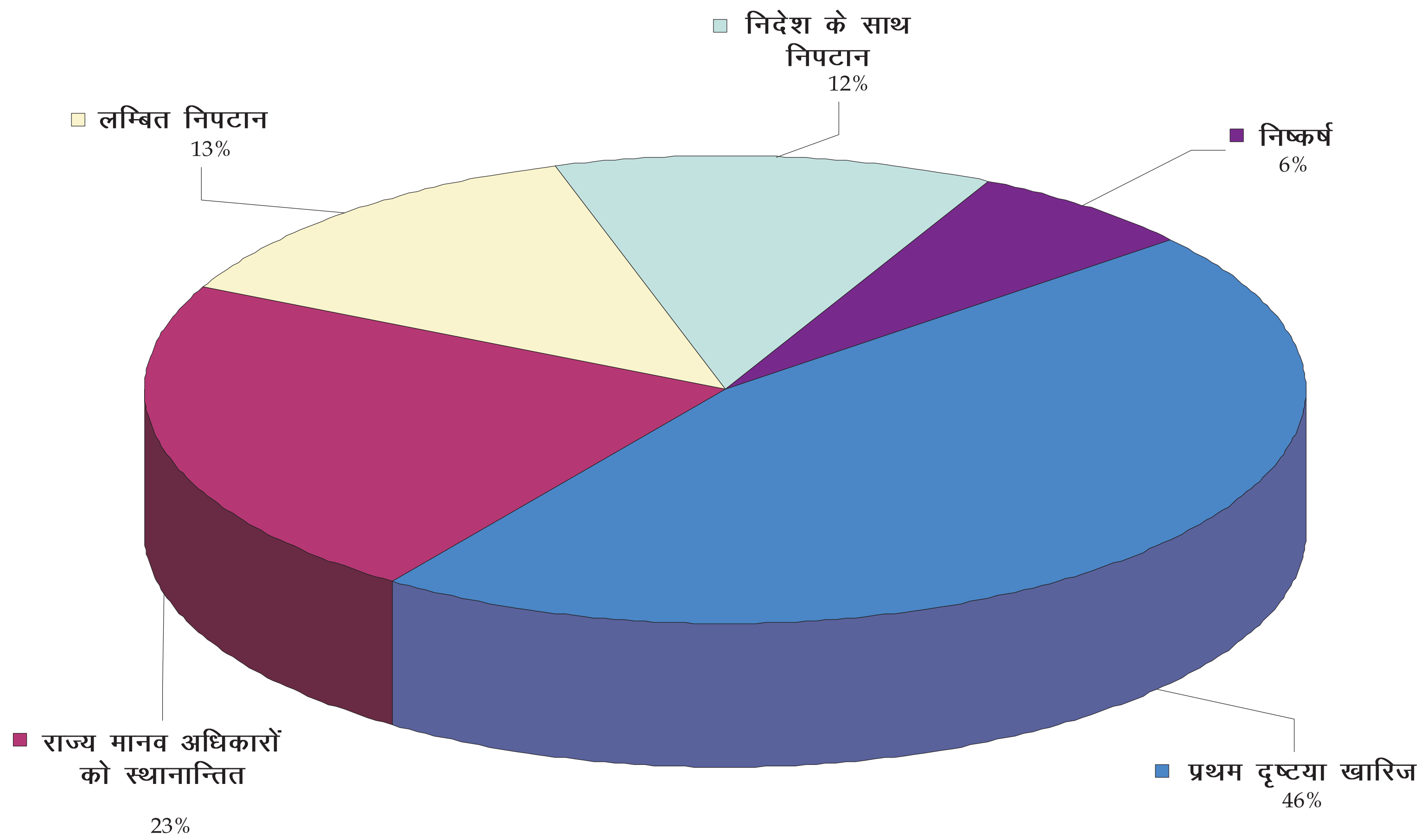

7 2011–12 के दौरान राज्य/संघ राज्यों में 2 प्रतिशत से अधिक निपटान दर के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निर्देशों के साथ निपटाएं गए मामले

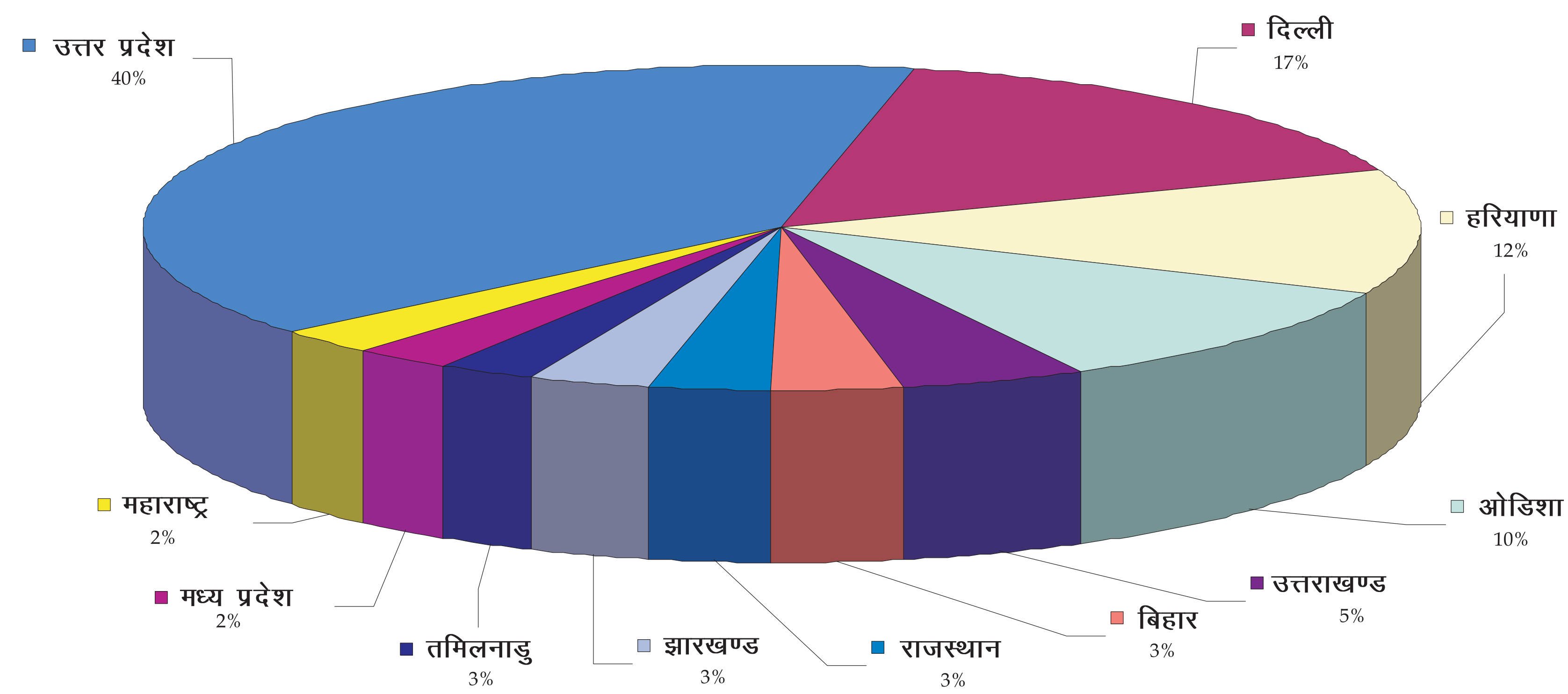

8

2011–12 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानांतरित मामले

कुल मामलें = 24055

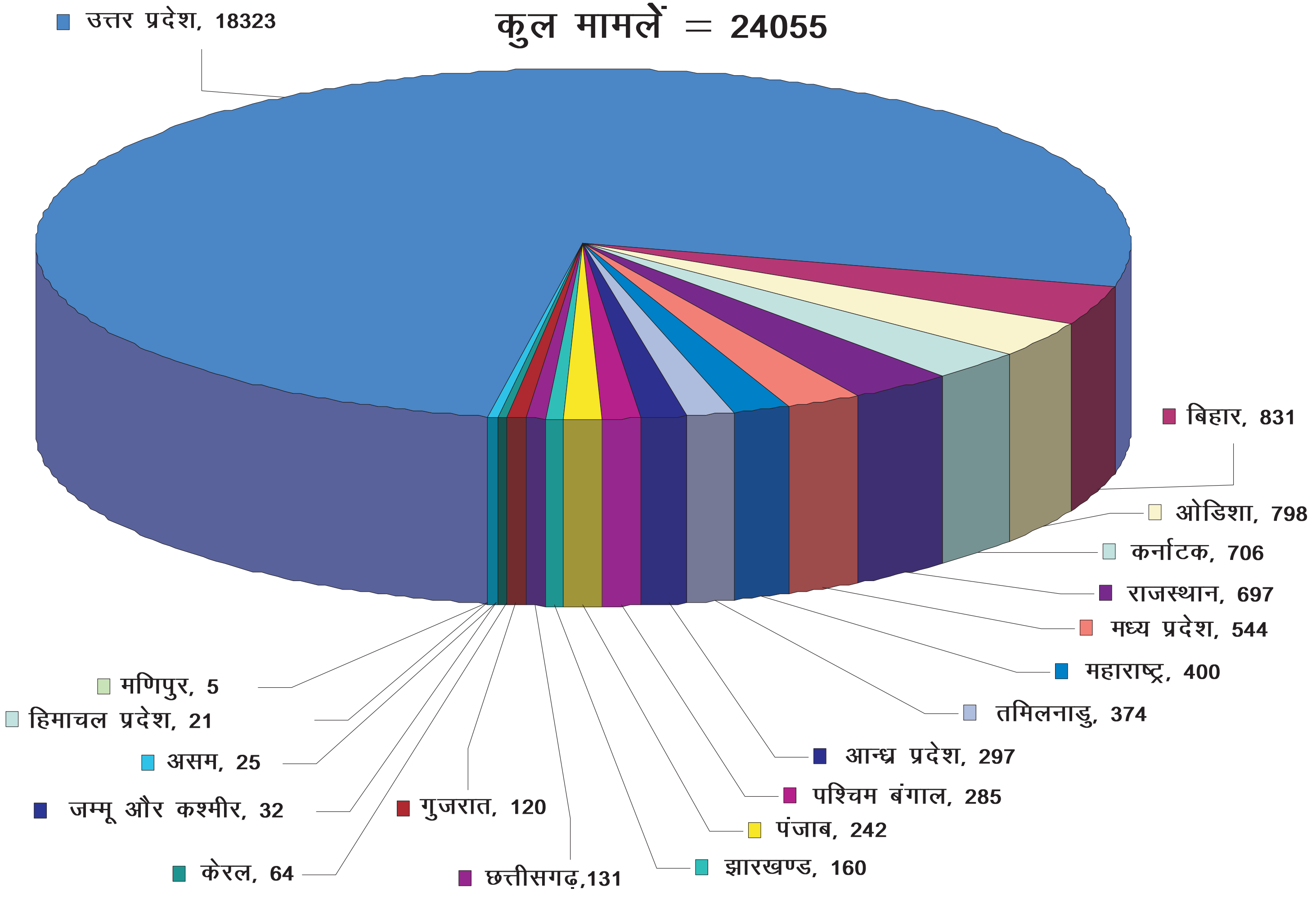

संक्षिप्तियाँ

ए पी एफ	–	एशिया पैसिफक फोरम
ए एस आई	–	सहायक उप–निरीक्षक
बी पी एल	–	गरीबी रेखा से नीचे
सी बी–सी आई डी	–	अपराध शाखा–आपराधिक अन्वेषण विभाग
सी आई डी	–	आपराधिक अन्वेषण विभाग
सी आर पी सी	–	दाण्डिक प्रक्रिया संहिता
सी पी आई ओ	–	केन्द्रीय जनसंपर्क अधिकारी
सीआरपीएफ	–	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
डी जी (आई)	–	महानिदेशक (अन्वेषण)
डी जी पी	–	पुलिस महानिदेशक
डी आई जी	–	उपमहानिरीक्षक
डी एम	–	जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
एफ आई आर	–	प्रथम सूचना रिपोर्ट
जी ओ आई	–	भारत सरकार
जे एस (पी एंड ए)	–	संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन)
एच आर	–	मानव अधिकार
आई/सी	–	प्रभारी
आई सी सी	–	मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति
आई पी सी	–	भारतीय दण्ड संहिता

एम ई आर	–	मजिस्ट्रेटी जाँच रिपोर्ट
एन सी टी	–	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन जी ओ	–	गैर सरकारी संगठन
एन एच आर आई एस	–	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान
एन ओ के	–	निकटतम रिश्तेदार
यू एन ओ एच सी एच आर	–	संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय
पी सी एस	–	प्रान्तीय सिविल सेवाएँ
पी एच आर ए	–	मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
पी एम आर	–	शव–परीक्षण रिपोर्ट
पी एस	–	पुलिस स्टेशन
आर/ओ	–	निवासी
एस आई	–	उप–निरीक्षक
एस एच ओ	–	थाना प्रभारी
एस/ओ	–	सुपुत्र
एस एस पी	–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
यू एस	–	धारा के तहत्

ISSN : 0973-7553

छायाचित्र
ए. के. श्रीवास्तव

हमें ऐसे विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो
—वांगरी मथाई

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली—110001, भारत